पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2021-22

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2021-22

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory and Development Authority

बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 में निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप के अनुरूप है।

नोटः अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों के बीच सन्देह या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Note:- In case of any conflict between the Hindi version and the English version, the English version will prevail.

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सुप्रतिम बंदोपाध्याय
अध्यक्ष
Supratim Bandyopadhyay
Chairperson

<u>प्रेषण पत्र</u>

फा.स. पीएफआरडीए/09/02/11/0002/2022– वार्षिक रिपोर्ट विभाग 11 नवंबर 2022

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
संसद मार्ग, जीवनदीप भवन
नई दिल्ली –110001

विषय– वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट ।

महोदय,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46(2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ आपको प्रेषित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय

(सुप्रतिम बंदोपाध्याय)

विषयवस्तु तालिका

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य		11
उद्देश्य		11
परिकल्पना		11
अध्यक्ष महोदय का संदेश		13
बोर्ड के सदस्य		15
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण		16
संक्षिप्तियां		17
भागू-I		
नीतियां और कार्यक्रम		20
1.1	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य	20
1.1.1	मुद्रास्फीति	20
1.1.2	वैश्विक वस्तुओं की कीमतें	21
1.1.3	वैश्विक आर्थिक परिवेश	21
1.1.4	बॉन्ड और इक्विटी बाजार	22
1.2	घरेलू अर्थव्यवस्था	22
1.2.1	भारत में समष्टि अर्थव्यवस्था का विकास	22
1.2.2	मुद्रास्फीति.	22
1.2.3	मौद्रिक प्रबंधन	23
1.3	वित्तीय बाजार	24
1.3.1	जी–सेक बाजार	24
1.3.2	कॉर्पोरेट बांड बाजार	25
1.3.3	इक्विटी बाजार	25
1.4	वैश्विक पेंशन बाजार की समीक्षा	25
1.4.1	वर्ष 2021 में ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां	25
1.4.2	वर्ष 2021 में इक्विटी निवेश	27
1.5	पेंशन अनुभाग के लिए बजट 2022 में प्रमुख घोषणा	28
1.6	भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा	29
1.7	भारतीय पेंशन परिदृश्य	29
1.8	पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा	33
1.9	एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयां	34
1.9.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य इकाईयां तथा अधिनियम के तहत आने वाली अन्य पेंशन योजनाएं	34
1.9.2	खाते के प्रकार	37

1.9.3	लोकसंपर्क	37
भाग-II		
एनपीएस के तहत निधियों का निवेश		
2.1	पेंशन निधियां (पीएफ्स)	38
2.1.1	पेंशन निधियों के कार्य	38
2.1.2	सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं अर्थात् (सीजी और एसजी), एनपीएस स्वावलम्बन और एपीवाई के लिए पेशन निधियों की सूची	39
2.1.3	निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ्स) की सूची	39
2.2	योजनाएं	39
2.3	पेंशन निधियों से संबंधित विनियम, अधिसूचनाएं, जारी प्रमुख परिपत्र/दिशानिर्देश	46
2.4	निरीक्षण	48
भाग-III		
प्राधिकरण के कार्य		
3.1	मध्यस्थों का पंजीकरण तथा स्थगन, निरसन आदि	49
3.2	योजनाओं, उनकी नियम और शर्तों का अनुमोदन	54
3.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास	54
3.3.1	पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015,और उसके तहत किए गए संशोधन	54
3.3.2	एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण	57
3.4	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई गतिविधिया	63
3.5	अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र तथा ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए किये गए क्रियाकलाप	66
3.5.1	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या.	71
3.5.2	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए राज्यवार प्राप्त शिकायतें	71
3.5.3	पीएफआरडीए द्वारा उठाए गए कदम	72
3.6	सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	73
3.7	प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन,जिनमें अध्ययन, अनुसंधान तथा परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है	73
3.8	अभिदाताओं तथा सामान्य जनता के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत तथा सम्बंधित मुद्दों पर उठाये गए कदम तथा मध्यस्थ इकाईयों के प्रशिक्षण विवरण	74
3.8.1	वित्तीय साक्षरता वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय कार्यक्रम	74
3.8.2	पीएफआरडीए द्वारा उठाए गए कदम	74
3.8.3	मीडिया और संचार पर पीएफआरडीए के प्रयास और एनपीएस/ एपीवाई जागरूकता	75
3.8.4	सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए	78
3.8.5	जनसंपर्क अभिकरण	78
3.8.6	प्रशिक्षण	78

3.8.7	एनपीएस और एपीवाई सूचना सहायता पटल	79
3.9	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित सम्मेलन/बैठकें और उठाए गए अन्य कदम	79
3.9.1	केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन	79
3.9.2	सरकारी/निजी क्षेत्र में एनपीएस के सुलभ कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम	82
3.9.3	कोर्पोरेट क्षेत्र के तहत सम्मेलन	89
3.9.4	अटल पेंशन योजना के तहत कार्यक्रम	90
3.10	पेंशन निधियों के प्रदर्शन	93
3.11	विनियमित आस्तियां	96
3.12	वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रभार	97
3.13	मध्यस्थ इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना, किये गए निरीक्षण, जांच, अन्वेषण तथा पेंशन निधियों से सम्बंधित अन्य इकाईयां संगठन	99
3.13.1	जांच और अन्वेषण	99
3.13.2	निरीक्षण और लेखापरीक्षा	99
3.14	अन्य	100
3.14.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाताओं (श्रेणीवार) की संख्या	100
3.14.2	उपस्थिति अस्तित्व	104
3.14.3	प्रबंधन के अधीन आस्तियां	104
3.14.4	केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	105
3.14.5	पेंशन निधियां	114
3.14.6	न्यासी बैंक	115
3.14.7	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक	120
3.14.8	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास	122
3.14.9	सेवानिवृत्ति सलाहकार	124
3.14.10	पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई अन्य गतिविधियाँ	124
भाग-IV		129
4.1	पेंशन सलाहकार समिति	129
4.2	नव निर्मित और संशोधित विनियम	130
4.3	अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन	130
4.4	पीएफआरडीए में सूचना तकनीकी और साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति	131
भाग-V		
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मुद्दे		
5.1	पीएफआरडीए बोर्ड	132

5.2	प्राधिकरण की बैठकें	132
5.3	पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	132
5.4	पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना	133
5.5	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति	133
5.6	कर्मचारी कल्याण समिति	133
5.7	पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण	133
5.8	राजभाषा का प्रचार	133
5.9	सूचना का अधिकार	135
5.10	संसदीय प्रश्न	135
5.11	अन्य गतिविधियाँ	136
5.12	पीएफआरडीए के खाते	136
भाग-VI		
कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जो अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है		
6	अभिदाताओं के हितों को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्र	137
6.1	सक्रिय विनियम का अभाव सरकारी नोडल अधिकारी को रोकता है	137
6.2	एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा	137
6.3	वैधानिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है	137
6.3.1	न्यूनतम आश्वासित रिटर्न्स योजना (मार्स)	137
6.4	वेतन के 10% से अधिक नियोक्ता अंशदान पर कराधान	138
6.5	कर योग्य परिलब्धियों की गणना के लिए नियोक्ता अंशदान पर सीमा	138
6.6	धारा 80–सी के कर लाभ के साथ टियर–II कर बचत योजना केवल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए	138
6.7	टियर–II निवेश लाभों पर कराधान	138
भाग-VII		
अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए अन्य उपाय		
7.1	प्राधिकरण द्वारा उनके अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई अन्य पहल	139
अनुलग्नक की सूची		141
अनुलग्नक I		
पेंशन सलाहकार समिति का गठन		142
अनुलग्नक II		
राज्यानुसार पीओपी–एसपीज़ की संख्या		143
अनुलग्नक III		
वार्षिक लेखा और अनुसूचियां		144

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 के नियम 9(2)(ग)के तहत

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में शामिल हैं जो कि निम्नलिखित है :

ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना, जो कि वृद्धावस्था आय को बढ़ावा दे, पेंशन निधियों की स्थापना करे और उनको विकसित और विनियमित करे, जिससे पेंशन निधियों की योजनाओं के अभिदाताओं तथा उनसे जुड़े एवं प्रासंगिक मामलों की रक्षा की जा सके।"

परिकल्पना

नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति हेतु एक संगठित पेंशन प्रणाली का प्रसार एवं विकास करते हुए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना

अध्यक्ष का संदेश

भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता जोखिम की निर्भरता, वैश्विक संकट और भू–राजनीतिक मुद्दों पर होती है। हालांकि, भारतीय वित्तीय प्रणाली इन संकटो का सामना करने के लिए प्राथमिक मापनीयता और मूल्य सापेक्षता का प्रदर्शन करती है। इस जारी अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, पीएफआरडीए ने सक्रिय रूप से एनपीएस और एपीवाई के तहत शामिल अपने अभिदाताओं के हितों की रक्षा हेतु कई उपाय किए हैं। यह अपने सभी अभिदाताओं को कोविड–19 महामारी के दौरान आंशिक निकासी की अनुमति प्रदान करने से लेकर उपयोग और पहुंच की सरलता प्रदान करता रहा है।

कोविड–19 की प्रतिकूलता और यूरोप में युद्ध संकटों ने वस्तु बाजार में कीमतों को और अधिक बढ़ा दिया, वित्तीय बाजारों में विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर दी और कच्चे तेल की कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गईं हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट–अप्रैल 2022 के अनुसार, वैश्विक विकास 2021 के अनुमानित 6.1 प्रतिशत से 2022 में 3.6 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान है। इससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है और दुनिया भर में मौद्रिक नीतियों को सख्त किया गया है। पहले पहल मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व द्वारा 25 आधार अंकों की दर में वृद्धि की जा रही है तथा वर्ष में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इस बेहद अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में, पीएफआरडीए विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित पेंशन निधियों और इष्टतम रूप से विनियमित निवेश दिशानिर्देशों के माध्यम से अपने अभिदाताओं पर सक्रिय रूप से इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सक्षम रहा है।

बढ़ती और वृद्ध आबादी के मौजूदा परिदृश्य में, आने वाले दशकों में देश का जनसांख्यिकीय लाभांश विपरीत हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि भारत आने वाले पांच या छह वर्षों में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, साथ ही साथ जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होगी। ऐसे में देश के सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा को मजबूत करना अनिवार्य हो जाता है।

एक वित्तीय उत्पाद के रूप में पेंशन का दोतरफा उद्देश्य होता है, पहला वृद्धावस्था सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करना और दूसरा पर्याप्त होना ताकि वृद्धावस्था में जीवन स्तर व्यक्ति के लिए समान बना रहे। चूंकि यह एक दीर्घकालिक वित्तीय उत्पाद है, इसलिए इसे किसी व्यक्ति की कामकाजी उम्र के दौरान कोष के संचय के लिए निरंतर स्तर के योगदान की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए, पेंशन, सेवानिवृत्ति योजना और बचत के संदर्भ में वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितनी जल्दी कोई व्यक्ति अपनी पेंशन में योगदान देना शुरू करता है, उतना ही अधिक वे चक्रवृद्धि के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

पीएफआरडीए ने अभिदाता संख्या में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जो वर्तमान में 520.21 लाख है और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति में 27.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जो वर्तमान में रु. 7,36,594 करोड़, तेजी से विकास देखा है। अटल पेंशन योजना, जो कि प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र की ओर केन्द्रित है, उसमें नामितिकरणों की संख्या चार करोड़ को पार कर गई, जो पीएफआरडीए द्वारा प्राप्त की गई एक बड़ी उपलब्धि है।

पीएफआरडीए एक ऐसी पेंशन योजना के निर्माण पर विचार कर रहा है, जो इसमें शामिल होने वाले अभिदाताओं को न्यूनतम आश्वासित रिटर्न प्रदान करेगा। पीएफआरडीए प्रत्येक पोर्टफोलियो आवंटन योजना के साथ एक रिस्क–ओ–मीटर शुरू करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पीएफआरडीए की इस वार्षिक रिपोर्ट को साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियों और पहलों को प्रदान करने का प्रयास करती है। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट भारत में पेंशन की कार्यप्रणाली के बारे में ज्ञान को बढ़ाएगी। हम इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं ।

अंत में, मैं, भारत को एक पेंशनभोगी समाज बनाने के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा के अपने उद्देश्य को पूरा करने की पीएफआरडीए की प्रतिबद्धता और समर्पण को दोहराना चाहता हूं ।

सुप्रतिम बंदोपाध्याय
अध्यक्ष

बोर्ड के सदस्य

(पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 23) की धारा 4 के तहत नियुक्त)

अध्यक्ष

श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
अध्यक्ष, पीएफआरडीए, 21 फरवरी 2020 से अब तक

पूर्णकालिक सदस्य

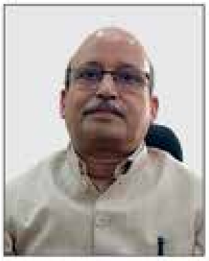

प्रमोद कुमार सिंह
पूर्णकालिक सदस्य (विधि)
03 मार्च 2020 से अब तक

डॉ. दीपक मोहंती
पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र)
1 सितंबर 2020 से अब तक

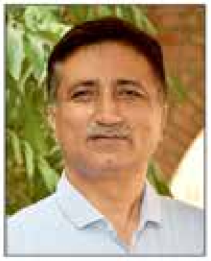

(डॉ.) मनोज आनंद
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त)
1 अक्टूबर 2020 से अब तक

अल्पकालिक सदस्य

सुश्री. एनी जॉर्ज मैथ्यू
(आईए एएस 1988)
अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग
12 दिसम्बर, 2014 से अब तक।

सुश्री सुजाता चतुर्वेदी,
(आईएएस 1989)
संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,
16 जनवरी, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक।

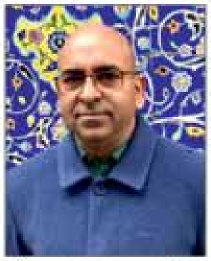

श्री मदनेश कुमार मिश्रा
(आईआरएस 1990)
संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
03 नवम्बर, 2017 से 31 अगस्त, 2021 तक।

सुश्री वंदिता कौल
(आईओपीएस 1989)
अपर सचिव,वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मन्त्रालय दिनांक
22 दिसम्बर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण

(31.03.2022 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री अनंत गोपाल दास
सुश्री ममता रोहित
श्री अशोक कुमार सोनी

मुख्य महाप्रबंधक

श्री वेंकटेश्वरलू पेरी
सुश्री सुमीत कौर कपूर
श्री आशीष कुमार
श्री के मोहन गांधी
श्री मोनो मोहन गोगोई फुकोन
श्री अखिलेश कुमार

महाप्रबंधक

श्री प्रवेश कुमार
श्री विकास कुमार सिंह
श्री सुमित कुमार
श्री पी.अरुमुगारंगराजन
श्री सचिन जोनेजा
श्री आशीष कुमार भारती
सुश्री गुरमिन्दर कौर

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डी.के.नामदेव

लोकपाल

श्री अर्नब राय

वार्षिक रिपोर्ट दल

श्री वेंकटेश्वरलू पेरी, मुख्य महा प्रबन्धक
सुश्री मंजू भल्ला, उप महा प्रबन्धक
श्री मनीष मणि, सहायक महा प्रबन्धक
श्री सिद्धांत मोहापात्रा, सहायक प्रबन्धक,
सुश्री आकांक्षा चौहान, कनिष्ठ अर्थशास्त्री

संक्षिप्तियां

एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एपीवाई–एसपी	एपीवाई–सेवाप्रदाता
एएसपी	वार्षिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति
बीएसई	बम्बई शेयर बाजार
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीएजीआर	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
सीबीओ	कॉर्पोरेट शाखा ऑफिस
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजी	केंद्र सरकार
सीजीएमएस	केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीएचओ	कॉर्पोरेट मुख्य कार्यालय
सीआईएसओ	मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारी
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरए	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
सीएसजीएल	ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही
डीबी	परिभाषित लाभ
डीडीओ	आहरण और संवितरण कार्यालय
डीसीसीबी	जिला केंद्रीय सह–कारी बैंक
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीटीए	खजाना और लेखा निदेशालय
डीटीओ	जिला खजाना कार्यालय
ईएमडीई	उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस	कर्मचारी पेंशन योजना
ईआरएम	त्रुटि आशोधन मोड्यूल

एफएक्यू	अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न
फिन–टेक	वित्तीय तकनीक
एफआईआई	विदेशी संस्थानिक निवेशक
फिन–टेक	वित्तीय तकनीक
एफएसडीसी	फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल
एफआरपीएस	फांडस डे रिट्रेट प्रोफेसनल सपलीमेंटेयर
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीसेक	सरकारी सुरक्षा
आईएफएससी	इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड
आईएमएफ	अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोश
आईओएस	आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम
आईएसटीएम	सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान
आईपिन	इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटीफिकेशन संख्या
टीपिन	टेलीफोनिक पर्सनल आइडेंटीफिकेशन नंबर
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरएफ–एफसी	इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मानिटरिंग फाइनेंशियल कांगलोमरेटस
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
मोबाइल एप	मोबाइल एपलिकेशन
एनएएचआरडी	नेशनल अकेडमी
एनएवी	कुल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएफई	नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एडयूकेशन
एनआईएसएम	नेषनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्किट
एनएलएओ	एनपीएस लाइट खाता कार्यालय
एनपीसीआई	नेशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएससीएएन	एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क
एनपीएसटी	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओपीजीएम	ऑनलाइन प्रान जेनरेशन माड्यूल
ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
पीएसी	पेंशन सलाहकार समिति
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय
पीआरएओ	प्रधान लेखा कार्यालय
पीएफ	पेंशन निधि
पीएफएम	पेंशन निधि प्रबंधक
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीओपी–एसपी	उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता
पीपीपी	क्रय शक्ति पारदर्शिता
प्रान	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
क्यूआर कोड	क्विक रिस्पांस कोड
आरए	सेवानिवृत्ति सलाहकार
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
रिबिट	रिजर्व बैंक इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
आआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससीएफ	अभिदाता अंशदान फाइल
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजी	राज्य सरकार
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसओटी	संव्यवहार प्रकथन
एसटीएस	सर्वर से सर्वर
टीबी	न्यासी बैंक
टीजीएफआईएफएल	टेक्नीकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इनक्लूशन एंड फाइनेशियल लिटरेसी
यूओएस	असंगठित क्षेत्र
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

भाग I

नीतियां और कार्यक्रम

भारत में एनपीएस की शुरुआत ने परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली से परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली की ओर एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना, भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा को प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित करती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की रचना देश में एक सुसंगत और वित्तीय रूप से स्थायी पेंशन प्रणाली के निर्माण और क्रियान्वयन के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखने के इरादे से की गई है।

पेंशन क्षेत्र वैश्विक और घरेलू विकासों द्वारा प्रभावित होता है। साथ ही, पेंशन परिसंपत्तियां पूंजी बाजार और बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों को दिशा देकर विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। वैश्विक और घरेलू विकास, आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फीति वस्तु की कीमतों के साथ–साथ उन मौद्रिक और राजकोषीय नीति प्रतिक्रियाओं में भी परिलक्षित होते हैं, और साथ में वित्तीय बाजार के सभी क्षेत्रों को, चाहे वह इक्विटी बाजार हो, सरकारी प्रतिभूति बाजार हो या बांड बाजार हों, को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट के इस भाग में वैश्विक और घरेलू पेंशन बाजारों के घटनाक्रमों पर ध्यान देने से पहले वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त समीक्षा की गई है।

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यंत उथल पुथल के दौर का अनुभव कर रही है, जिसकी तुलना 1930 की महामंदी से की जा सकती है । यह स्थिति प्रमुख रूप से कोविड–19 महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसे दोहरे संकट के कारण उत्पन्न हुई है । ईंधन और खाद्य वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ा है, जिसकी चपेट में आकर विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) रिपोर्ट अप्रैल 2022 के अनुसार, वैश्विक वृद्धि के 2021 में अनुमानित 6.1 प्रतिशत से घटकर 2022 और 2023 में 3.6 प्रतिशत रहने की संभावना है । 2023 के बाद, मध्यम अवधि में वैश्विक वृद्धि 3.3 प्रतिशत से गिरने का अनुमान है। विश्व व्यापार संगठन ने 2022 में विश्व व्यापार वृद्धि के अनुमान में कमी करके 3.0 प्रतिशत तक होने की आशा जताई है ।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) – डब्ल्यूईओ की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में तुर्की और मलेशिया में विनिर्माण पीएमआई संकुचित हो गई, जबकि मिस्र में, महामारी की शुरूआती लहर के बाद कुल अर्थव्यवस्था पीएमआई अपने सबसे निचले स्तर तक गिर गई और भविष्य में उत्पादन की उम्मीदें एक रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई। खाद्य वस्तु और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने वार्शिक मुद्रास्फीति में योगदान दिया, जो ब्राजील और मैक्सिको में क्रमशः 11.3 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत थी जबकि तुर्की में 60 प्रतिशत से अधिक थी।

1.1.1 मुद्रास्फीति

बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने और विकास दर को सुरक्षित रखने के बीच केन्द्रीय बैंको के समन्वय को कठिन बना देगी। केन्द्रीय बैंकों की नीति सख्त होने से ब्याज़ दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है जिससे उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पडेगा। यह यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम से प्रमुख रूप से देखा जा सकता है, जहाँ अमेरिकी सरकार ने बेंचमार्क ब्याज दर को आधा प्रतिशत बढ़ाकर 0.75 से 1 प्रतिशत तक की सीमा में कर दिया, जो कि 2000 के बाद से उनकी सबसे बड़ी वृद्धि है। अप्रैल 2022 के डब्लयूईओ अपडेट के अनुसार, वस्तु कीमतों में युद्ध से प्रेरित बढ़ोतरी और कीमतों के बढ़ते दबाव के कारण मुद्रास्फीति पिछले पूर्वानुमान की तुलना में अधिक समय तक बनी रहने की उम्मीद की जा रही है। परिणामस्वरुप मुद्रास्फीति पिछले पूर्वानुमान की तुलना में अधिक समय

तक बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2022 तक, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, आपूर्ति–मांग असंतुलन का क्रमवार समाधान और श्रम आपूर्ति में हो रही मामूली वृद्धि की अपेक्षा से, अंततः मूल्य मुद्रास्फीति में कमी, अर्थात् पुनः पूर्वानुमान में अनिश्चितता ही दिखाई देती है। वर्ष 2022 में कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा राजकोषीय समेकन प्राप्त करने का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन महामारी के बाद हुआ कर्जो का ऊँचा बोझ, आने वाले कई वर्षों तक एक समस्या के रूप में बना रहेगा।

1.1.2 वैश्विक वस्तु मूल्य

कमोडिटी मार्किट आउटलुक रिपोर्ट, विश्व बैंक, के अप्रैल 2022 संस्करण के अनुसार, यूक्रेन में युद्ध ने वस्तुओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि की है, जो कि 2020 के मध्य में कोविड–19 महामारी विषयक चिंताओं को कम करके मांग में वृद्धि के साथ षुरू हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ–साथ वस्तुओं की मांग में सुधार हुआ, जबकि वस्तु उत्पादन में बहुत ही धीरे–धीरे वृद्धि हुई। नई उत्पादन क्षमता में कई वर्षों के कमजोर निवेश के साथ–साथ विभिन्न आपूर्ति व्यवधान कम हुए। परिणामस्वरुप ऊर्जा की कीमतें (अमेरिकी डॉलर के सन्दर्भ में) मार्च 2022 में उनके अप्रैल 2022 के निचले स्तर की तुलना में चार गुना अधिक थीं– यह 1973 के तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद से ऊर्जा की कीमतों में 23 महीने की सबसे बड़ी वृद्धि थी। मार्च की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें 130 डॉलर प्रति बैरल तक यानी अपने 10 साल के उच्च स्तर पर पहुँच गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों द्वारा महत्वपूर्ण तेल सूची से मिली मदद के कारण अप्रैल के मध्य तक गिरकर 105 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गई। मार्च में धातु की कीमतों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च में वैश्विक समग्र पीएमआई 53.5 से गिरकर 52.7 पर आ गया। इसी तरह खाद्य कीमतों में 2022 में लगभग 4) प्रतिशत की मध्यम गति से वृद्धि और 2023 में गिरावट की उम्मीद की जा रही है । वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बढ़ती कीमतों के दबाव के कारण 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 5.7 प्रतिशत और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है।

1.1.3 वैश्विक वित्तीय वातावरण

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) अप्रैल 2022 के अनुसार, वस्तु बाजारों में व्यवधान और प्रतिपक्ष जोखिम में वृद्धि, खराब बाजार तरलता और फंडिंग स्ट्रेन, उभरते बाजारों में क्रिप्टोकरण की गति और संभावित साइबर घटनाओं के द्वारा दुनियाभर के मौजूदा वित्तीय प्रणालियों के लचीलेपन को परखा जाएगा। उभरते और सीमांत बाजार कठोर वित्तीय स्थितियों और पूंजी बहिर्वाह के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। यूएस प्रतिफल में बढ़ोतरी के साथ जुड़े स्पेड गिरावट ने कई उधारकर्ताओं की वित्तपोषण लागत को महामारी के पहले के स्तरों से काफी ऊपर बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण और बढ़ी हुई भू–राजनीतिक अनिश्चितता के कारण सख्त बाहरी वित्तीय स्थितियों से पोर्टफोलियो प्रवाह के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दर में हुई अचानक और निरंतर वृद्धि, मौजूदा कमजोरियों को तेज करते हुए वैश्विक वित्तीय स्थितियों को मजबूत कर सकती है। जिसके परिणामस्वरूप बाजार में अस्थिरता और वित्तीय साधनों की कीमत में तेज गिरावट आ सकती है। जब उभरते बाज़ार श्रम की कमी का सामना कर रहे हों और देशी मुद्रा की पैदावार बढ़ रही हो तो ऐसे में जोखिम न लेने से उन बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पहले से मौजूद मुद्रास्फीति के दबाव में वस्तुओं की कीमत में हुई तेज वृद्धि के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को लेकर बनी गहरी अनिश्चितता के समय में केन्द्रीय बैंकों को रिकॉर्ड महंगाई से

लड़ने और महामारी के बाद हो रहे सुधारों को बनाए रखने की जद्दोहद में एक चुनौतीपूर्ण व्यापारबंदी का सामना भी करना पड़ रहा है।

1.1.4 बांड और इक्विटी बाजार

जीएफएसआर अप्रैल 2022 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण विषयक चिंताओं के बढ़ने के बाद, युद्ध के बाद से उन्नत अर्थव्यवस्था नाममात्र बांड प्रतिफल दरों की बढ़ी हुई अस्थिरता के बीच अधिक बढ़ गया है। तेजी से बढ़ती वस्तु कीमतों के कारण मुद्रास्फीति लाभ–अलाभ स्थिति (भविष्य की मुद्रास्फीति के लिए बाजार–निहित प्रतिपत्र) महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है।

जीएफएसआर के अनुसार, ग्लोबल कॉर्पोरेट बांड स्प्रेड ने कुछ बड़े क्षेत्रों और अधिकांश उच्च उपज वाले क्षेत्रों में पूर्व महामारी के स्तर को पार कर लिया है। सबसे कम रेटेड प्रतिष्ठानों के लिए वृद्धि अधिक प्रदर्शित हुई है, जो कि भविष्य की संभावित चिंताओं की ओर संकेत करती है। इक्विटी और ब्याज दर दोनों बाजारों में अस्थिरता तेजी से बढ़ी है, जो आर्थिक और नीतिगत दृष्टिकोण पर बढ़ी अनिश्चितता को दर्शाती है।

इक्विटी में, बाजार में निहित अस्थिरता में तेजी से गिरावट आई है और 2022 के अंत तक इन स्तरों के आसपास रहने का अनुमान है । ब्याज दरों में, बाजार निहित अस्थिरता उन्नत बनी हुई है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीति सामान्यीकरण प्रक्रिया के बारे में अनिश्चितताओं को दर्शाती है । दूसरी ओर, इस वर्ष उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिति कठोर बनी हुई है, जो कॉर्पोरेट मूल्यांकन में गिरावट, उच्च सरकारी बांड प्रतिफल और मौद्रिक नीति सामान्यीकरण की निरन्तर उम्मीदों को दर्शाती है ।

वर्ष की शुरुआत में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण विषयक चिंताओं के बढ़ने के बाद, मार्च में ब्याज़ दरों में अस्थिरता के बीच, ब्रेक ईवन और वास्तविक दरों, इन दोनों में बढ़ोतरी दर्शाते हुए उन्नत अर्थव्यवस्था नामिनल बांड प्रतिफल तेजी से बढ़ा।

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

1.2.1 भारत में समष्टि आर्थिक विकास

भारत के दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने की आशा है क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने सुदृढ़ लोकतंत्र और प्रबल साझेदारियों की सहायता से कोविड–19 से उबर रही हैं। आर्थिक परिदृश्य में सुधार के साथ, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हुआ है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल के कारण कई विदेशी कम्पनियां भारत में अपनी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। मेक इन इण्डिया पहल का उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना और आम भारतीय उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाना है, जो निवेशकों को लाभ पहुंचाने के साथ ही मांग को आगे बढ़ाए और विकास को प्रेरित करें। दूसरी ओर, डिजिटल इन्डिया पहल तीन मुख्य घटकों पर केन्द्रित है : डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना, सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।

आरबीआई (संदर्भ– एमपीसी रिपोर्ट, अप्रैल 2022) के अनुसार, 2021–22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 8.9 प्रतिशत बढ़ गया, जो इसके पूर्व महामारी (2019–20) के स्तर से केवल 1.8 प्रतिशत अधिक है । वह आर्थिक गतिविधि, जिसने दूसरी लहर में कमी के साथ वर्ष 2021–22 की तिमाही 2 (Q2) (जुलाई–सितम्बर) में पुनः गति हासिल की थी, उसने वर्ष 2021–22 की तिमाही 3 (Q3) 2021–22 (जुलाई–सितम्बर) में गति खो दी और तिमाही 4 (जनवरी–मार्च) में ओमिक्रोन के प्रसार के साथ तेज़ी से कम हो गई ।

1.2.2 मुद्रास्फीति

आरबीआई एमपीसी रिपोर्ट, अप्रैल 2022 के अनुसार, सितम्बर 2021 में 4.3 प्रतिशत तक कम होने के बाद सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2022 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जो खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि से प्रेरित थी।

मासिक आर्थिक समीक्षा, मार्च 2022 के अनुसार, अप्रैल–फरवरी 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI&C) या खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत थी, जो कि पिछले वर्श की इसी अवधि के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा से काफी कम है । मूल मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई), मुद्रास्फीति का एक अधिक स्थिर उपाय, पिछले वर्श की समान अवधि में 5.5 प्रतिशत की तुलना में 6.0 प्रतिशत रहा, क्योंकि 2021–22 में अर्थव्यवस्था में मांग का दबाव बना रहा ।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल–फरवरी 2021 की अवधि के लिए 0.7 प्रतिशत तक अनुकूल थी । हालांकि, इसमें 2021–22 की इसी अवधि में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई । डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि पिछले वा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण थी।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अप्रैल महीने में बढ़कर 15.08 फीसदी हो गया। WPI मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 से शुरू होकर लगातार 12वें महीने दोहरे अंकों में बनी हुई है।

चार्ट 1.1: मुद्रास्फीति दर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई

स्रोतः PIB and MoSPI

1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन

वर्ष 2021–2022 के लिए पहले द्वि–मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4.00 प्रतिशत रखा। तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्यों में नीति रेपो दर प्रतिशत अपरिवर्तित रहा। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर सुनिश्चित करते हुए आरबीआई इस समायोजन रूख के साथ जारी रहा कि क्या विकास को पुनर्जीवित करना आवश्यक था।

वर्तमान और विकासशील व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं, ईंधन की बढ़ती कीमत आदि शामिल हैं, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 4 मई, 2022 को अपनी बैठक में नीति रेपो को बढ़ाने का निर्णय लिया। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें स्थायी जमा सुविधा की दर को 4.15% और सीमांत स्थायी सुविधा को बढ़ाकर 4.65%

करना भी शामिल है। इसने एक ऐसे क्षण को चिह्नित किया जहां आरबीआई ने समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए समायोजनशील बने रहने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास के साथ–साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

चार्ट 1.2: वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान रेपो दर में गति को नीचे प्रदर्शित किया गया है :

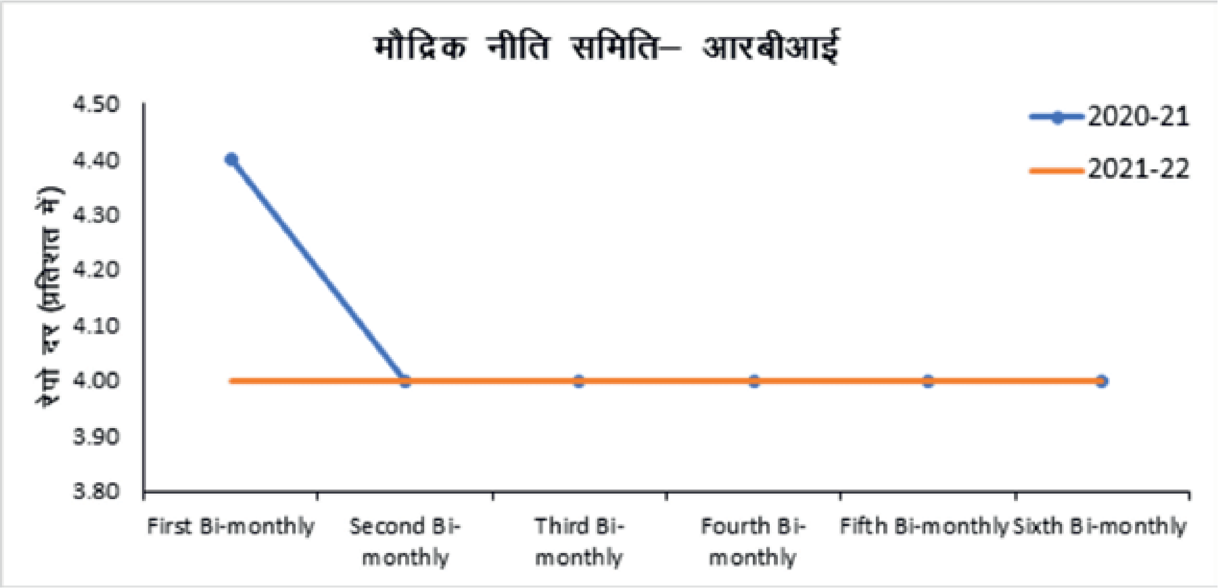

स्रोत : एमपीसी रिपोर्ट्स आरबीआई

1.3 वित्तीय बाजार

भारत में एक विविध वित्तीय क्षेत्र है, जो वित्तीय सेवाओं और नई संस्थाओं के विकास के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, पेंशन निधि, म्यूच्यूअल फंड और अन्य छोटी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। कोविड–19 के कारण वर्ष 2020–21 एक अपवाद वर्ष रहा है।

आरबीआइ अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021–22 की दूसरी छमाही के दौरान, ओमिक्रोन के प्रकोप के कारण अस्थिरता से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता की स्थिति, उन्नत देशों में सामान्यीकरण की प्रत्याशित गति, तेज घरेलू मुद्रास्फीति की चिंताओं, बड़े सरकारी उधार कार्यक्रम के बारे में मंदी का रूख और हाल ही में हुए भू–राजनीतिक संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतों में सहानुभूतिपूर्ण उछाल के बीच घरेलू वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहे ।

1.3.1 जी–सेक बाजार

आरबीआई अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी छमाही के दौरान, 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल 63 बीपीएस से कठोर हो गई, जिसने वैश्विक और घरेलू कारकों को दर्शाया । 2021–22 में तिमाही 3 के दौरान 10 वर्षीय प्रतिफल 24 बीपीएस से बढ़ गए। तिमाही 4 के दौरान बेंचमार्क प्रतिफल और अधिक 39 बीपीएस से दृढ हुए । जी–सेक और टी–बिल्स दोनों में औसत व्यापार मात्रा 2021–22 की दूसरी छमाही में कम हो गई । दूसरी छमाही के दौरान प्रतिफल का औसत स्तर 38 बीपीएस से बढ़ गया । चलनिधि पुनर्संतुलन के कारण अल्पकालिक दरों में तेज वृद्धि को देखते हुए स्लोप 41 बीपीएस से समतल हो गए।

चार्ट 1.3: 10 वर्षीय जी–सेक परिणाम (प्रतिशत)

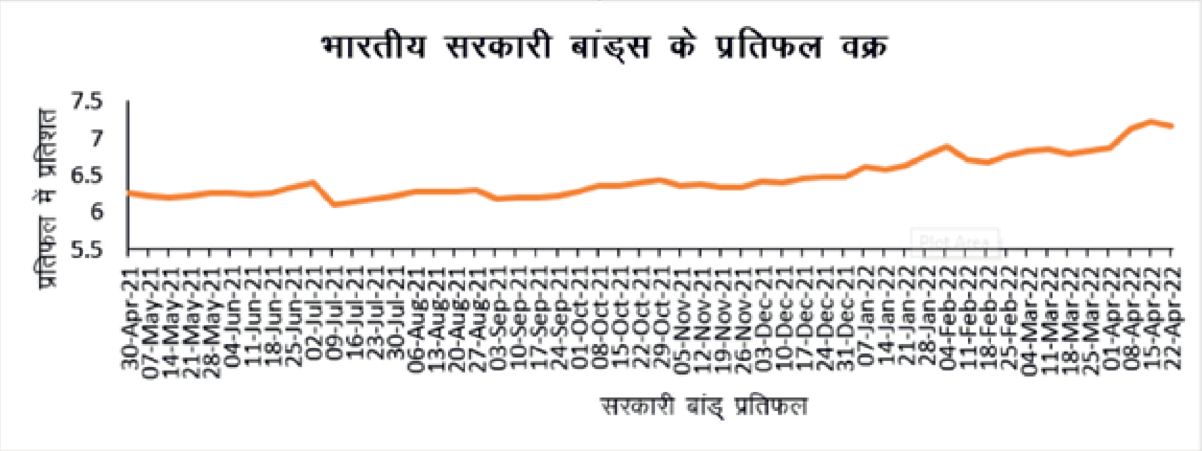

आंकड़ों का स्रोत : आरबीआई रिपोर्ट

1.3.2

कॉर्पोरेट बांड बाजार

आरबीआई अप्रैल 2022 की एमपीसी रिपोर्ट के अनुसार, 2021–22 की छमाही 2 के दौरान, कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल नरम बने रहे । एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए। रेटेड 3 वर्षीय बांड पर प्रतिफल 66 बीपीएस से घटकर 5.98 प्रतिशत हो गया, जबकि कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानो (एफआई) और बैंकों पर 64 बीपीएस से 5.88 प्रतिशत और 51 बीपीएस से 5.84 प्रतिशत, क्रमशः तक की गिरावट आई । जोखिम प्रीमियम या 3 साल के जी–सेक प्रतिफल में एनबीएफसी के लिए एच 2 में 49 बीपीएस से 37 बीपीएस, पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 50 बीपीएस से 23 बीपीएस और कोर्पोरेटस के लिए 40 बीपीएस से 26 बीपीएस तक गिरावट आई है।

1.3.3 इक्विटी बाजार

वर्श 2021–22 में दूसरी छमाही के दौरान तेज़–तर्रार मौद्रिक नीति, कोविड–19 के ओमिक्रॉन संस्करण , कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक केन्द्रीय बैंकों के नीतिगत रुख और बढ़ते भू–राजनीतिक तनावों के प्रकोप से उत्पन्न उच्च अस्थिरता के बीच भारत के इक्विटी बाजारों को मामूली रूप से ठीक किया गया ।

फरवरी की दूसरी छमाही और मार्च 2022 की शुरुआत में यूक्रेन–रूस तनाव के कारण घरेलू इक्विटी में तेज बिक्री देखी गई, लेकिन इसमें मार्च की दूसरी छमाही में सुधार हुआ कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स छमाही 2 में 0.9 फीसदी की गिरावट के साथ 58,569 पर बंद हुआ । उच्च कॉर्पोरेट आय के साथ स्टॉक की कीमतों में सुधार मूल्य से आय अनुपात की ओर ले जाता है जो कि मार्च 2022 के अंत में 27.6 से घटकर 25.1 हो गया, जिसने इसके दीर्घकालिक औसत से मूल्यांकन प्रीमियम को कम कर दिया ।

1.4 वैश्विक पेंशन बाजारों की समीक्षा

1.4.1 वर्ष 2021 में ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां

ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधियों में आस्तियां 8 प्रतिशत और अन्य न्यायक्षेत्रों में लगभग 2 प्रतिशत से बढ़ी ।

कोविड–19 के दूसरे वर्ष, पेंशन निधि की संपत्ति लगभग सभी रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में बढ़ती रही । वर्ष 2021 के प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि जिम्बाब्वे (200 प्रतिशत से अधिक), जॉर्जिया (69.6 प्रतिशत), तुर्की (41.2 प्रतिशत), लिथुआनिया (31.5 प्रतिशत) और आर्मेनिया (30.7 प्रतिशत) में संपत्ति में वृद्धि सबसे अधिक थी। इसके विपरीत 68 रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों में से 4 में संपत्ति में गिरावट दर्ज की, जिनमें चिली (–4.5 प्रतिशत) और पेरू (–19.1

चार्ट 1.4: निफ्टी गति

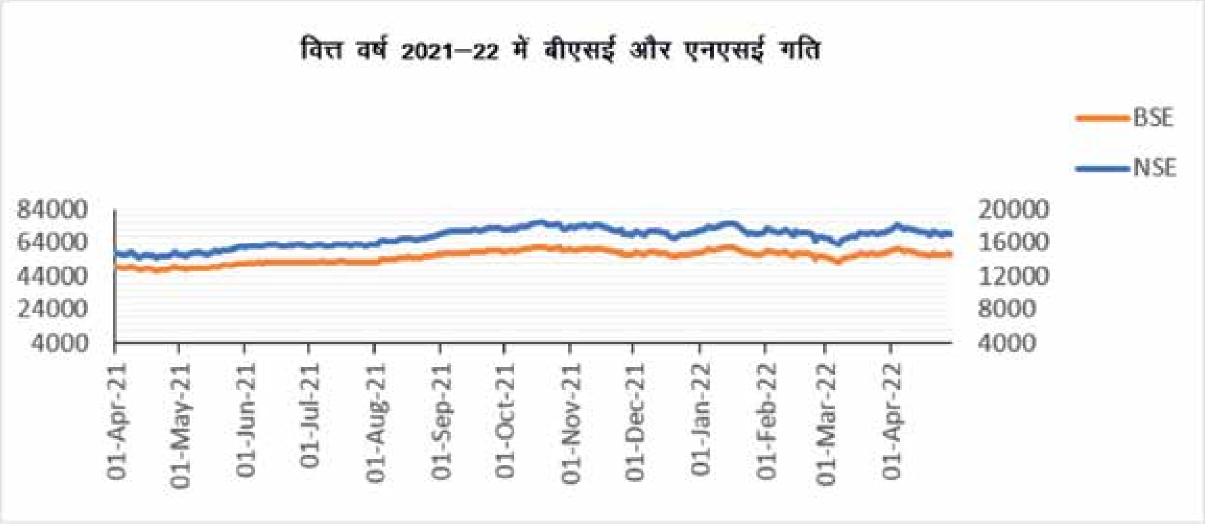

आंकड़ों का स्रोत : बीएसई वेबसाइट

प्रतिशत) शामिल है, जहाँ कोविड–19 के दौरान लोगों का समर्थन करने के लिए 2021 में व्यक्तिगत खातों से शीघ्र निकासी की अनुमति दी गई थी और एस्टोनिया (–15.5 प्रतिशत) द्वारा दूसरे पेंशन स्तम्भ का अनुसरण किया गया। कुल मिलाकर, कुल ओईसीडी क्षेत्र में पेंषन निधि की संपत्ति यूएसडी 8.2 प्रतिशत से बढ़ी, जबकि 30 अन्य गैर–ओईसीडी रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में वे 1.7 प्रतिशत से बढ़ी ।

कुल मिलाकर, 2021 के अंत में 68 रिपोर्टिंग न्यायिक क्षेत्रों में पेंशन निधि की संपत्ति 38.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी इनमें से अधिकांश संपत्तियां ओईसीडी में पेंशन निधियों के पास थी, जो कुल 37.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी । संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेंशन निधि (यूएसडी 22.6 ट्रिलियन) में सबसे अधिक संपत्ति अपने नाम की, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (यूएसडी 3.6 ट्रिलियन), ऑस्ट्रेलिया (यूएसडी 2.3 ट्रिलियन), नीदरलैंड्स (यूएसडी 2.0 ट्रिलियन), कनाडा (यूएसडी 1.7 ट्रिलियन), जापान (यूएसडी 1.5 ट्रिलियन) और स्विट्जरलैंड (यूएसडी 1.2 ट्रिलियन) का स्थान रहा। इन सात देशों के पास कुल मिलाकर ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि की 92.4 प्रतिशत संपत्ति है ।

पेंशन निधि परिसंपत्तियां सभी क्षेत्राधिकारों में बड़ी भिन्नताएं दर्शाती हैं। कुल मिलाकर, ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि संपत्ति वर्ष 2021 के अंत में सभी ओईसीडी देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 66.9 प्रतिशत थी, जो कि 2020 के अंत की तुलना में अधिक है।

पेंशन निधि परिसंपत्तियों में मामूली वृद्धि आंशिक रूप से निवेष आय से आई है, जो पेंशन निधि 2021 में अर्जित करने में कामयाब रही। वर्ष 2021 में, पेंशन निधि ने सभी रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में नाममात्र शर्तों में, हांगकांग (चीन) को छोड़कर सकारात्मक निवेश दर दर्ज की (निवेश व्यय का शुद्ध)। 53 रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में से 17 में नामिनल रिटर्न 10 प्रतिशत से अधिक था, और लिथुआनिया (20.7 प्रतिशत), पोलैंड (25.2 प्रतिशत) और तुर्की (25.2 प्रतिशत) में 20 प्रतिशत से भी ऊपर था।

चार्ट 1.5: : दिसम्बर 2020 से दिसम्बर 2021 (प्रारम्भिक) तक पेंशन निधियों की नामिनल और वास्तविक निवेश ब्याज दर

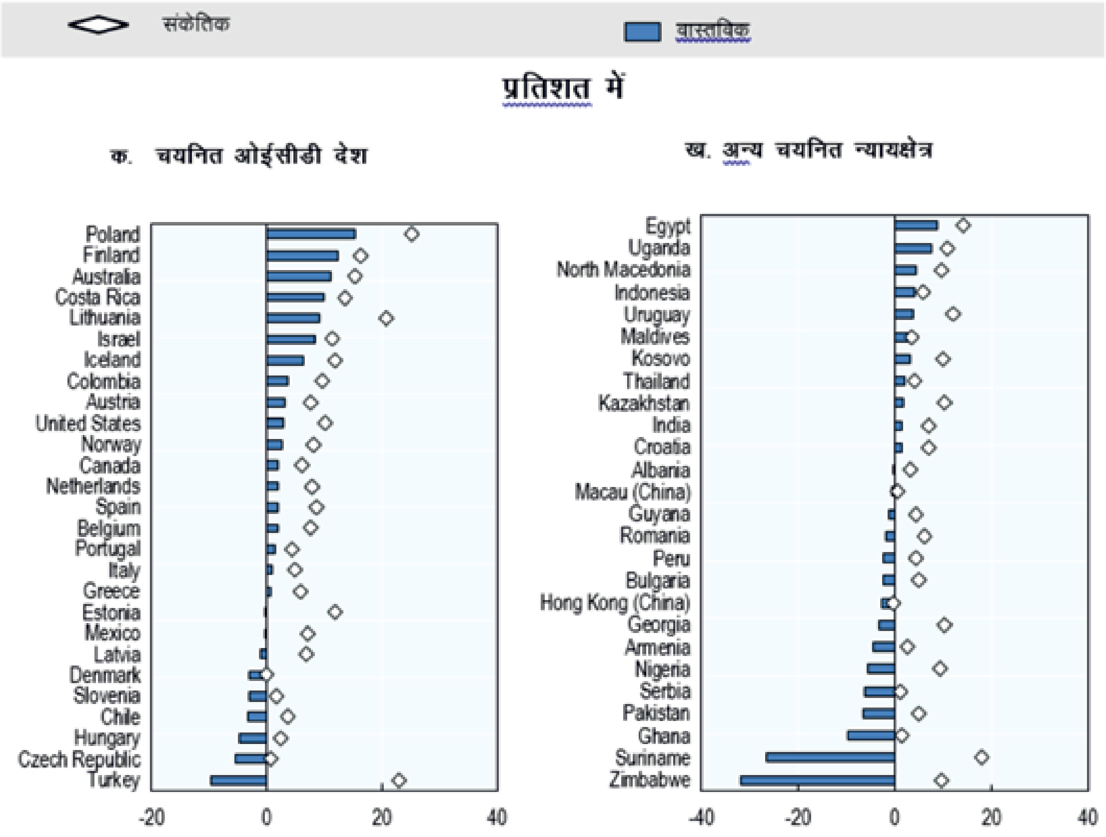

आंकड़े स्रोत : ओईसीडी रिपोर्ट

पेंशन निधियों ने 27 ओईसीडी रिपोर्टिंग देशों में से 18 में वास्तविक रूप में सकारात्मक निवेश दर दर्ज की। वर्ष 2021 में चार ओईसीडी देशों : पोलैंड (15.2 प्रतिशत), फिनलैंड (12.3 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (11.1 प्रतिशत) और कोस्टा रिका (10.0 प्रतिशत) वास्तविक रूप से दोहरे अंकों में रिटर्न प्राप्त करने में कामयाब रहे। इन चार देशों में यह मजबूत प्रदर्शन कम मुद्रास्फीति (ऑस्ट्रेलिया, कोस्टा रिका और फिनलैंड के लिए 3.3 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत के बीच) या अन्य जगहों की तुलना में इक्विटी में निवेश की गई संपत्ति के उच्च अनुपात के कारण हो सकता है। इसके विपरीत, 26 अन्य गैर–ओईसीडी रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में से केवल 11 में पेंशन निधियों ने सकारात्मक निवेश दर दर्ज की। वास्तविक रूप से सबसे कम निवेश रिटर्न दर जिम्बाब्वे (–31.8 प्रतिशत), सूरीनाम (–26.5 प्रतिशत), घाना (–9.8 प्रतिशत) में दर्ज की गई, जहाँ मुद्रास्फीति भी सभी रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में सबसे अधिक थी (जिम्बाब्वे और सूरीनाम में 60.7 प्रतिशत और घाना में 12.6 प्रतिशत) । ओईसीडी क्षेत्र में, पेंशन निधि ने तुर्की में सबसे कम निवेश रिटर्न दर (–9.7 प्रतिशत) दर्ज की, जहाँ मुद्रास्फीति 36.1 प्रतिशत तक पहुँच गई।

1.4.2 वर्ष 2021 में इक्विटी निवेश

ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन निधियों ने सभी रिपोर्टिंग ओईसीडी और गैर–ओईसीडी न्यायक्षेत्रों में पोर्टफोलियो का औसतन 47.9 प्रतिशत बांड में और 26.1 प्रतिशत इक्विटी में रखा । हालांकि, चार्ट 1.6 दर्शाता है कि भिन्न–भिन्न न्यायक्षेत्रों में आस्ति मिश्रण भिन्न है ।

हालांकि चार्ट 1.6 दिखाता है कि आस्ति मिश्रण क्षेत्राधिकार में व्यापक रूप से भिन्न है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2021 (प्रारम्भिक) के अंत में चयनित निवेश श्रेणियों में पेंशन निधियों का आस्ति आवंटन

आंकड़ों का स्रोत : बीएसई वेबसाइट

क. चयनित ओईसीडी देश

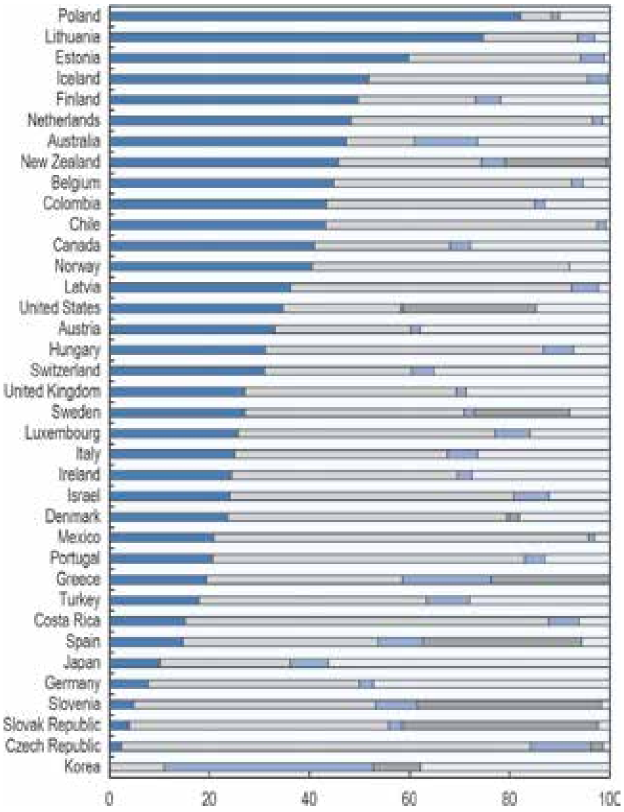

ख. अन्य चयनित न्यायक्षेत्र

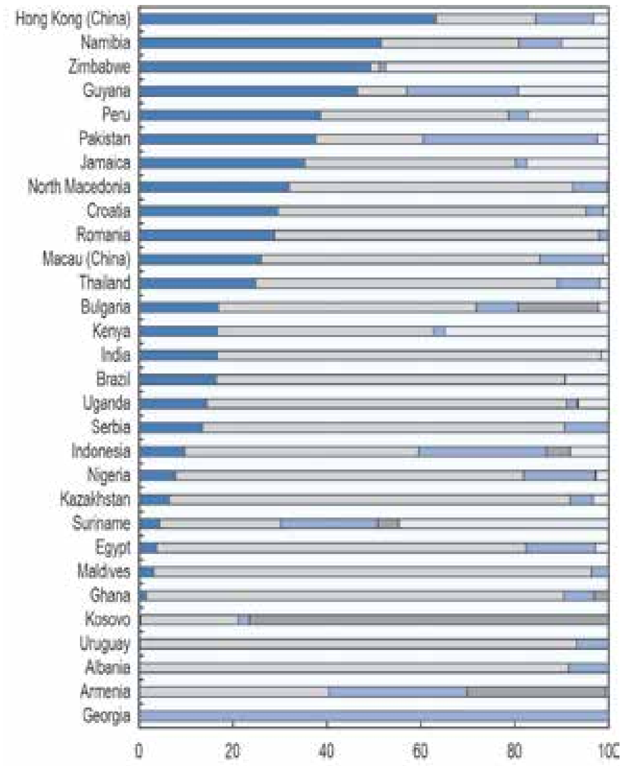

सामान्यतौर पर बॉन्ड, पेंशन निधि पोर्टफोलियो के प्रमुख होल्डिंग्स में से एक है, 29 रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में 50 प्रतिशत से अधिक निवेश का कारण है, और यहाँ तक कि अल्बेनिया (91.5 प्रतिशत) मालदीव (93.2) और उरुग्वे (93.1 प्रतिशत) में 90 प्रतिशत से भी अधिक है। फिर भी, पेंशन निधि ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित 18 न्यायक्षेत्रों में बॉन्ड की तुलना में अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग इक्विटी में निवेश किया। पेंशन निधि ने छह रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों में इक्विटी में अपनी संपत्ति का 50 प्रतिशत से अधिक निवेश किया : पोलैंड (82.1 प्रतिशत), जहाँ स्वतंत्र पेंशन निधि को सरकारी बांड्स में निवेश करने की अनुमति नहीं है, लिथुआनिया (74. 6 प्रतिशत), एस्टोनिया (59.7 प्रतिशत) और आइसलैंड (51.1 प्रतिशत) ओईसीडी देशों में, और हांगकांग (चीन) (63.3 प्रतिशत) और नामीबिया (51.5 प्रतिशत) में अन्य अधिकार क्षेत्र में।

1.5 बजट 2022–23 में पेंशन क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएं

बजट 2022–23 में पेंशन क्षेत्र से सम्बंधित घोषणा की गई :

वर्तमान में केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) टियर–I में अपने कर्मचारी के वेतन का 14 प्रतिशत अंशदान करती है । यह कर्मचारी की आय की गणना के दौरान कटौती के रूप में स्वीकृत है । हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में केवल 10 प्रतिशत की कटौती की अनुमति है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों को समान लाभ

प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में भी नियोक्ता अंशदान पर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे राज्य सरकार कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में वृद्धि होगी और उन्हें केन्द्र सरकार कर्मचारियों के समान लाया जा सकेगा।

1.6 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा

बढ़ती और असमर्थनीय पेंशन देनदारियों के कारण, वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर गहन विचार–विमर्शों के बाद, सरकार ने परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में स्थानांतरित होकर एक सचेतन निर्णय लिया है। नई पेंशन योजना, को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, इसे सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB & PR दिनांक 22 दिसंबर 2003 के माध्यम से शुरू किया गया था और 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य किया गया।

एनपीएस, जिसे शुरूआत में केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए शुरू किया गया था, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों द्वारा और अधिकांश केंद्र तथा राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस को मई 2009 में निजी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया ।

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के माध्यम से केंद्र सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में दिनांक 1 अप्रैल 2019 से अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया । अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाने वाला मासिक अंशदान मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते (डीए) का 10 प्रतिशत होगा और केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।'' केंद्र सरकार कर्मचारियों को एनपीएस अंशदान के गैर/विलंबित जमा राशि के लिए मुआवजे सहित पेंशन निधियों और निवेश प्रारूप के चयन में अधिक स्वतंत्रता दी गई है ।

1.7 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पेंशन प्रणाली में वह गैर–अंशदायी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जो कि सरकार द्वारा न्यूनतम सुरक्षा स्तर प्रदान करने के लिए वित्त पोषित हैं जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (एनएसएपी), पे एज़ यू गो आधार पर अनिवार्य परिभाषित लाभ पेंशन योजना जैसे 2004 से पूर्व सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए सिविल सर्विसेज पेशन, ईपीएफओ के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना, अन्य सांविधिक निधियां जैसे कोल माइन्स, सीमेन्स एंड असम टी प्लांटेशन स्कीमसः 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य आधार पर नेशनल पेंशन प्रणाली (एनपीएस), उन राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस में शामिल हुए हैं, सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस जिनमें असंगठित क्षेत्र सहित दोंनो कर्मचारी तथा स्व–नियोजित व्यक्ति शामिल है, बीमा कंपनियों और म्युच्युअल फंडस द्वारा पेश की जाने वाली सार्वजनिक भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता योजनाएं ।

परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली का वित्तीय दबाव सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधार का और सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरूआत का प्रमुख कारण है। ईपीएफ (विशेष रूप से संगठित क्षेत्र कर्मचारियों के लिए) जैसी अनिवार्य योजना, के माध्यम से वित्तीय और व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण असंगठित क्षेत्र के लिए कवरेज़ बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को भारत में पेंशन प्रावधान को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत उपाय के रूप में देखा जाता है। असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों को पेंशन प्रणाली के तहत अधिक संख्या में शामिल करने के लिए प्रमुख नीतिगत उपाय के रूप में एनपीएस की शुरूआत की गई है, जो कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, कम लागत वाली और प्रभावी प्रणाली है।

असंगठित क्षेत्र से लोगों को उनकी वृद्धावस्था आय के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सितंबर 2010 में सह–अंशदान योजना एनपीएस लाइट/स्वाबलंबन योजना शुरू की है । इसके बाद, प्रधानमंत्री द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरूआत की गई और असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित यह

योजना 1 जून, 2015 से प्रभावी हुई। एपीवाई के तहत अभिदाता सरकार द्वारा रू.1000, रू.2000, रू.3000, रू.4000 या रू.5000 की गारंटीयुक्त पेंशन प्राप्त करेगा, जो कि उनके द्वारा चयनित अंशदान स्तर पर निर्भर होगी। एनपीएस के तहत अभिदाताओं और प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका संख्या 1.1: एनपीएस एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या

(31, मार्च 2022 तक के अनुसार)

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31, मार्च 2021 तक के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31, मार्च 2022 तक के अनुसार)	वृद्धि (प्रतिशत में) (वर्ष दर वर्ष)	भाग (प्रतिशत)
(प्रतिशत में)	21.76	22.84	5	4
(वर्ष दर वर्ष)	51.41	55.77	8	11
(प्रतिशत)	11.25	14.05	25	3
सर्व नागरिक	16.47	22.92	39	4
एनपीएस लाइट	43.02	41.87	-	8
एपीवाई	280.49	362.77	29	70
कुल योग	**424.40**	**520.21**	**23**	**100**

31, मार्च 2022 तक के अनुसार, कुल 520.21 लाख अभिदाता एनपीएस और एपीवाई के तहत नामांकित हुए और वर्ष दर वर्ष आधार पर 22.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। एपीवाई, एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, उसमें 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार 29.33 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि सहित 362.77 लाख अभिदाता थे।

मार्च 2022 के अंत तक के अनुसार, 414 बैंक एपीवाई सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक अनुसूची वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक और डाक विभाग शामिल हैं ।

तालिका संख्या 1.2: एनपीएस/एपीवाई के तहत प्रबंधन के अधीन आस्तियां

(31, मार्च 2022 तक के अनुसार)

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31, मार्च 2021 तक के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31, मार्च 2022 तक के अनुसार)	वृद्धि (प्रतिशत में) (वर्ष दर वर्ष)	भाग (प्रतिशत)
केन्द्र सरकार	1,81,788	2,18,577	20	30
राज्य सरकार	2,91,381	3,69,427	27	50
कॉर्पोरेट	62,609	90,634	45	12
सर्व नागरिक	22,206	32,346	46	4
एनपीएस लाइट	4,354	4,687	8	1
एपीवाई	15,687	20,923	33	3
कुल योग	**5,78,025**	**7,36,594**	**27**	**100**

तालिका संख्या 1.3: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/अटल पेंशन योजना के प्रदर्शन हाईलाइट्स

(संख्या में)

मापक	वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में	वित्त वर्ष 2021–22 के अंत में	विकास (प्रतिशत में)
सरकारी अभिदाता	73,16,350	78,60,657	7
सर्व नागरिक + कॉर्पोरेट अभिदाता	27,71,936	36,96,583	33
एपीवाई अभिदाता	2,80,49,151	3,62,76,704	29
पीओपी–एसपी की संख्या #	2,47,254	2,49,756	1
एपीवाई– एसपी	414	414	-
सीएबीज़ की संख्या	630	651	3
एसएबीज़ की संख्या	1,459	1,578	8
कॉर्पोरेट की संख्या	8,599	10,405	21
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (वित्त वर्ष अनुसार)	12,024	40,826	240

* हीरो माइंड–माइन इंस्टीटयूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इन्क्रीमेंटल आयोजित किया गया।

आंकड़ों में एनएसडीएल के पीओपी–एसपीज़ की राज्यानुसार सर्वाधिक संख्या को माना गया है। अन्य प्रस्तुत आंकड़े सीआरएज़ के साथ पंजीकृत है।

- पूर्व वर्ष के लिए एपीवाई में सेवा प्रदाताओं की संख्या 414 थी ।
- केंद्र स्वायत्त निकाय (सीएबी) सहित केंद्र सरकारों के सभी कर्मचारी और राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) सहित राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है, एनपीएस के तहत अनिवार्य रूप से कवर किए जाएंगे। इस वर्ष 21 नए सीएबी और 119 नए एसएबी एनपीएस में शामिल किये गए, जिसके परिणामस्वरुप सीएबी और एसएबी की संख्या 651 और 1578 क्रमशः हो गई ।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य या स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस प्रदान करता है I सीआरए की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 के अंत में 8599 कॉर्पोरेट की तुलना में मार्च 2022 के अंत में 10405 कॉर्पोरेट पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

एपीवाई के लिए कर लाभ और गारंटी के रूप में इन योजनाओं को सरकारी सहायता से इन योजनाओं की अपील बढ़ जाती है । हालांकि, देश की अनावृत जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अभी भी काफी कार्य किया जाना शेष है । सभी नागरिकों के लिए एनपीएस की पहुंच बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती संभावी अभिदाताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है। पीएफआरडीए विभिन्न मास मीडिया और क्षमता उत्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इसके अतिरिक्त, एनपीएस जागरूकता के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए सेवाप्रदाताओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षमतोत्पादन कार्यक्रम के लिए समर्पित अभिकरण को संलग्न करते हुए प्रचार और विकासात्मक क्रियाकलापों को कर रहा है।

संभावी अभिदाताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एनपीएस की पहुंच बढ़ाने के लिए, पीएफआरडीए अपनी मूल्य श्रृंखला में चाहे वह ई–एनपीएस, मोबाइल एप, ई–केवाईसी के माध्यम से हो तकनीक को बढ़ा रहा है। यह चैनल प्रभावशीलता उत्पन्न कर रहे हैं। ई–एनपीएस के माध्यम से, एक व्यक्ति सुविधाजनक रूप से ऑनलाइन पंजीकरण और अंशदान कर सकता है। ई–एनपीएस एनपीएस के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने और टियर I के साथ–साथ टियर II खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है । यह गुण अभिदाताओं को पेंशन आस्तियां, आस्ति वर्ग, आस्ति आवंटन और प्रमाणीकरण के पश्चात् योजना विकल्प परिवर्तित करने का विकल्प भी प्रदान करता है। एनपीएस अभिदाता अपने लॉगइन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रमाणीकरण करते हुए टियर I खाते से निकास अनुरोध कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉडयूल (ओपीजीएम) को हितधारकों को एनपीएस अभिदाताओं हेतु न्यूनतम दस्तावेज़ों के साथ शीघ्र प्रान जेनरेशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। हालांकि, ऐसे खाते तब तक अनियमित समझे जाएंगे जब तक कि केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के साथ पूर्ण दस्तावेज़ीकरण सत्यापित और रिकॉर्ड नहीं हो जाता । पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत मध्यस्थ इकाईयों को ऑनबोर्डिंग, निकास या एनपीएस से संबंधित किसी अन्य सेवा अनुरोध के लिए वीडियो आधारित कस्टमर आईडेंडीफिकेशन प्रक्रिया (वीसीआईपी) का प्रयोग हो सकता है।

एनपीएस अभिदाताओं को उनके संबंधित नोडल कार्यालयों, पीओपीज़, ई–एनपीएस या मोबाइल एप के माध्यम से उनके स्वैच्छिक अंशदानों को जमा करने के कई सरल विकल्प प्रदान किए जाते हैं । अंशदान के एक अतिरिक्त विकल्प/तरीके नामतः प्रत्यक्ष प्रेषण (डायरेक्ट रेमिटेंस (डी–रेमिट) की शुरूआत की गई, जहाँ सरकारी/सर्व नागरिक मॉडल के तहत मौजूदा एनपीएस अभिदाता उनके प्रान से वास्तविक आईडी लिंक करते हुए और निवेश पर समान दिवस एनएवी प्रदान करते हुए स्वैच्छिक अंशदान कर सकते हैं । डी–रेमिट के माध्यम से, न केवल एक बार का अंशदान किया जा सकता है बल्कि किसी भी निश्चित राशि और किसी निश्चित तिथि के लिए अभिदाता के बैंक खाते से आवधिक एनपीएस अंशदान भी किया जा सकता है । डी.रेमिट के माध्यम से एनपीएस अंशदान का विकल्प एनआरआई–एनपीएस अभिदाताओं के लिए भी शुरू किया गया है, जो कि अपने एनआरओ/एनआरई खातों से धनराशि अपने एनपीएस खाते में अंशदान कर सकेंगे। प्रत्याहरण/निकास के समय, एनपीएस की धनराशि एनआरआई अभिदाताओं के एनआरओ/एनआरई खाते

में जमा की जाएगी और प्रत्यावर्तन फेमा दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

1.8 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की समीक्षा पर एक टिप्पणी

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना, विनियमन और विकास के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के रूप में प्राधिकरण के उद्देश्यों को निर्धारित करती है और पेंशन निधि की योजनाओं और उनसे संबंधित मामलों में अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है ।

पीएफआरडीए सक्रिय रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (उसके सभी प्रकारों) तथा अटल पेंशन योजना के प्रचार तथा विकास एवम् एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों के विनियमन तथा निरीक्षण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा में कार्यरत है। इन क्रियाकलापों में संलग्न रहने के दौरान, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना और बेहतर वैश्विक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों/परिणामों की प्राप्ति करने के लिए कार्यरत हैः–

- आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना
- सुरक्षा
- प्रभावशीलता
- पर्याप्तता
- स्थिरता

आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना

संपूर्ण जनसंख्या के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। जहाँ, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 एनपीएस के विनियमन का आदेश देता है, वहीं आबादी के विभिन्न भागों को शामिल करने के लिए एनपीएस के विभिन्न घटकों अर्थात् केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्व नागरिक, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना (पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित भारत सरकार की योजना) की शुरूआत की गई है। प्राधिकरण, प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता उत्पन्न करते हुए, बैंक, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नोडल कार्यालयों आदि के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतोत्पादन हेतु प्रशिक्षण अभिकरण की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति सलाहकारों आदि की नियुक्ति, ई–एनपीएस आदि के माध्यम से ऑनबोर्डिंग और लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हुए कवरेज बढ़ाने में संलग्न है।

सुरक्षा

पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत विनियमों के एक व्यापक ढांचे का निर्माण किया है ताकि सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान करने के लिए संचित पेंशन निधियों के जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए पेंशन परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके । इन विनियमों में सभी मध्यस्थों, जिनमें पेंशन निधि भी शामिल हैं, के लिए नियुक्ति के प्रमुख मानदंड, विस्तृत कोर्पोरेट शासन रूपरेखा, योग्य तथा उपयुक्त प्रणाली, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं तथा दायित्व और दंड प्रणाली को संपत्तियों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित किया है। इन विनियमों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और सुदृढ़ बनाया जाता है । आईटी पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कवरेज को सुनिश्चित करेगा।

प्रभावशीलता

प्राधिकरण का प्रयास स्वीकार्य जोखिमों के अधीन अभिदाताओं को अधिकतम रिटर्न प्रदान करते हुए प्रणाली को प्रभावी बनाना है। यह रिटर्न्स को अनुकूल बनाने के लिए समय–समय पर निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए किया जाता है । दो नई जीवनचक्र निधियों अर्थात् एलसी 25 और एलसी 75 की शुरूआत और निजी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए नए आस्ति वर्ग "ए" की शुरूआत इस दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में से है।

प्रभावशीलता, श्रमिक और पूंजी बाज़ारों की प्रभावशीलता से भी संबंधित है, क्योंकि इन दोनों द्वारा पेंशन के लिए प्रत्यक्ष योगदान के माध्यम से साथ ही साथ नौकरी और निवेश के लिए अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हुए पेंशन प्रणाली (अधिक कार्यरत जीवन तथा अंशदान, पूंजी

की न्यून कीमतों, या अधिक वित्तीय समावेशों द्वारा) के लिए कार्य किया जाता है। पीएफआरडीए विशेष रूप से एपीवाई अभिदाताओं और सामान्य रूप से एनपीएस अभिदाताओं के लिए जागरूकता निर्माण द्वारा वित्तीय समावेशन में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

पूंजी बाज़ारों के लिए, प्रभावशीलता गैर–बैंकिंग वित्तीय पूंजी से निधि उत्पादक निवेश पूंजी में विकास के द्वारा बाज़ारों की सघनता और व्यापक पूंजी बाज़ार सुधारों से संबंधित है। इन लक्ष्यों को पूर्ण करने में अनेकों अंतर्विनियामक संगठनों और समितियों के साथ पीएफआरडीए की भी भागीदारी रही है।

प्राधिकरण का अन्य प्रयास एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयों को प्रबल बनाना है। एक उचित और पारदर्शी प्रणाली के लिए मध्यस्थ इकाईयों का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। मध्यस्थ इकाईयों से उत्पाद और प्रक्रिया के उचित ज्ञान को साझा तथा प्रदान करते हुए, संपूर्ण प्रणाली को उचित रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सही दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हुए उन्हें प्रबल बनाना है। एक उचित प्रणाली अभिदाता के हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है।

पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्‌देश्यों मे से एक यह सुनिश्चित करना है कि अभिदाताओं के लिए सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त पेंशन संपत्ति हो अर्थात् सेवानिवृत्ति लाभ हकदारी की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था आय की सुरक्षा प्रदान करती हो। जबकि एनपीएस, बिना किसी लाभ की गारंटी के एक परिभाशित अंशदान योजना है, फिर भी, अच्छे अभ्यास के उपाय के रूप में, प्राधिकरण का प्रयास विभिन्न उपायों के माध्यम से पर्याप्त सेवानिवृत्ति योजना बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना है, जिसमें कर रियायतों आदि के लिए सरकार के साथ जुड़कर रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा और उनका योगदान बढ़ाना शामिल है।

स्थिरता

किसी भी अंशदायी पेंशन प्रणाली के पीछे स्थिरता भी प्रमुख कारण होता है। एनपीएस के माध्यम से, देशभर में समाज के विभिन्न भागों में पेंशन की पेशकश करने का प्रयास किया जा रहा है, जो वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल तक चल सके । एनपीएस संस्थानिक ढाँचे और उत्पाद परिकल्पना के साथ एक परिभाषित अंशदान योजना है, जो दीर्घकाल तक चलने के लिए स्वयं को सशक्त बनाती है। स्थायी पेंशन प्रणाली को प्राप्त करने में नियमित बचत और निवेश अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएफआरडीए ने पेंशन के विषय में लोगों को शिक्षित करने और इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

1.9 एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयां

1.9.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के साथ संबद्धित मध्यस्थ इकाईयां और अन्य इकाईयां

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक असमूहीकृत संरचना के तहत कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक कार्य अपने क्षेत्र की विशिष्ट इकाई को दिया जाता है। एनपीएस संरचना में उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), सरकारी नोडल कार्यालय, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, पेंशन निधियां (पीएफ), एनपीएस न्यास, अभिरक्षक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और सेवानिवृत्ति सलाहकार शामिल हैं।

1.9.1.1 उपस्थिति अस्तित्व (पीओपीज़)

उपस्थिति अस्तित्व अभिदाताओं के पंजीकरण और सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत बैंक और गैर–बैंकिंग कंपनियां आदि हैं। पीओपी अभिदाता और एनपीएस के बीच पहला संप्रेषण बिंदु है। पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्वों की प्राधिकृत शाखाएं होती हैं, जिन्हें पीओपी–सेवा प्रदाता (पीओपी–एसपीज़) कहा जाता है, जिनका कार्य संकलन इकाई के रूप में कार्य करना और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना होता है। उपस्थिति अस्तित्वों के कार्यों में शामिल है : अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता अंशदानों को संसाधित करना, व्यक्तिगत विवरण को परिवर्तित करना, निवेश योजना/निधि प्रबंधक में परिवर्तन, एक मॉडल से दूसरे मॉडल में अभिदाता स्थानांतरण को संसाधित करना,

मुद्रित खाता विवरण जारी करना, अधिवर्षिता आदि पर प्रत्याहरण/निकास अनुरोध जारी करना आदि।

1.9.1.2 सरकारी नोडल कार्यालय

(i) केंद्र सरकार नोडल कार्यालय प्रमुख लेखा कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) और आहरण तथा वितरण कार्यालय

केंद्र सरकार के तहत प्रमुख लेखा कार्यालय (पीआरएओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) और आहरण तथा वितरण कार्यालय (डीडीओ) या केंद्र सरकारों और केंद्र स्वायत्त निकायों के तहत समरूप कार्यालय, वह मध्यस्थ इकाईयां हैं, जो एनपीएस के प्रयोजन के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संप्रेषण करती हैं।

(ii) राज्य सरकार नोडल कार्यालय डीटीए, डीटीओ और डीडीओ

राज्य सरकारों के तहत कोष एवं लेखा निदेशालय (डीटीए), जिला खजाना कार्यालय (डीटीओ) और आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के तहत समरूप कार्यालय वह मध्यस्थ इकाईयां हैं, जो एनपीएस के प्रयोजन के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संप्रेषण करती हैं ।

नोडल कार्यालय, एनपीएस के तहत विभिन्न परिचालन कार्यों के लिए सीआरए प्रणाली के तहत पंजीकृत सरकारी एजेंसियों के परिचित कार्यालय हैं । इन कार्यालयों की पहचान एक विशिष्ट संख्या अर्थात् पीआरएओ/पीएओ/डीडीओ पंजीकरण संख्या से की जाती है, जो कि उन्हें सीआरए द्वारा सफल पंजीकरण पर आवंटित की जाती है। इन कार्यालयों की प्रमुख भूमिका है, उनमें से कुछ इस प्रकार है :

- अभिदाता पंजीकरण के लिए प्रपत्रों को जमा करना
- अभिदाताओं को प्रान किट वितरित करना
- अभिदाताओं के अंशदानों के विषय में समयबद्ध और सटीक सूचना प्रदान करना
- उचित कार्रवाई के लिए अभिदाताओं के अनुरोध को अग्रेषित करना
- अभिदाताओं की शिकायतों को सुलझाना
- अभिदाताओं के अनुमोदित निकास अनुरोध को अग्रेषित करना

1.9.1.3 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)

एनपीएस के लिए एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और के–फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सीआरए के रूप में नियुक्त किया गया। उनके मुख्य कार्यों में शामिल हैं :

(i) अभिदाता रिकॉर्ड, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को बनाए रखना ।

(ii) प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) जारी करना, सभी प्रान का डेटाबेस प्रबंधित करना और सभी प्रत्येक प्रान से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करना।

(iii) एनपीएस प्रणाली की विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना । इसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा अंशदान की निगरानी और पेंशन निधि को निर्देश देना और संचार शामिल है। समय–समय पर वे प्रत्येक सदस्य को प्रान विवरण भी भेजते हैं।

(iv) एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना।

(v) निधि प्रबंधकों को समय से निधि स्थानांतरण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना ।

(vi) अभिदाताओं के खाते में वापसी धन प्रेषित करने और वार्षिकी सेवा प्रदाता को वार्षिकी के लिए धन प्रेषित करने हेतु न्यासी बैंक से समायोजन।

पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 के तहत कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस) को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है।

1.9.1.4 न्यासी बैंक

एनपीएस के तहत न्यासी बैंक विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों में निधियों के प्रवाह को प्रबंधित करते हैं। वर्तमान में एक्सिस बैंक लिमिटेड अभिदाताओं, निधि प्रबंधकों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को सीआरए द्वारा प्राप्त निदेशों के आधार पर निधि स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नामित बैंक है। न्यासी बैंक नोडल कार्यालयों/पीओपीज़/संकलनकर्ताओं से धनराशि प्राप्त करते हैं और इसे अभिदाता अंशदान फाइल के साथ मिलाते हैं । न्यासी बैंक एनपीएस न्यास के नाम पर निधियां धारित करते हैं और अभिदाता लाभार्थी होते हैं।

1.9.1.5 पेंशन निधियां (पीएफ)

यह व्यवसायिक निधि प्रबंधक हैं, जिन्हें प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियों में पेंशन कोष को न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एनपीएस के तहत पेंशन निधि प्रबंधक हैं – आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंडस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड, और एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, उनके कार्यों में शामिल हैं :

(i) निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश सुनिश्चित करना ।

(ii) सीआरए द्वारा प्रदान किए गए निदेशों के अनुसार योजनाओं में अंशदान करना ।

(iii) योजना पोर्टफोलियो बनाना।

(iv) खाता बहियों का प्रबंधन करना, प्राधिकारी को रिपोर्ट करना और स्पष्टीकरण करना ।

1.9.1.6 प्रतिभूतियों के अभिरक्षक

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कोश से क्रय गई प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित किया जाता है, जो प्रतिभूतियों का वितरण करते हुए और उसे स्वीकार करते हुए प्रतिभूति लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। पीएफआरडीए ने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभिरक्षक नियुक्त किया है। हाल ही में पीएफआरडीए ने DEUTSCHE बैंक को अपनी प्रतिभूतियों का अभिरक्षक नियुक्त किया है। इनके कार्यों में षामिल हैं :

(i) एनपीएस कोश से खरीदी गई एनपीएस न्यास के नाम धारित प्रतिभूतियों का संरक्षण करना ।

(ii) धारित प्रतिभूतियों का विवरण रखना।

(iii) प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस आदि जैसे लाभ एकत्र करना।

(iv) धारित प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के कार्यों के बारे में सूचित करना जो लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।

1.9.1.7 एनपीएस न्यास

एनपीएस न्यास भारतीय न्यास अधिनियम के तहत स्थापित एक न्यास है, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की संपत्ति धारण करता है। निधियों का प्रबंधन करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना न्यास की वैश्वासिक जिम्मेदारी है। एनपीएस न्यास, पेंशन निधियों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, अभिरक्षक और अन्य इकाईयों से चर्चा करता है।

1.9.1.8 वार्षिकी सेवा प्रदाता

वार्शिकी सेवा प्रदाता (एएसपीज), आईआरडीएआई द्वारा विनियमित और पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध बीमा कंपनियां हैं, जो एनपीएस अभिदाताओं को उनके द्वारा पेष की जाने वाली वार्षिकियों के समूह में से वार्षिकी प्रदान करती हैं।

1.9.1.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी फर्म, निकाय कोर्पोरेट,

या कोई पंजीकृत न्यास या संस्था है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पीएफआरडीए द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना पर संभावित/मौजूदा अभिदाताओं या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होना चाहता है और पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार), विनियम, 2016 के तहत इसके रूप में पंजीकृत किया गया है। व्यक्तिगत और व्यक्तिगत से भिन्न सेवानिवृत्ति सलाहकारों की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.9.2 खाते के प्रकार

एनपीएस के तहत दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं :

(i) **टियर – I खाता** : टियर – I खाते के तहत अभिदाता इस आंशिक रूप से आहरित खाते में उसकी बचत को सेवानिवृत्ति/पेंशन के लिए योगदान करता है। समयपूर्व निकासी कुछ शर्तों के अधीन है।

(ii) **टियर – II खाता** : यह एक स्वैच्छिक निवेश खाता है, जहाँ अभिदाता इस खाते में अपनी इच्छानुसार धनराशि जमा करने और बचत को निकाल सकता/सकती है।

टियर– II के तहत, एक टियर II कर बचत योजना (टीटीएस) खाता है, जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए खाते का एक अन्य प्रकार है । इसमें तीन साल की लॉक इन अवधि होगी ।

एनपीएस के अलावा, पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना को भी प्रशासित और विनियमित करता है।

1.9.3 लोकसंपर्क

सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति योजना के लिए बचत की आवश्यकता के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के पीएफआरडीए के जनादेश को पूरा करने के लिए, पीएफआरडीए अपने द्वारा चयनित प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने सहित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। ये प्रशिक्षण अभिकरण और राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों, वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ), आहरण और वितरण कार्यालयों (डीडीओ), उपस्थिति अस्तित्वों/ बैंकों/डाकघरों को, जो अभिदाताओं के पंजीकरण में शामिल है, एनपीएस/एपीवाई की मुख्य विशेषताओं के बारे में, शामिल होने की प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अलावा, व्यापक वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण नीति के एक भाग के रूप में सभी क्षेत्र और भागों के अभिदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं/शिविरों का आयोजन किया गया है। एनपीएस/एपीवाई प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन तरीके अर्थात् वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किए गए और नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने वित्तीय वर्ष के दौरान 12024 प्रतिभागियों के लिए कुल 255 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इसके अलावा, पीएफआरडीए द्वारा विशेष रूप से एनएएचआरडी, आईएसटीएम, सीसीआई, एनपीसी, आईएफएससीए, आईसीआईसीआई प्रतिभूतियों के लिए 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एनपीएस और एपीवाई के तहत प्रबंधन के अधीन आस्तियां जिसमें कोष पर रिटर्न्स शामिल हैं 31 मार्च 2021 के रू.578,025 करोड से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक रु.7,36,594 करोड़ हो गई, जिसमें 27.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भाग II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

यह अध्याय एनपीएस तथा एनपीएस अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विभिन्न निवेश श्रेणियों में जिनमें सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण प्रतिभूतियां शामिल है तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, २०१५ के परिशिष्ट II के अनुसार इक्विटीज़ पर एक्सपोज़र की सीमा पर चर्चा करता है।

2.1 पेंशन निधियां (पीएफ)

पेंशन निधि से तात्पर्य है एक मध्यस्थ इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा भाग 27 के उप–भाग (3) के तहत अंशदानों को प्राप्त करने, उन्हें निवेशित करने और विनियमों में यथानिर्दिष्ट रीति में अभिदाताओं को भुगतान करने के लिए एक पेशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

पेंशन निधियां जिन्हें नियुक्त और पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य योजना के तहत पेंशन कोष को प्रबंधित करती हैं । पेंशन निधियां मूल आस्तियों की प्राप्ति के पुष्टिकरण के लिए उनके एक्सेस कोड और निधि आवंटन, निधि आवंटन के पुष्टिकरण के लिए निर्देशों का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अभिरक्षकों को नियमित आधार पर भेजती है ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित हुए और पेशन निधियों को इन विनियमों का इनके संशोधनों सहित पालन करना था ।

2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है, लेकिन यह केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं है:

क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजनाओं के तथ्यों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर किया जाएगा ।

ख) पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा ।

ग) पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हितों को ध्यान मे रखते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए सदैव उच्चतरसेवा मानदंडो, उपयुक्त सावधानी, विवेकशीलता, व्यवसायिक कौशल, शीघ्रता, तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करेगी । पेंशन निधियां सट्टेदार निवेशों या लेनदेन करने से बचेगी ।

घ) पेंशन निधि उच्च शिक्षित पेशेवरों या ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। पेंशन निधि उसके कर्मचारियों या अधिकृत व्यक्ति, जिससे सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कृताकृत के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसे कृताकृत का उत्तरदायित्व उसका होगा। यह उत्तरदायित्व तब तक बना रहेगा, जब तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरसन या निलंबन या वापसी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन अधिक्रमण नहीं हो जाता।

ड.) पेशन निधि अन्य मध्यस्थ इकाईयों और अन्य इकाईयों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध, परिचालन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी ।

च) पेंशन निधियां पेंशन योजनाओं के परिचालन से संबंधित खाता बहियों, अभिलेखों, रजिस्टर और दस्तावेज़ों को प्रबंधित करेगी ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जा सके और लेनदेन की लेखापरीक्षा और सदैव व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखा जा सके ।

छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत आवश्यक या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर मांगी गई आवधिक और अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगी ।

ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित मे सूचना का लोक प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची V में यथानिर्दिष्ट पद्धति या रीति में करेगी ।

झ) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन अर्थात् निवेश समिति और जोखिम समिति के गठन, उसकी रचना, कार्य, नीतिगत तथ्यों और अनुसूची X मे यथानिर्दिष्ट अन्य समान मामलों के लिए उच्च शासन पद्धतियों को अपनाएगा।

ञ) एक पेंशन निधि द्वारा पेंशन निधि के रूप में दायित्वों को पूर्ण करते हुए हित संघर्षों से भी बचाव किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदान की जाएगी।

त) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि व्यवसायिक गतिविधियों की व्यापकता और पृथक्कता सुनिश्चित करेगा ।

थ) पेशन निधि अभिदाताओं की सूचना के संबंध में और पेशन निधियों से संबंधित क्रियाकलापों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त उसके नियंत्रणाधीन संपूर्ण सूचना की सुरक्षा करेगा ।

द) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगा।

2.1.2 सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात् केंद्र सरकार (सीजी) और राज्य सरकार (एसजी), जिनमें स्वायत्त निकाय शामिल है), एनपीएस–लाइट और एपीवाई के लिए पेशन निधियों (पीएफ) की सूची

i. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

ii. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

iii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

2.1.3 निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ) की सूची

i. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ii. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

iii. कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

iv. आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

v. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

vi. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

vii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

2.2 योजनाएं

एनपीएस में अभिदाता निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आते हैं:

i. सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार स्वायत्त निकायों सहित)

ii. एनपीएस लाइट

iii. अटल पेंशन योजना (एपीवाई))

iv. सर्व नागरिक / यूओएस

v. कोर्पोरेट क्षेत्र

उपरोक्त क्षेत्रों के लिए एनपीएस के तहत निवेश प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित हैं और इक्विटी एक्सपोज़र सभी योजनाओं/भागों के लिए आरंभ से निर्दिष्ट है । एनपीएस के तहत निवेश विकल्प एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं।

2.2.1 सरकारी क्षेत्र; केंद्र सरकार/राज्य सरकार, जिनमें केंद्र स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय शामिल हैं)

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सीएबीज़/एसएबीज़ सहित सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस के तहत निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका संख्या 2.1: सरकारी क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55 प्रतिशत तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 प्रतिशत तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 प्रतिशत तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 प्रतिशत तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5 प्रतिशत तक

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में सरकारी क्षेत्र के तहत 03 सार्वजनिक पेंशन निधियां अर्थात् पेशन निधि लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड अंशदान को प्रबंधित और निवेशित करेंगी।

इसके अलावा, सरकारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2016-PR दिनांकित 31 जनवरी 2019 और प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 8 मई 2019 के अनुसार सरकारी कर्मचारी (केवल केन्द्र सरकार) को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं :

पेंशन निधि का विकल्प :

जैसा कि निजी क्षेत्र अभिदाताओं के मामले में है, उसी प्रकार सरकारी अभिदाताओं को भी निजी क्षेत्र पेंशन निधि सहित किसी एक पेंशन निधि के चयन का विकल्प होगा। वह वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं । हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि का संयोजन का प्रावधान मौजूदा और साथ ही साथ नए सरकारी अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप मे उपलब्ध रहेगा ।

निवेश प्रारूप का विकल्प :

i. मौजूदा योजना, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा तीन सार्वजनिक निधि प्रबंधकों में उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर धन आवंटित किया गया है, को मौजूदा और नए अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट योजना के रूप मे जारी रखा जाएगा ।

ii. सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100% निवेश का विकल्प प्राप्त होगा।

iii. सरकारी कर्मचारी जो उच्चतर रिटर्न का चुनाव करते हैं को निम्नलिखित दो जीवनचक्र निधि आधारित योजनाओं का विकल्प दिया गया है :

   क) इक्विटी में अधिकतम 25% की सीमा के साथ कंजर्वेटीव जीवन चक्र निधि–एलसी–25

   ख) इक्विटी में अधिकतम 50% की सीमा के साथ मोडरेट जीवन चक्र निधि–एलसी–50

केंद्र सरकार के अभिदाता एनपीएस के तहत एक वित्त वर्ष में उपरोक्त निवेश पैटर्न को दो बार चुन सकते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी उपरोक्त निवेश विकल्पों की शुरूआत की है।

2.2.2 एनपीएस लाइट

एनपीएस लाइट के तहत नए नामांकन दिनांक 01.04.2015 से समाप्त हो गए हैं । हालांकि, मौजूदा एनपीएस–लाइट अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस–लाइट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका संख्या 2.2: एनपीएस लाइट क्षेत्र आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55 प्रतिशत तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 प्रतिशत तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 प्रतिशत तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 प्रतिशत तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5 प्रतिशत तक

एनपीएस लाइट के तहत, केवल 03 सार्वजनिक क्षेत्र निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन निधियों के बीच) अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं । इसके अलावा, एकल निजी क्षेत्र पेंशन निधि अर्थात् कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को अंशदान प्रबंधित करने के लिए एक संकलनकर्त्ता के रूप में चुना गया है।

एनपीएस लाइट योजना के तहत अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया।

2.2.3 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), जो भारत के नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना है, असंगठित क्षेत्र श्रमिकों पर केंद्रित है । एपीवाई के तहत रू.1000/– या रू.2000/– या रू.3000/– या रू.4000/– या रू.5000/– की गारंटिड न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्राप्त होगी, जो कि अभिदाता द्वारा किए गए अंशदानों पर निर्भर होगी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प प्रदान नहीं किया गया क्योंकि यह एक गारंटिड सरकारी योजना है और इसमें एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र कर्मचारियों के समान ही निम्नानुसार आस्ति आवंटन रहेगा :

तालिका संख्या 2.3: अटल पेंशन योजना क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55 प्रतिशत तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 प्रतिशत तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 प्रतिशत तक
ईक्विटी और संबंधित निवेश	15 प्रतिशत तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5 प्रतिशत तक

अटल पेंशन योजना के तहत 3 सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड/यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन निधियों के बीच) अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं।

2.2.4 सर्व नागरिक असंगठित क्षेत्र

सर्व नागरिक असंगठित क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पैटर्न अर्थात् "एक्टिव चॉइस" या "ऑटो चॉइस" का विकल्प चुन सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सर्व नागरिक असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोज़र सीमा निर्धारित की गई है:

तालिका संख्या 2.4: सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 प्रतिशत तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 प्रतिशत तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100 प्रतिशत तक
वैकल्पिक आस्तियां	5 प्रतिशत तक
अल्पकालिक निवेश (मुद्रा बाज़ार, अल्पकालिक म्यूच्युअल फंड्स और अवधि जमा)	10 प्रतिशत तक

पेंशन निधि और निवेश चुनाव को बदलने का विकल्प

इसके अतिरिक्त एक वित्त वर्ष में अभिदाता द्वारा पेंशन निधि को एक बार ओर निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है।

2.2.5 कोर्पोरेट क्षेत्र

कोर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित अभिदाताओं के लिए जहाँ नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया गया है, निवेश विकल्प और चयन को लचीला बनाया गया है

इस भाग के तहत दो प्रकार की योजनाएं हैं :

i. **कोर्पोरेट सीजी योजना** : यह योजना समाप्त हो चुकी है और यह कोर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध नहीं है लेकिन उन कोर्पोरेट के लिए जो पहले से ही योजना के तहत शामिल है और जिन्होंने इस योजना को बदला नहीं है, अभी भी इस योजना में बने हुए हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोज़र सीमाएं कोर्पोरेट सीजी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई हैं।

तालिका संख्या 2.5: कोर्पोरेट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55 प्रतिशत तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 प्रतिशत तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 प्रतिशत तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 प्रतिशत तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5 प्रतिशत तक

इस कोर्पोरेट सीजी योजना के तहत 2 पेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड या एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश किए गए हैं ।

ii. **अन्य योजना : (वर्तमान में कोर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध)**

इस योजना के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को पेंशन निधि और/या निवेश के तरीके का चुनाव करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है या नियोक्ता अपने कर्मचारियों की ओर से पेशन निधि और/या जीवनचक्र निधि का चयन कर सकता है। एनपीएस से संबंधित यह पहलू नियोक्ता–कर्मचारी प्रबंधन का भाग बनते हैं । नियोक्ता और अभिदाता को प्रयुक्त निवेश तरीके के आधार पर किसी एक पंजीकृत पेशन निधि को चुनना होगा और चार आस्ति वर्गों मे आस्ति आवंटन के आगे की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- **आस्ति वर्ग ई–** ईक्विटी और संबंधित निवेश
- **आस्ति वर्ग सी–** कोर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग जी–** सरकारी बांड और संबंधित निवेश
- **आस्ति वर्ग ए–** सीएमबीएस, एमबीएस, आरई. आईटीएस, एआईएफ, आईएनवीएलटीएस सहित वैकल्पिक निवेश निधि

इस क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पैटर्न

अर्थात् "एक्टिव चॉइस" या "ऑटो चॉइस" का चयन कर सकता है ।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोज़र सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका संख्या 2.6: कोर्पोरेट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 प्रतिशत तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 प्रतिशत तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100 प्रतिशत तक
वैकल्पिक आस्तियां	5 प्रतिशत तक
अल्पकालिक निवेश; मुद्रा बाज़ार, अल्पकालिक म्यूच्युअल फंड्स और अवधि जमा)	10 प्रतिशत तक

पेंशन निधि और निवेश चुनाव को बदलने का विकल्प

इसके अतिरिक्त, अभिदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में एक बार पेंशन निधि को एक बार और निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है।

2.2.6 टियर II कर बचत योजना (टीटीएस)

यह योजना केवल केंद्र सरकार के एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा अंशदान उपयोजित करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए लॉकइन अवधि है।

लॉकइन अवधि के दौरान कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं है, हालांकि, अभिदाता की मृत्यु के मामले में नामिति/विधिक वारिस द्वारा कोश प्रत्याहरित किया जा सकता है।

एनपीएस से निकासी पर टियर–I खाता बंद होने पर, एनपीएस–टीटीएस की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि लॉकइन अवधि पूर्ण नहीं हो जाती।

टीटीएस के संबंध में निम्नलिखित निवेश सीमाएं निर्धारित हैं :

तालिका संख्या 2.7: टीटीएस के संबंध में आस्ति वर्ग सीमाएं:

आस्ति वर्ग	सीमाएं (प्रतिशत)
इक्विटी	10–25 प्रतिशत तक
ऋण	90 प्रतिशत इक्विटी तक
नकद/मुद्रा बाज़ार/लिक्विड म्युच्युअल फंडस	10 प्रतिशत तक

पेंशन निधि और निवेश चुनाव को बदलने का विकल्प

इसके अतिरिक्त, अभिदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में एक बार पेंशन निधि को और निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि, टीटीएस अभिदाताओं को पृथक् रूप से अधिकतम 3 पेंशन निधियों को रखने का विकल्प है, जबकि पेंशन निधि के परिवर्तन की अनुमति केवल लॉकइन अवधि के पूर्ण होने के बाद होगी।

प्रबंधन के अधीन आस्तियों का योजनावार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

तालिका संख्या 2.8: प्रबंधन के अधीन आस्ति का विवरण

(राशि रूपये करोड़ में)

योजना	मार्च–21	मार्च–22	संपूर्ण वृद्धि	वृद्धि
केंद्र सरकार	1,81,416.26	2,16,883.09		
राज्य सरकार	2,91,959.92	3,69,743.33		
उप कुल	**4,73,376.17**	**5,86,626.42**	1,13,250.25	23.92
कुल एनपीएस लाइट	36,929.68	47,343.05		

योजना	मार्च–21	मार्च–22	संपूर्ण वृद्धि	वृद्धि
कुल एपीवाई	18,979.51	30,303.85		
कुल कोर्पोरेट सीजी	9,686.52	15,509.97		
कुल टियर I–ई	16,766.29	27,630.39		
कुल टियर I–सी	74.76	162.65		
कुल टियर I–जी	850.98	1,424.50		
कुल टियर I–ए	482.73	762.55		
कुल टियर II–ई	835.49	1,214.08		
कुल टियर II–सी	2.12	6.75		
कुल टियर II–जी	4,354.38	4,686.74		
कुल टियर II–टीटीएस	15,687.11	20,922.60		
उप कुल	**1,04,649.56**	**1,49,967.14**	45,317.58	43.30
कुल योग	**5,78,025.74**	**7,36,593.56**	**1,58,567.82**	**27.43**

**स्रोत : एनपीएस न्यास*

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 23.92 प्रतिशत से बढ़ी है, हालांकि इन दोनों योजनाओं से भिन्न योजनाओं के लिए के अधीन परिसंपत्ति लगभग 43.30 प्रतिशत से बढ़ी हैं। संपूर्ण रूप से, सरकारी क्षेत्र योजनाएं रू 1,13,250 करोड़ से बढ़ी है। जबकि सरकारी क्षेत्र से भिन्न योजनाओं के अनुसार यह औसतन रू. 45,317 करोड से बढ़ी है।

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, अलग–अलग पेंशन योजनाएं अलग–अलग पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं, संबंधित पेंशन निधि प्रबंधकों के तहत विभिन्न योजनाओं की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का विवरण निम्नलिखित हैः–

तालिका संख्या 2.9: मार्च, 2022 तक के अनुसार पेंशन निधिवार और योजनावार (सीजी, एसजी, एनपीएस लाइट, एपीवाई और कोर्पोरेट सीजी) प्रबंधन के अधीन आस्तियां

(राशि रूपये करोड़ में)

पेंशन निधियों / योजनाओं का नाम	सीजी	एसजी	एनपीएस लाइट	एपीवाई	कोर्पोरेट सीजी	कुल योग
एसबीआइ पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड	76,480.44	1,28,187.09	1,903.91	7,126.91	44,991.67	2,58,690.02
एलआईसीपेंशन फंड लिमिटेड	69,678.87	1,21,709.06	1,369.96	6,916.23	2,351.38	2,02,025.50
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	70,723.78	1,19,847.18	1,339.49	6,879.46		1,98,789.91

पेंशन निधियों / योजनाओं का नाम	सीजी	एसजी	एनपीएस लाइट	एपीवाई	कोर्पोरेट सीजी	कुल योग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंडस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड						
कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड			73.38			73.38
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड						
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड						
कुल	**2,16,883.09**	**3,69,743.33**	**4,686.74**	**20,922.60**	**47,343.05**	**6,59,578.81**

तालिका संख्या 2.10: 31 मार्च 2022 योजनावार (ई–I, सी–I, जी–I, ई–II, सी–II, जी–II, ए–I, टीटीएस–II) की तुलना में पेंशन निधिवार प्रबंधन के अधीन आस्ति

(राशि रूपये करोड़ में)

पेंशन निधियों / योजनाओं के नाम	योजना ई–1	योजना सी–1	योजना जी–1	योजना ई–2	योजना सी–2	योजना जी–2	योजना ए–1	एनपीएस टीटीएस –2	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड	8,382.63	4,775.32	9,723.84	334.35	190.78	340.80	35.69	2.22	23,785.63
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	2,539.64	1,613.98	2,905.97	93.17	60.12	139.64	7.48	0.78	7,360.77
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	1,239.61	622.87	1,104.79	69.98	31.59	53.59	5.72	0.46	3,128.60
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंडस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4,606.44	2,393.60	4,042.38	228.44	135.38	188.32	19.12	0.62	11,614.32
कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	873.59	423.93	708.06	65.50	31.44	47.94	5.78	0.31	2,156.55
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	12,427.46	5,568.25	8,983.22	614.53	303.11	428.30	86.91	2.08	28,413.86
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	234.48	112.01	162.14	18.54	10.12	15.48	1.95	0.27	555.01
कुल	**30,303.85**	**15,509.97**	**27,630.39**	**1,424.50**	**762.55**	**1,214.08**	**162.65**	**6.75**	**77,014.75**

मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 के अनुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का आस्ति वर्गानुसार द्विविभाजन निम्नलिखित हैः–

तालिका संख्या 2.11: प्रबंधन के अधीन आस्ति का आस्ति वर्गवार द्विविभाजन

आस्ति वर्ग	31 मार्च 2021		31 मार्च 2022	
	राशि (रूपये करोड़ में)	निवेश का प्रतिशत	राशि (रूपये करोड़ में)	निवेश का प्रतिशत
जी–सेक	2,86,131.91	49	3,73,451.90	51
कोर्पोरेट बांड	1,76,412.24	30	2,03,071.95	28
ईक्विटी	91,400.25	16	1,21,423.93	16
REITs/Invits	-	-	1,052.55	0.1
मुद्रा बाज़ार	15,346.52	3	25,734.55	3
नकद और कुल चालू आस्तियां	8,733.82	2	11,858.68	2
कुल	**5,78,025.74**	**100**	**7,36,593.56**	**100**

चार्ट संख्या 2.1: प्रबंधन के अधीन आस्तियों का आस्तिवर्गवार द्विविभाजन

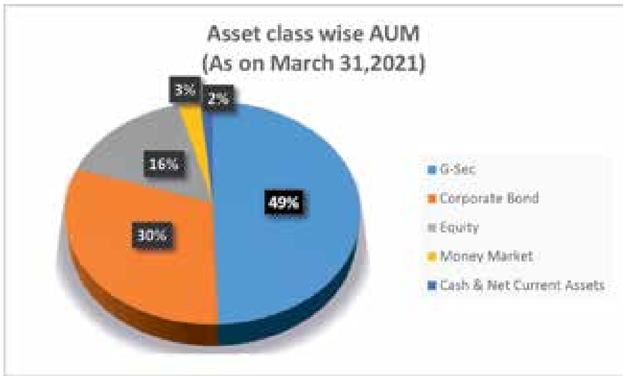

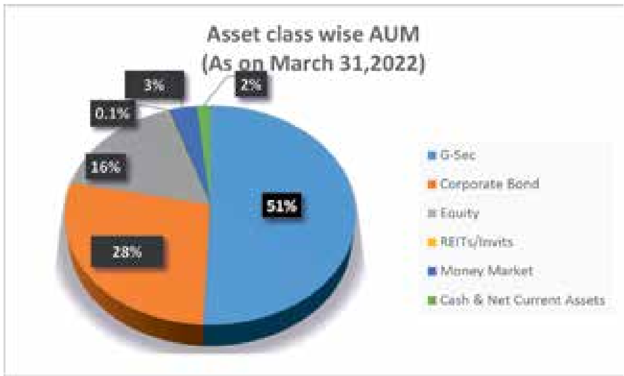

2.3 पेंशन निधि से संबंधित विनियम, अधिसूचना, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र/ दिशानिर्देश

क. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक 1 अप्रैल 2021

यह संशोधन वार्षिक शुल्क और प्रबंधन शुल्क के मामले में बताता है। प्रत्येक पेंशन निधि द्वारा प्राधिकरण के पास वार्षिक शुल्क और ब्रोकरेज एवं अभिरक्षक शुल्क को छोड़कर लेनदेन से संबंधित सभी शुल्कों का उन पर लागू कर सहित जमा किया जाएगा । निवेश मूल्य में केवल मोहर शुल्क और ब्रोकरेज उस पर लागू कर सहित शामिल होंगे।

ख. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक 25 मई, 2021

व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से प्रायोजक के पास पिछले पांच वित्त वर्षों के प्रत्येक के अंतिम दिवस पर कम से कम पचास करोड़ रूपये का सकारात्मक मूर्त निवल मूल्य होगा और आवेदन की तिथि पर न्यूनतम पच्चीस करोड़ रूपये की चुकता इक्विटी पूंजी होनी चाहिए।

ग. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक 15 जुलाई, 2021

विनियम 8 में, खंड (ह) के उप–विनियम (1) की

तीसरी पंक्ति में, "उनचास प्रतिशत" को "चौहत्तर प्रतिशत" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घ. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 2021

दिनांक 22 सितंबर, 2021

बशर्ते कि उसी समूह में जहां पेंशन निधि के प्रायोजक, न्यासी बैंक या केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण या उनके सहयोगी, एक संरक्षक की पूंजी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक के मतदान का अधिकार रखते हैं, तो वह कुछ शर्तों के अधीन अभिरक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ङ. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधियों का पंजीकरण) दिशानिर्देश, 2021, पेंशन निधियों के ऑन टेप पंजीकरण पर

च. एनपीएस योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देश– 2021 (योजना सीजी, योजना एसजी, कोर्पोरेट सीजी और एनपीएसलाइट और अटल पेंशन योजना)

पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र से भिन्न (सीजी और एसजी), कोर्पोरेट सीजी और एनपीएस लाइट और अटल पेंशन योजना) पर आस्ति वर्ग जी (श्रेणी i) और आस्ति वर्ग सी (श्रेणी ii) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।

छ. उपस्थिति अस्तित्वों द्वारा निकास आवेदनों के संसाधन पर छूट

कोविड –19 महामारी के कारण आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, अभिदाताओं के निकासी अनुरोधों को संसाधित करने के लिए डिजिटल माध्यमों द्वारा निकास दस्तावेजों की स्कैन और स्व–प्रमाणित छवियों को स्वीकार करने के लिए उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) को विशेष छूट दी गई थी। अभिदाताओं के हित में छूट को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

ज. एनपीएस लाइट स्वाबलंबन अभिदाताओं की समयपूर्व निकासी

ऐसे स्वावलंबन सदस्य जिनकी संचित पेंशन राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं है और यदि वे अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में स्थानांतरित नहीं हो सकतें, तो कुछ शर्तों के साथ एकमुश्त भुगतान के साथ समय पूर्व निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।

झ. कोविड–19 प्रकोप के कारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एनपीएस लाइट–स्वाबलंबन गतिविधियों के लिए समयसीमा में छूट

पीएफआरडीए ने कोविड–19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन और अन्य निवारक उपायों को ध्यान में रखते हुए पीओपी के अनुरोध पर समयसीमा में छूट दी थी।

ञ. नोडल अधिकारियों/उपस्थिति अस्तित्वों/कोर्पोरेट के लाभ के लिए NACH जनादेश का आरंभ।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा संचालित एनएसीएच के माध्यम से न्यासी बैंक (टीबी) और केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए गए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) जनादेश की शुरूआत की गई। NACH जनादेश प्रौद्योगिकी सक्षम है जो अंत तक समाधान प्रदान करता है और अंशदान निधि हस्तांतरण का एक सुरक्षित तरीका है। एनएसीएच मैंडेट के तहत, सभी नोडल कार्यालयों को एनपीएससीएएन में अपलोड किए गए एससीएफ के आधार पर राषि के साथ अपने बैंक खातों को ऑटो डेबिट करने के लिए 'वन–टाइम मैंडेट रजिस्ट्रेशन' प्रदान करना होगा।

ट. उपस्थिति अस्तित्वों द्वारा निकास आवेदन के संसाधन में छूट

कोविड –19 महामारी के कारण आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) को अभिदाताओ के निकासी अनुरोधों को संसाधित करने के लिए डिजिटल माध्यमों द्वारा निकास दस्तावेजों की स्कैन और स्व–प्रमाणित छवियों को स्वीकार करने के लिए विशेष छूट प्रदान की गई थी। यह पीएफआरडीए द्वारा एक बार बाहर निकलन/आहरण के लिए भौतिक आवेदन जमा करने और पीओपी के सामने आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक है।

ठ. ऑनलाइन आधार ई केवाईसी के माध्यम से एनपीएस ऑनबोर्डिंग की सुविधा

पीएमएलए 2002 की धारा 11 ए के तहत यूआईडीएआई से ऑनलाइन आधार ई–प्रमाणीकरण सेवाओं को षुरू करने के लिए राजस्व विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन के अनुसार एनपीएस संभावित अभिदाताओं की ऑन–बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बना दिया गया था, एनएसडीएल – सीआरए ने आधार को सक्षम किया है। ई एनपीएस मंच में अभिदाता पंजीकरण के लिए आधारित ऑनलाइन ई–केवाईसी प्रमाणीकरण कार्यक्षमता।

ड. एनपीएस के तहत कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड (CAMS) की केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में नियुक्ति

एनपीएस के तहत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अभिदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, पीएफआरडीए ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस) को पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 के तहत एनपीएस के लिए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया है।

त. केन्द्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR)

भारत सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेषन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) को पीएमएल नियम 2005 के तहत केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री के रूप में कार्य करने और दायित्व निभाने के लिए अधिकृत किया है, एनपीएस के तहत पीओपी को सीकेवाईसी पंजीकरण के लिए सीईआरएसएआई के साथ पंजीकरण की सलाह दी गई थी।

2.4 निरीक्षण

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 7 पेंशन निधियों का निरीक्षण निम्नानुसार है :

i. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. एलआईसी पेशन फंड लिमिटेड

iii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

iv. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

v. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

vi. कोटेक महिन्द्रा पेंशन फंड लिमिटेड

vii. आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

भाग III

प्राधिकरण के कार्य

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास के लिए प्राधिकरण के कर्त्तव्य, शक्ति तथा कार्यों पर चर्चा करता है, जो कि इस प्रणाली और योजनाओं में अभिदाताओं के हितों की रक्षा के संबंध में है।

प्राधिकरण के कार्य

3.1 मध्यस्थ इकाईयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरण का निलंबन, निरसन आदिः और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं से संबंद्धित इकाईयों के क्रियाकलापों का विनियमन।

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 राष्ट्रीय पेंषन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय पेंषन प्रणाली और कोई भी अन्य पेंशन योजना जो पीएफआरडीए द्वारा केंद्र और राज्य सरकार में बड़ी संख्या में इकाईयों जैसे वेतन एवं लेखा कार्यालयों/कोषागार कार्यालयों के माध्यम से संचालित की जाती है, वे एनपीएसकैन पर सरकारी कर्मचारियों की आवधिक एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड के लिए जिम्मेदार हैं, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) जो बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि हैं, कॉर्पोरेट्स, निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड में सहायता करते हैं, संकलनकर्ता विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं तक पहुंचने में मदद करते हैं, केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), जो अभिदाताओं के व्यक्तिगत पेंशन खातों जिन्हें प्रान कहा जाता है, के अभिलेखपालन के लिए जिम्मेदार होता है और एनपीएस संरचना में समन्वयक के रूप में कार्य करता है, न्यासी बैंक, धन और बैंकिंग सुविधाओं के दैनिक प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, पेंशन निधियां (पीएफ्स) पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस के तहत शामिल किए गए अभिदाताओं की पेंशन परिसंपत्तियों का निवेश और प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य है और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) को अभिदाताओं के साथ एक मासिक वार्षिकी पेंशन प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध किया गया।

i) सरकारी क्षेत्र – केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकाय

स्वायत्त निकायों का पंजीकरण : केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों को उनके साथ–साथ केंद्रीय मंत्रालयों के संबंधित वित्तीय सलाहकारों और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी के साथ चर्चा करके पंजीकृत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों को एसएबीज के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों और सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने की दिषा में भी मदद की।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएबीज़ और एसएबीज़ से सहमति पत्र संसाधित (एलओसी) करना और साथ ही की गई पूर्व–पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एनपीएस के प्रश्नों को निपटाने का कार्य क्रियान्वित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2021–22 में संसाधित सहमति पत्र

(i) सीएबीज़– 20 (ii) एसएबीज़– 119

31 मार्च 2022 तक के अनुसार प्रमुख लेखा कार्यालय/डीटीए, पीएओ/डीटीओ और डीडीओं की संख्या निम्नानुसार दी गई हैः–

तालिका संख्या 3.1: प्रमुख लेखा कार्यालय/डीटीओ और डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	प्रमुख लेखा कार्यालय/डीटीए की संख्या (2021)	प्रमुख लेखा कार्यालय/डीटीए की संख्या	प्रमुख लेखा कार्यालय/डीटीए की संख्या (2021)	पीएओ/डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या (2021)	डीडीओ की संख्या (2022)
केंद्र सरकार	134	144	2,987	3,027	16,221	16,375
केंद्रीय स्वायत्त निकाय	631	651	1,989	2,019	4,088	4,126
कुल	**765**	**795**	**4,976**	**5,046**	**20,309**	**20,501**

तालिका संख्या 3.2: डीटीए/डीटीओ/डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	डीटीए की संख्या (2021)	डीटीए की संख्या (2022)	डीटीओ की संख्या (2021)	डीटीओ की संख्या (2022)	डीडीओ की संख्या (2021)	डीडीओ की संख्या (2022)
राज्य सरकार	72	74	1,986	2,402	2,21,463	2,25,103
राज्य स्वायत्त निकाय	560	612	5,242	5,522	13,855	15,827
कुल	**632**	**686**	**1,490**	**7,564**	**2,35,318**	**2,40,930**

तालिका संख्या 3.3: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान नए सीएबीज़ और एसएबीज़ का पंजीकरण

विवरण	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पंजीकरण
सीएबीज़	651	630	21
एसएबीज़	1,578	1,459	119

तालिका संख्या 3.4: वित्त वर्षानुसार नए पंजीकृत सीएबीज़ और एसएबीज

वित्त वर्षानुसार प्रदर्शन	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22
नए पंजीकृत सीएबीज़	25	25	24	27	21
नए पंजीकृत एसएबीज़	272	107	133	141	119

स्रोतः एसयूपी (सीएबी/एसएबी) पी एंड डी (सीएबी/एसएबी)

31 मार्च, 2022 तक, एनपीएस के तहत कुल 1,578 राज्य स्वायत्त निकाय और 651 केंद्रीय स्वायत्त निकाय पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक 311 उपस्थिति अस्तित्व (सीआरए के साथ पंजीकृत), तीन केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, एक न्यासी बैंक, सात पेंशन निधियां और चौदह वार्षिकी सेवा प्रदाता हैं।

ii) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

पीओपी का पंजीकरण: हालांकि, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित है, लेकिन एपीवाई सेवाओं की पेशकश करने वाली संस्थाओं के लिए कोई नियम नहीं थे। पीएफआरडीए के नियामक दायरे में एपीवाई को लाने के लिए, पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया था और पीओपी की एक अलग श्रेणी के रूप में एपीवाई को भी इसके तहत शामिल किया गया था।

मौजूदा विनियमों के तहत उपस्थिति अस्तित्वों की श्रेणियां निम्नानुसार है:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)– भौतिक और साथ ही ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – केवल ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – केवल भौतिक या ऑनलाइन मंचों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण। बशर्ते कि केवल ऐसी संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत शामिल किया गया है और आवेदन की तिथि से दो वर्ष से कम समय के लिए, उक्त अधिनियमों के तहत अधिकारियों के साथ पंजीकृत है

(iv) एनपीएस लाइट योजना

(v) अटल पेंशन योजना

(vi) प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित कोई भी अन्य योजना

पीओपी विनियम, 2018, के तहत पीएफआरडीए ने उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपीज), पीओपी–एसईज को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं, 31 मार्च 2022 तक के अनुसार जारी किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की संख्या निम्नानुसार है :

(i) उपस्थिति अस्तित्व – 311

(ii) उपस्थिति अस्तित्व–सेवाप्रदाता – 50

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एनपीएस निजी क्षेत्र में 86 उपस्थिति अस्तित्वों के माध्यम से नामांकन किए गए। वित्त वर्ष के दौरान लोगों को बड़े स्तर पर एनपीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 उपस्थिति अस्तित्वों को सक्रिय/परिचालित किया गया।

iii) पेंशन निधियां

पेंशन निधि के प्रायोजकों के चयन के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) दिनांक 23.12.2020 के तहत कोटेक महिन्द्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को प्रायोजक का नियुक्ति पत्र दिनांक 19.05.2021 को जारी किया गया।

कोटक महिन्द्रा पेंशन फंड लिमिटेड को अनुरोध प्रस्ताव दिनांक 23.12.2020 के तहत दिनांक 01.06.2021 को पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) जारी किए गए हैं।

दिनांक 01.07.2021 को जारी पीएफआरडीए (रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन फंड्स गाइडलाइन्स), 2021 के तहत चयनित पेंशन निधि के प्रायोजकों के रूप में निम्नलिखित इकाईयों को दिनांक 24.09.2021 को नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

i. टाटा असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

ii. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

*इस स्लैब के तहत यूटीआई आरएसएल 0.07 प्रतिशत शुल्क लेगा।

पेंषन निधि द्वारा स्लैब संरचना पर लगाया जाने वाला आईएमएफ पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत पेंशन निधि के कुल एयूएम पर होगा और इसकी गणना चार दशमलव बिंदुओं तक की जाएगी

और इसे काट दिया जाएगा। आईएमएफ की इन दरों की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि में की जाएगी।

निवेष प्रबंधन शुल्क की उपरोक्त दरें ब्रोकरेज, कस्टोडियन शुल्क और उस पर लागू करों को छोड़कर, केवल इक्विटी लेनदेन पर पेंशन निधि / 0.03% (ब्रोकरेज पर लागू करों सहित) द्वारा योजना के लिए अधिकतम ब्रोकरेज की अनुमति के अधीन हैं। अन्य सभी लागतें पेंशन निधि द्वारा वहन की जाएंगी और पेंशन निधि द्वारा योजना के लिए प्रतिपूर्ति या प्रभारित नहीं की जाएगी।

निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तन पर स्पष्टीकरण :

तालिका संख्या 3.5: 1 अप्रैल 2021 से निवेश प्रबंधन शुल्क

एयूएम का स्लैब	अधिकतम निवेश प्रबंधन शुल्क (प्रतिशत में)
10,000 करोड़ तक	0.09*
10,001–50,000 करोड़	0.06
50,001–1,50,000 करोड़	0.05
1,50,000 करोड़ से ऊपर	0.03

*इस स्लैब के तहत UTI RSL 0.07% स्लैब शुल्क लेगा।

पेंशन निधि द्वारा स्लैब संरचना पर लगाया जाने वाला आईएमएफ पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत पेंशन निधि के कुल एयूएम पर होगा और इसकी गणना चार दशमलव बिंदुओं तक की जाएगी और इसके पश्चात् इसे समाप्त कर दिया जाएगा। आईएमएफ की इन दरों की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि में की जाएगी।

निवेष प्रबंधन शुल्क की उपरोक्त दरें ब्रोकरेज, अभिरक्षक शुल्क और उस पर लागू करों को छोड़कर, केवल इक्विटी लेनदेन पर पेंशन निधि द्वारा योजना के लिए अधिकतम के 0.03 प्रतिशत (ब्रोकरेज पर लागू करों सहित) ब्रोकरेज की अनुमति के अधीन हैं। अन्य सभी लागतें पेंशन निधि द्वारा वहन की जाएंगी और पेंशन निधि द्वारा योजना के लिए प्रतिपूर्ति या शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तन का स्पष्टीकरण :

i. तीन वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों में निवेश पूर्व के दिशा–निर्देशों/मानदंडों के अनुसार किया जाएगा

ii. दिनांक 16.07.2020 के बाद जारी सभी नए जीओआई–फुली सर्विस्ड बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेश/एसेट क्लास 'जी' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र के पुनर्वैधीकरण और अवधि विस्तार के लिए पत्र जारी किया गया। आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड को बदले हुए नाम में पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

iv) सेवानिवृत्ति सलाहकार

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और बाद के संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, एनपीएस संरचना के तहत 23 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों के अतिरिक्त 4 आरए पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्रक्रिया को तेजी से निष्पादित करने के लिए, पंजीकरण का ऑनलाइन मंच उपलब्ध है, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

v) केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण

क. विनियमों का संशोधन, अधिसूचना और संशोधन का प्रसार

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 को सीआरए के लिए योग्यता, शासन, प्रबंधन और परिचालन व्यवहार मानदंडों को निर्धारित करने और केंद्रीकृत अभिलेखपालन तथा सभी अभिदाताओं के लिए

ग्राहक सेवा कार्यों को करने के लिए जारी किया गया।

एम/एस एनएसडीएल ई–गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अब प्रोटियन) के केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण के कार्यकाल में 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021 तक आगे की एक वर्ष की अवधि के लिए या पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाया गया है।

हाल ही में, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 के तहत कंप्यूटर एज मैनेजमैंट सर्विस लिमिटेड (सीएएमएस) को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। हालांकि, 31 मार्च, 2021 तक के अनुसार सीआरए–सीएएमएस का परिचालन शुरू करना शेष है। तीसरे केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ने 17 मार्च 2022 से ईएनपीएस मंच का परिचालन शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी भी इसके द्वारा पूर्ण रूप से परिचालन किया जाना शेष है।

vi) न्यासी बैंक

कोई विनियामक परिवर्तन नहीं किए गए। हालांकि, वार्षिक शुल्क और अनुपालन प्रमाणपत्र का समय से संकलन सुनिश्चित किया गया था।

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के तहत पीएफआरडीए द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को न्यासी बैंक के चयन के लिए जारी अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) के उत्तर में, एक्सिस बैंक लिमिटेड को एनपीएस के तहत न्यासी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एक्सिस बैंक को एनपीएस न्यासी बैंक के रूप में जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 8 जनवरी 2021 से लागू है और यह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध है और इसे तब तक के लिए प्रदान किया गया है, जब तक कि पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम 2015 के नियम 13 और उसके संशोधनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

vii) एनपीएस न्यास

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासियों के बोर्ड में न्यासी शासन में संशोधन करने के लिए जारी किया गया।

31 मार्च 2022 के अनुसार एनपीएस न्यासी बोर्ड के न्यासियों का विवरण

1.	श्री अतनु सेन	अध्यक्ष और न्यासी
2.	श्री सुधीर श्याम	न्यासी
3.	श्री रुचिर मित्तल	न्यासी
4.	डॉ. पी.सी जाफर	न्यासी
5.	श्री जे के शर्मा	न्यासी
6.	श्री दिनेश कुमार मेहरोत्रा	न्यासी
7.	श्री राधाकृष्णन नैयर	न्यासी
8.	श्री संजीव चानना	न्यासी
9.	श्री सूरज भान	न्यासी
10.	श्री वाई वेंकट राव	न्यासी
11.	सुश्री चित्रा जयसिम्हा	न्यासी

viii) निकास और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीज़):

क. संशोधन, अधिसूचना और विनियमों के संशोधन का प्रसार

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम 2020 को एनपीएस लाइट अभिदाताओं के सरल निकास की सुविधा के लिए जारी किया गया है।

3.2 योजनाओं का अनुमोदन, पेंशन निधि के कोष प्रबंधन सहित उनकी नियम एवं शर्तें और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देश

प्राधिकरण द्वारा प्रशासित योजनाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II से देखा जा सकता है ।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी अधिसूचना फा.सं.1/3/2016–पीआर दिनांक 31.01.2019 के अनुसार एनपीएस के तहत एक डिफॉल्ट योजना के रूप में मौजूदा केंद्र सरकार योजना और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार क्षेत्रों के तहत मौजूदा और नए सरकारी अभिदाताओं के लिए राज्य सरकार योजना/डिफॉल्ट योजना के तहत वृद्धिशील सदस्यता के लिए धन का आवंटन पेंशन निधियों में वितरित किया गया ।

इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2021–22 के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 38:32:30 (29 जून 2020 से प्रभावी) में आवंटित किया गया है। जबकि पूर्व में यह आवंटन अनुपात एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 34:33:33 था।

राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू योजना के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए परिसंपत्तियों का प्रबंधन एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को 31:34:35 क्रमशः के अनुपात में किया गया है, जबकि पूर्व में आवंटन का यह अनुपात एसबीआई पेंशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 38.5:32.5:29.5 था।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास

3.3.1 पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और उसके संशोधनो के तहत निम्नलिखित प्रत्याहरण श्रेणियां स्वीकृत हैं:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास

पीएफआरडीए (एनपीएस से निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित निकास श्रेणियां अनुज्ञप्त हैं :

तालिका संख्या 3.6: पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और संशोधन

क्र.सं	प्रत्याहरण श्रेणियां	सरकारी क्षेत्र में शर्तें	गैर–सरकारी क्षेत्र में शर्तें
1	**सामान्य अधिवर्षिता पर**	अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 40% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंशन राशि 2 लाख या 2 लाख से कम है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा।	सरकारी क्षेत्र के समान

		हालांकि, निकास दिशानिर्देशों अर्थात् 14 जून 2021 को अधिसूचित में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें स्थायी सेवानिवृत्ति खातें में संचित पेंशन संपत्ति को पांच लाख रूपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जाए के रूप में संशोधित किया गया है।	
2	**मृत्यु पर**	अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग पति/पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि नामिती/विधिक वारिस को एकमुश्त रूप से दी जाती है । यदि प्रान में संचित राशि मृत्यु के समय 2 लाख या उससे कम होगी, नामिती या विधिक वारिस के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा। हालांकि, निकास दिशानिर्देशों अर्थात् 14 जून 2021 को अधिसूचित में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें स्थायी सेवानिवृत्ति खातें में संचित पेंशन संपत्ति को पांच लाख रूपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जाए के रूप में संशोधित किया गया है ।	यदि 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने से पहले अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता की पूरी संचित पेंशन संपत्ति का नामिति या नामितयों या कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जाएगा। मृतक अभिदाता के नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के पास यह विकल्प होगा कि यदि वे चाहें, तो मृतक अभिदाताओं के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते पर निकास लाभ के लिए आवेदन करते हुए निकास के समय उन्हें पेंश की जाने वाली वार्षिकियों में से एक वार्षिकी खरीद सकते हैं।
3	**समय से पूर्व निकास**	अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए। यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंशन राशि 1 लाख या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा।	इस तरह के विकल्प के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे अभिदाताओं को होगी जो कम से कम दस साल की अवधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सदस्य रहे हो। अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चाहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए।

		हालांकि, निकास दिशानिर्देशों अर्थात् 14 जून 2021 को अधिसूचित में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें स्थायी सेवानिवृत्ति खातें में संचित पेंशन संपत्ति को दो लाख पचास हजार रूपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जाए के रूप में संशोधित किया गया है।	यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंषन राशि 1लाख या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा । हालांकि, निकास दिशानिर्देशों अर्थात् 14 जून 2021 को अधिसूचित में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें स्थायी सेवानिवृत्ति खातें में संचित पेंशन संपत्ति को दो लाख पचास हजार रूपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जाए के रूप में संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, अभिदाता एनपीएस (75 वर्ष तक) में निवेशित रहने का निर्णय ले सकता है या एनपीएस से निकास कर सकता है। एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

- **एनपीएस खाते को जारी रखना** : अभिदाता सेवानिवृत्ति (75 वर्ष तक) के बाद भी एनपीएस खाते में अंशदान करना जारी रख सकता है और अंशदान पर अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- **निकासी को स्थगित करना** : अभिदाता अपनी निकासी को स्थगित कर सकता है और 75 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेशित रह सकता है। अभिदाता केवल एकमुश्त निकासी को स्थगित कर सकता है, केवल वार्षिकी को स्थगित कर सकता है या एकमुश्त और वार्षिकी दोनों को स्थागित कर सकता है।
- **अपनी पेंशन शुरू करें** : यदि अभिदाता एनपीएस खाते को जारी नहीं रखना चाहता/ स्थगित करना चाहता है, तो वह एनपीएस से निकास सकता है। वह ऑनलाइन निकास का अनुरोध कर सकता है और एनपीएस के निकास दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकता है।

एक व्यक्ति https://bit-ly/2ZLzTkB पर हमारे समर्पित यूट्यूब चैनल पर जारीकरण और आस्थगन प्रक्रिया पर वीडियो और https://bit-ly/2vyuhfk पर जाकर अभिदाता के ऑनलाइन निकासी प्रसंस्करण पर वीडियो देख सकते हैं।

एनपीएस से निकास के लिए, अभिदाताओं को श्रेणीबद्ध और परिभाषित किया गया है :

(i) सरकारी क्षेत्र, (ii) कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित सर्व नागरिक और (iii) एनपीएस लाइट अभिदाता। अभिदाता जिस श्रेणी से सम्बंधित है तदनुसार निर्दिष्ट निकास विनियम लागू होंगे।

तालिका संख्या 3.7: 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच रिपोर्ट, स्वीकृत और निपटाए गए निकास मामले

क्र. सं	क्षेत्र	ऑनलाइन निकासी			भौतिक निकासी		
		रिपोर्ट किए गए*	स्वीकृत $	निपटाए गए	रिपोर्ट किए गए #	स्वीकृत ***	निपटाए गए
1.	केन्द्र सरकार		7,345	7275	47	47	47
2.	राज्य सरकार	30,472	27,375	27318,	66	66	66
3.	सर्व नागरिक/यूओएस	8,529	8,253	7711	54	54	54
4.	कोर्पोरेट	5,456	5,213	4326	-	8	8
5.	एनपीएस लाइट	34,690	34,309	34,302	524	524	524
	कुल	**87,012**	**82,495**	**80,932**	**699**	**699**	**699**

(**आंकड़ों का स्रोत** : एनएसडीएल–सीआरए एंड केफिन टेक्नोलॉजीज़ सीआरए)

टिप्पणी :

* **ऑनलाइन निकास** रिपोर्टेड मामलों में नोडल कार्यालयों द्वारा अधिकृत तथा नोडल कार्यालयों के लिए द्वारा अधिकृत होने के लिए लंबित मामले शेष हैं।

$ **ऑनलाइन निकास** निपटाए गए मामले वो मामले हैं जिसमें नोडल कार्यालय ने सीआरए प्रणाली में निकास अनुरोध स्वीकृत किए हैं।

भौतिक निकासी: इन मामलों में प्रसंस्करण के लिए सीआरए में प्राप्त भौतिक प्रारूप शामिल हैं जिनके ऑनलाइन निकासी मॉड्यूल अभी तक विकसित या विकास प्रक्रिया में नहीं हैं। उदा. अभिदाता जिसकी सीआरए प्रणाली में अपलोड की गई अंशदान राशि मिलान और बुकिंग के लिए लंबित थी (यानी मेल नहीं किया गया था), 60 वर्ष की आयु के बाद प्रणाली में पंजीकृत होने वाले अभिदाता आदि। सीआरए ने ऐसे मामलों को एक ऑफलाइन यानी भौतिक मोड में संसाधित किया।

*****भौतिक निकासी**: स्वीकृत का अर्थ है वह मामले जो सीआरए में स्थगित थे और जिसके लिए नोडल कार्यालय/अभिदाता से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए थे।

तालिका संख्या 3.8: 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 तक के अनुसार लंबित प्रत्याहरण दावे

क्र. सं	क्षेत्र	लंबित ऑनलाइन निकासी	
		31, मार्च 2021 तक के अनुसार	31, मार्च 2022 तक के अनुसार
1	केन्द्र सरकार	434	520
2	राज्य सरकार	2417	3097
3	यूओएस	469	286
4	कोर्पोरेट	246	244
5	एनपीएस लाइट	315	381

आंकड़ों का स्रोत: एनएसडीएल – सीआरए और केफिनटेक–सीआरए

टिप्पणी :

* **भौतिक प्रत्याहरण** : वर्ष के अंत में लम्बित प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहाँ अभिदाता/नोडल कार्यालयों को सीआरए को आवश्यक दस्तावेज भेजना शेष है।

* **ऑनलाइन प्रत्याहरण** : वर्ष के अंत में लम्बित प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहाँ नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली में प्रत्याहरण अनुरोध अधिकृत करना शेष है।

यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में अभिदाताओं या नोडल कार्यालयों द्वारा जमा कराए गये उपयुक्त दस्तावेजों की कमी/अपर्याप्तता के कारण प्रत्याहरण अनुरोध लम्बित है।

3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण

एनपीएस अभिदाता आंशिक प्रत्याहरण ऐसी स्थिति में आंशिक प्रत्याहरण कर सकता है, जब अभिदाता के संचित पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण, जो अभिदाता

के संचित पेंशन धन का, पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किये गए अंशदान, यदि कोई हो, को अपवर्जित किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगाः–

(अ) प्रयोजन : किसी अभिदाता को, प्रत्याहरण प्रारूप प्रस्तुत करने की तारीख से केवल निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी के लिए उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते से उसके द्वारा किये गए अभिदायों का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक का प्रत्याहरण, अनुज्ञात होगा; –

(i) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए;

(ii) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, विवाह के लिए ;

(iii) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iv) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए यदि अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, या आश्रित माता–पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के सम्बन्ध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा :

i. कैंसर ;

ii. गुर्दा की विफलता (अंत चरण रीनल फेल होना) ;

iii. प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन ;

iv. मल्टीपल एक्लराइओसिस ;

v. प्रमुख अंग प्रत्यारोपण ;

vi. कोरेनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट ;

vii. ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी ;

viii. हार्ट वाल्व सर्जरी ;

ix. स्ट्रोक ;

x. मायोकार्डियल इन्फेक्शन

xi. कोमा ;

xii. टोटल ब्लाइंडनेस (पूर्ण रूप अंधता) ;

xiii. पेरालेसिस (लकवा);

xiv. गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना ;

xv. जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाए। हाल ही में कोविड–19 को इस वर्ग मे शामिल किया गया।

xvi. अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु।

xvii. अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल या अन्य कोई स्व–विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।

xviii. अभिदाता द्वारा स्व–उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।

(ख) सीमाएं : अनुज्ञात प्रत्याहरण केवल तभी मंजूर किया जाएगा यदि अभिदाता लाभों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित पात्रता सम्बन्धी मानदंड और सीमाओं का अनुपालन करता है :–

(क) अभिदाता, अपने कार्यग्रहण की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो;

(ख) अभिदाता को उसके द्वारा किए गए अभिदायों के आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा रकम के प्रत्याहरण के लिए, पच्चीस प्रतिशत से अनधिक संचयन का प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ग) **आवृत्ति :** (1) अभिदाता को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाय की सम्पूर्ण अवधि के दौरान केवल अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा। अभिदाता द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप के प्रत्याहरण के लिए अनुरोध केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रत्याहरण की कार्यवाही करने के लिए अपने मुख्य पणधारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु जहाँ कोई अभिदाता, उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

तालिका संख्या 3.9: वित्त वर्ष 2021–22 में रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए आंशिक प्रत्याहरण मामलों की संख्या

क्र. सं	क्षेत्र	रिपोर्ट किए गए**	निपटाए गए**
1	केन्द्र सरकार	32,668	33,054
2	राज्य सरकार	89,264	88,586
3	यूओएस	2,599	2,867
4	कोर्पोरेट	6,651	7,057
5	एनपीएस लाइट	6	6
	कुल	**1,31,188**	**1,31,570**

(आंकड़ों का स्रोत : एनएसडीएल-सीआरए एंड केफिनटेक-सीआरए)

टिप्पणी:

***रिपोर्ट किये गए मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत और नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृति हेतु लंबित मामले शामिल हैं ।*

***निपटाए गए मामले वह हैं जिनमें निधियां अभिदाता के बैंक खाते में जमा कर दी गई हैं।*

तालिका संख्या 3.10: 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के दौरान कारणवार आंशिक निकासी के रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए मामले।

निकासी का कारण	रिपोर्ट किए गए*	निपटाए गए
अपने बच्चों, जिसमें वैध रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, की उच्चतर शिक्षा के लिए	8,568	8,540
अपने बच्चों, जिसमें वैध रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, के विवाह के लिए	8,568	8,540
निवास स्थान क्रय करने या उसके संनिर्माण के लिए	75,155	75,356
निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए	24,758	24,786
विकलांगता/निःशक्तता के कारण होने वाले चिकित्सकीय खर्चों और आकस्मिक खर्चों को पूर्ण करने के लिए	10,962	10,912
कौशल विकास/पुनः कौशल या अन्य कोई स्व–विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए	2,483	2,586
स्व–उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरूआत के लिए	323	360
कुल	**1,31,188**	**1,31,570**

i) अभिदाताओं द्वारा चुने गए वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) और वार्षिकी योजनाओं का विवरण

एकमुश्त राशि जमा करने पर वार्षिकी के रूप में मासिक पेंशन प्राप्त होती है। अभिदाता को पीएफआरडीए के सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से, एनपीएस निकास नियमों में अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट वार्षिकी क्रय करनी होगी।

वार्षिकी सेवा प्रदाता बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) लाइसेंस प्राप्त और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं, जो भारत में वार्षिकी व्यवसाय का संचालन करती हैं और ये एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध हैं।

वर्तमान में, निम्नलिखित 12 वार्षिकी सेवा प्रदाता एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

क) लाइफ इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया

ख) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

ग) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

घ) आईसीआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमिटेड

ड.) एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

च) स्टार यूनियन दाई–ईची लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

छ) कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

ज) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

झ) एडेलविस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

ञ) बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

त) कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

थ) टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

द) मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, अभिदाता के पास वार्षिकी के प्रकार और वार्षिकी सेवा प्रदाता को चुनने का विकल्प होता है। अभिदाता संबंधित एएसपी द्वारा दी जाने वाली उपलब्ध योजनाओं में से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिकी प्रकार/योजना का चयन कर सकता है।

तालिका संख्या 3.11: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान संसाधित किए गए ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध

क्र.सं	वार्षिकी सेवा प्रदाता/वार्षिकी योजनाएं	मामलों की संख्या	राशि स्थानांतरित (रूपयों करोड़ में)
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	2373	104.77
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	12071	710.99
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी देय	4035	215.63
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को जीवनभर के लिए 100ः वार्षिकी देय	4242	562.14
5	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकी खरीद पर पति/पत्नी को रिटर्न के साथ जीवनभर के लिए 100ः वार्षिकी देय	33	1.30
6	अधिशुल्क/क्रय शुल्क की भाग में वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	148	8.51
7	गंभीर बीमारी का पता चलने पर अधिशुल्क/क्रय शुल्क की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	4715	316.14
	एनपीएस–कुटुंब आय विकल्प	**27617**	**1919.48**

(आंकड़ों का स्रोतः एनएसडीएल सीआरए और केफिनटेक सीआरए)

ii) पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल जिसका उपभोक्ता मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर सकता है

अ. ई–वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम (एएलपी)

सेवानिवृत्त होने वाले एनपीएस अभिदाताओं के बीच वार्षिकी पर जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम। यह कार्यक्रम वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और सीआरए के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम 2 भिन्न राज्यों, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भौतिक रूप से और 4 वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन रूप से आयोजित किए गए।

तालिका संख्या 3.12: वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं	ऑनलाइन और ऑफलाइन	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1	ई एएलपी	केरल	28 जनवरी 2022	265
2	एएलपी	इंदौर	17 दिसंबर 2021	350
3	एएलपी	रायपुर	25 और 26 नवंबर 2021	375
4	ई एएलपी	तमिलनाडु	27 अक्टूबर 2021	245
5	ई एलपी	संपूर्ण भारत	17 सितंबर 2021	290
6	ई एलपी	संपूर्ण भारत	13 अगस्त 2021	260
कुल				**1785**

आ. ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर

पेंशन कैलकुलेटर अस्थायी पेंशन और एकमुश्त राशि को दर्शाता है जो एक एनपीएस अभिदाता को परिपक्वता पर या 60 वर्ष की आयु पर नियमित मासिक अंशदान, वार्षिकी क्रय करने के लिए पुनर्निवेश की गई राशि का प्रतिशत और निवेश पर रिटर्न के संबंध में अनुमानित दर और चयनित वार्षिकी के आधार पर प्राप्त करने की आशा कर सकता है। यह एनपीएस न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पेंशन कैलकुलेटर के लिए लिंक

http://www.npstrust.org.in/content/pension-calculator

https://cra-nsdl.com/CRAOnline/aspQuote.html

https://nps.kfintech.com/npc/

ग. कोविड–19 के दौरान विशेष उपाय

i. ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया

नोडल कार्यालयों/पीओपी को एनपीएस के निकासी अनुरोध को संसाधित करने के लिए डिजिटल माध्यम से निकास दस्तावेजों की स्कैन/स्व–प्रमाणित छवियों को स्वीकार करने के लिए छूट दी गई थी। अभिदाता भौतिक तरीके के बजाय दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं।

ii. कोविड –19 संबंधित चिकित्सा उपचार के लिए स्वीकृत आंशिक निकासी की अनुमति

कोविड से संबंधित बीमारियों को शामिल करने के लिए आंशिक निकासी दिशानिर्देषों में संषोधन किया गया है।

घ. ऑनलाइन निकास/निकासी

i. एकल केवाईसी पर एनपीएस अभिदाताओं के लिए वार्षिकी जारी करने की सुविधा ।

वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) द्वारा वार्षिकी जारी करने के लिए नोडल

अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए केवाईसी और निकासी दस्तावेज पर्याप्त हैं। पीएफआरडीए द्वारा आईआरडीएआई और एएसपी के साथ समन्वय में प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था।

ii. तत्काल ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन

अतिरिक्त ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया के भाग के रूप में, पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन शुरू किया गया ताकि धन की वापसी से बचा जा सके और वास्तविक समय के आधार पर लाभार्थी के विवरण की जांच की जा सके। यह प्रक्रिया निकास को निर्बाध बनाती है और विलंब से बचाती है।

iii. ई–एनपीएस अभिदाता निकास

बैंकों के समन्वय में निर्मित ऑनलाइन ई–एनपीएस निकास कार्यक्षमता। 30 नवंबर, 2020 से कार्यात्मकताएं शुरू की गईं।

iv. निकास प्राधिकरण कोड (ईए कोड)

अभिदाताओं को निकास के समय मोबाइल नंबर सत्यापित करने की सुविधा देता है और संपर्क क्षमता में सुधार करता है। वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिकी प्रसंस्करण में सरलता सुनिश्चित करता है।

तालिका संख्या 3.13: पीएफआरडीए द्वारा वर्ष 2021–22 में जारी कार्यात्मकताओं का समग्र सारांश

कार्य का नाम	वित्त वर्ष 2020–2021 में संसाधित अनुरोधों की संख्या*
स्कैनड दस्तावेज़ों के आधार पर ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया	306
कोविड–19 संबंधी स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए स्वीकृत ऑनलाइन आंशिक निकास मामले; कुल राशि सहितद्ध	6790 (Rs 47.39 Crores)
ऑनलाइन ई–एनपीएस निकास	1,156
आंशिक निकास	55,172
उपस्थिति अस्तित्वों (कोर्पोरेट) से संबद्धित एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया	1,619
कार्य का नाम	वित्त वर्ष 2020–2021 में संसाधित अनुरोधों की संख्या*
उपस्थिति अस्तित्वों (कोर्पोरेट) से संबद्धित एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया	1,940

(आंकड़ों का स्रोतः एनएसडीएल सीआरए और केफिनटेक सीआरए)

नोटः प्रदान किए गए आंकड़े वित्तीय वर्ष २१-२२ के दौरान जारी प्रासंगिक कार्यात्मकताओं के लिए हैं।
बिंदु संख्या १ के लिए सरकारी कागज रहित संसाधित मामलों पर विचार किया गया।
बिंदु संख्या ३ के लिए, अहनलाइन मत्रह्र छ्चै नं। स्व-प्राधिकरण और बैंक पीओपी प्राधिकरण मामले शामिल हैं।
बिंदु संख्या ४ के लिए, अभिदाता द्वारा शुरू किए गए आंशिक निकासी अनुरोध और स्व-अधिकृत अनुरोध पर विचार किया गया है।

iii). **डिजिटल पहल–पीएफआरडीए में कार्य प्रगति पर है और इसे लागू करने की प्रक्रिया में कार्यरत है।**

रिमोट ऑनबोर्डिंग और निकास के लिए वीडियो आधारित अभिदाता पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी)।

पीएफआरडीए ने अपने पंजीकृत मध्यस्थों को एनपीएस से संबंधित ऑनबोर्डिंग, निकास या किसी अन्य सेवा अनुरोध पर वीडियो–आधारित अभिदाता पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) का उपयोग करने की अनुमति दी है। यह दूरस्थ उपस्थिति, सीमित गतिशीलता, संपर्क रहित सेवा, सामाजिक दूरी मानदंड़ आदि की चुनौतियों को दूर करेगा और खाता खोलने, निकास के निष्पादन और अन्य सेवा अनुरोध के नियतकालिक समय को भी अनुकूलित करेगा। यह एनपीएस की पहुंच बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि खाता खोलने की प्रक्रिया गैर–कागज़ी, तात्कालिक, सुविधाजनक और लागत प्रभावी है।

आ. ऑफलाइन आधार आधारित ऑनलाइन निकास।

ऑफलाइन आधार का उपयोग करके निकास की प्रक्रिया में तेजी लाना। इससे निकास की प्रक्रिया का निर्बाध, गैर–कागज़ी और समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

इ. ऑनलाइन आंशिक निकासी

आंषिक निकासी प्रक्रिया में स्व–घोषणा के आधार पर आसानी सुनिश्चित करना और पेनी ड्रॉप के साथ प्रक्रिया को ऑनलाइन करना शामिल है। यह आंशिक निकासी की प्रक्रिया के लिए नियतकालिक समय को कम करता है।

ई. ऑनलाइन स्मार्ट निकास निर्देशिका

यह अभिदाताओं को खरीद मूल्य की वापसी के साथ/बिना वार्षिकी उद्धरण प्राप्त करने में मदद करता है। विभिन्न वार्षिकी सेवाप्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी योजनाओं का चयन करते समय अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले सकते हैं।

उ. उपस्थिति अस्तित्वों से संबद्धित एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया।

इस प्रक्रिया के तहत, अभिदाता केवाईसी के साथ निकासी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ई – साइन/ओटीपी का उपयोग करके अधिकृत कर सकते हैं। निकास की यह गैर–कागज़ी प्रक्रिया दावों के समय पर प्रसंस्करण और वार्शिकी जारी करने में मदद करती है। निकास की प्रक्रिया के लिए, अभिदाता को पीओपी के उनके कोष का न्यूनतम राषि 125 रुपये और अधिकतम रुपये 500 तक 0.0125% का भुगतान करना होगा।

3.4 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए गतिविधियाँ :–

पीएफआरडीए का एक प्रमुख उद्देश्य अभिदाताओं के हितों का संरक्षण है और पीएफआरडीए इसके विकास के लिए विविध गतिविधियों में कार्यरत है।

तालिका संख्या 3.14: अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपाय

सं	पहल	लाभ
1.	ऑनबोर्डिंग के लिए ऑफलाइन आधार केवाईसी	ऑनबोर्डिंग और तत्काल प्रान जारी करने की सरलता ।
2.	एनपीएस अभिदाताओं के लिए ईप्रान कार्ड	अब अभिदाता को खाता खोलने के लिए बहुत कम शुल्क देना होगा और यह संचालित करने में भी सरल है।
3.	अभिदाताओं द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण	अभिदाताओं की गैर–कागज़ी ऑनबोर्डिंग ।
4.	ऑनलाइन आधार ई–केवाईसी	एक सीआरए को ऑनलाइन ई–केवाईसी पेश करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा पीएफआरडीए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।
5.	डी–रेमिट (प्रत्यक्ष प्रेषण)	एनपीएस अभिदाताओं को समान दिवस एनएवी और ऑटो डेबिट की सुविधा । अंशदान प्रसंस्करण में देरी दो दिन से कम हो जाती है।
6.	नच (एनएसीएच) आधारित डेबिट	नच ई–आदेश के माध्यम से स्वचालित डेबिट को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया । वित्त वर्ष 2020–21 में प्रक्रिया को सूत्रपात किया गया और वित्त वर्ष 2021–22 में शुरू की गई ।
7.	ई–साइन के माध्यम से ई–नामिनेशन सुविधा	गैर–कागज़ी प्रक्रिया का ऑनलाइन नॉमिनेशन/नवीनीकरण
8.	एनपीएस/एपीवाई के लिए लोकपाल	लोकपाल की सेवाओं के विषय में एफएक्यू प्रकाशित किए गए और जागरूकता उत्पन्न की गई ।
9.	वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम (एएलपीज़)	सेवानिवृत्त होने वाले एनपीएस अभिदाताओं के लिए जागरूकता उत्पन्न करना । यह कार्यक्रम वार्षिकी सेवा प्रदाता, सरकारी नोडल अधिकारियों और सीआरए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।
10.	वार्षिकी गणक	एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी दरों/सूचना के बेहतर अंतरण के लिए वार्षिकी कैलकुलेटर पुनः शुरू किया गया ।
11.	वार्षिकी सेवाप्रदाताओं के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र	सवंर्द्धित अभिदाता सेवाओं के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र जमा कराया जा रहा है।

सं	पहल	लाभ
12.	एनपीएस कर बचत खाता	केंद्र सरकार क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए कर बचत को सक्षम करता है।
13.	निवेश का विकल्प और पेंशन निधियां	सरकारी क्षेत्र अभिदाता निवेश विकल्प और पेंशन निधियों का चयन कर सकते हैं।
14.	एनपीएस विरासत खातों के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण	उन एनपीएस अभिदाताओं की कठिनाईयों को कम करने के लिए जिन्होंने कोविड–19 महामारी के कारण शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान अपने एनपीएस खाते खोले हैं, लेकिन सीआरए को भौतिक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके।
15.	निकास प्रक्रिया	एनपीएस के निकास अनुरोध को संसाधित करने के लिए नोडल कार्यालयों/उपस्थिति अस्तित्वों को निकास दस्तावेज़ों की स्कैन/स्व–प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने की छूट दी गई थी।
16.	कोविड संबंधी स्वास्थ्य उपचारों के लिए स्वीकृत आंशिक निकासी	कोविड संबंधित उपचारों को शामिल करने के लिए आंशिक निकासी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
17.	समयपूर्व निकासी के मामले में, जहां केवल एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया है प्रान जारी रखना	आंशिक रूप से निकासी करने वाले एनपीएस अभिदाताओं को समान प्रान जारी रखने का विकल्प ।
18.	एकल केवाईसी पर एनपीएस अभिदाताओं के लिए वार्षिकी जारी करने की सुविधा	नोडल अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए केवाईसी और निकासी दस्तावेज़, वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) वार्षिकी जारी करने के लिए पर्याप्त हैं।
19.	तत्काल बैंक खाता सत्यापन	निधियों की वापसी को रोकने के लिए और वास्तविक समय आधार पर लाभार्थी विवरण की जांच के लिए पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन ।
20.	ई–एनपीएस अभिदाता निकास	ऑनलाइन ई–निकास क्रियात्मकता बैंकों के समन्वय में निर्मित है।
21.	निकास प्रमाणीकरण कोड (ईए कोड)	अभिदाता को निकास के समय मोबाइल नंबर के सत्यापन की सुविधा

3.5 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और ऐसी गतिविधियों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र

1. परिचय:

पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार प्रत्येक मध्यस्थ इकाई को शिकायत निवारण नीति का अनुपालन करना होता है, जैसा कि विनियमों के तहत प्रदान किया गया है। विनियम 2(छ) के तहत प्रदत्त शब्द 'शिकायत' को इस प्रकार परिभाषित किया है कि– 'शिकायतें या शिकायत' में वे सभी संचार शामिल होते हैं, जो इस विनियम के प्रावधानों या किसी संस्था या व्यक्ति के आचरण या कोई कार्य करने या ना करने या सेवा में त्रुटि के बारे में हो और उसमें किसी निवारण कार्रवाई की मांग की गई हो किन्तु निम्नलिखित शामिल नहीं है:

i. शिकायतें जो पूरी या स्पष्ट नहीं हों,

ii. सुझाव देने की प्रकृति के पत्र :

iii. पत्र जिनमें मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण मांगा गया हो,

iv. शिकायतें, जो प्राधिकरण की शक्तियों या कार्यों या अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों व विनियमों से परे हों,

v. मध्यवर्तियों के बीच कोई विवाद संबंधी, और

vi. शिकायतें जो न्यायालय में विचाराधीन हों (मामले जो न्यायालय में या अर्ध–न्यायिक संस्था के विचाराधीन हों) सिवाय उन मामलों के जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस प्राधिकरण के ही अधिकार क्षेत्र में आते हो,

2. शिकायतों के प्रबंधन से सम्बंधित प्रक्रिया

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार अभिदाता की शिकायत का निवारण किया जाता है । शिकायत के सरल और समयबद्ध प्रबंधन के लिए, अभिदाता को निम्नलिखित मार्ग का अनुसरण करना होता है :

स्तर 1 : पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम 2015, के प्रावधानों के अनुसार अभिदाता केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस)। अभिदाता की शिकायतों को सम्बंधित मध्यस्थ इकाई/कार्यालय को निवारण के लिए भेजा जाएगा । सम्बंधित इकाई द्वारा प्रदान की गई टिप्पणी की अभिदाता को ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी और इसे ऑनलाइन रूप से देखा जा सकता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए अभिदाता सम्बंधित सीआरए पर क्लिक कर सकता है जिसके तहत उसका प्रान जारी किया गया है । शिकायतों को दर्ज करने और समाधान की स्थिति देखने की प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है :

प्रोटियन ईगवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई–गवर्नेंस के नाम से विख्यात)	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1. शिकायतें/शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस : **क) केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में (सीजीएमएस)** Internet Personal Identification Number इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन (आईपिन) का प्रयोग करते हुए शिकायत दर्ज करना। (https://cra&nsdl-com/CRA/) अभिदाता द्वारा सफल रूप से लॉग इन कर लेने पर जांच/शिकायत का विकल्प चुना जा सकता है। **ख) अभिदाता कॉर्पोरेट वेबसाइट** (https://npscra-nsdl-co-in/Log&your&grievance-php ij Log Your Grievance / Enquiry option पर शिकायत दर्ज कर सकता है। **2. शिकायत/शिकायत दर्ज करने के अन्य तरीके :** **क) Call Centre/Interactive Voice Response System (IVR) :** टोल फ्री नंबर 1800 222 080 पर कॉल करते हुए और स्वयं को Tele query Personal Identification Number (TPIN) द्वारा प्रमाणीकृत करते हुए। **ख) भौतिक प्रपत्र** : निर्दिष्ट प्रपत्र (प्रपत्र G1) में या पत्र द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज करना और निम्नलिखित पते पर भेजना :	**1. शिकायतें/शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस** क) अभिदाता हमारी वेबसाइट https://enps-kfintech-com/login/login/ पर जाकर आईपिन का प्रयोग करते हुए केफिनटेक सीआरए द्वारा प्रदत्त एक वेब आधारित इंटरफेस के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है । इकाई वेब आधारित प्रारूप की आवश्यकतानुसार आवश्यक सूचना प्रदान करानी होगी । सफल पंजीकरण होने पर, स्क्रीन पर एक टोकन संख्या देखने हेतु प्रदर्षित की जाएगी । **ख) अभिदाता सीआरए प्रणाली में लॉग इन किए बिना उचित विवरण** https://enps-kfintech-com/registergrievanceenquiry/registergrievanceenquiry/ पर प्रदान करते हुए षिकायत दर्ज कर सकता है **2. शिकायत/शिकायत दर्ज करने के अन्य तरीके :** क) अभिदाता टोल फ्री नंबर 1800 208 1516 पर कॉल करते हुए हमारे कॉल सेंटर से संपर्क कर सकता है। अभिदाता टी–पिन का उपयोग द्वारा प्रमाणीकृत होते हुए शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत को कॉल सेंटर प्रतिनिधि द्वारा पंजीकृत किया जाएगा और इकाई को सन्दर्भ हेतु एक टोकन संख्या प्रदान की जाएगी । **ख) भौतिक प्रपत्र** : अभिदाता सीआरए में केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में विवरण जमा करते हुए शिकायत दर्ज कर सकता है । अभिदाता को शिकायत प्रपत्र (फॉर्म जी 1) सीआरए में जमा करना होता है । ऐसी शिकायत प्राप्त करने पर सीआरए उपयोक्ता को

Protean eGov Technologies Limited (पूर्व में NSDL e&governance के नाम से विख्यात) **1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai & 400 013** **3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे की जाती है ?** अभिदाता सीआरए की वेबसाइट (https://enps-kfintech-com/login/login/) पर जाकर या कॉलसेंटर के माध्यम से टोकन संख्या वर्णित करते हुए षिकायत की जांच कर सकता है।	इसे डिजिटलाइज करेगा और सीआरए प्रणाली में अनुरोध को दर्ज करते हुए अभिदाता को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचना देगा। इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है : **केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लाट नंबर 31 और 32 वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,** **हैदराबाद– 500032** **3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे की जाती है ?** अभिदाता सीआरए की वेबसाइट (https://enps-kfintech-com/login/login/) पर जाकर या कॉलसेंटर के माध्यम से टोकन संख्या वर्णित करते हुए शिकायत की जांच कर सकता है।

स्तर 2 : यदि शिकायतकर्ता शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या यदि यह शिकायत दर्ज किए जाने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ इकाई द्वारा इसे नहीं सुलझाया गया है तो वह इसे निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास) को भेज सकता है –

1. **वेबसाइट** : www.npstrust.org.in / https://www.npstrust.org.in/content/contact-us
2. **पत्र** : अभिदाता एनपीएस न्यास को निम्नलिखित पते पर लिखित में भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
14वां तल, आईएफसीआई टावर
61, नेहरु प्लेस
नई दिल्ली– 110019
दूरभाष : 91 11 47207700

तालिका संख्या 3.15: सीआरए के विरूद्ध किए गए प्रश्न/शिकायतें

शिकायतें की गई	वित्त वर्ष 2021–22 शिकायतें के लिए शिकायतों की स्थिति			
	मार्च 2021 के अंत तक लंबित	वित्त वर्ष 2021 – 2022 के दौरान प्राप्त	वित्त वर्ष 2021 – 2022 के दौरान बंद/समाप्त	मार्च 2022 के अंत तक लंबित
सीआरए	1,560	1,50,372	1,50,908	831
शिकायतें (आंकड़े का स्रोत: एनएसडीएल सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएमएस सीआरए)				

तालिका संख्या 3.16: सीआरए के विरूद्ध श्रेणीवार प्रश्न/शिकायत (रेफरल) की स्थिति

प्रश्न श्रेणी	मार्च 2021 के अंत तक लंबित मामले	वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान प्राप्त मामले	वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान सुलझाए गए मामले	मार्च 2022 के अंत तक समाधान हेतु लंबित मामले
सामान्य शिकायतें	590	66672	66866	310
प्रश्न कार्ड से संबंधित	378	25528	25690	153
एसओटी से संबंधित	135	12237	12265	94
टियर।। से संबंधित	50	5483	5500	26
अभिदाता विवरण का गलत संसाधन	31	5711	5723	19
आईपिन, टीपिन से संबंधित	38	3535	3541	28
निकास से संबंधित	37	50175	5711	34
ईमेल/एसएमएस अलर्ट प्राप्त नहीं हुए	26	2912	2911	21
निकास प्रक्रिया शुरू नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं हुई/धनराशि प्राप्त नहीं हुई	25	1763	1777	11
आंशिक निकास प्रक्रिया शुरू नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं की हुई/धनराशि प्राप्त नहीं हुई	20	5568	5568	20
अन्य शिकायतें	5	266	262	9
मृत्यु निकास प्रक्रिया शुरू नहीं की गई/ प्राधिकृत नहीं हुई/ धनराशि प्राप्त नहीं हुई	2	285	286	1
संसाधित नहीं की गई/ अभिदाता परिवर्तन अनुरोध में विलंब	13	1526	1532	7
प्रान कार्ड जारी करने में देरी	9	132	134	0
समयपूर्व निकास प्रक्रिया शुरू नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं हुई/धनराशि प्राप्त नहीं हुई	1	900	894	7

प्रश्न श्रेणी	मार्च 2021 के अंत तक लंबित मामले	वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान प्राप्त मामले	वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान सुलझाए गए मामले	मार्च 2022 के अंत तक समाधान हेतु लंबित मामले
खाते में अंशदान राशि प्रदर्शित न होना	200	12140	12248	91
कुल	**1560**	**194833**	**150908**	**831**
(आंकड़ों का स्रोत : सीआरए और केफिनटेक सीआरए)				

तालिका संख्या 3.17: दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए माह के अंत तक दिवसानुसार लंबित शिकायतें *

क्षेत्र	< 7 दिन	8.14 दिन	15.30 दिन	31.60 दिन	> 60 दिन	कुल
केंद्र सरकार	49	0	1	1	3	54
राज्य सरकार	57	3	0	0	3	63
कोर्पोरेट	90	4	3	0	2	99
असंगठित	549	13	10	1	9	582
एनपीएस लाइट	8	0	0	0	0	8
एपीवाई	25	0	0	0	0	25
कुल	**778**	**20**	**14**	**2**	**17**	**831**
(आंकड़ों का स्रोत : एनएसडीएल सीआरए और केफिनटेक सीआरए और सीएएमएस सीआरए)						

स्तर 3 : यदि शिकायतकर्ता शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या स्तर–2 में दिए गए 30 दिनों के भीतर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अभिदाता द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रारूप में विवरण को पीएफआरडीए के लोकपाल को जमा करते हुए, उनसे संपर्क किया जा सकता है।

पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार : विनियमों के तहत लोकपाल के साथ अपील दर्ज की जा सकती है और उसमें निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा–

(क) ऐसे शिकायतकर्ता द्वारा जिनकी शिकायत का एनपीएस न्यास को भेजने के 30 दिन के भीतर भी निवारण नहीं किया गया।

(ख) ऐसे शिकायतकर्ता द्वारा, जहाँ शिकायत किसी अन्य मध्यस्थ इकाई के विरुद्ध न करते हुए सीधा एनपीएस न्यास के विरुद्ध शिकायत की गई है और यह निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि के भीतर भी सुलझाई नहीं गई है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से उत्तर प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर लोकपाल को अपील की जा सकती है।

अपील लिखित में होनी चाहिए और समर्थित दस्तावेजों सहित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रारूप में शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (जो कानूनी पेशेवर न हो) द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

वर्तमान में पीएफआरडीए द्वारा केवल एक लोकपाल नियुक्त किया गया है।

श्री अर्नब रॉय
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली– 110016
छत्रपति शिवाजी भवन,
ईमेल आईडी : ombudsman@pfrda.org.in
दूरभाष. : 011 - 26517507
एक्सटेंशन : 188

स्तर 4: यदि अभिदाता लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो अभिदाता पीएफआरडीए के नामित सदस्य को निम्नलिखित पते पर अपील भेज सकता है।

लोकपाल विभाग,
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

स्तर 5 : प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण

अभिदाता से प्रथम स्तर पर शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है ताकि इसका समयबद्ध रूप से समाधान किया जा सके और शिकायत का मार्ग निकाला जा सके।

3.5.1 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लोकपाल के कार्यालय में प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या।

तालिका संख्या 3.18: वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या।

क्र. सं.	क्षेत्र		
	सीजी/सीएबी	एसजी/एसएबी	यूओएस
वि.व. 2021–22 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	2	3	1
प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	2	12	6
सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	4	16	6
लंबित शिकायतों की संख्या	0	1	1

टिप्पणी : *वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अन्य क्षेत्रों के लिए अर्थात् एनपीएस–लाइट, स्वावलंबन और एपीवाई के लिए, कोई अपील प्राप्त नहीं हुई।

3.5.2 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान लोकपाल कार्यालय को राज्यवार प्राप्त शिकायते

तालिका संख्या 3.19: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लोकपाल कार्यालय को राज्यवार प्राप्त शिकायतें

क्र. सं	राज्य का नाम	राज्यवार प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या
1	कर्नाटक	1
2	महाराष्ट्र	1
3	तेलंगाना	1
4	तमिलनाडु	1
5	उत्तर प्रदेश	2
6	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1

क्र. सं	राज्य का नाम	राज्यवार प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या
7	आंध्रप्रदेश	1
8	पश्चिम बंगाल	1
9	दिल्ली	10
10	हरियाणा	1
11	चंडीगढ़	1
	कुल	**21**

3.5.3 पीएफआरडीए द्वारा उठाए गए कदम

क. लोकपाल को अपील दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का विकास

वर्तमान में, लोकपाल कार्यालय में भौतिक प्रपत्र के माध्यम से अपील प्राप्त की जाती है। लोकपाल के साथ एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपील दर्ज करने के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित अभिदाता जिसकी संबंधित मध्यस्थ इकाई के विरूद्ध शिकायत का समाधान निर्दिष्ट समय के भीतर भी नहीं किया गया है, ऑनलाइन रूप से अपील करने का विकल्प चुन सकता है।

ख. लोकपाल पर अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज़)

पीएफआरडीए द्वारा लोकपाल को अपील दर्ज करने की प्रक्रिया के विषय में अभिदाताओं को जागरूक करने के लिए एफएक्यू जारी किए हैं। यह पीएफआरडीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

31 मार्च 2022 तक के अनुसार सीजीएमएस में प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्न तालिका में प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.20: 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार वर्ष के दौरान सीजीएमएस में लंबित, प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है:

क्र. सं	क्षेत्र	31 मार्च 2021 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2022 तक प्राप्त	31 मार्च 2022 तक सुलझाई गई	31 मार्च 2022 तक लंबित प्रतिशत
1	एनपीएस नियमित #	3148	175175	175512	1.60
2	एनपीएस लाइट	173	2345	2409	4.65
3	एपीवाई	695	57015	56833	1.54
	कुल	**4016**	**234535**	**234754**	**1.62**
टिप्पणी: # एनपीएस नियमित में सीजी/एसजी/एसएबी/सीएबी/कोर्पोरेट और सर्व नागरिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।					

31 मार्च, 2022 तक के अनुसार विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों को प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्न तालिका में प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.20: 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार वर्ष के दौरान सीजीएमएस में लंबित, प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है:

क्र. सं	क्षेत्र	31 मार्च 2021 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2022 तक प्राप्त	31 मार्च 2022 तक सुलझाई गई	31 मार्च 2022 तक लंबित प्रतिशत
1	केंद्र सरकार	488	5052	5200	340
2	राज्य सरकार	492	6,491	6233	750
3	पीओपी	471	29,966	29,716	721
4	कोर्पोरेट	1	55	53	3
5	न्यासी बैंक	200	50	166	84
6	एनपीएस लाइट	637	41,284	41,103	818
7	एपीवाई (एपीवाई-एसपी)	155	714	771	98

क्र. सं	क्षेत्र	31 मार्च 2021 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2022 तक प्राप्त	31 मार्च 2022 तक सुलझाई गई	31 मार्च 2022 तक लंबित प्रतिशत
8	ईएनपीएस	395	21,608	21,849	154
9	सीआरए	1,131	126,918	127,584	465
10	एनपीएस न्यास	46	2,397	2,079	364
	कुल	**4016**	**234535**	**234754**	**3797**

स्रोत : सीआरए

प्राप्त की गई प्रमुख शिकायतें– लेनदेन विवरण, खाते में प्रदर्शित न होने वाली अंशदान राशि, प्रान कार्ड संबंधी, अनुपयुक्त अभिदाता विवरण प्रसंस्करण, अंशदान राशि की अपलोडिंग में विलंब आदि से संबंधित थी। अभिदाताओं द्वारा शिकायतें सीजीएमएस में दर्ज की गई और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित मध्यस्थ इकाई को बढ़ाई गई । अतः यह संबंधित मध्यस्थ इकाई का उत्तरदायित्व है कि सीजीएमएस में शिकायतो, जो उनके विरूद्ध की गई हैं, का समाधान करे और उन्हें निपटाए।

3.6 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के कवरेज को बढाने और एनपीएस के तहत संपत्ति आवंटित करने और पीएफएम चुनने के लिए अभिदाताओं को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकारों को पंजीकृत कर रहा है। सेवानिवृत्ति सलाहकारों का कार्य और उत्तरदायित्व पेंशन क्षेत्र की क्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। पीएफआरडीए ने, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 के अनुसार सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में व्यक्तियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र देना शुरू कर दिया। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन जांच के प्रमाणन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (एनआईएसएम) को मान्यता दी है। मार्च 2021 तक, कुल 743 उम्मीदवार सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा में प्रमाणित थे। वित्त वर्ष 2021–22 में, 19 नए सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए), व्यक्तिगत श्रेणी में, 04 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार नवीनीकृत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी से भिन्न श्रेणी में 04 नए सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) को पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत किया गया। वित्त वर्ष 2020–21 में नामांकित हुए, प्रस्तुत हुए और उत्तीर्ण हुए उमीदवारों का तुलनात्मक तिमाही सार निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 3.22: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन विवरण

एनआईएसएम श्रेणी-XVII: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन			
माह	नामांकित	प्रस्तुत	उत्तीर्ण
अप्रैल–जून 2021	44	29	19
जुलाई–सितंबर 2021	83	68	45
अक्टूबर–दिसंबर 2021	78	72	56
जनवरी–मार्च 2022	94	71	45
कुल	**299**	**240**	**165**

3.7 प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थ इकाईयों के आंकड़े, अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाओं की वचनबद्धता और प्रवर्तन सहित।

जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति बचत और निवेश के आधार पर एक व्यापक आंकड़ों का संग्रह और संकलन, विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा जारी किए गए विभिन्न वित्तीय उत्पाद/योजनाएं जो अंतर्निहित अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पूरा करने के लिए निर्मित हैं, इनसे उत्पन्न प्रतिफल, अभिदाताओं को प्रदान प्रकटीकरण और सुरक्षा आदि पीएफआरडीए के मौजूदा क्रियाकलापों में शामिल हैं। इस दिशा में, पीएफआरडीए में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कवर किए गए लोगों और विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में जानकारी

संकलित कर रहा है। पीएफआरडीए देश में अन्य पेंशन प्रदाताओं से जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया में संलग्न है।

3.8 अभिदाताओं और आम जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों और बिचौलियों के प्रशिक्षण विवरण पर शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम

3.8.1 पेंशन से संबंधित वित्तीय साक्षरताः

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (एफएसडीसी) के सदस्य के रूप में पीएफआरडीए, इसकी उप–समिति, कार्य समूहों और विभिन्न अंतर–नियामक फोरम अर्थात् इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप (आईआर एंड टीजी), फाइनेंषियल इनक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी (टीजीएफआईएफएल) पर टेक्निकल ग्रुप, इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनीटरिंग फाइनेंशियल कांग्लोमेरेट्स (आईआरएफ–एफसी), वर्किंग ग्रुप ऑन रेज़ोल्यूशन रेजाइम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कार्यसमूह वाली इन समितियों/समूहों/मंचों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

पीएफआरडीए ने धन, वित्तीय नियोजन, सेवानिवृत्ति योजना, निवेश मूल्यांकन और वार्षिकी से संबंधित मूलभूत तत्वों और अवधारणाओं पर जागरूकता फैलाने और अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए वेबसाइट *www.pensionsanchay.org.in* निर्मित की है। वेबसाइट धन और वित्तीय नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित विषयों और मौलिक तत्वों और अवधारणाओं के संदर्भ प्रदान करती है और एक ब्लॉग अनुभाग की सुविधा देती है जिसमें पेंशन, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति योजना, धन और वित्त के बुनियादी ढांचे और सेवानिवृत्ति योजना के पहलुओं से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। वेबसाइट में बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, धन और वित्त के मूलभूत तत्व, सेवानिवृत्ति नियोजन, बचत और निवेश, पर एक ब्लॉग अनुभाग भी है। ब्लॉग भाग में 72 लेख हैं, जिनमे से 9 लेख वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पेश किए गए हैं, और यह देशभर के लेखकों द्वारा भेजे गए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पेंशन संचय वेबसाइट पर कुल आगंतुकों की संख्या 3,39,001 थी।

3.8.2 वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय के लिए कार्यक्रम

पीएफआरडीए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई),भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) के साथ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) के साथ धारा 8 (नॉट फॉर प्रॉफिट) को बढ़ावा दे रहा है। पीएफआरडीए ने 100 करोड़ की शेयर पूंजी से 10 करोड़ का योगदान दिया है, जबकि आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई प्रत्येक ने रु.30 करोड़ का योगदान दिया है। एनसीएफई का लक्ष्य, उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मशीनरी के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराते हुए लोगों को पैसे का प्रबंधन और अधिक प्रभावी ढंग से वित्तीय कल्याण प्राप्त करने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान शुरू करना है ।

एनसीएफई का उद्देश्य भारत में सभी वर्गों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार वित्तीय शिक्षा का प्रचार करना और जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए से वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलनों, प्रशिक्षण, कार्यक्रम , अभियान, चर्चा मंचों के माध्यम से वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त बनाना है या संस्थानों, संगठनों की सहायता से और वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक या गैर–इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, वर्कबुक, में वित्तीय शिक्षा सामग्री बनाने के लिए जनसंख्या कार्यपत्रकों, साहित्य, पैम्फलेट, पुस्तिका, फ्लायर, तकनीकी सहायता और वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल मोड पर लक्ष्य आधारित दर्शकों के लिए उपयुक्त वित्तीय साहित्य तैयार करना है ताकि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता में सुधार हो सके।

एपीवाई को एनसीएफई मॉड्यूल में शामिल किया गया है, जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने वाली सरकारी योजनाओं में से एक है। इसके अलावा, एनपीएस को भी सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं के समाधान के रूप में एनसीएफई मॉड्यूल में भी शामिल किया गया है।

भारत सरकार के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफईः 2020.25) भारतीयों को वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए एक बहु–हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करती है। एनएसएफई 2020–25 की कार्य योजना के तहत नीतिगत लक्ष्य के अनुसार, कक्षा VI से XII के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा की सामग्री को सभी क्षेत्र नियामकों के समन्वय से तैयार किया गया है।

इसके अलावा, पीएफआरडीए द्वारा एनएसएफई और अन्य विनियामकों के समन्वय एवं समायोजन से सफलतापूर्वक वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू 2022) 14 फरवरी से 18 फरवरी, 2022 तक आयोजित किया गया है। 16 फरवरी 2022 को "Transforming India's Pension System Through Digitisation-Scope and Way Forward" राष्ट्रिय स्तर का वेबिनार आयोजित किया गया, जो कि पीएफआरडीए के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पीएफआरडीए ने ग्लोबल मनी वीक (जीएमडब्ल्यू) के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया, जो एक वार्शिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा जागरूकता अभियान है, जिसे बच्चों और युवाओं को पैसे के मामलों, आजीविका और उद्यमिता के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने के लिए हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के लिए परिकल्पित किया गया है। सेबी भारत में जीएमडब्लयू अभियान के राश्ट्रीय समन्वयक के रूप में था और जीएमडब्लयू का आयोजन 21 मार्च 2022 से 27 मार्च, 2022 के दौरान किया गया था। पीएफआरडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 24 मार्च, 2022 को जीएमडब्लयू में अतिथि वक्ता के रूप में "सेवानिवृत्ति के लिए स्मार्ट तरीके से योजना बनाने" पर एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार को भी संबोधित किया।

3.8.3 मीडिया और संचार पर पीएफआरडीए के प्रयास और एनपीएस/ एपीवाई जागरूकता

'भारत को एक पेंशनयुक्त समाज' बनाने के दृष्टिकोण के साथ पीएफआरडीए ने पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना पर जागरूकता निर्माण करने के निरंतर प्रयास को जारी

रखा है। इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण द्वारा विभिन्न चैनल या संचार के माध्यम अर्थात् सोशल मीडिया, डिजिटल मार्ग, इलैक्ट्रानिक मीडिया (श्रव्य और दृश्य) और प्रिंट मीडिया को वित्तीय एवं पेंशन साक्षरता पर शिक्षित करने और इसे बढ़ाने के लिए और एनपीएस/एपीवाई के गुण और लाभ, विशेष रूप से एनपीएस के लिए 18–65 वर्ष के आयु समूह और एपीवाई के लिए 18–40 के आयु समूह वाले नागरिकों को स्पष्ट करने के लिए अपनाया गया। सभी मीडिया क्रियाकलाप विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और प्रसार भारती (एआईआर और दूरदर्शन) द्वारा व्यवस्थाएं करते हुए किए जाएंगे । एनपीएस के विषय में वेबीनार/सेमीनार/ऑनलाइन कार्यशालाओं/ई–सम्मेलन आदि द्वारा सूचना प्रदान करने और जागरूक करने के लिए डिजिटल मंचों को तैयार किया गया था।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, एनपीएस प्रिंट अभियान यह सूचित करने के लिए चलाए गए थे कि एनपीएस क्या है, इसमें कौन शामिल हो सकता है, नियोक्ता को इससे प्राप्त होने वाले लाभ, कर प्रोत्साहन और प्रिंट विज्ञापन डिजाइन क्यूआर कोड के साथ अंकित किए गए थे, जिससे उपयोगकर्ता एनपीएस के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एनपीएस न्यास के वेबपेजों पर जा सकते हैं। देश भर में कवरेज के साथ हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाशाओं के 155 समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन किए गए। पूरे भारत को शामिल करते हुए 342 रेडियो स्टेशनों के माध्यम से आम जनता को सूचित करने के लिए एनपीएस रेडियो अभियान शुरू किए गए थे। वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में डीडी न्यूज और दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से एनपीएस के कर लाभों पर बल देते हुए एनपीएस के लिए टीवी स्क्रॉल अभियान चलाए गए। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेड मैसेज पोस्ट करके नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे साल डिजिटल/सोशल मीडिया अभियान भी चलाए गए, जिसमें एनपीएस की सदस्यता लेने के लाभ शामिल थे।

1 अक्टूबर 2021 को इन गतिविधियों – 'एनपीएस दिवस' पर प्रेस मीट आयोजित की गई जो कि विभिन्न मीडिया माध्यमों पर इसके प्रचार के साथ– 'पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस दिवस की घोषणा' के लिए प्रेस विज्ञप्ति, रेडियो जॉकी द्वारा घोषणा (विज्ञापन लाइव) –, समाचार प्रसारण के दौरान 15 बार बग फ्लैष (10 सेकंड) , टीवी स्पॉट (30 सेकंड) – 5 बार, पीआर एजेंसी के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान, ट्विटर ट्रेंड, अध्यक्ष टीवी साक्षात्कार 15 मिनट के लिए (डीडी के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी), अध्यक्ष रेडियो साक्षात्कार 15 मिनट (एआईआर के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी), एनपीएस दिवस द्वारा प्रायोजित 01 मिनट

का वीडियो (04 प्रकार 24 बार चलाया गया) जी न्यूज, समाचार पत्र विज्ञापन (एनपीएस दिवस), पीओपी के सहयोग से सशुल्क एनपीएस दिवस विज्ञापन– के साथ एनपीएस दिवस मनाया गया।

एपीवाई के 3 अद्वितीय लाभों का संदेश देने के लिए **एपीवाई प्रिंट अभियान** चलाया गया था और विज्ञापन न केवल उत्पाद पेशकशों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाए गए थे बल्कि संभावित अभिदाताओं को यह सूचित करके योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि 3 करोड़ से अधिक अभिदाता पहले ही शामिल हो चुके हैं। एपीवाई योजना के प्रिंट विज्ञापन डिजाइन देश भर के 210 समाचार पत्रों में जारी किए गए थे।

नागरिकों और अभिदाताओं को उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए हानिकारक धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में जागरूक और सतर्क रखने के लिए, पीएफआरडीए/एनपीएस के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी की रोकथाम के लिए सूचना का प्रसार करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपने सोशल मीडिल हैंडल पर टेक्स्ट और ग्राफिकल संदेश पोस्ट किए गए, 288 समाचार

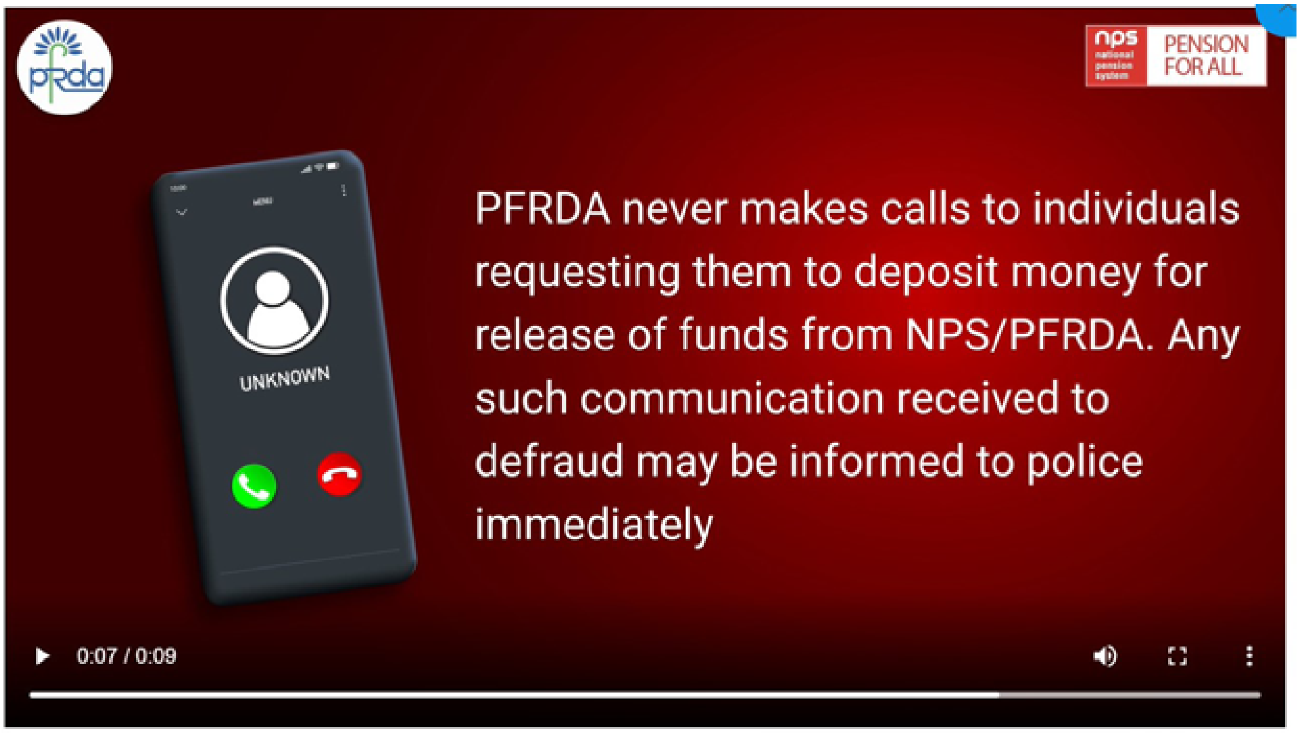

पत्रों को कवर करने वाले प्रिंट मीडिया में आवधिक अंतराल पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए, पीएफआरडीए वेबसाइट में शामिल स्क्रॉलिंग संदेश और पेंशन संचय वेबसाइट में वीडियो संदेश शामिल किए गए ।

3.8.4 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम

पारंपरिक मीडिया की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और आम तौर पर इसे जनता के लिए एकतरफा संचार के रूप में अंकित करते हुए, सोशल मीडिया मंच लक्षित दर्शकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के साथ लक्षित दर्शकों के लिए संचार और संदेश के वितरण का एक बहु–आयामी चैनल प्रदान करता है। सोशल मीडिया जनता के साथ संपर्क और जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पीएफआरडीए अभिदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखने और जुड़े रहने की दिशा में एनपीएस और एपीवाई के लिए फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पर अपने खाते को सक्रिय रूप से बनाए हुए है ।

पीएफआरडीए के सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स हैं: एपीवाई फेसबुक पेज–72159, एनपीएस फेसबुक–40008, ट्विटर–8347 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 677 फेसबुक पोस्ट, 785 ट्वीट और लिंक्डइन पर 363 पोस्ट किए गए, जो महत्वपूर्ण सूचना और अद्यतन नीतिगत परिवर्तनों को प्रसारित करने और लक्षित वर्ग/दर्शकों को शामिल करने के उद्देश्य से साझा किए गए थे।

3.8.5 जनसंपर्क और संचार

प्राधिकरण जागरूकता बढ़ाने और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अभिदाता हितों की रक्षा के लिए अपनी नीतियों, गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियां/संचार करता है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पीएफआरडीए ने 02 प्रेस बैठकें, 54 मीडिया साक्षात्कार/बातचीत का आयोजन किया और 27 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई, जिसमें प्रिंट, श्रव्य, ऑनलाइन और दृश्य मीडिया चैनलों पर प्रकाशन के लिए नीतिगत परिवर्तनों और विकासों को संप्रेषित किया गया और 438 समाचार पत्रों और 561 ऑनलाइन समाचार मंचों में कवरेज किया गया। सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन और वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं को प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में 07 विशेष लेखों के माध्यम से प्रसारित किया गया था।

3.8.6 प्रशिक्षण

पीएफआरडीए ने पिछले 05 वित्तीय वर्षों में 2.26 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से एनपीएस/एपीवाई पर जानकारी प्रसारित की थी। इन प्रशिक्षण सत्रों के प्रतिभागियों को एनपीएस/एपीवाई की मुख्य विशेषताओं, योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया, निधि प्रबंधक के चयन के लिए उपलब्ध विकल्प, परिसंपत्ति आवंटन, वार्षिकी योजना, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान में, पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न हितधारकों जैसे–सरकारी क्षेत्र नोडल कार्यालय, कोर्पोरेट, उपस्थिति अस्तित्वों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 04 प्रशिक्षण अभिकरण सूचीबद्ध किए गए हैं । हीरो माइंडमाइन लिमिटेड नामक नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने 01/10/2021 से 31/03/2022 तक अपने कार्यकाल के दौरान देशभर में कुल 40520 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे।

तालिका संख्या 3.23: एनपीएस के तहत प्रशिक्षण सत्रों और प्रतिभागियों की संख्या पर क्षेत्रवार वितरण

	क्षेत्र	प्रशिक्षण सत्र	प्रतिभागी संख्या		क्षेत्र	प्रशिक्षण सत्र	प्रतिभागी संख्या
एनपीएस	केंद्र सरकार	9	972	एपीवाई	व्यवसायिक संवाददाता	55	5099
	राज्य सरकार	153	15938		डाक विभाग	9	972
	कोर्पोरेट	18	1616		सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	72	7675
	उपस्थिति अस्तित्व	41	4006		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	55	4242
	कुल	22	22532		**कुल**	191	17988

वर्तमान में, विभिन्न हितधारकों अर्थात् सरकारी क्षेत्र नोडल कार्यालय, कॉर्पोरेट, उपस्थिति अस्तित्व और एपीवाई सेवा प्रदाता की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा 04 प्रशिक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है।

3.8.7 एनपीएस और एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क

देश भर से एनपीएस और एपीवाई पर विश्वसनीय जानकारी जुटाने और प्राप्त करने के लिए मौजूदा और संभावित अभिदाताओं के लिए एक ह्यूमन इंटरैक्टिव सिस्टम की सुविधा के लिए, पीएफआरडीए एक समर्पित एनपीएस/एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क संचालित कर रहा है, जिसमें देशभर से एनपीएस/एपीवाई पर प्रश्नों का पेशेवर और व्यवस्थित तरीके से जवाब दिया जाता है। अभिदाताओं की आवश्यकता के अनुसार भी कॉल सेंटर का उपयोग आउटबाउंड कॉल करने के लिए किया जाता है (अर्थात् एपीवाई योगदान की निरंतरता, पीएफआरडीए द्वारा आयोजित सत्रों के लिए आमंत्रण आदि) और एनपीएस संरचना के तहत सेवाएं प्रदान करन और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है (अर्थात् योजना सुविधाओं का आंकलन करना, प्रशिक्षण सत्र की गुणवत्ता आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना)। वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीएस सूचना हेल्पडेस्क को कॉलसेंटर के माध्यम से कुल 1.26 लाख इनबाउंड कॉल प्राप्त हुए थे और 6.34 लाख आउटबाउंड कॉल किए गए थे।

वर्तमान में, सूचना हेल्पडेस्क के दो टोल फ्री नंबर चालू हैं अर्थात् एनपीएस के लिए **1800110708** और एपीवाई के लिए **1800110069** चालू हैं और हेल्पडेस्क से कॉल बैक सेवाओं के लिए 56677 पर 'एसएमएस एनपीएस' के माध्यम से एक एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध है। एनपीएस/एपीवाई सूचना डेस्क राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सप्ताह में 7 दिन (रविवार सहित) दिन में 8 घंटे (सुबह 9.30 – शाम 5.30 बजे) चालू है।

3.9 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित सम्मेलन, बैठकें और अन्य पहल

3.9.1 केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्र के तहत सम्मेलन

सरकारी क्षेत्र में एनपीएस दक्षता लाने के लिए पीएफआरडीए विभिन्न मंचों पर सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ संलग्न है। उसी के अनुसरण में, पीएफआरडीए केंद्र/ राज्य/सीएबीज़/एसएबीज़ में सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें / वीडियो सम्मेलन / सम्मेलन / कार्यशालाएं आयोजित करता है।

कोविड – 19 के कारण हुए लॉकडाउन के आलोक में, एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। पीएफआरडीए ने केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) और राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के राज्य स्वायत्त निकायों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो सम्मेलन आयोजित किए। इसके अलावा, नोडल कार्यालयों को सरकारी अभिदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्प पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए थे।

सरकारी क्षेत्र, जिसमें एनपीएस अभिदाताओं की एक बड़ी संख्या मौजूद है, में एनपीएस को बेहतर रूप से लागू करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए विभिन्न मुद्दों/मामलों पर सरकारी नोडल कार्यालयों

को सक्रिय किया गया है। इस संदर्भ में, पीएफआरडीए विभिन्न तरीकों को अपनाता है और साथ ही केन्द्र/राज्य सरकार क्षेत्र के नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकों/वीडियों कांफ्रेंस का आयोजन करता है।

पीएफआरडीए द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्र सरकार/विभागों और राज्य सरकारों और केन्द्र और राज्य स्वायत्त निकायों के लिए आयोजित बैठकें

तालिका संख्या 3.24: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान समीक्षा बैठक/सम्मेलनो की सूची

क्षेत्र	समीक्षा बैठक
सीजी	52
सीएबीज़	56
उप–कुल (सीजी+ सीएबी)	108
एसजी	62
एसएबी	32
उप कुल (एसजी+ एसएबी)	94
कुल	**202**

क. सीजी और सीएबीजः–

i) **सीजीः**

लेंखांकन गठन	मंत्रालय/कार्यालय का नाम
नागरिक	पीआरएओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (2)
	पीआरएओ, सीबीडीटी, डिपॉर्टमेंट ऑफ रेवन्यू, वित्त मंत्रालय (2)
	पीआरएओ, सीबीईसीए डिपॉर्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (2)
	पीआरएओ, डिपॉर्टमेंट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकांउट्स (2)
	पीआरएओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी (2)
	पीआरएओ, डिपॉर्टमेंट ऑफ स्पेस (2)
	पीआरएओ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन (1)
	पीआरएओ, मिनिस्ट्री ऑफ पसर्नल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन (2)
रक्षा	पीसीडीए (नेवी), मुंबई (1)
	सीडीए (बॉर्डर रोडस), दिल्ली कैनटोनमेंट (2)
	पीसीडीए (साउथर्न कंमाड), पुणे (2)
	पीसीडीए (वेस्टर्न कंमाड), चड़ीगढ़ (2)
	एसीएएस (अकाउंट्स एंड एवी), नई दिल्ली (2)
एनसीटी	पीआरएओ मिनिस्ट्री ऑफ एनसीटी दिल्ली (0)
पोस्टल	महाप्रबंधन वित्त, पोस्टल अकाउंटस, दिल्ली (2)
रेलवे	एफए और सीएओए नॉर्थन रेलवे, नई दिल्ली (0)
	एफए और सीएओए सेंट्रल रेलवे,ए मुंबई (2)
	एफए और सीएओए ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता (2)
	एफए और सीएओए ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर (2)
	एफए और सीएओए साउथर्न वेस्टर्न रेलवे, हुबली (1)
	एफए और सीएओए साउथर्न रेलवे, चेन्नई (2)
	एफए और सीएओ,ए वेस्टर्न रेलवे, मुंबई (1)
	एफए और सीएओ,ए साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद (2)
	एफए और सीएओ,ए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद (1)
	एफए और सीएओ,एसाउथ ईस्टन रेलवे, कलकत्ता (2)
	एफए और सीएओ,ए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, मालेगांव (1)
	एफए और सीएओ,ए वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जबलपुर (1)
	एफए और सीएओ,ए नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जयपुर (1)
	एफए और सीएओ,ए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर (2)
	एफए और सीएओ,ए नार्थ ईस्टर्न रेलवे, गोरखपुर (2)
	एफए और सीएओ, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर (1)

ii) सीएबी:

सीएबी	पीआरएओ, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओ, कर्मचारी राज्य बीमा कोर्पोरेशन (मुख्यालय),नई दिल्ली (2)
	पीआरएओ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली (0)
	पीआरएओ, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली (2)
	पीआरएओए पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली (1)
	पीआरएओए ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडसट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओ, दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओए नवोदय विद्यालय समितिए नोएडा (2)
	पीआरएओए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (2)
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्याालय, अलीगढ़ (2)
	पीआरएओ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (2)
	पीआरएओ, प्रसार भारती, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओ, नई दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली (0)
	पीआरएओ, जवाहरलाल इंस्टीटयूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुच्चेरी (2)
	पीआरएओए टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई (1)
	पीआरएओ, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली (1)
	पीआरएओ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च,, नई दिल्ली (2)
	पीआरएओ, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, चंडीगढ़ (2)
	पीआरएओ, डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस एस्टेटस साउथर्न कमांड, पुणे (2)
	पीआरएओ, डॉयरेक्टरेट ऑफ डिफेंस एस्टेटस सेंट्रल कमांड, लखनऊ (2)
	इंडियन इंस्ट्टीयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (2)
	पीआरएओ, ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइस, रायपुर (2)
	पीआरएओ, ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइस, ऋषिकेश (2)
	पीआरएओ, ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइस, भोपाल (2)
	पीआरएओ, ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइस, जोधपुर (2)
	पीआरएओ, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फॉल (2)
	पीआरएओ, इंडियन इंस्ट्टीयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर (2)
	पीआरएओ, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम (2)
	पीआरएओ, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, बैंग्लोर (2)

ख. एसजी और एसएबीज़

i. एसज

पूर्व	उत्तर पूर्व	उत्तर	दक्षिण	केंद्र	पश्चिम
• बिहार (2) • झारखंड (2) • उड़ीसा (2)	• असम (2) • अरूणाचल प्रदेश (2) • मणिपुर (2) • मेघालय (2) • मिजोरम (2) • नागालैंड (2) • त्रिपुरा (2) • सिक्किम (2)	• हिमाचल प्रदेश (2) • जम्मू और कश्मीर (2) • चड़ीगढ़ (2) • हरियाणा (2) • उत्तराखंड (2) • पंजाब (2) • लद्दाख (2	• आंध्रप्रदेश (2) • कर्नाटक (2) • केरल (2) • पुदुचेरी (2) • तेलंगाना (2)	• छत्तीसगढ़ (2) • मध्यप्रदेश (2) • उत्तर प्रदेश (2) प्रदेश	• गोवा (2) • गुजरात (2) • महाराष्ट्र (2) • राजस्थान(2)

() संबंधित कार्यालय के साथ समीक्षा बैठक को दर्शाता है

ii) एसएबीज़

एसजी	संबंधित राज्य सरकारों के एसएबीज, जिनके साथ बैठकें आयोजित की गई
बिहार	बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (2)
छत्तीसगढ़	लोक निर्देश निदेशालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ (2)
	शहरी प्रशासन और विकास, रायपुर (2)
	पंचायत निदेशालय, रायपुर (2)
गुजरात	सूरत नगर निगम, सूरत (1)
	अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद (2)
आंध्र प्रदेश	ए पी मॉडल (1)
कर्नाटक	नागरिक प्रशासन निदेशालय (2)
हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार (1)

एसजी	संबंधित राज्य सरकारों के एसएबीज, जिनके साथ बैठकें आयोजित की गई
मध्य प्रदेश	लोक निर्देश निदेशालय, मध्यप्रदेश (0)
	नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, भोपाल (1)
पंजाब	पंजाब स्टेट पॉवर कोर्पोरेशन लिमिटेड, पटियाला (2)
राजस्थान	स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर (2)
केरल	केरल स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तिरूवंनतपुरूम (2)
	केरल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड, तिरूवंनतपुरूम (2)
उत्तर प्रदेश	वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद (2)
	शिक्षा निदेशालय माध्यमिक, इलाहाबाद (2)
	उच्च शिक्षा निदेशालय, लखनऊ (2)

3.9.2 सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

3.9.2.1 एनपीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सीजी मंत्रालयों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों को सुझाए गए उपाय

क) केंद्र सरकार के क्षेत्र के नोडल कार्यालयों को समीक्षा बैठकों/बातचीत के दौरान सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई, ताकि एनपीएस के तहत गतिविधियों को समय से पूरा किया जा सके।

ख) सीजी और एसजी क्षेत्र के नोडल कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे एससीएफ को अपलोड करने और एनपीएस योगदान के प्रेषण के संबंध में विभिन्न एनपीएस संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीओई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा का पालन करें।

ग) सीजी और एसजी के तहत नोडल कार्यालयों को उनके अंतर्निहित नोडल कार्यालयों के लिए नियमित बैठकें सह कार्यशाला आयोजित करने की सलाह दी गई ताकि उन्हें चिंता के प्रमुख क्षेत्रों और परिचालन मामलों पर संवेदनशील बनाया जा सके।

घ) सीजी और एसजी क्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण कार्यालयों, अर्थात पीआरएओ/डीटीए को सलाह दी गई थी कि वे अपने अंतर्निहित पीएओ/डीटीओ के प्रदर्शन की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि एनपीएस से संबंधित गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाती हैं।

ड.) राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य में एनपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ नीतिगत स्तर के उपाय करने पर विचार करें जैसे:

- समयसीमा निर्दिष्ट करते हुए एनपीएस नियमों का निर्धारण,
- एनपीएस निरीक्षण और समीक्षा समिति का गठन,
- एनपीएस से संबंधित विभिन्न मामलों के सुचारू संचालन के लिए समर्पित एनपीएस प्रकोष्ठ की स्थापना,
- डीएफएस, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 31.01.2019 की राजपत्र अधिसूचना के अनुरूप एनपीएस के तहत विभिन्न प्रावधानों को सक्षम करने पर विचार करें। नियोक्ता के योगदान में वृद्धि, कर्मचारी–ग्राहकों के लिए निवेश पैटर्न और पेंशन निधि (पीएफ) के विकल्प को सक्षम करना, एनपीएस योगदान जमा न करने या देरी से जमा करने के मामले में मुआवजे का प्रावधान,
- नियमित/आंतरिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में एनपीएस से संबंधित गतिविधियों को शामिल करना और
- एनपीएस गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) और सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन (एसटीएस) प्रक्रिया को अपनाना।

3.9.2.2 एनपीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जारी परामर्श और परिपत्र

क) एनपीएस संरचना के तहत सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर सलाह – सीआरए प्रणाली के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के उपयोग, गैर–साझीकरण और सुरक्षित रखने के संबंध में सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने के लिए नोडल कार्यालयों को सलाह देना।

ख) 30.09.2021 तक कोविड–19 महामारी के कारण गैर–IRA PRAN को निष्क्रिय करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर सलाह – नोडल कार्यालयों को ऐसे सभी कर्मचारियों से फिजिकल कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (CSRF) के संग्रह की सलाह देना।

3.9.2.3 प्रौद्योगिकी का दक्षता के लिए लाभ उठाना–सर्वर से सर्वर एकीकरण और ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल)

क) एनपीएस के तहत अभिदाताओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए ने विभिन्न अभिकरणों द्वारा नोडल कार्यालयों को सक्रिय करते हुए ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल) अपनाने की सलाह दी ताकि प्रान जारी करने और एनपीएस अंशदान के प्रेषण में देरी को खत्म किया जा सके।

i. **ओपीजीएम**–एनपीएस के तहत अभिदाताओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सीजी/एसजी सेक्टर के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों को ओपीजीएम

(ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल) अपनाने की सलाह दी गई थी ताकि प्रान जारी करने में देरी को खत्म किया जा सके और साथ ही सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अस्वीकार किया जा सके।

ii. **एसटीएस**–सीआरए प्रणाली के साथ नोडल कार्यालयों के वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज के एसटीएस (सर्वर से सर्वर) के एकीकरण को अपनाना।

ख) सीजी/एसजी नोडल कार्यालयों द्वारा एसटीएस को अपनाने की संचयी स्थिति को निम्नानुसार रखा गया है :–

i. दिनांक 31.03.2022 तक के अनुसार, कुल 13 राज्य सरकारों द्वारा एसटीएस को अपनाया गया है और एसजी की सूची निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.25: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान समीक्षा बैठक/सम्मेलनो की सूची

विवरण	राज्य सरकार
31 मार्च 2022 तक एसटीएस अपनाने वाली राज्य सरकारें	असम
	बिहार
	छत्तीसगढ़
	झारखण्ड
	हरियाणा
	कर्नाटक
	महाराष्ट्र
	उड़ीसा
	पंजाब
	राजस्थान
	त्रिपुरा
	उत्तर प्रदेश
	उत्तराखण्ड

i. 31.03.2022 पर कुल 51 एसएबीज द्वारा एसटीएस को अपनाया गया है और एसएबीज़ की सूची नीचे प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.26: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान समीक्षा बैठक/सम्मेलनो की सूची

एसजी	एसएबी नोडल कार्यालयों की संख्या जिन्होंने एसटीएस को अपनाया है
महाराष्ट्र	50
उत्तराखंड	1
कुल	**51**

i. 31.03.2022 के अनुसार कुल 31 एसजी/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा ओपीजीएम को अपनाया गया है, और राज्य सरकारों की सूची निम्नानुसार प्रदान की गई है :

तालिका संख्या 3.27: राज्य सरकारों द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति

विवरण	राज्य सरकार		
31.03.2022 तक के अनुसार ओपीजीएम अपनाने वाली राज्य सरकारें	अरूणाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	तमिलनाडु (केवल एआईएस)
	असम	महाराष्ट्र	त्रिपुरा
	बिहार	मणिपुर	उत्तर प्रदेश
	केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़	मेघालय	पश्चिम बंगाल (केवल एआईएस)
	गोवा	मिज़ोरम	छत्तीसगढ़
	गुजरात	नागालैंड	उत्तराखण्ड
	हरियाणा	उड़ीसा	झारखण्ड
	हिमाचल प्रदेश	पुदुच्चेरी	तेलंगाना
	जम्मू और कश्मीर	पंजाब	लद्दाख
	कर्नाटक	राजस्थान	
	केरल	सिक्किम	

तालिका संख्या 3.28: एसएबीज द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति

सीजी का नाम	ओपीजीएम को अपनाने वाले एसएबीज/नोडल कार्यालय
आंध्र प्रदेश	10
असम	13
बिहार	3
चंडीगढ़	0
छत्तीसगढ़	17
गोवा	2
गुजरात	4
हरियाणा	78
हिमाचल प्रदेश	205
जम्मू और कश्मीर	25
झारखण्ड	1
कर्नाटक	77
केरल	11
मध्यप्रदेश	13
सीजी का नाम	ओपीजीएम को अपनाने वाले एसएबीज/नोडल कार्यालय
महाराष्ट्र	90
मणिपुर	3
मेघालय	3
मिज़ोरम	2
उड़ीसा	10
पुडुचेरी	0
पंजाब	89
राजस्थान	74
तेलंगाना	10
उत्तर प्रदेश	72
उत्तराखण्ड	23
कुल	835

केंद्र सरकार नोडल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति निम्नानुसार प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.29: केंद्र सरकार नोडल कार्यालयों द्वारा एसटीएस/ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति

लेखांकन गठन	ओपीजीएम अपनाने वाले नोडल कार्यालय
नागरिक	237
रक्षा	7
डाक	24
रेलवे	68
सीएबीज	180
कुल	537

3.9.2.4 गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 86 उपस्थिति अस्तित्वों (31 मार्च, 2021) द्वारा एनपीएस निजी क्षेत्र में नामांकन किया गया था, जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 19 निजी बैंक, 55 गैर–बैंकिंग संस्थाएं– स्टॉक ब्रोकिंग फर्म/एएमसी/फिनटेक शामिल थे। कंपनियां/पेंशन निधि, जो मुख्य रूप से अभिदाता पंजीकरण, केवाईसी सत्यापन और अभिदाताओं से प्राप्त वित्तीय और गैर–वित्तीय अनुरोधों की सर्विसिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, बड़े पैमाने पर जनता के लिए एनपीएस वितरण को बढ़ाने के लिए 05 पीओपी को सक्रिय/परिचालित किया गया था। व्यापार योजनाआ/रणनीतियों को समझने और उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के अनुरूप उनके प्रदर्शन की निगरानी के लिए रणनीति समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गईं। पीओपी के कर्मचारियों के प्रयासों को प्रेरित करने और पहचानने के लिए, पुरस्कार/मान्यता कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके लिए समय–समय पर निगरानी की जाती थी और योग्य पीओपी को स्मृति चिन्ह/ पुरस्कार / प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता था।

मौजूदा कोविड–19 महामारी की गंभीरता के बावजूद, एनपीएस में नामांकन पीओपी के माध्यम से अप्रभावित

रहा और वित्त वर्ष 2021–22 में नए एनपीएस निजी क्षेत्र (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के तहत नई अभिदाता नामांकन संख्या 9,76,285 तक पहुंच गई, जिसमें पिछले वर्ष के 5,92,999 नामांकनों की तुलना में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कॉरपोरेट क्षेत्र में कुल 1,806 कॉरपोरेट्स/संस्थाओं ने 1,02,275 नए कर्मचारियों के नामांकन सहित एनपीएस को अपनाया है। 31 मार्च 2022 तक एनपीएस को अपनाने वाले कॉरपोरेट्स की कुल संख्या 10,370 तक पहुंच गई है। एनपीएस में ऑन–बोर्ड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) पर विशेष बल दिया गया था और वित्त वर्ष 2021–22 में, 09 सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है। एनपीएस के तहत सीपीएसई की संख्या 60 हो गई है।

तालिका संख्या 3.30: लंबित प्रान

क्षेत्र	लंबित प्रान (लाख में)'				वर्ष दर वर्ष वृद्धि	
	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22	संख्या	%
सर्व नागरिक	9.30	12.52	16.47	22.92	6.45	39
कोर्पोरेट	8.03	9.74	11.25	14.05	2.80	25
कुल	**17.33**	**22.26**	**27.72**	**36.97**	**9.25**	**34**

*यह वह शेष आंकड़े हैं, जो सरकारी से कोर्पोरेट में स्थानांतरित होने या इसके विपरीत आदि कारणों से लंबित प्रान की संख्या दर्शाता है।

चार्ट 3.1 : लंबित प्रान

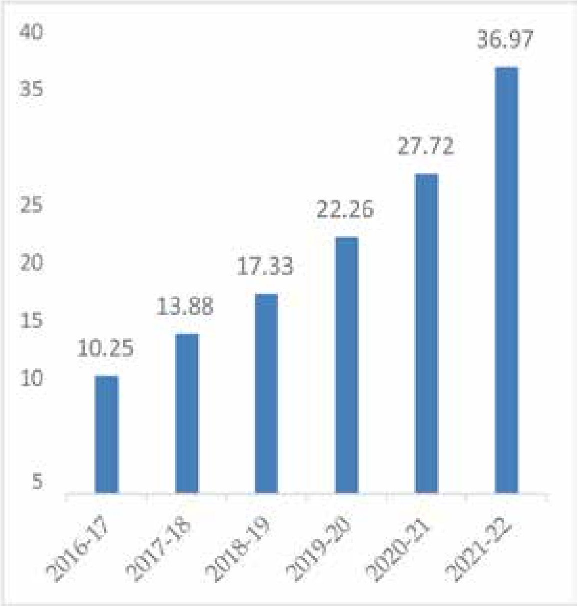

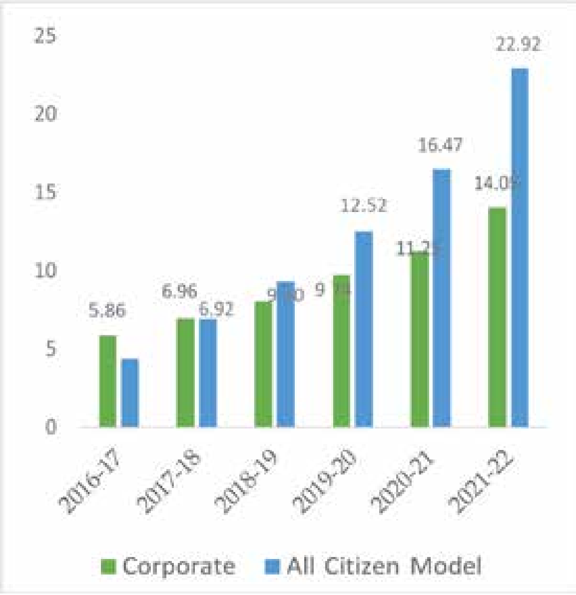

तालिका संख्या 3.31: गैर–सरकारी क्षेत्र में वृद्धि

क्षेत्र	वृद्धि				वर्ष दर वर्ष वृद्धि	
	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22	संख्या	%
सर्व नागरिक	2,86,907	3,94,108	4,78,196	8,72,265	3,94,069	82
कोर्पोरेट	90,773	1,46,326	1,14,803	1,04,020	-	-
कुल	**3,77,680**	**5,40,434**	**5,92,999**	**9,76,285**	**3,83,286**	**65**
कोर्पोरेट पंजीकरण	1,395	1,617	1,100	1,806	706	64

चार्ट 3.2 : गैर–सरकारी क्षेत्र में वृद्धि

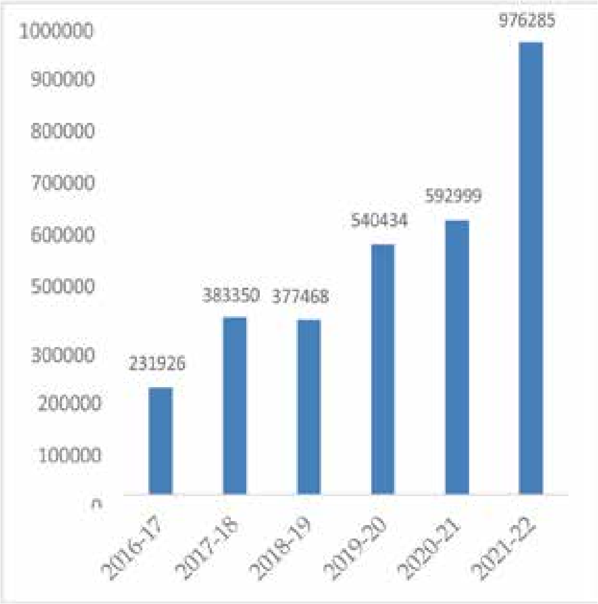

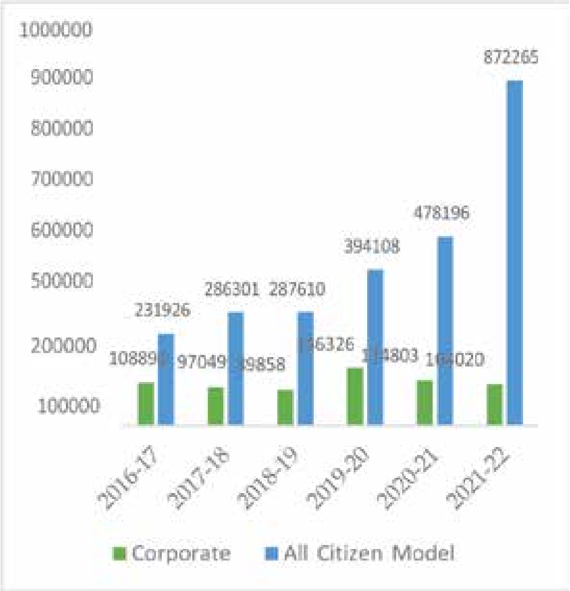

एनपीएस के तहत टियर–II खाते 31 मार्च, 2021 के 3,65,751 की तुलना में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2022 को 5,08,019 थे। एनपीएस टियर–II के तहत उक्त अवधि के लिए एयूएम भी रुपये 2,169 करोड़ से बढ़कर रु. 3,401 करोड़ हो गया।

तालिका संख्या 3.32: : टियर II अभिदाता और एयूएम

विवरण	सीजी	एसजी	कॉर्पोरेट	सर्व नागरिक	कुल
खातों की संख्या	33043	35682	98971	340323	508019
एयूएम (रू.करोड़ में)	170	67	782	2380	3401

एनपीएस टियर–II कर बचत योजना में, जो कि केवल केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, में 6.75 करोड़ की एयूएम के साथ 2842 सक्रिय खाते हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 में पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या का विश्लेषण अर्थात् एनपीएस निजी क्षेत्र (सर्व नागरिक और कॉपोरेट) के तहत कुल 9,76,285 निम्नानुसार प्रदर्शित किए गए हैं:

चार्ट 3.3: एनपीएस गैर–सरकारी क्षेत्र में लिंगवार वितरण

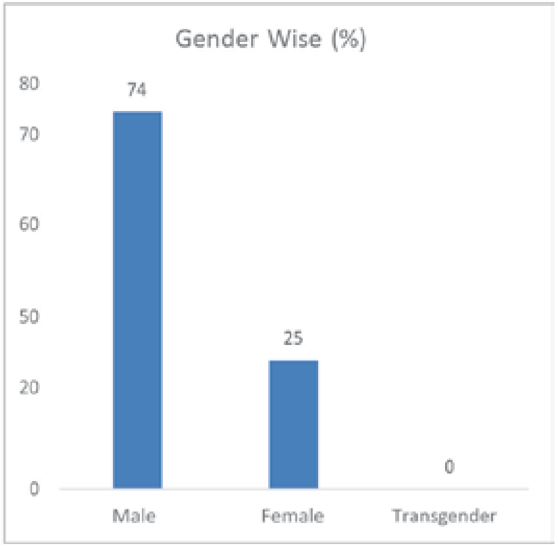

(i) पुरूष अभिदाता कुल अभिदाताओं का तीन–चौथाई प्रदर्शित करते हैं।

(ii) स्त्री अभिदाता कुल अभिदाताओं का एक–चौथाई प्रदर्शित होती हैं।

चार्ट 3.4: एनपीएस गैर–सरकारी क्षेत्र में आयुवार वितरण

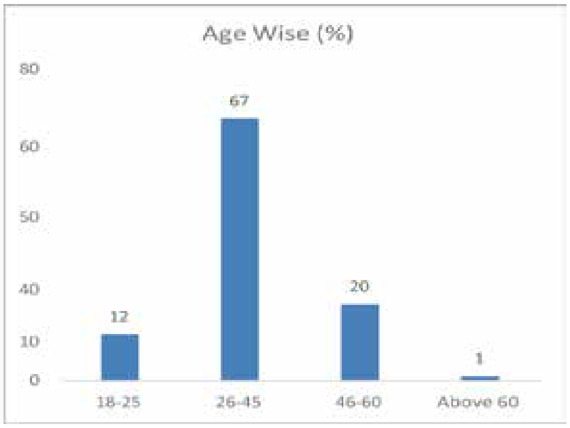

(i) कुल अभिदाताओं का 67 प्रतिशत 26–45 वर्ष आयु समूह में आता है और 12 प्रतिशत 18–25 के आयु समूह में आता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि एनपीएस की प्रमुख रूप से युवा आबादी द्वारा ली गई है।

(ii) कुल अभिदाताओं का लगभग 20 प्रतिशत 46–60 के आयु समूह में आता है और केवल 1 प्रतिशत 60 वर्ष की आयु से ऊपर के समूह में आता है।

चार्ट 3.5: एनपीएस गैर सरकारी क्षेत्र में व्यवसाय अनुसार वितरण

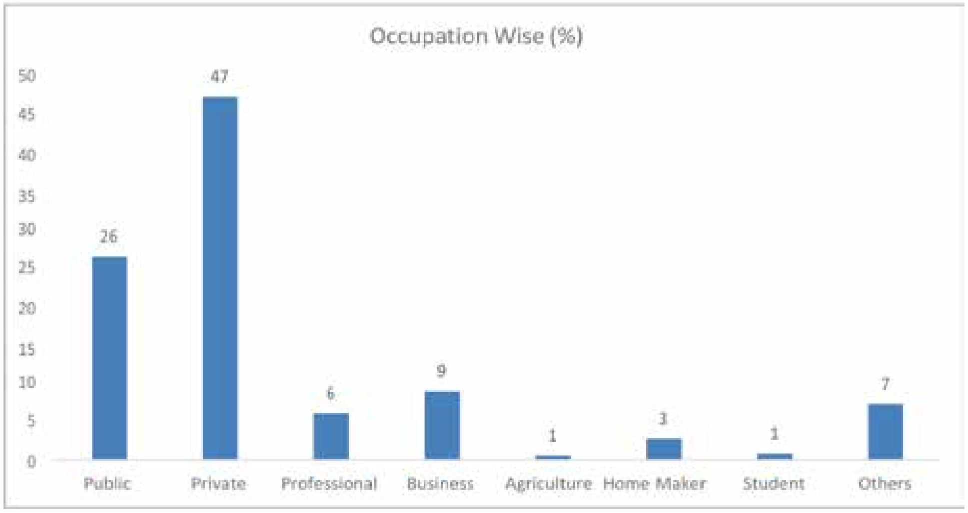

(i) निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 50 प्रतिशत अभिदाताओं के लिए एनपीएस उनके एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में है।

(ii) निजी क्षेत्र में नियोजित अभिदाता कुल अभिदाताओं की संख्या का एक चौथाई है जबकि पेशेवर और व्यवसायी 6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत प्रत्येक के साथ थे।

(iii) अभिदाता जो छात्र या कृषि क्षेत्र में नियोजित थे, कुल अभिदाताओं की संख्या का 1 प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं और गृहणियां 3 प्रतिशत ।

चार्ट 3.6: एनपीएस गैर सरकारी क्षेत्र में आयवार वितरण

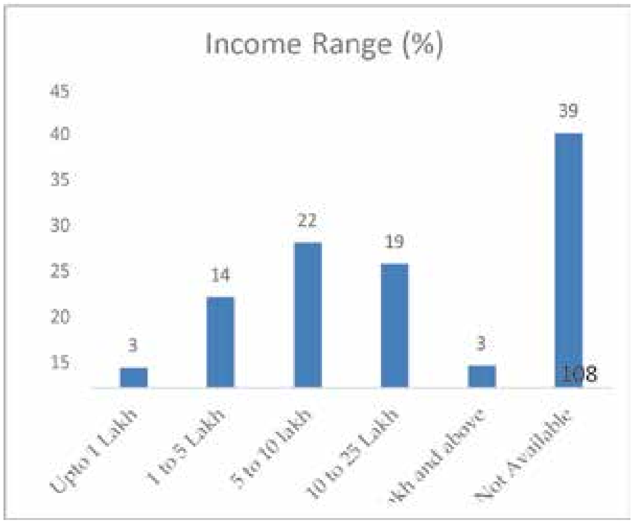

(i) लगभग 1/5 अभिदाता रु.5–10 लाख की आय श्रेणी में आते हैं।

(ii) कुल अभिदाताओं का लगभग 1/5 भाग रु.5 लाख की श्रेणी में आता है, जबकि कुल अभिदाताओं की संख्या का 2/5 ने कोई आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं।

चार्ट 3.7: एनपीएस सरकारी क्षेत्र में भीर्श 10 राज्यवार वितरण

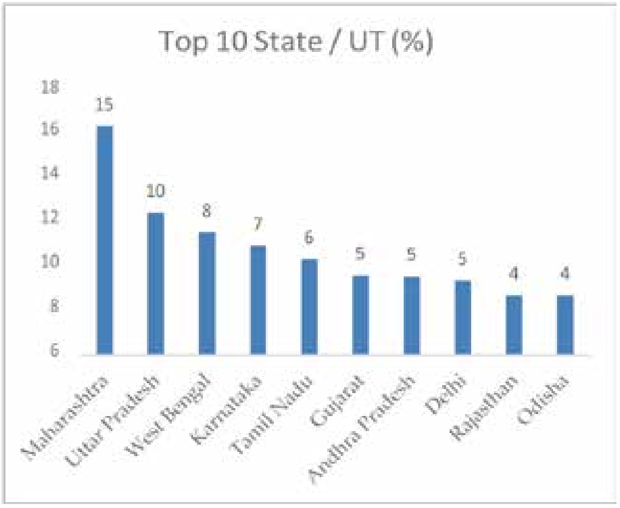

(i) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कुल अभिदाताओं की संख्या का 1/4 भाग है।

(ii) पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुल अभिदाताओं की संख्या का 1/5 भाग है।

(iii) गुजरात, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उड़ीसा में 5–4 प्रतिशत अभिदाता हैं ।

3.9.3 कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंतर्गत सम्मेलन

पीएफआरडीए ने पेंशन के बारे में जागरूकता पैदा करने और गैर–सरकारी खंड में एनपीएस को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में विभिन्न व्यापार निकायों (फिक्की, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई, एसोचैम,आईसीसी) के साथ करार किया है ताकि वे अपने सदस्यों और कार्यशालाओं/सेमिनारों में सेवानिवृत्ति योजना/पेंशन/एनपीएस पर जानकारी प्रसारित कर सकें। इन व्यापार निकायों के सहयोग से देश भर में आयोजित

किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान 19 ऐसे वेबिनार आयोजित किए गए जिनमें 800 कॉरपोरेट्स के 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नियोक्ताओं/कर्मचारियों को सीधे एनपीएस का प्रचार करने के लिए पीओपी/संस्थानों आदि के सहयोग से कई संलग्नता सत्र या वेब सत्र भी आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 1,806 नए कॉर्पोरेट नामांकन और 1,02,275 कर्मचारियों ने एनपीएस की सदस्यता ली। इसके अतिरिक्त, 09 नए सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया, क्योंकि वित्त वर्ष के दौरान इन संस्थाओं को ऑनबोर्ड करने पर विशेष बल दिया गया था । व्यापार निकायों के सहयोग से आयोजित वेबिनार निम्नानुसार थे :

तालिका संख्या 3.33: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित कोर्पोरेट क्षेत्र सम्मेलन

दिनांक	तिथि	के समायोजन में
03 जून, 2021	कलकत्ता	एमसीसीआई
26 जून, 2021	लुधियाना	सीआईआई
28 जुलाई, 2021	बैंगलोर	सीआईआई
29 जुलाई, 2021	दिल्ली	पीएचडीसीसीआई
30 जुलाई, 2021	चेन्नई	सीआईआई
20 अगस्त, 2021	कलकत्ता	आईसीसी
24 अगस्त, 2021	पुणे	सीआईआई
31 अगस्त, 2021	मुम्बई	सीआईआई
14 सितम्बर, 2021	गुरूग्राम	पीएचडीसीसीआई
29 सितम्बर, 2021	देहरादून	सीआईआई
30 सितम्बर, 2021	जयपुर	सीआईआई
26 अक्टूबर, 2021	कोची	सीआईआई
27 अक्टूबर, 2021	कोएमबटुर	सीआईआई
12 नवंबर, 2021	इंदौर	पीएचडीसीसीआई
28 दिसम्बर, 2021	दिल्ली	एसोचैम
27 जनवरी 2022	हैदराबाद	फिक्की
8 फरवरी 2022	गुवाहाटी	फिक्की
18 फरवरी 2022	बैंग्लोर	फिक्की
15 मार्च 2022	चंडीगढ़	पीएचडीसीसीआई

3.9.4 अटल पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियां

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो 18–40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। । अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर एपीवाई के तहत, न्यूनतम गारंटी पेंशन रु.1,000/– या 2,000/– या 3,000/– या 4,000 या 5,000/– प्रति माह शुरू हो जाएगा, जो उसके द्वारा चुनी गई पेंशन राशि और उसके द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करता है।

यह योजना 09 मई 2015 को शुरू की गई थी और 01 जून 2015 से चालू की गई थी। 31.03.2022 को एपीवाई योजना के तहत नामांकन 4.01 करोड़ को पार कर गया है और यह संख्या दिन–ब–दिन तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 4.01 करोड़ में से 99 लाख से अधिक एपीवाई खातों को नामांकित किया गया था। सभी श्रेणियों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, सहकारी बैंक (ग्रामीण और शहरी) और डाक विभाग में एपीवाई सेवा प्रदाताओं की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना को यह जबरदस्त सफलता मिली थी।

अभिदाता पंजीकरण और उसके विश्लेषण के संदर्भ में वर्ष–दर–वर्ष प्रदर्शन के संबंध में विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 3.34: एपीवाई के तहत नामांकित अभिदाताओं का एपीवाई–एसपी श्रेणीवार विवरण

क. एपीवाई के तहत नामांकनों का बैंकवार विवरण

बैंकों की श्रेणी	(*31ए मार्च 2016 तक)	31 मार्च 2017 तक	31, मार्च 2018 तक	31, मार्च 2019 तक	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2021 तक	वित्त वर्श 2021–22 के दौरान वृद्धि	31, मार्च 2022 तक
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	16,93,190	30,47,273	65,53,397	1,07,19,758	1,56,75,442	2,12,52,435	70,09,008	2,82,61,443
निजी बैंक	2,18,086	4,97,323	8,73,901	11,45,289	15,62,997	19,86,467	5,21,900	25,08,367
लघु वित्तीय बैंक	-	-	-	9,190	15,760	35,114	51,149	86,263
पेमेंट बैंक	-	-	-	48,182	3,44,001	8,18,800	4,69,227	12,88,027
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4,76,373	11,15,257	19,87,176	31,71,152	43,30,190	57,10,770	18,17,260	75,28,030
जिला सहकारी बैंक	21,222	29,791	33,880	38,863	48,581	54,628	8,807	63,435
राज्य सहकारी बैंक	354	680	805	1,053	4,620	5,350	511	5,861
शहरी सहकारी बैंक	327	3,507	10,936	14,469	17,355	20,095	3,420	23,515
डाक विभाग	75,343	1,89,998	2,45,366	2,70,329	3,02,712	3,32,141	30,197	3,62,338
कुल	**24,84,895**	**48,83,829**	**97,05,461**	**1,54,18,285**	**2,23,01,658**	**3,02,15,800**	**99,11,479**	**4,01,27,279**

चार्ट 3.8: एपीवाई के तहत वर्ष दर वर्श नामांकन (2016–2022)

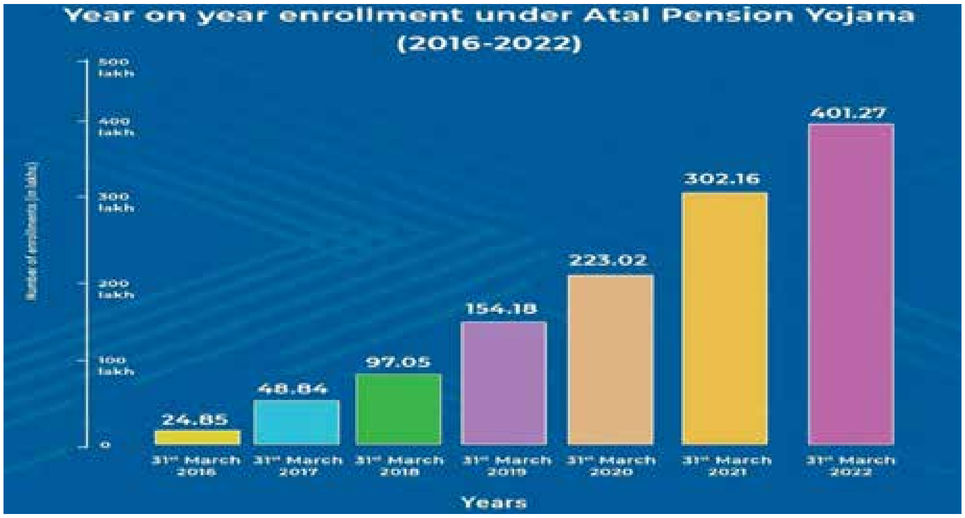

कोविड–19 से संबंधित चुनौतियों के बावजूद नामांकन की गति बहुत अच्छी रही है। योजना के शुरू होने के बाद से, अगस्त 2021 के महीने में पहली बार, एक महीने में 10 लाख से अधिक अभिदाताओं को नामांकित किया गया, जिसमें एक सप्ताह में 3.5 लाख नए नामांकन हुए और एक ही दिन में 1 लाख नए खाते खोले गए।

पूरे देश में एपीवाई नामांकन वृद्धि देखी गई है। राज्यवार वितरण में, संचयी एपीवाई नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर था।

तालिका संख्या 3.35: दिनांक 31 मार्च 2022 तक के अनुसार एपीवाई के तहत शीर्ष 15 उच्चतर नामांकन वाले राज्य

क्र. सं	राज्य का नाम	एपीवाई के तहत नामांकनों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	6,072,347
2	बिहार	3,997,372
3	महाराष्ट्र	3,097,671
4	पश्चिम बंगाल	3,070,457
5	तमिलनाडु	2,929,240
6	आंध्र प्रदेश	2,299,498
7	कर्नाटक	2,294,858
8	मध्य प्रदेश	2,294,421
9	राजस्थान	2,105,600
10	गुजरात	1,607,503
11	उड़ीसा	1,504,968
12	झारखंड	1,135,106
13	पंजाब	1,118,351
14	तेलंगाना	1,000,678
15	असम	886,076

मानचित्र : 31 मार्च 2022 तक के अनुसार एपीवाई के राज्यवार नामांकन

तालिका संख्या 3.36: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान माह दर माह एपीवाई नामांकन और इसी को रेखाचित्र में भी दर्शाया गया है।

अप्रैल'21	मई'21	जून'21	जुलाई'21	अगस्त'21	सितम्बर'21	अक्तूबर'21	नवम्बर'21	दिसम्बर'21	जनवरी'22	फरवरी'22	मार्च'22	कुल
2.26	1.95	6.98	7.69	11.03	9.91	7.43	7.65	9.98	9.06	11.64	13.55	99.11

चार्ट 3.9: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान माह दर माह एपीवाई नामांकन

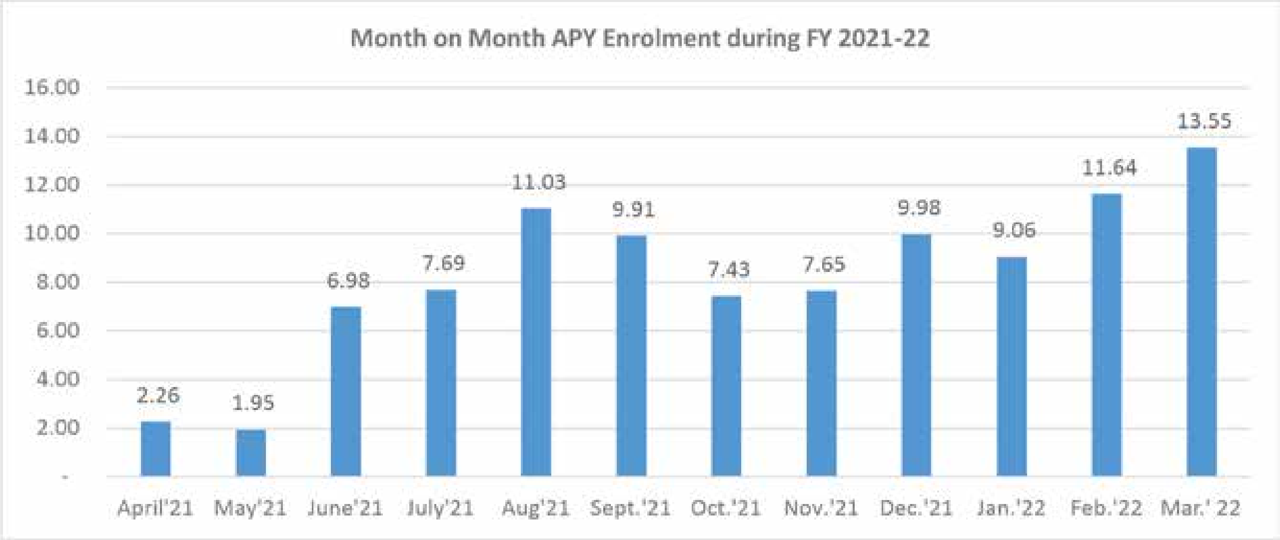

2. प्रदर्शन :

वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के दौरान, 8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने प्रति शाखा 70 औसत खातों (एएपीबी) का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया है। 31 आरआरबी आर्यावर्त बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, चौतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पुदुवई भरथियार ग्राम बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक ने 70 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया है।

निजी बैंकों में, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक ने 30 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया–

पेमेंट बैंक के बीच, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए वार्षिक नामांकन लक्ष्य हासिल किया–

स्मॉल फाइनेंस बैंक में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 50 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया–

6 सहकारी बैंक *(श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, कालूपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, साबरकांठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, दक्षिण केनरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सूरत जिला सहकारी बैंक) ने भी २० का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।*

3.10 पेंशन निधियों का प्रदर्शन

संदर्भ तालिका संख्या 3.37, एनपीएस योजना के तहत निधियों ने वर्ष–दर–वर्ष 27.43 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दिखाई है। योजनावार विकास विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका संख्या 3.37: एनपीएस में प्रबंधन के तहत आस्ति विभाजन – 31 मार्च 2022 तक के अनुसार योजना वृद्धिवार स्थिति

राशि रूपये करोड़ में

				एयूएम में वृद्धि			
योजनाएं	मार्च–20	मार्च–21	मार्च–22	मार्च 2020 से मार्च 2021 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि		मार्च 2021 से मार्च 2022 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि	
				राशि	%	राशि	%
इक्विटी टियर I	7932.06	18979.51	30303.86	11047.45	139.28	11324.35	59.67
इक्विटी टियर II	352.55	850.99	1424.51	498.44	141.38	573.52	67.39
इक्विटी कुल	8284.61	19830.50	31728.37	11545.89	139.37	11897.87	60.00
टियर I और टियर II कुल एयूएम में भाग :	31.18	41.59	41.20				
बांडस (सी) टियर I	6495.77	9686.51	15509.97	3190.74	49.12	5823.46	60.12
बांडस (सी) टियर II	297.26	482.72	762.55	185.46	62.39	279.83	57.97
बांडस (सी) कुल	6793.03	10169.23	16272.52	3376.20	49.70	6103.29	60.02
टियर I और टियर II कुल एयूएम में भाग :	25.57	21.33	21.13				
जी सेक (जी) टियर I	10992.81	16766.30	27630.39	5773.49	52.52	10864.09	64.80
जी सेक (जी) टियर II	457.16	835.48	1214.08	378.32	82.75	378.60	45.32
जी सेक (जी) कुल	11,449.97	17,601.78	28844.47	6151.81	53.73	11242.69	63.87
टियर I और टियर II कुल एयूएम में भाग :	43.10	36.92	37.46				
योजना ए टियर I	39.60	74.76	162.65	35.16	88.79	87.89	117.57
योजना ए टियर II	-	-	-	-	-	-	-
योजना ए कुल	39.60	74.76	162.65	35.16	88.79	87.89	117.57
टियर I और टियर II कुल एयूएम में भाग :	0.15	0.16	0.21				
उप कुल टियर I	25460.24	45507.08	73606.87	20046.84	78.74	28099.79	61.75
उप कुल टियर II	1106.97	2169.19	3401.13	1062.22	95.96	1231.94	56.79
टियर I + टियर II	**26567.21**	**47676.27**	**77008.01**	**21109.06**	**79.46**	**29331.74**	**61.52**
एनपीएस लाइट	3728.40	4354.38	4686.74	625.98	16.79	332.36	7.63
एपीवाई	10526.26	15687.11	20922.60	5160.85	49.03	5235.49	33.37
कोर्पोरेट सीजी	27143.03	36929.68	47343.05	9786.65	36.06	10413.37	28.20
उप कुल (निजी क्षेत्र)	67964.87	104647.44	149960.40	36682.57	53.97	45312.96	43.30
कुल एयूएम मे भाग :	16.28	18.10	20.36				
केंद्र सरकार	138014.67	181416.26	216883.09	43401.59	31.45	35466.83	19.55
कुल एयूएम मे भाग :	33.06	31.39	29.44				

योजनाएं	मार्च–20	मार्च–21	मार्च–22	एयूएम में वृद्धि			
				मार्च 2020 से मार्च 2021 में वष f दर वर्ष वृद्धि		मार्च 2021 से मार्च 2022 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि	
				राशि	%	राशि	%
राज्य सरकार	211499.55	291959.92	369743.33	80460.37	38.04	77783.41	26.64
कुल एयूएम मे भाग :	50.66	50.51	50.20				
उप कुल (सरकारी)	349514.22	473376.18	586626.42	123861.96	35.44	113250.24	23.92
कुल एयूएम मे भाग :	83.72	81.90	79.64				
योजना टीटीएस	-	2.12	6.74				
कुल एयूएम मे भाग :	-	-	-				
कुल योग	**417479.13**	**578025.74**	**736593.57**	**160546.61**	**38.46**	**158567.83**	**27.43**

स्रोतः एनपीएस न्यास वेबसाइट रिपोट

तालिका संख्या 3.38: पेंशन निधि प्रबंधकों के साथ एयूएम की स्थिति

क्र. सं	पेंशन निधि का नाम	मार्च–21	मार्च–22	राशि (करोड़ में)	वृद्धि प्रतिशत
1	एसबीआइ पेंशन फंडस प्राईवेट लिमिटेड	2,22,615.19	2,82,475.65	59,860.46	**26.89**
2	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	1,66,209.21	2,01,918.51	35,709.30	**21.48**
3	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	1,63,389.54	2,09,386.28	45,996.74	**28.15**
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंडस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	7,558.64	11,614.32	4,055.68	**53.66**
5	कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	1,572.14	2,229.93	657.79	**41.84**
6	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	16,383.98	28,413.86	12,029.88	**73.42**
7	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	297.03	555.01	257.98	**86.85**
	कुल	**5,78,025.74**	**736,593.56**	**158,567.83**	**27.43**

स्रोतः एनपीएस न्यास

तालिका संख्या 3.39: 31 मार्च 2022 तक के अनुसार योजनावार और पेंशन निधिवार रिटर्न्स

(आरम्भ से प्रतिशत में)

योजना		एसबीआई	एलआईसी	यूटीआई	कोटेक	एचडीएफसी	आईसीआई सीआई	बिरला
सीजी		9.87	9.66	9.63				
एसजी		9.56	9.64	9.59				
एपीवाई		9.18	9.48	9.44				
एनपीएस स्वाबलंबन/लाइट		10.05	10.12	10.05	9.91			
कोर्पोरेट–सीजी		9.66	9.75					
टियर–I	ई	10.86	13.02	12.27	11.79	15.30	12.48	13.28
	सी	10.18	9.78	9.15	9.79	10.02	10.14	9.25
	जी	9.39	10.42	8.41	8.70	9.49	8.72	8.13
	ए	9.84	7.79	6.57	7.44	8.91	7.58	6.81
टियर–II	ई	10.68	10.79	11.06	11.22	13.35	10.98	13.22
	सी	9.70	9.21	9.20	9.08	9.19	9.97	8.45
	जी	9.39	10.68	9.06	8.44	9.67	8.81	7.30
टियर II टीटीएस		3.09	5.68	3.37	7.23	3.92	5.46	6.63

स्रोतः एनपीएस न्यास वार्षिक रिपोर्ट। भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए आरंभिक तिथि भिन्न थी।

1 वर्ष से अधिक की अवधि के रिटर्न वार्षिकीकृत हैं।

आरंभिक तिथिः एलआईसीए एसबीआई और यूटीआई सीजी योजनाओं के लिए 01 अप्रैल 2008 और सीजी योजना के लिए 25 जून, 2008

आरंभिक तिथिः बिरला 09 मई 2017, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013, आईसीआईसीआई 18 मई 2009, कोटेक 5 मई 2009, एलआईसी 03 जुलाई 2013, एसबीआई 15 मई 2009 और यूटीआई 21 मई 2009 (bZ-I) के लिए

आरंभिक तिथिः एलआईसी 04 अक्टूबर 2010; कोटक 30 जनवरी 2012; एसबीआई 16 सितंबर 2010; यूटीआई 04 अक्टूबर 2010 (एनपीएस लाइट)

यूटीआई कोर्पोरेट सीजी योजना वित्त वर्ष 2013–14 (कोर्पोरेट सीजी) में समाप्त हुई।

आरंभिक तिथिः बिरला 09 मई 2017, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013, आईसीआईसीआई 21 दिसंबर 2009, कोटेक 14 दिसंबर 2009, एलआईसी 12 अगस्त 2013, एसबीआई 14 दिसंबर 2009 और यूटीआई 14 दिसंबर 2009 (bZ-II) के लिए

आरंभिक तिथिः एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017, आईसीआईसीआई 18 मई 2009, कोटेक 15 मई 2009, एसबीआई 15 मई 2009 और यूटीआई 21 मई 2009 (सी-I)

आरंभिक तिथिः एलआईसी 12 अगस्त 2013, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017, आईसीआईसीआई 21 दिसंबर 2009, कोटेक 14, दिसंबर 2009ए एसबीआई 14, दिसंबर 2009 और यूटीआई 14 दिसंबर 2009 सी-II

आरंभिक तिथिः एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017, आईसीआईसीआई 18 मई 2009, कोटेक 15 मई 2009, एसबीआई 15 मई 2009 और यूटीआई 21 मई 2009 (जी-I)

आरंभिक तिथिः एलआईसी 12 अगस्त 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 आईसीआईसीआई 30 दिसंबर 2009; कोटेक 14 दिसंबर 2009; एसबीआई 14 दिसंबर 2009 और यूटीआई 14 दिसंबर 2009 (जी-II);

आरंभिक तिथिः एलआईसी 13 अक्टूबर 2016; एचडीएफसी 10 अक्टूबर 2016; बिरला 15 मई 2017 आईसीआईसीआई 21 नवंबर 2016; कोटेक 14, अक्टूबर 2016; एसबीआई 13, अक्टूबर 2016 और यूटीआई 14 अक्टूबर 2016 (योजना ए-I)

3.11 विनियमित आस्तियां

"विनियमित आस्तियों" से तात्पर्य तथा उनमें सम्मिलित हैं मूर्त तथा अमूर्त आस्तियां जो व्यापक रूप से सीआरए के परिचालन हेतु निर्मित हैं। उनमें बीस्पोक सॉफ्टवेयर जो उन सभी तत्वों के साथ उपलब्ध है जो किसी अनुप्रयोग को चलाने के लिए आवश्यक है जैसे कोई तृतीय सॉफ्टवेयर तथा तत्व के जो वस्तु के रूप में

अनुप्रयोग प्रणाली में विशिष्ट रूप से सम्बंधित हो, सभी उपयुक्त सीआरए परियोजना आंकड़े, समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर/डाटा सेंटर के सॉफ्टवेर कॉम्पोनेंट्स तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर, नेटवर्क तथा अन्य सभी सुविधाएं सम्मिलित है,भौतिक ढाँचे को छोड़कर(भवन, एयर कंडीशनर, बिजली आपूर्ति ढांचा, फर्नीचर)।

पंजीकरण के कार्यकाल के अवसान पर या सीआरए के निरसन के मामले में सीआरए द्वारा प्रबंधित सूचना तथा विनियमित आस्तियां प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अन्य सीआरए को स्थानांतरित कर दी जाएंगी, उस समयावधि में तथा उस प्रारूप में जो पीएफआरडीए अधिनियम नियम या विनियमों के तहत आवश्यक हो या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित हो।

3.12 वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रभार

एनपीएस के अभिदाताओं पर भिन्न स्तरों पर उन मध्यस्थ इकाईयों द्वारा जो अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करती है, द्वारा शुल्क तथा प्रभार आरोपित किये जाते है। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश होने पर, मध्यस्थ ईकाईयां अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है अर्थात् पीओपीज, प्रभार शुल्क जो कि आगे अभिदाताओं से संकलित किया जाता है। अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण शुल्क सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं। अगले स्तर पर, सीआरए, जो अभिलेखपाल अभिकरण है खाता खोलने के लिए शुल्क लेता है तथा प्राण जारी करने के लिए ईकाईयों के निरसन द्वारा खाता प्रबंधित करता है। इसके पश्चात् प्रत्येक संव्यवहार के लिए जिसमें अभिदाताओं का अंशदान सम्मिलित है, सीआरए तथा पीओपी दोनों द्वारा शुल्क प्रभारित किया जाता है। पेंशन निधियों द्वारा निवेश प्रबंधन शुल्क, अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधित करने के लिए प्रभारित किये जाते हैं। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक उनके तहत आने वाली आस्तियों के लिए प्रभार लेते हैं और एनपीएस न्यास खर्चों की प्रतिपूर्ति अभिदाताओं से की जाती है।

तालिका संख्या 3.40: अभिदाताओं से विभिन्न चरणों पर लिए जाने वाले शुल्क और प्रभार

मध्यस्थ इकाईयां	शुल्क/प्रभार	सेवा प्रभार'				
			निजी/सरकारी			एनपीएस लाइट/एपीवाई
केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	पीआरए खोलने संबंधी शुल्क		यदि अभिदाता भौतिक प्रान कार्ड का चयन करे तो खाता खोलने के लिए सीआरए शुल्क (रुपये में)	यदि अभिदाता ई–प्रान कार्ड का विकल्प चुनता है, तो खाता खोलने के लिए सीआरए शुल्क (रू.में)		एनएसडीएलः रु 15.00 केसीआरएः रु 15.00 सीएएमएसः रु 15.00
				वेलकम किट भौतिक रूप से भेजी जाएगी।	वेलकम किट केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी।	
	एनसीआरए		40	35	18	
	केसीआरए		39.36	39.36	4	
	सीएएमएस		40	40	40	
		टिप्पणी : शुल्कों में कमी मौजूदा शुल्क संरचना पर होगी और इसमें लागू कर शामिल नहीं होंगे। एनपीएस अभिदाताओं के भौतिक या ई प्रान कार्ड रखने के विकल्प को प्राप्त करने संबंधी क्रियात्मकता सीआरए द्वारा जारी किए जाने के बाद षुल्क लागू होंगे।				

मध्यस्थ इकाईयां	शुल्क/प्रभार	सेवा प्रभार'		
		निजी/सरकारी		एनपीएस लाइट/एपीवाई
	शुल्क प्रति लेनदेन	एनसीआरएए: रु. 3.75 केसीआरएए: रु. 3.36 सीएएमएस: रु. 3.50		नि:शुल्क
उपस्थिति अस्तित्व	-	**निजी**	**सरकारी**	-
	आरंभिक अभिदाता पंजीकरण और अंशदान अपलोड	रु. 200	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	कोई भी अनुवर्ती लेनदेन	अंशदान का 0.25 प्रतिशत तक अंशदान के न्यूनतम 0.10 प्रतिशत तक की राशि, जिसमें न्यूनतम रु.20 और अधिकतम रु.25000 है गैर–वित्तीय रु.20	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	प्रतिवर्ष नियमितता > 6 माह और रु. 1000 का अंशदान	रु. 50 प्रति वर्ष	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	ई एनपीएस के माध्यम से अंशदान	अंशदान का 0.10 प्रतिशतए न्यूनतम रु. 10 अधिकतम रु.10000 (केवल एनपीएस के लिए–सर्व नागरिक और टियर–।। खाते)	लागू नहीं है	लागू नहीं है
न्यासी बैंक	-	शून्य		
अभिरक्षक	आस्ति सेवा शुल्क	इलेक्ट्रिक भाग और भौतिक भाग के लिए रू. 0.0032% प्रति वर्ष		
पेंशन निधियां	निवेश प्रबंधन शुल्क	0.01% का एयूएम प्रतिवर्ष (निजी क्षेत्र के लिए)	0.0102% का एयूएम प्रतिवर्ष (सरकारी क्षेत्र के लिए)	
एनपीएस न्यास	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.005: प्रतिवर्ष		

*सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सीआरए शुल्क संबंधित सरकारों द्वारा भुगतान किए जाते हैं।

भूतपूर्व कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (के.फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) ने 15 फरवरी 2017 से परिचालन शुरू किए।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों से पीएफआरडीए को प्राप्त शुल्क निम्न तालिका में प्रदान किया गया है।

तालिका संख्या 3.41: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र. सं	मध्यस्थ इकाई	शुल्क प्राप्ति (रु. लाख में)'
1	न्यासी बैंक–एक्सिस बैंक	2,316.83
2	पेंशन निधि	9,607.57
3	सीआरए–एनएसडीएल ई गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	1,011.57
4	सीआरए– केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	249.71
5	अभिरक्षक–एसएचसीआईएल	0.01
6	सेवानिवृत्ति सलाहकार/पीओपी/संकलनकर्त्ता/एएसपी/ आरएफपी संस्करण शुल्क	154.92
7	सीआरए–कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड	18.33
	कुल	**13,358.94**

*विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों से प्राप्त शुल्क की गणना वास्तविक आधार पर की गई है।

3.13 निष्पादित निरीक्षण, आयोजित जांच और निष्पादित अन्वेषण जिनमें पेंशन निधियों से सम्बंधित मध्यस्थों और अन्य इकाईयों या संगठनों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है के लिए मांगी गई जानकारी।

3.13.1 जांच और निरीक्षण

पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास सीआरए, न्यासी बैंक और उनके लेखापरीक्षकों द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई सेवा स्तर अनुबंधों में यथानिर्धारित नियतकालिक समय का अनुपालन कर रही हैं।

3.13.2 निरीक्षण और लेखापरीक्षा

पीएफआरडीए, उपस्थिति अस्तित्वों का विनियमन और निरीक्षण ऑफसाइट और ऑनसाइट निरीक्षण तंत्र के माध्यम से किया जाता है।

(क) ऑफसाइट निरीक्षण :

(i). ऑफसाइट निरीक्षण और पर्यवेक्षण में पीएफआरडीए को जमा की गई निम्नलिखित रिर्पोटों की समीक्षा शामिल हैः –

i. मासिक एमआईएस, एससीएफ अपालोड और अंशदानों के प्रेषण और अनुवर्ती सेवाओं में विलंब पर तिमाही अपवाद रिपोर्ट ।

ii) तिमाही/अर्ध वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र

iii). एनपीएस संकलन खातों में अमेल राशि पर खाता शेष प्रमाणपत्र

iv). अर्ध वार्षिक/वार्षिक आंतरिक लेखा रिपोर्टः

v). साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र :

vi). लम्बित शिकायतें :

vii) एपीवाई के तहत अभिदाता के बचत बैंक खातें मे सरकारी सह–अंशदान जमा करने के लिए उपयोज्यता प्रमाणपत्र।

(ii) आरोपी उपस्थिति अस्तित्वों को उनके द्वारा किए गए विलंब के लिए निर्धारित नियतकालिक समय पर प्रतिपूर्ति का भुगतान करना होगा, यदि कोई हो तो ।

(iii) उचित समझा जाने पर, इस मामले को न्यायनिर्णयन विभाग को न्यायनिर्णायक कार्रवाई आरंभ करने हेतु न्यायनिर्णयन विभाग के पास भेजा जा सकता है।

ख) ऑनसाइट निरीक्षण :

(i) उपस्थिति अस्तित्वों के ऑनसाइट निरीक्षण पीओपीज़ के नियमों के अनुपालन और विनियमों के तहत परिचालन दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट परिचालन नियतकालिक समय के पालन की निगरानी के लिए किए जाते हैं । एनपीएस के तहत पीओपीज़ द्वारा पेश की जाने वाली सभी सेवाओं, नामांकन प्रक्रिया से अंतिम निकास तक निरीक्षण मानदंडों द्वारा कवर किए जाते हैं। पीओपीज़ को विभिन्न अधिनियमों और नियमों अर्थात् पीएमएलए अधिनियम और नियमों के अनुसार केवाईसी के अनुपालन सहित ग्राहक समुचित सावधानी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है । अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल है– अग्रेषित लंबित शिकायतें, मुआवजे का भुगतान यदि कोई हो तो, संकलन खातों में शेष राशि आदि।

(ii) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कोविड–19 गतिविधियों के कारण एनपीएस और एपीवाई के तहत 70 उपस्थिति अस्तित्वों का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया । इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए द्वारा पूर्व वर्षों के लिए आयोजित निरीक्षणों के दौरान प्राप्त हुए लंबित विचलनों के अनुपालन पर नियमित वीडियो कांफ्रेन्सिंग आयोजित की गई और एनपीएस, एनपीएस–लाइट और एपीवाई आदि के तहत संकलन खाते में अमेल और लंबित अंशदानों को अनुपालन रिपोर्ट में दर्ज किया गया।

(iii). वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 70 उपस्थिति अस्तित्वों की लेखा रिपोर्ट का एनपीएस न्यास के सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 70 उपस्थिति अस्तित्वों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एनपीएस न्यास के पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित की गई, इसकी जांच पिछली लेखापरीक्षा अवधि के लिए लंबित विचलन की स्थिति के साथ की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए विचलन और पिछले वर्षों के लंबित विचलन को अनुपालन के लिए एनपीएस और एनपीएस–लाइट के तहत पीओपी के साथ साझा किया गया था।

3. एनपीएस, एनपीएस–लाइट, एपीवाई और सेवानिवृत्ति सलाहकारों के तहत पीओपीज के लिए पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के विनियम 14 (2)(व) के तहत जारी परामर्श/निर्देश/सूचनाऐं

प्राधिकरण ने पीओपीज़ के लिए परामर्श/निर्देश/सूचनाएं जारी किए ताकि एनपीएस के तहत क्रियाकलापों के सरल अनुपालन और परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

4. प्राथमिक रिपोर्ट को जमा करना :

किसी भी कथित उल्लंघन का पता चलने की स्थिति में, जो प्रथम दृष्टया, अधिनियम की धारा 28 के तहत शामिल कृताकृत का खुलासा करता है, विभाग द्वारा पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार सदस्य (जांच और निगरानी) को एक औपचारिक प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

5. नीतिगत मामला

पर्यवेक्षण विभाग विभिन्न हिस्सेदारों से विधियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्राप्त आवश्यकताओं और सुझावों के आधार पर पीएफआरडीए अभिदाताओं और हिस्सेदारों के लाभ के लिए सुधारों की जांच तथा सिफारिश करता है।

एनपीएस के तहत अन्य सभी मध्यस्थ इकाईयों के लिए, ऑफसाइट/ऑनसाइट निरीक्षण के लिए प्रणाली मौजूद है।

3.14 अन्य

3.14.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाता (श्रेणीवार)

i) वर्षों के दौरान अभिदाताओं की संख्या

एनपीएस में अभिदाताओं का नामांकन मार्च 2021 के 424.40 से बढ़कर मार्च 2022 में 520.2 लाख हो गया । वर्ष 2021–22 के दौरान अभिदाताओं की संख्या में 22.57 वृद्धि हुई है। एनपीएस अभिदाताओं की वर्षवार संख्या निम्नलिखित चार्ट में दी गई है।

तालिका संख्या 3.42: एनपीएस/एपीवाई के तहत क्षेत्रवार अभिदाताओं की संख्या :

क्षेत्र	मार्च 2021 (लाख में संख्या)	मार्च 2022 (लाख में संख्या)	एक वर्ष से वृद्धि	
			संपूर्ण वृद्धि (लाख में संख्या)	प्रतिशत में
केन्द्र सरकार	21.76	22.83	1.08	4.96
कुल का %	5.13	4.39		
राज्य सरकार	51.41	55.77	4.36	8.48
कुल का %	12.11	10.72		
कॉर्पोरेट	11.25	14.05	2.80	24.89
कुल का %	2.65	2.70		
सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र	16.47	22.92	6.45	39.16
कुल का %	3.88	4.40		
एनपीएस लाइट*	43.02	41.87	-	-
कुल का %	10.14	8.05		
एपीवाई	280.49	362.77	82.28	29.33
कुल का %	66.09	69.74		
कुल	**424.40**	**520.22**	**95.82**	**22.58**

* (01 अप्रैल 2015 के बाद से कोई नए पंजीकरण स्वीकृत नहीं किए गए हैं)

चार्ट 3.10: एनपीएस और एपीवाई के तहत वर्षवार अभिदाताओं की संख्या

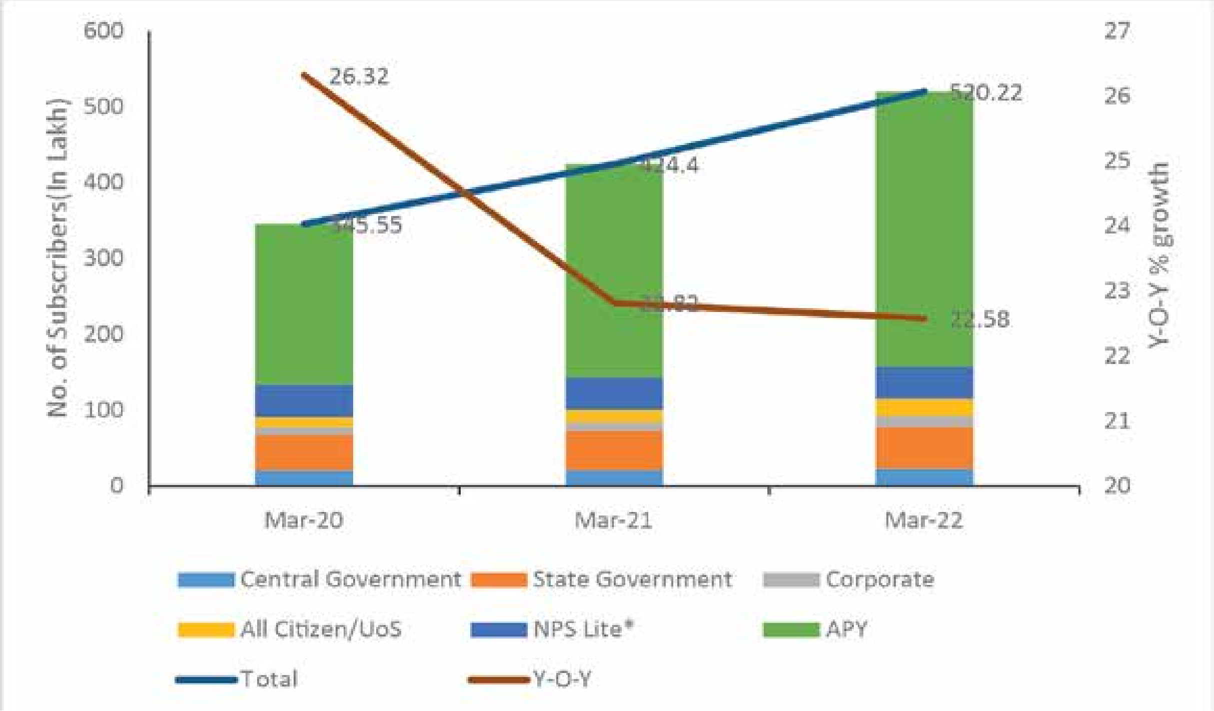

ii) अभिदाताओं की संख्या – क्षेत्रवार

सरकारी क्षेत्र

तालिका संख्या 3.43: एनपीएस/एपीवाई के तहत क्षेत्रवार अभिदाताओं की संख्या :

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (रु. करोड़ में)	एयूएम (रु. करोड़ में)
केन्द्र सरकार	22,83,671	1,50,491	218577
राज्य सरकार	55,76,986	2,74,949	369427
कुल	**78,60,657**	**4,25,440**	**588004**

सरकारी अभिदाता मार्च 2021 के 73.16 लाख सें बढ़कर मार्च 2022 में 78.61 लाख हो गई, जिसने 5.44 वृद्धि (7.44 प्रतिशत) दर्ज की ।

निजी क्षेत्र

तालिका संख्या 3.44: दिनांक 31 मार्च 2022 से निजी क्षेत्र में अभिदाताओं, अंशदान और एयूएम की संख्या।

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (रु. करोड़ में)	एयूएम (रु. करोड़ में)
कोर्पोरेट क्षेत्र	14,04,569	66,089	90,634
सर्व नागरिक/यूओएस	22,92,014	33,348	32,346
कुल	**36,96,583**	**99,437**	**1,22,980**

निजी क्षेत्र के तहत, कोर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या 11.25 लाख से बढ़कर 14.05 लाख हो गई, जो कि 2.80 लाख अभिदाताओं की बढ़त थी। यूओएस/सर्व नागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2021 के 16.47 लाख से बढ़कर मार्च 2022 में 6.45 लाख हो गई, जो कि 6.45 लाख अभिदाताओं की बढ़त थी।

असंगठित क्षेत्र

तालिका संख्या 3.45: दिनांक 31 मार्च 2022 तक के अनुसार अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एनपीएस की एयूएम और एपीवाई

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (रु. करोड़ में)	एयूएम (रु. करोड़ में)
एनपीएस लाइट	41,86,943	3,107	4,687
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	3,62,76,704	18,647	20,923
कुल	**4,04,63,647**	**21,754**	**25,610**

- एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या मिलाकर मार्च 2021 के अंत में मार्च 2021 के अंत में 323.51 लाख से बढ़कर मार्च 2022, में 404.64 लाख हो गई, 81.13 लाख अभिदाताओं (25.08 प्रतिशत) से बढ़ी।

- एनपीएस लाइट योजना में नई प्रविष्टियां 1 अप्रैल 2015 से समाप्त हो गई और दिनांक 9 मई 2015 से एपीवाई योजना शुरू हुई और यह 1 जुलाई 2015 से परिचालित हुई । एपीवाई योजना गरीब और भारत के वंचित वर्गों पर केंद्रित है य इसमें 60 वर्ष के बाद परिभाषित पेंशन प्राप्त होगी ।

- एपीवाई के तहत अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर उनके अंशदान, जो कि उनकी एपीवाई में शामिल होने की आयु पर निर्भर होंगे, के अनुसार रू.1000, रू.1000 रू.2000, रू.3000, रू.4000, रू.5000 तक की न्यूनतम गारंटिड पेंशन प्राप्त होगी । एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अतः एपीवाई के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक है।

- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के साथ पंजीकृत बैंक शाखाओं/डाकघरों/पेमेंट बैंकों के माध्यम से यह योजना परिचालित की जा सकती है।

- एपीवाई योजना तीन सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियों नामतः एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई द्वारा प्रबंधित की जाती है । मार्च 2022 तक के अनुसार इस योजना की प्रबंधन के तहत आस्तियां रु. 20,923 करोड़ थी।

- एपीवाई के तहत :–

क. 79.87 अभिदाताओं ने रु.1000 की पेंशन राशि का विकल्प चुना है, जबकि 12.86 अभिदाताओं ने रु.5000 की पेंशन राशि का विकल्प चुना है।

ख. 27.95 प्रतिशत आवेदक 21–25 वर्ष के आयु समूह में है।

ग. स्त्री और पुरुष अभिदाताओं का अनुपात 44:56 है ।

तालिका संख्या 3.46: लिंग, पेंशन राशि और आयु के आधार पर पंजीकृत एपीवाई अभिदाताओं (जारी किए गए प्रान) का विस्तृत विश्लेषण।

लिंगानुसार			
क्र. सं.	लिंग	प्रान गणना	प्रतिशत
1	स्त्री	17804866	44.37
2	पुरूष	22312842	55.61
3	ट्रांसजेंडर	9,571	0.02
	कुल	**4,01,27,279**	**100.00**

पेंशन राशि अनुसार			
क्र. सं.	पेंशन राशि	प्रान गणना	प्रतिशत
1	1,000	3,20,12,653	79.78
2	2,000	17,60,939	4.39
3	3,000	8,59,451	2.14
4	4,000	3,32,309	0.83
5	5,000	51,61,927	12.86
	कुल	**4,01,27,279**	**100.00**

आयु अनुसार			
क्र. सं.	आयु वर्ग	प्रान गणना	प्रतिशत
1	18 से 20 वर्षों के बीच	66,87,003	16.66
2	21 से 25 वर्षों के बीच	1,12,15,899	27.95
3	26 से 30 वर्षों के बीच	99,30,748	24.75
4	31 से 35 वर्षों के बीच	77,76,413	19.38
5	35 वर्ष से अधिक	45,17,216	11.26
	कुल	**4,01,27,279**	**100.00**

3.14.2 उपस्थिति अस्तित्व

एनपीएस संरचना के तहत 31.03.2022 के तहत कुल 311 उपस्थिति अस्तित्व (एनपीएस नियमित/संकलनकर्ता/एपीवाई–एसपी) और 50 पीओपी–एसई पंजीकृत हैं।

3.14.3 योजनावार प्रबंधन के अधीन संपत्ति

योजनावार प्रबंधन के अधीन संपत्ति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.47: योजनावार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

(धनराशि रूपये करोड़ में)

योजना	मार्च–21	मार्च–22	संपूर्ण वृद्धि	प्रतिशत में वृद्धि
केंद्र सरकार	181416.26	216883.08		
राज्य सरकार	291959.92	369743.33		
उपकुल	**473376.18**	**586626.41**	**113250.23**	**23.92**
एनपीएस लाइट	4354.38	4686.740		
एपीवाई	15687.11	20922.59		
कोर्पोरेट सीजी	36929.68	47343.05		
टियर I – ई	18979.51	30303.85		
टियर I – सी	9686.52	15509.97		
टियर I – जी	16766.29	27630.38		
टियर I – ए	74.76	162.65		
टियर II – ई	850.98	1424.50		
टियर II – सी	482.73	762.54		
टियर II – जी	835.49	1214.07		
टियर II – टीटीएस	2.12	6.74		
उपकुल	**104649.56**	**149967.14**	**45317.58**	**43.30**
कुल योग	**578025.74**	**736593.56**	**158567.82**	**27.43**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 24 प्रतिशत से बढ़ी है, जबकि इन दो योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 43 प्रतिशत से बढ़ी है । संपूर्ण रूप से, सरकारी क्षेत्र योजनाएं रु. 1,13,250 करोड़ से बढ़ी हैं जबकि सरकारी क्षेत्र योजनाओं से भिन्न योजनाएं औसतन रू 45,318 करोड़ से बढ़ी हैं।

3.14.4 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, उसकी भूमिकाएं और कार्य

अ. परिचय

केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को एक आंतरिक प्रणाली (पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत परिभाषित) स्थापित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (''एनपीएस'') की संरचना के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक संगठन और परिचालन आचरण के मानकों का अनुपालन प्रदान करती है। यह पीएफआरडीए और अन्य एनपीएस मध्यस्थों जैसे पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाता, न्यासी बैंक, आदि के बीच एक परिचालन इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है।

वर्तमान में, निम्नलिखित तीन संस्थाएं केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें से एक इकाई के 30.09.2022 तक पूरी तरह से सक्रिय होने की उम्मीद है:

- प्रोटियन ई–गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। (पूर्व में एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
- केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
- कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (अभी पूरी तरह से चालू होना बाकी है

पीएफआरडीए द्वारा प्रोटियन की नियुक्ति केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में की गई और इसके लिए दिनांक 26 नवंबर 2007 को एक अनुबंध निष्पादित किया गया। पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 की अधिसूचना के पश्चात् 27 अप्रैल 2015 से एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया, जो कि मूल अनुबंध दिनांक 26 नवंबर 2007, जो 1 दिसंबर 2007 से 10 वर्ष के लिए प्रभावी था की शेष अवधि के लिए 18 दिसंबर 2015 से प्रभावी हुआ। एनएसडीएल–सीआरए को प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। सीआरए सभी मध्यस्थ इकाईयों के लिए एक परिचालन बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसकी भूमिका में सभी आवश्यक बाहरी अभिकरणों से संपर्क करना और रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन तथा एनपीएस के अभिदाताओं को ग्राहक सेवा कार्य करना शामिल है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, प्राधिकरण द्वारा एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में केफिन टेक्नोलॉजी के नाम से विख्यात) को दूसरी सीआरए के रूप में पंजीकृत किया और एनपीएस न्यास के ई–एनपीएस मॉडयूल के माध्यम से स्रोत प्रदान खातों की सेवाएं संबंधी परिचालन शुरू करने की अनुमति दी, जहाँ अभिदाता को 15 फरवरी 2017 से एनएसडीएल ई–गवर्नेंस लिमिटेड (प्रथम सीआरए) और एम/एस केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए) में से एक के विकल्प को और उसके पश्चात् अन्य वितरण चैनलों को चुनना होगा । एम/एस केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 31 मार्च, 2017 तक नए खातों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी थी और उसके बाद इसे एनपीएस के मौजूदा अभिदाताओं को स्थानांतरित होने का विकल्प प्रदान करने वाले अंतरसंचालनीयता गुण के साथ 01 अप्रैल 2017 से एक पूर्ण रूपी सीआरए के तौर पर कार्य करने की अनुमति थी। वित्त वर्ष 2020–21 में, अन्य इकाई कंप्यूटरएज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड (सीएएमएस) को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया । तीसरे सीआरए द्वारा उसका ईएनपीएस परिचालन दिनांक 17 मार्च 2022 से शुरू हुआ है। हालांकि, अभी भी पूर्ण रूप से परिचालन किया जाना शेष है।

सीआरए विनियम 3 के उप विनियम 4 के अनुसार मौजूदा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और अन्य केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या अभिकरणों, यदि नियुक्त किए जाते हैं, के बीच अभिदाताओं का आवंटन पारदर्शी मानदंडों के आधार पर होगा और प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रक्रिया, जो कि अभिदाताओं के हित में होगी, समय–समय पर अधिसूचित की जाएगी । तदनुसार, अभिदाताओं के आवंटन के मानदंड निम्नानुसार वर्णित हैं :–

यदि किसी मामले में जहाँ कर्मचारी –नियोक्ता संबंध हैं, कोर्पोरेट सहित, यदि नियोक्ता द्वारा सीआरए शुल्क वहन किए जाते हैं, सीआरए के चयन का निर्णय नियोक्ता के पास होगा, जब तक कि वह विशेष रूप से किसी विशिष्ट कर्मचारी को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं सौंपता और अन्य सभी मामलों में, एनपीएस के तहत सीआरए के चयन का विकल्प कर्मचारी/अभिदाता के पास होगा । स्वैच्छिक अभिदाता के मामले में (किसी कर्मचारी–नियोक्ता संबंध की मौजूदगी के बिना) सीआरए के चयन का विकल्प सामान्य रूप से अभिदाता के पास होगा। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत अभिदाताओं के मामले में, संबंधित सरकार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं सीआरए को चुनेगी । एनपीएस–लाइट अभिदाताओं के मामले में सीआरए को चुनने का विकल्प संकलनकर्ता के पास होगा।

ख. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

सीआरए की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

i. नई कार्यक्षमताओं का निरंतर संवर्धन और विकास किया जाए । सीआरए का उत्तरदायित्व देशभर में सुविधा केंद्र नेटवर्क बनाना और स्थापित करना है। उन्हें विभिन्न नई कार्यात्मकताओं / उपयोगिताओं को विकसित करना होता है और विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉड्यूल का निरंतर सुधार और विकास करना है।

ii. सभी क्षेत्रों के अभिदाताओं को सेवाएं । सीआरए की प्राथमिक भूमिका अभिलेखपालन, प्रशासन, सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए ग्राहक सेवा कार्य करना, अभिदाताओंको अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) और आईपिन/टीपिन जारी करना है। अभिदाताओं को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ईमेल भेजना, धनराशि क्रेडिट/डेबिट, निकासी, प्रान में उपलब्ध धनराशि, अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और सभी एनपीएस हितधारकों को वेब आधारित एक्सेस प्रदान करना शामिल है। सीआरए अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉल सेंटर की सुविधा भी प्रदान करता है। इन सेवाओं के अलावा, सभी अभिदाता रखरखाव सेवाएं जैसे कि योजना में बदलाव, जनसांख्यिकीय विवरण में बदलाव, शिकायत निपटान आदि को सीआरए द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

iii. मध्यस्थ इकाईयों की सेवाएं

क) **पेंशन निधियां (पीएफ)**: पेंशन निधि प्रबंधकों को समय पर धनराशि आवंटित करना, समेकित निवेश वरीयता योजना की जानकारी तैयार करना और भेजना, न्यासी बैंक से प्राप्त निधि स्थानांतरण रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर पेंशन निधि प्रबंधक को कुल राशि स्थानांतरण रिपोर्ट भेजना और पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा सीआरए को भेजे गए एनएवी का उपयोग करते हुए योजना के प्रदर्शन को मापना सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

ख) **न्यासी बैंक (टीबी)**: न्यासी खाते से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्ट का पेंशन निधि अंशदान सूचना रिपोर्ट के साथ मिलान करना और निधि मिलान पर त्रुटि/विसंगति रिपोर्ट तैयार करना, न्यासी बैंक को अभिदाताओं के खाते में आहरण निधि भेजने और वार्षिकी योजना के लिए शेष राशि को वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के खाते में जमा करने का निर्देश देना।

ग) **वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी)**: अभिदाताओं से भौतिक आवेदन प्रपत्र एकत्र करना और उन्हें वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को

अग्रेषित करना और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को अभिदाता की वार्षिकी के लिए निधि अंतरण विवरण भेजना। अभिदाता विवरण के संबंध में एएसपी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर करना और वार्षिकी योजना पर निर्देश भेजना।

घ) अन्यः

पीएफआरडीए, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को आवधिक और तदर्थ एमआईएस (शिकायत निवारण सहित) प्रदान करना, नोडल कार्यालयों के लिए आवधिक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना और असीमित एवं त्रुटिमुक्त प्रणाली परिचालन प्रदान करना, जिसमें सीआरए प्रणाली, पीएफ, टीबी और एनपीएस की अन्य संस्थाएं शामिल हों।

4.पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करनाः

वित्तीय वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('एन–सीआरए') से प्राप्त अपने नाम/ निर्माण को बदलने के अनुमोदन के अनुरोध के आधार पर, प्रोटियन ई–गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को अपने नए नाम में पंजीकरण प्रमाणपत्र (''सीओआर'') जारी किया। ")। अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान, एनपीएस के ढांचे के साथ–साथ अभिदाताओं के नाम में परिवर्तन के व्यापक प्रभाव पर विचार करते हुए, नाम परिवर्तन के कारण कंपनी द्वारा सीआरए गतिविधियों के संचालन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सीआरए के नाम में परिवर्तन का सुचारु रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करना, ताकि मौजूदा सब्सक्राइबर की सर्विसिंग और एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत बिचौलियों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनसीआरए ग्राहक शिक्षा सूचना के प्रसार को मध्यस्थों/हितधारकों को सक्षम बनाता है।

- परिचालन संबंधी पहलुआ/मुद्दों/चिंताओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करना

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि, उपरोक्त सभी गतिविधियों के लिए किए गए खर्च का वहन एनसीआरए द्वारा किया जाएगा

(2). सीआरए के रूप में व्यावसायिक संभावनाओं का विस्तार करने की दृष्टि से, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने संविधान को बदलने के लिए प्राधिकरण को अपनी मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया था। आरओसी से सभी आवश्यक जानकारी, घोषणाएं, प्रमाणन और अनुमोदन सुनिश्चित करने के बाद, प्राधिकरण द्वारा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (उनके संशोधित नाम पर) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किया गया था।

अभिदाताओं/मध्यस्थों/हितधारकों के लिए सीआरए का विकल्पः

वर्तमान में, मेसर्स प्रोटीन ई गर्वनमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआरए की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड अभी पूरी तरह से चालू नहीं है, इस प्रकार, ग्राहक को एम के बीच चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है। 15 फरवरी, 2017 से प्रभावी एम/एस प्रोटियन इगर्वनमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इंटरऑपरेबिलिटी कार्यक्षमता एनपीएस के मौजूदा अभिदाताओं को 01 अप्रैल, 2017 से एक सीआरए से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल होगा। एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड पूरी तरह से चालू होने के बाद। सब्सक्राइबर्स/मध्यस्थों और अन्य हितधारकों के किसी भी मुद्दे/पूछताछ के मामले में संपर्क में आसानी के लिए, चार्ज संरचना से संबंधित अन्य जानकारी सहित सीआरए के संपर्क विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों का संपर्क :

इकाई का नाम	संपर्क विवरण	पता
M/s Protean eGov Technologies Limited	1800 222 080	Protean eGov Technologies Limited Ltd 1st Floor, Times Tower Kamla Mills Compound Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai-400013
M/s KFin Technologies Limited.	1800 208 1516, 1800 208 1617	M/s KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Selenium Building, Financial District Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032.
M/s Computer Age Management Services Limited.	परिचालित होना शेष है	M/S Computer Age Management Services Ltd. Rayala Towers V Floor, 158 Anna Salai Chennai - 600 002

3 वार्षिक शुल्क

प्राधिकरण द्वारा परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2020/22/आरईजी–सीआरए/3, दिनांक 15.06.2020 के माध्यम से, पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम 2015 के प्रावधानों और उसमें संशोधनों के तहत सीआरए के ऑन–टैप पंजीकरण के अनुसार 2020 में शुरू की गई केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के चयन के एक अभिन्न अंग के रूप में अभिदाताओं को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों ("सीआरए") द्वारा प्रत्यारोपित शुल्कों के लिए ''मूल्य निर्धारण प्रणाली के लिए दिशानिर्देश'' निर्धारित किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रोटियन ईगर्वनमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (''P-CRA'') ने अपने पीआरए वार्षिक रखरखाव शुल्क को 01.10.2021 से घटा दिया था। इस संबंध में, बोर्ड की टिप्पणियों के अनुपालन में, पी–सीआरए को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि लागत में कमी के कारण सेवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए और शुल्क संरचना में अगले संशोधन तक, शुल्क में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, शुल्क में कमी हमेशा की जा सकती है।

एनपीएस नियमित और एनपीएस लाइट अभिदाताओं को प्रदान की गई उनकी सेवाओं के विरुद्ध केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा लगाए जाने वाले वर्तमान शुल्क की संरचना नीचे दी गई है:

तालिका संख्या 3.48: एनपीएस नियमित और एनपीएस लाइट/एपीवाई अभिदाताओं के लिए शुल्क संरचना सभी संबंधितों की जानकारी के तहत यहां उपलब्ध कराई गई है:

क्र. सं	सेवा शुल्क शीर्ष	एम/एस एनएसडीएल ई–गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्रथम सीआरए)		एम/एस केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए)		एम/एस कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (अभी भी पूर्ण रूप से परिचालित होना शेष है)	
		एनपीएस नियमित (रूपये में)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रूपये में)	एनपीएस नियमित (रूपये में)	एनपीएस लाइट / एपीवाई (रूपये में)	एनपीएस नियमित (रूपये में)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रूपये में)
1	पीआरए आंरभिक शुल्क	40-00	15-00	39-36	15	40-00	15-00
2	पीआरए वार्षिक प्रबंधन शुल्क	69.00*	20.00	57.63	14.4	65.00	16.25
3	लेनदेन शुल्क	3.75	शून्य	3.36	शून्य	3.50	शून्य

4. विनियम और संशोधन

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015, 27 अप्रैल, 2015 को सूचित किया गया । बाद में, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2018, 25 जून 2018 को सूचित किया गया है ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 का उद्देश्य उस संस्था की पात्रता, शासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्धारित करना है जो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहते हैं। यह विनियम, पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन शक्तियों का प्रभावी एवं विश्वसनीय उपयोग और एक कुशल अनुपालन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे ।

इस विनियमन के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकृत इकाई को एक आंतरिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो एनपीएस अभिदाताओं और उनकी संपत्ति के हितों की रक्षा के उद्देश्य से आंतरिक संगठन और परिचालन आचरण के मानकों का अनुपालन प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान पीएफआरडीए (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम 2015 और उसके संशोधनों की जांच की गई।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 में उभरते/प्रस्तावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस न्यास की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के तहत जिसमें एनपीएस न्यास को मुख्य रूप से पेंशन निधि, अभिक्षक, न्यासी बैंक और सीआरए के निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, के लिए मौजूदा सीआरए विनियम को 14.06.2021 को अधिसूचित पीएफआरडीए (केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) (संशोधन) विनियम 2021 के रूप में संशोधित किया गया था, उसके बाद, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 53 के तहत निर्धारित अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष विनियमों को रखने के संबंध में अनुपालन भी किया गया था।

5.. नई कार्यक्षमताओं का विकास

विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉड्यूल का निरंतर संवर्धन और विकास सीआरए का एक मुख्य उद्देश्य है। एनपीएस प्रणाली के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सीआरए द्वारा विभिन्न कार्यात्मकताओं का विकास किया गया था। कुछ प्रमुख विकास इस प्रकार हैं:

अभिदाता को एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं:

एनपीएस के तहत अभिदाताओं को उपलब्ध सुविधाएं

i) ईएनपीएस मंच के माध्यम से अभिदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आधार आधारित ईकेवाईसी शुरू किया गया है– राजस्व विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन के अनुसार पीएमएल 2002 की धारा 11 ए के तहत यूआईडीएआई से ऑनलाइन आधार ई–प्रमाणीकरण सेवाएं शुरू करने के लिए प्रोटियन – सीआरए और सीएएमएस सीआरए ने ईएनपीएस मंच में अभिदाता पंजीकरण के लिए आधार आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण कार्यक्षमता को सक्षम किया । अभिदाता द्वारा दर्ज आधार संख्या के सत्यापन पर केवाई विवरण यूआईडीएआई डेटाबेस से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किए गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है। इस केवाईसी सत्यापन का उपयोग करके 3.50 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं।

ii) तत्काल बैंक खाता सत्यापन – पेनी ड्रॉप

प्रेषण–वापसी के मुद्दे को हल करने के लिए, अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए धनराशि को समय से जमा करने और अतिरिक्त उचित परिश्रम द्वारा सही लाभार्थी की पहचान करने के लिए सीआरए द्वारा फिन–टेक सेवा प्रदाताओं के साथ अपनी आईटी प्रणाली और निकास रूपरेखा को एकीकृत करके 'पेनी ड्रॉप' द्वारा तत्काल बैंक खाता सत्यापन को अपनाया गया है।

'पेनी ड्रॉप' प्रक्रिया के माध्यम से, सीआरए एसबीए (बचत बैंक खाता संख्या) की सक्रिय स्थिति की जांच करेंगे और बैंक खाता संख्या में नाम का मिलान, प्रान (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) में नाम या जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार करेंगे। लाभार्थी के बचत बैंक खाते में एक निर्दिष्ट राषि डालने और पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके 'परीक्षण लेनदेन' करके खाते की वैधता सत्यापित की जाती है। सेवाप्रदाता द्वारा 'सफलता' या 'विफलता' की प्रतिक्रिया एसबीए नंबर के सत्यापन और सीआरए रिकॉर्ड के अनुसार नाम की जांच के आधार पर प्रदान की जाएगी।

iii) ईएनपीएस– सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए एक नई ऑन–बोर्डिंग सुविधा

ईएनपीएस एनपीएस न्यास की ओर से सीआरए द्वारा होस्ट किया गया ऑनलाइन मंच है जिसमें अभिदाता एनपीएस के तहत ऑनलाइन पंजीकरण और अंशदान कर सकते हैं। वर्तमान में, एनपीएस के तहत , भारतीय सर्व नागरिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। जबकि एनपीएस के तहत सक्रिय प्रान रखने वाले सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं सहित सभी पंजीकृत अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंशदान और टियर ।। खाता सक्रियण सुविधा उपलब्ध है। अब, सरकारी कर्मचारियों (जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं) को एनपीएस में ऑनलाइन पंजीकरण करने और ईएनपीएस के माध्यम से स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) उत्पन्न करने की सुविधा होगी । ईएनपीएस के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया एक कागज रहित प्रक्रिया होगी जिसमें अभिदाता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से पंजीकरण अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

iv) लेन–देन विवरण में शुल्कों को प्रदर्शित किया जाता है – यह पारदर्षिता सुनिश्चित करता है।

अभिदाताओं के लिए पारदर्शिता और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए, खातों के विवरण को संशोधित किया गया है, जिसमें एनपीएस अभिदाताओं से लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों को शामिल करने के तरीके और रीतियों को शामिल किया गया है।

v) एनपीएस/एपीवाई केन्द्रित सेवाओं के लिए डिजिलॉकर के साथ एकीकरण – डिजिटल मंच के माध्यम से सभी नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है और अब अभिदाताओं के लिए प्रान कार्ड अन्य दस्तावेज़ों के साथ उनके

डिजिलॉकर में भी उपलब्ध है। इसके अलावा, डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों को पते के प्रमाण और पहचान के प्रमाण के रूप में उपयोग करने का विकल्प प्रदान करने के लिए अभिदाता पंजीकरण प्रक्रिया को भी संशोधित किया गया है ताकि अभिदाताओं को विकल्प प्रदान किया जा सके।

vi) म्यूचुअल फंड के समेकित खाता विवरण के साथ एसओटी का एकीकरण – अभिदाताओं को उनके निवेश के बारे में समेकित जानकारी प्रदान करने के लिए, पीएफआरडीए म्यूचुअल फंड के लिए आरटीए द्वारा प्रदान किए जा रहे सीएएस विवरण में भी एनपीएस निवेश की जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

vii) सरकार और कॉर्पोरेट अभिदाताओं के लिए विकल्प जो अपनी योजना वरीयता/ निवेश पैटर्न में जारी रहने के लिए सेवानिवृत्त हो रहे हैं/ इस्तीफा दे रहे हैं – सरकार/ कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े अभिदाता जो अपने रोजगार से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं और जो आगे अपने एनपीएस खाते को जारी रखना चाहते हैं, उनके पास अब अपने खाते को सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने और अपनी मौजूदा योजना वरीयता/निवेश पैटर्न के साथ जारी रखने का विकल्प होगा। पहले सर्व नागरिक क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए योजना वरीयता/ निवेश पैटर्न उपलब्ध नहीं होने पर अपना खाता स्थानांतरित करना पड़ता था और सर्वनागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाताओं के लिए उपलब्ध योजना वरीयता/निवेश पैटर्न का विकल्प चुनना पड़ता था। इस कदम से मोचन और पुनर्निवेश जोखिम कम होगा।

viii) विभिन्न भाषाओं में एसओटी की सुविधा – अब अभिदाताओं के लिए लेनदेन विवरण अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है।

ix) ईएनपीएस में ''अपने प्रान को जानें'' की सुविधा

केफिनटेक अभिदाताओं ने ईएनपीएस वेबसाइट पर अपने प्रान को जानें विकल्प के माध्यम से अपने प्रान को पुनः प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया है। उपयोगकर्ता को पैन, जन्म तिथि और कैप्चा दर्ज करना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का सफल प्रमाणीकरण, प्रान और अभिदाता का नाम उपयोगकर्ता को दिखाया जाएगा।

x) **उमंग एप के साथ एकीकरण –**

केफिनटेक सीआरए ने एनपीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए उमंग एप के साथ एकीकरण किया है। अभिदाता को प्रान और पासवर्ड प्रदान करना होगा और उचित प्रमाणीकरण के बाद, उमंग वेबसाइट/एप पर निम्नलिखित एनपीएस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

- व्यक्तिगत विवरण देखें
- बैंक विवरण देखें – टियर I और टियर II
- नॉमिति विवरण देखें – टियर I और टियर II
- योजना विवरण – टियर I और टियर II
- कुल होल्डिंग – टियर I और टियर II
- योजना–वार होल्डिंग – टियर I और टियर II
- ईमेल पर लेनदेन विवरण
- पांच हालिया योगदान
- पासवर्ड अपडेट करें
- मोबाइल नंबर अपडेट करें
- ईमेल आईडी अपडेट करें

xi) अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को एनपीएस की विभिन्न कार्यात्मकताओं और लाभों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए यूट्यूब पर 'एनपीएस की पाठशाला' वीडियो।

xii) अब अभिदाता और इकाई (एनपीएस अभिदाता की ओर से शिकायत उठाना) के लिए सीजीएमएस प्रणाली में संबंधित प्रश्न श्रेणी के उत्तर के साथ अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध हैं । कोई अभिदाता, जो सीजीएमएस के माध्यम

से कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, उसके पास चयनित शिकायत की श्रेणी के आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रासंगिक उत्तर देखने का प्रावधान होगा।

xiii) एनपीएस के तहत पंजीकरण के दौरान बैंक/डाकघरों द्वारा केवाईसी अस्वीकार किए जाने की स्थिति में अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन री–केवाईसी विकल्प उपलब्ध है। अभिदाता अस्वीकृति के कारण के अनुसार आवश्यक विवरण अपडेट कर सकता है और यह चयनित बैंक/पीओपी को पुनः केवाईसी के लिए उपलब्ध होगा। अब, री–केवाई सुविधा उन सभी अभिदाताओं के लिए बढ़ा दी गई है, जहां अभिदाताओं के पंजीकरण के दौरान बैंकों द्वारा केवाईसी को अस्वीकार कर दिया गया था।

एनपीएस मोबाइल एप में विशेषताएं

i) डी रेमिट वर्चुअल आईडी– अभिदाता अब ईएनपीएस वेबसाइट पर जाने के अलावा मोबाइल एप के जरिए अपना डी रेमिट वर्चुअल आईडी बना सकते हैं।

ii) ओटीपी का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट करना– अब अभिदाताअ ओटीपी के माध्यम से मोबाइल एप का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। अभिदाता को अपना प्रान, जन्म तिथि दर्ज करनी होगी और अपना नया पासवर्ड सेट करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। उसके मोबाइल (सीआरए के साथ पंजीकृत) पर प्राप्त सही ओटीपी दर्ज करने पर पासवर्ड सक्रिय हो जाता है। यह विकल्प गुप्त प्रश्न का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट करने के विकल्प के अतिरिक्त है।

iii) आईओएस और विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल एप उपयोगकर्ता के मोबाइल एप को आईओएस और विंडोज प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले अभिदाताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है।

iv) मोबाइल एप में XIRR प्रदर्शित होता है जिसमें अभिदाताओं द्वारा अपने कोष पर अर्जित किए जा रहे रिटर्न को दर्शाया जाता है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत सुविधाएँ

i) ईएपीवाई– संभावित अभिदाता अब अपनी बैंक शाखा में जाए बिना एपीवाई मंच के माध्यम से एपीवाई के तहत नामांकन कर सकते हैं । अभिदाता को आवश्यक विवरण और केवाईसी सत्यापन के लिए आधार संख्या दर्ज करनी होगी और खाता खोला जाएगा और संबंधित एपीवाई–एसपी को टैग किया जाएगा।

ii) एपीवाई अभिदाताओं के लिए कॉल सेंटर–एपीवाई अभिदाताओं के लिए समर्पित कॉल सेंटर शुरू किया गया है। एपीवाई कॉल सेंटर नंबर 180 889–1030 है।

iii) अभिदाताओं को नवप्रवर्तन और अधिक सेवा लाभ प्रदान करने के लिए सभी सीआरए के लिए एपीवाई खोलने का प्रस्ताव।

iv) एपीवाई मोबाइल एप–

1. वर्तमान में पंजीकरण फॉर्म, स्वैच्छिक निकास फॉर्म, योगदान मैट्रिक्स इत्यादि जैसे विभिन्न दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए विकल्प उपलब्ध है। दस्तावेजों के डाउनलोड के समय, एनएसडीएल वेबसाइट पर उपयोग को पुनर्निदेशित किया गया था। अब अभिदाता एनएसडीएल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होने के बजाय एप में ही सभी दस्तावेजों को डाउनलोड करने में सक्षम होगा।

2. एपीवाई एप में, अभिदाता अभिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या, जन्म तिथि और कैप्चा जैसे विवरण प्रदान करके प्रान कार्ड खोज और डाउनलोड कर सकेगा। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अभिदाता को एप में लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं है।

v) एपीवाई–एपीवाई के तहत न्यूनतम पेंशन को अपग्रेड/डाउनग्रेड करें, अभिदाता को रु. 1,000/–, 2,000/– 3,000/–, 4,000 और 5,000/– प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का चयन करना अनिवार्य है, जो अभिदाताओं

द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में दिया जाएगा। तदनुसार, अंशदान को अभिदाता के बैंक खाते से चुनी गई आवृत्ति के अनुसार अर्थात् मासिक/तिमाही/छमाही के अनुसार कटौती की जाती है। पीएफआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, एपीवाई अभिदाताओं के पास चुनी गई पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड करने का विकल्प है। वर्तमान सुविधा के अनुसार अभिदाता को अलग–अलग/कम राशि का भुगतान करना पड़ता था । अब 18 से 40 वर्ष की आयु के अभिदाताओं के लिए रिफिक्सेशन मॉडल के माध्यम से अपग्रेड/डाउनग्रेड सक्षम किया गया है। इसे एपीवाई मोबाइल एप में उपलब्ध कराया गया है।

vi) एनपीएस लाइट अभिदाताओं के पास एपीवाई–एनपीएस लाइट/ स्वावलंबन योजना में माइग्रेट करने का विकल्प– 18–40 वर्ष की आयु के बीच के अभिदाता अब अटल पेंशन योजना में माइग्रेट करने के लिए हमें ऑनलाइन रूप से ईएनपीएस / ईएपीवाई पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। अभिदाता द्वारा जमा किए गए विवरण के सत्यापन और खाते को स्थानांतरित करने के लिए एपीवाई–एसपी के साथ साझा किया जाएगा।

vii) एपीवाई–लीड जनरेशन मॉड्यूल (एलजीएम)–एलजीएम के माध्यम से, अभिदाताओं को एपीवाई–एसपी शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खाता ओटीपी प्रमाणीकरण के आधार पर खोला जा सकता है और इसका उपयोग संभावित अभिदाता या किसी शुभचिंतक द्वारा उन लोगों के लिए किया जा सकता है, जिन्हें वह सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए खाता खोलना जिन्हें वह जानता/जानती है। LGM APY&SPs को खाता खोलने के लिए डाउनलोड किए गए डेटा का उपयोग करने में मदद करता है। अनुरोध प्रस्तुत करने पर लीड को संबंधित एपीवाई–एसपी को प्रान जनरेशन के लिए अग्रेषित किया जाएगा। LGM APY&S को न्यूनतम प्रयास और लागत के साथ अभिदाताओं को जुटाने में सक्षम बनाता है।

नोडल कार्यालय/पीओपी/निगमों के लिए सुविधाएँ

i) एनपीएस योगदान में त्रुटि सुधार मॉड्यूल – योगदान प्रसंस्करण के समय, किसी भी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि पाए जाने पर, पूरी फाइल को खारिज करने के बजाय, केवल उस रिकॉर्ड को खारिज कर दिया जाता है और त्रुटि के बिना अन्य रिकॉर्ड संसाधित किए जाते हैं। यह उन अभिलेखों के लिए योगदान की प्रक्रिया में देरी से बचाएगा जहां कोई त्रुटि नहीं है और नोडल अधिकारी के प्रयासों को कम करता है।

ii) नोडल कार्यालय के बैंक खाता प्रकार– सीआरए प्रणाली में बचत और चालू खाते के अलावा, नोडल कार्यालयों को सरकारी खाते को चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

iii) विभागाध्यक्ष डैशबोर्ड रिपोर्ट – संबंधित डीडीओ के प्रदर्शन और अनुपालन की निगरानी के लिए विभाग प्रमुख (एचओडी) के लिए सीआरए प्रणाली में एचओडी डैशबोर्ड रिपोर्ट विकसित की गई है। एचओडी स्तर डब्ल्यू पीआरएओ/डीटीए के समान होगा जो अंतर्निहित डीडीओ के संचालन की निगरानी करेगा। इन डीडीओ के साथ मैप किए गए पीएओ/डीटीओ के साथ शीर्ष पर एचओडी और उनके अंतर्निहित डीडीओ के साथ एक पदानुक्रम बनाया गया है। ये डीडीओ और पीएओ/डीटीओ नोडल कार्यालयों को उपलब्ध मौजूदा डैशबोर्ड रिपोर्ट में विभिन्न पीआरएओ/डीटीए से जुड़े हो सकते हैं। एचओडी रिपोर्ट सरकारी क्षेत्र अर्थात् सीजी और एसजी के लिए विकसित की गई है।

सीआरए टोल फ्री हेल्पलाइन

नोडल कार्यालयों को उनके सामान्य प्रश्नों/शिकायतों के संबंध में सीआरए से संपर्क करने के लिए समर्पित टोल फ्री नंबर (1800222081) उपलब्ध कराया गया है। यह एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध मौजूदा टोल फ्री नंबर (1800222080) के अतिरिक्त है।

3.14.5 पेंशन निधियां (पीएफ)

पेंशन निधि से तात्पर्य है एक मध्यस्थ इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा भाग 27 के उप–भाग (3) के तहत अंशदानों को प्राप्त करने, उन्हें निवेशित करने और विनियमों में यथानिर्दिष्ट रीति में अभिदाताओं को भुगतान करने के लिए एक पेशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

पेंशन निधियां जिन्हें नियुक्त और पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य योजना के तहत पेंशन कोष को प्रबंधित करती हैं । पेंशन निधियां मूल आस्तियों की प्राप्ति के पुष्टिकरण के लिए उनके एक्सेस कोड और निधि आवंटन, निधि आवंटन के पुष्टिकरण के लिए निर्देशों का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अभिरक्षकों को नियमित आधार पर भेजती है ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित हुए और पेशन निधियों को इन विनियमों का इनके संशोधनों सहित पालन करना था ।

पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है, लेकिन यह केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं हैः

क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजनाओं के तथ्यों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर किया जाएगा ।

ख) पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

ग) पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हितों को ध्यान मे रखते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए सदैव उच्चतर सेवा मानदंडो, उपयुक्त सावधानी, विवेकशीलता, व्यवसायिक कौशल, शीघता, तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करेगी। पेंशन निधियां सट्टेदार निवेशों या लेनदेन करने से बचेगी।

घ) पेंशन निधि उच्च शिक्षित पेशेवरों या ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। पेंशन निधि उसके कर्मचारियों या अधिकृत व्यक्ति, जिससे सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कृताकृत के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसे कृताकृत का उत्तरदायित्व उसका होगा। यह उत्तरदायित्व तब तक बना रहेगा, जब तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरसन या निलंबन या वापसी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन अधिक्रमण नहीं हो जाता।

ड.) पेशन निधि अन्य मध्यस्थ इकाईयों और अन्य इकाईयों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध, परिचालन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी।

च) पेंशन निधियां पेंशन योजनाओं के परिचालन से संबंधित खाता बहियों, अभिलेखों, रजिस्टर और दस्तावेज़ों को प्रबंधित करेगी ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जा सके और लेनदेन की लेखापरीक्षा और सदैव व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखा जा सके।

छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत आवश्यक या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर मांगी गई आवधिक और अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगी।

ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित मे सूचना का लोक प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची V में यथानिर्दिष्ट पद्धति या रीति में करेगी।

झ) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन अर्थात् निवेश समिति और जोखिम समिति के गठन, उसकी रचना, कार्य, नीतिगत तथ्यों और अनुसूची X मे यथानिर्दिष्ट अन्य समान मामलों के लिए उच्च शासन पद्धतियों को अपनाएगा।

ञ) एक पेंशन निधि द्वारा पेंशन निधि के रूप में

दायित्वों को पूर्ण करते हुए हित संघर्षों से भी बचाव किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदान की जाएगी।

त) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि व्यवसायिक गतिविधियों की व्यापकता और पृथक्कता सुनिश्चित करेगा।

थ) पेशन निधि अभिदाताओं की सूचना के संबंध में और पेशन निधियों से संबंधित क्रियाकलापों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त उसके नियंत्रणाधीन संपूर्ण सूचना की सुरक्षा करेगा।

द) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगा।

3.14.6 न्यासी बैंक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम

पीएफआरडीए (न्यास बैंक) विनियम, 2015 को 23 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया था। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियमों का उद्देश्य न्यासी बैंक के रूप में चयनित होने वाली संस्था की पात्रता, शासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्धारित करना है। विनियम पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन शक्तियों और एक कुशल अनुपालन कार्यक्रम का प्रभावी और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

न्यासी बैंक:

पीएफआरडीए (न्यास बैंक) विनियम, 2015 के तहत न्यासी बैंक के चयन के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी 12 अक्टूबर 2020 के प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफपी) के जवाब में एक्सिस बैंक लिमिटेड को एनपीएस के तहत न्यासी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एक्सिस बैंक को एनपीएस न्यासी बैंक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र 8 जनवरी 2021 से जारी किया गया और पंजीकरण प्रमाण पत्र और उसे प्रदत्त विस्तार की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध है, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम 2015 और उसके संशोधनों के नियम 13 के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

एनपीएस न्यास द्वारा न्यासी बैंक के साथ एक सेवा स्तरीय समझौता (एसएलए) आरएफपी दिनांक 12.10.2020 और पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 तथा उसके संशोधनों के साथ–साथ इसके तहत जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित आरेख एनपीएस संरचना में न्यासी बैंक की भूमिका को दर्शाता है:

चार्ट 3.11 एनपीएस संरचना और मध्यस्थ इकाईयां

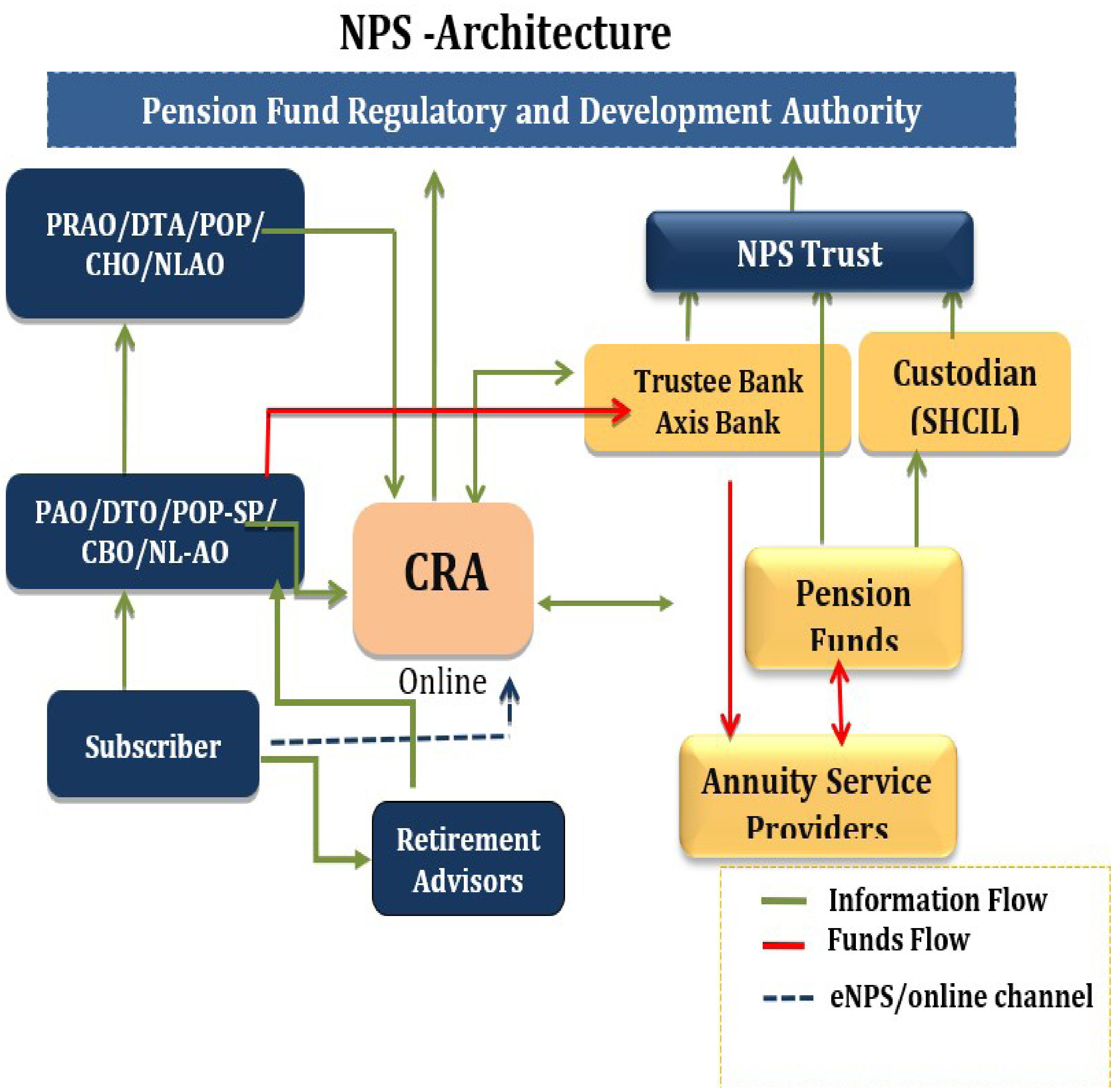

न्यासी बैंक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

1. न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं अर्थात् नोडल कार्यालयों (अपलोड करने वाले कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाताओं के बीच निधि स्थानांतरण सुविधा प्रदान करता है।

2. न्यासी बैंक, सीआरए प्रणाली में विभिन्न नोडल कार्यालयों से प्राप्त निधियों के विवरण वाली एक फाइल अपलोड करता है। फिर इन विवरणों का मिलान नोडल कार्यालय (कार्यालयों) द्वारा सीआरए प्रणाली को प्रदान किए गए अंशदान विवरण से किया जाता है।

3. न्यासी बैंक को सीआरए प्रणाली से निधि स्थानांतरण करने के लिए भुगतान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विभिन्न संस्थाओं अर्थात् पेंशन निधियों, वार्षिकी प्रदाता, निकासी खाते को निधि स्थानांतरण निर्देश प्राप्त होते हैं और यह पेंशन निधि प्रबंधक(ओं) से भी धन प्राप्त कर सकते हैं।

4. अज्ञात विप्रेषणों या अधूरी जानकारी युक्त विप्रेषणों को संबंधित संस्था को वापस करना।

5. प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक खाते में जमा धनराशि का सीआरए प्रणाली में मौजूद राशि के साथ मिलान किया जाता है।

एनपीएस न्यासी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं और कार्य निम्नलिखित हैं:

1. न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं अर्थात् नोडल कार्यालयों (अपलोड करने वाले कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाताओं के बीच निधि स्थानांतरण सुविधा प्रदान करता है।

2. न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं अर्थात् नोडल कार्यालयों (अपलोड करने वाले कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाताओं के बीच निधि स्थानांतरण सुविधा प्रदान करता है।

3. न्यासी बैंक को सीआरए प्रणाली से निधि स्थानांतरण करने के लिए भुगतान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विभिन्न संस्थाओं अर्थात् पेंशन निधियों, वार्षिकी प्रदाता, निकासी खाते को निधि स्थानांतरण निर्देश प्राप्त होते हैं और यह पेंशन निधि प्रबंधक(ओं) से भी धन प्राप्त कर सकते हैं।

4. अज्ञात विप्रेषणों या अधूरी जानकारी युक्त विप्रेषणों को संबंधित संस्था को वापस करना।

5. प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक खाते में जमा धनराशि का सीआरए प्रणाली में मौजूद राशि के साथ मिलान किया जाता है।

एनपीएस न्यासी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं और कार्य निम्नलिखित हैं:

6. न्यासी बैंक, प्राधिकरण के निर्धारित नियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के तहत एनपीएस न्यास द्वारा निर्देशित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

7. न्यासी बैंक प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और अन्य मध्यस्थ इकाईयों के साथ आवश्यक सेवा स्तर समझौते और गैर–प्रकटीकरण समझौते पर, जहां लागू हो, हस्ताक्षर करता है।

8. न्यासी बैंक मध्यस्थ इकाईयों के बीच एक संपर्क बिंदु स्थापित करता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त अन्य मध्यस्थों के साथ कुल सहयोग और समन्वय में कार्य करता है।

9. न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाता है और उचित परिश्रम करता है कि प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास दिशानिर्देशों/ निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं और अभिदाताओं के अधिकार और हित सुरक्षित है।

10. न्यासी बैंक खाते एनपीएस अभिदाताओं की ओर से हैं, और एनपीएस न्यास के नाम से खोले गए हैं। एनपीएस न्यास इन फंडों का पंजीकृत मालिक है। हालांकि, व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता इन फंडों के लाभार्थी बने रहेंगे। एनपीएस न्यास को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10(44) के अनुसार आयकर भुगतान से छूट दी गई है।

11. न्यासी बैंक एनपीएस के तहत निधियों के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/ अधिसूचनाओं/निर्देशों और एनपीएस न्यास के साथ निष्पादित परिचालन सेवा स्तर समझौते तथा पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के आधार पर एनपीएस न्यास द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकिंग कार्य करता है।

12. न्यासी बैंक निधियों के दैनिक प्रवाह के लिए उत्तरदायी है।

13. न्यासी बैंक अपने पास उपलब्ध एनपीएस निधियों से संबंधित सूचना और निर्देश, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण(ओं) को नियमित आधार पर प्रेषित करता है।

14. न्यासी बैंक एनपीएस न्यास, पीएफआरडीए,

सीआरए और अन्य सेवा प्रदाताओं को वेब–आधारित एक्सेस प्रदान करता है।

15. न्यासी बैंक भविष्य के परिवर्तनों के लिए अनुकूल है, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण होने वाले परिवर्तन, अभिदाताओं की संख्या, योजनाओं की संख्या सहित प्रणाली विशिष्टताओं में परिवर्तन, और पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास द्वारा निर्धारित सेवाओं तथा कार्यात्मक दायित्वों सहित प्रणाली विनिदेशों में परिवर्तन शामिल हैं।

16. न्यासी बैंक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस न्यासी बैंक, सीआरए (एस), अभिदाताओं, पेंशन निधि, आदि के बीच धन प्रवाह और सूचना प्रवाह के लिए बहीखाता और रिकॉर्ड रखता है, और पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास द्वारा आवश्यकतानुसार या मांगानुसार अंतराल पर और विधि से नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सकता है।

17. न्यासी बैंक से समय–समय पर प्रकटीकरण आवश्यकताओं और पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास और अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। न्यास खातों से संबंधित बही और रिकॉर्ड पीएफआरडीए, एनपीएस न्यास, आरबीआई और उनके संबंधित लेखा परीक्षकों के अधिकृत अधिकारियों या अभिकर्ताओं के लिए निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

18. न्यासी बैंक, पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास को निम्नलिखित आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है–

क) एनपीएस न्यास खातों, अनुपालन प्रमाणपत्रों और अभिदाता शिकायतों की रिपोर्ट के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से नियमित अंतराल पर आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का सार।

ख) समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत की जाती है।

ग) न्यासी बैंक में रखे गए सभी एनपीएस खातों की बाहरी लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक आधार पर जमा की जाती है।

उपरोक्त तीनों लेखापरीक्षाओं का दायरा पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित है।

19. एनपीएस न्यासी बैंक अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी होगा जिनकी सेवाएं एनपीएस न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त की गई हैं।

न्यासी बैंक के लिए समयसीमा

न्यासी बैंक की व्यावसायिक गतिविधियाँ सीआरए की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। नीचे दिया गया चार्ट मुख्य गतिविधियों और समय सीमा का मूल विचार देता है, जिसके भीतर बैंक द्वारा इसे किया जाता है:

तालिका संख्या 3.48: समयसीमा के साथ न्यासी बैंक के प्रमुख क्रियाकलाप

क्र.सं	क्रियाकलाप की प्रकृति	अंतिम समय*	दिवस*
1.	न्यासी बैंक के लिए निधि प्राप्ति	-	टी
2.	अपरिचित निधियों की वापसी	-	टी–1
3.	निधि प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल अपलोड	i) सामान्य निधि प्राप्ति पुष्टिकरण के लिए टी–1 दिवस पर प्रातः 09:15 बजे डी–रेमिट निधि प्राप्ति पुष्टिकरण के लिए टी दिवस (प्रातः 09.30:01 और टी + 1 पर प्रातः 09.30:00 के बीच प्राप्त समाशोधित निधियों के लिए) पर प्रातः 10.30 बजे	प्रतिदिन
4.	भुगतान निर्देश फाइल डाउनलोड	-	प्रतिदिन

क्र.सं	क्रियाकलाप की प्रकृति	अंतिम समय*	दिवस*
5.	पेंशन निधियों और निकासी खातों को निधि स्थानांतरण की पुष्टिकरण के लिए निर्दिष्ट समय	ii) पेंशन निधि लेनदेन संसाधन : 13:30 घन्टे डब्लयूएसी फाइल संसाधन : दिवस की समाप्ति पर	प्रतिदिन
6.	पेंशन निधियों को एम एंड बी निधियों का स्थानांतरण	-	टी–1
7.	विवरण अपलोड और विभिन्न खातों का अंतिम शेष	-	प्रतिदिन

ध्यान दें: प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा का अनुपालन न करने पर समय–समय पर विनिर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। समय–सीमा में गैर–अनुपालन के लिए दंड प्रावधान की वर्तमान लागू दर दो प्रतिशत प्रति वर्ष सहित आरबीआई रेपो दर मुआवजे के रूप में देय है।

यदि धनराशि 50/– रूपये से अधिक है तो मुआवजे की राशि अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान में जमा की जाएगी और यदि यह धनराशि 50/– रुपये से कम है तो एसईपीएफ खाते में जमा की जाएगी।

नियामक शुल्क संरचना : न्यासी बैंक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर सभी एनपीएस न्यास खातों के समेकित शेष पर प्रति वर्ष प्रतिशत के रूप में गणना की गई रेपो दर पर वार्षिक शुल्क जमा करेगा, यह पूरी पंजीकरण अवधि और उसके लिए की गई कोई भी विस्तारित अवधि के लिए मान्य है, इसका तिमाही आधार पर सीधे प्राधिकरण को भुगतान किया जाता है।

iii) **प्रत्यक्ष प्रेषण (डी–रेमिट)**:

अभिदाता को कम लागत पर नियमित योगदान करने की सुविधा के लिए , पीएफआरडीए ने प्रत्यक्ष प्रेशण (डी–रेमिट) नाम से एक अतिरिक्त विकल्प/ अंशदान का तरीका पेश किया है, जिसमें सरकारी/ गैर–सरकारी/ सर्व नागरिक मॉडल के तहत मौजूदा एनपीएस अभिदाता सक्षम होंगे। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) से जुड़ी एक वर्चुअल आईडी बनाकर स्वेच्छा से अपना अंशदान जमा करें। डी–रेमिट ने न केवल स्वैच्छिक अंशदान जमा करने के तरीके को आसान बनाया है बल्कि, अगर न्यासी बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम समय के भीतर अंशदान प्राप्त होता है तो निवेश पर उसी दिन एनएवी प्रदान करके निवेश रिटर्न को भी अनुकूलित किया है।

अभिदाता अब अपने नेटबैंकिंग खाते में एक स्थायी निर्देश डाल सकते हैं, जो सीधे उनके प्रान खातों में अंशदान भेज देगा। यह निवेश की समयसीमा को टी़2 से घटाकर टी (एक निर्धारित समय से पहले किए गए अंशदान के लिए) या टी़1 कर देगा।

डी रेमिट के तहत अंशदान स्वीकार करने के लिए तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) सुविधा।

अभिदाता एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का प्रयोग करते हुए अंशदान कर सकते हैं। आईएमपीएस सुविधा से अभिदाताओं को आईएमपीएस के तहत राशि स्थानांतरित करने और उसी दिन एनएवी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

तालिका संख्या 3.49: दैनिक औसत धनराशि (करोड़ में) – वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान रुझान

दैनिक औसत धनराशि	प्रोटियन सीआरए	सीआरए एनएसडीएल	सीआरए के फिनटेक	कुल
अप्रैल–21	17,657	251	0	17,907
मई–21	14,811	217	0	15,029
जून–21	13,535	215	0	13,751

दैनिक औसत धनराशि	प्रोटियन सीआरए	सीआरए एनएसडीएल	सीआरए के फिनटेक	कुल
जुलाई–21	16,035	200	w0	16,236
अगस्त–21	12,377	214	0	12,592
सितंबर–21	17,527	284	0	17,811
अक्टूबर–21	19,993	227	0	20,220
नवंबर–21	17,231	262	0	17,493
दिसंबर–21	18,272	243	0	18,515
जनवरी–22	18,652	408	0	19,060
फरवरी–22	18,325	338	0	18,663
मार्च–22	23,435	531	1	23,966
कुल	**2,07,850**	**3,391**	**1**	**2,11,242**

(स्रोत – न्यासी बैंक)

3.14.7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्रतिभूतियों का अभिरक्षक

'प्रतिभूतियों का अभिरक्षक' प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के लिए अभिरक्षक और निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा(3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संस्था अभिप्रेत है :

''अभिरक्षक सेवाएं''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन आस्तियों और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना तथा उससे अनुषांगिक सेवाएं प्रदान करना अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलत है :–

(i) आस्तियों और प्रतिभूतियों के खातों को संधृत करना:

(ii) डिपाजिटरी अधिनियम, 1996(1996 का 22) के निबंधनों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुज्ञात घरेलू निक्षेपागार के रूप में कार्य करना :

(iii) आस्तियों और प्रतिभूतियों पर उद्भूत हकदारी और लाभों का संग्रहण करना :

(iv) प्रतिभूतियों के निगमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में संसूचित करना जो प्रोद्भूत होने वाले लाभों या हकदारी से सम्बन्ध हो : और

(v) उपखंड(i) से(iv) में संदर्भित सेवाओं के अभिलेखों को बनाए रखना और समाधान करना।

वर्तमान में, स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व

पीएफआरडीए (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 2015 के अनुसार प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व नीचे दिए गए हैं :

(1) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में सभी समय पर उचित सावधानी, विवेक, व्यवसायिक कुशलता और सम्यक् तत्परता बरतेगा ।

(2) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अन्य मध्यवर्तियों और संस्थाओं के साथ संयोजन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, पर्याप्त सूचना तकनीक अवसंरचना उपलब्ध कराएगा और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों जिनमें तकनीक उन्नति में परिवर्तन, प्रणाली और सेवाओं

के विनिर्देशन में परिवर्तन और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य सम्बन्धी दायित्वों की उद्घोषणा में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित होगा ।

(3) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा कि अभिलेखों की निरंतरता लुप्त या नष्ट न हो और इसके लिए अभिलेखों का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो ।

(4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर पेंशन योजना खातों में संव्यवहार का स्तर पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार हो और इन खातों में धारित आस्तियों का इस्तेमाल स्पष्टतया केवल पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अधिकृत संव्यवहार के लिए किया गया है ।

(5) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से धारित प्रतिभूतियों को उसके खातों में उसकी अपनी धारिताओं, अन्य ग्राहकों के खातों से स्पष्टतया पृथक और अलग रखा गया है और अन्य गतिविधियों से पृथक है। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के निर्दिष्ट रीति के अनुसार एक पृथक् अनुरक्षित खाता खोलेगा ।

(6) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा पेंशन योजनाओं के लिए उसकी अनुरक्षा में धारित प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार और हकदारी प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और समय पर प्राप्त हो ।

(7) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों में व्यक्तिगत धारित राशि दिन की समाप्ति पर निक्षेपागार धारित राशियों और ग्राहक सहायक सामान्य खाता बही के साथ समाधानकृत हो ।

(8) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों के अन्दर और बाहर की प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के लुप्त होने पर प्रतिभूतियों के अनुरेखण अथवा दस्तावेजों के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो।

(9) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक उसकी अभिरक्षा में धारित प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के लुप्त होने पर प्रतिभूतियों के अनुरेखण अथवा दस्तावेज के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो ।

(10) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियां पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं ।

(11) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास अभिलेखों और दस्तावेजों में जिनमें प्रतिभूतियों की संपरीक्षा, अधिकार अथवा इस करार के अधीन धारित आस्तियों पर हकदारी शामिल हैं किसी प्रकार के हेरफेर से रक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होगा । प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास ऐसी प्रतिभूतियों (आस्तियों और दस्तावेजों) को चोरी और प्राकृतिक आपदा से बचाव सुनिश्चित करता हुआ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

(12) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन खातों में उपलब्ध आस्तियों का निपटान करने का हकदार नहीं होगा अथवा पेंशन निधि अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से उस पर देय राशियों के अंशतः और पूर्णतः समाधान के लिए उनके साथ समझौता बिना प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पूर्व लिखित अनुमति के नहीं करेगा।

(13) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्रतिभूतियों पर ऋण भार नहीं लगाएगा जिनमें गिरवी रखने, उप्राधीयन अथवा किसी प्रकार के प्रभार का निर्माण शामिल है अथवा उक्त प्रतिभूति पर उसका दावा नहीं करेगा । प्रतिभूतियों का अभिरक्षक बिना प्राधिकरण

अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की अनुमति के किसी प्रकार से प्रतिभूतियों को परिवर्तित नहीं करेगा ।

(14) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टों और विवरणों को पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा अन्य मध्यवर्तियों को प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अथवा समझौते में विनिर्दिष्ट अंतरालों पर तथा ऐसी रीति में प्रेषित करेगा ।

(15) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक खाता बहियों, पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का समुचित निर्माण करेगा और उसके पास अपने नियंत्रण, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा रक्षोपायों के पुनर्विलेख, निरीक्षण और मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त तंत्र होगा।

(16) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक आंतरिक संपरीक्षक के द्वारा तिमाही आधार पर लेखा बहियों की संपरीक्षा कराएगा और आस्तियों अथवा पेंशन निधियों के कारबार से सम्बंधित उसके निष्कर्ष को प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को यथाविनिर्दिष्ट संपरीक्षा की तिथि से तीस दिन के पश्चात् जमा कराएगा ।

(17) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तावित सेवाओं और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए किसी भी विनियामक, प्राधिकरण, समाशोधन निकाय, विनिमय अथवा निक्षेपागार द्वारा लागू सभी नियमों, विनियमों परिपत्रों अथवा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।

3.14.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

(क) एनपीएस न्यास की स्थापना केंद्र सरकार के पत्र डीओ नंबर 5(75)/2006–ईसीबी और पीआर दिनांक 24 अप्रैल 2007 के अनुसार की गई थी। पीएफआरडीए न्यास का संस्थापक है और पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास अनुबंध का निष्पादन 27 फरवरी, 2008 को हुआ था।

लाभार्थियों (अभिदाताओं) के लाभ के लिए एनपीएस के तहत संपत्ति और धन रखने के लिए एनपीएस न्यास की स्थापना और गठन किया गया है। न्यासियों के पास न्यास निधि और न्यास के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन का कानूनी स्वामित्व होता है और न्यास के उद्देश्य से संबंधित या प्रासंगिक सभी शक्तियां, अधिकार और विवेक पूरी तरह से न्यासियों में निहित होते हैं, फिर भी यह पीएफआरडीए अधिनियम–2013, भारतीय न्यास अधिनियम –1882, एनपीएस न्यास अनुबंध के प्रावधान और आगे ऐसे निर्देशों या दिशानिर्देशों के अधीन है, जो समय–समय पर पीएफआरडीए द्वारा जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, लाभकारी हित हमेशा एनपीएस न्यास के लाभार्थियों के पास ही रहेगा।

31 मार्च, 2022 तक के अनुसार एनपीएस न्यास बोर्ड के न्यासियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदान किया गया है

तालिका सं. 3.50: 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार एनपीएस न्यास बोर्ड के न्यासियों का विवरण

क्र.सं	नाम	पद
1	श्री अतनु सेन	अध्यक्ष और न्यासी
2	श्री सुधीर श्याम	न्यासी
3	श्री रुचिर मित्तल	न्यासी
4	डॉ. पी.सी जफ्फर	न्यासी
5	श्री जे.के शर्मा	न्यासी
6	श्री दिनेश कुमार मेहरोत्रा	न्यासी
7	श्री राधाकृष्णन नैयर	न्यासी
8	श्री संजीव चानना	न्यासी
9	श्री सूरजभान	न्यासी
10.	श्री वाई वेंकटराव	न्यासी
11.	सुश्री चित्रा जयसिम्हा	न्यासी

(ख) एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस निधि का प्रबंधन

एनपीएस न्यास के नाम पर धारित अभिदाताओं की एनपीएस निधि का प्रबंधन न्यासी बोर्ड की ओर से सात नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा किया जाता है ताकि अभिदाताओं के हित में एनपीएस न्यास के उद्देश्यों को

पूरा किया जा सके। एनपीएस न्यास द्वारा त्रैमासिक आधार पर पेंशन निधियों के निष्पादन की समीक्षा की जाती है और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें निर्देश/मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

(ग) एनपीएस न्यास शुल्क/प्रभार

एनपीएस न्यास को नियमित रूप से मध्यस्थ इकाईयों के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए अधिकार दिया गया है और राजस्व की नियमित धारा के साथ एक आत्मनिर्भर इकाई होना इसकी अनिवार्यता है। इसलिए, एनपीएस न्यास द्वारा शुल्क/प्रभार आरोपित करने की समीक्षा की गई है और तदनुसार पीएफआरडीए के बोर्ड ने दैनिक उपार्जन आधार पर प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) के 0.005ः प्रति वर्ष, शुल्क/प्रभार को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।

(घ) नियुक्ति और कार्यकाल का विस्तार

पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के तहत न्यासियों की नियुक्ति दिनांक 12.01.2018 के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा दो न्यासियों को इस प्रकार नामित किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभिक वरीयता दी जाए, जिस राज्य में एनपीएस के तहत अधिकतम अभिदाता हैं, उसके बाद ऐसा राज्य जिसमें एनपीएस के तहत प्रबंधन के अधीन अधिकतम संपत्ति है। न्यासियों का कार्यकाल केवल 3 वर्ष का होता है और उसके बाद इसे राज्य सरकारों के बीच आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक राज्य सरकार कुछ समय के लिए प्रतिनिधित्व कर सके। साथ ही, केंद्र सरकार के विभागों/सीएबी में से दो न्यासी केंद्र सरकार द्वारा (एक डीएफएस के माध्यम से और एक डीओपीपीडब्ल्यू के माध्यम से) नामित किए जाने हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, एनपीएस न्यास के मौजूदा कार्यकाल के लिए निम्नलिखित न्यासियों की नियुक्तियां/विस्तार किए गएः—

नियुक्ति—

- श्री. सुधीर श्याम (डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनीत)

  श्री. रुचिर मित्तल (डीओपीपीडब्ल्यू, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनीत)
- डॉ. पी.सी. जाफर – न्यासी (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
- श्री जे.के. शर्मा – न्यासी (मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

कार्यकाल का विस्तार—

- श्री सूरजभान

(ई) विनियम और संशोधनः

प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की स्थापना, कर्तव्यों और कामकाज के लिए, पीएफआरडीए (एनपीएस ट्रस्ट) विनियमन 2015 के नियामक ढांचे और उसके संशोधनों को अधिसूचित किया गया है और समय—समय पर दिशा—निर्देश, परिपत्र आदि जारी किए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान, पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों की एनपीएस न्यास की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में उभरते परिवर्तनों के आलोक में जांच की गई, जिसके अनुसार एनपीएस न्यास मुख्य रूप से गतिविधियों, पेंशन फंड, कस्टोडियन, न्यासी बैंक की निगरानी और सीआरए के निकास और प्रत्याहरण कार्यों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 को दिनांक 14.06.2021 से अधिसूचित किया गया था। प्रमुख परिवर्तनों और प्रमुख कारणों के मूल अंश निम्नलिखित हैं—

प्रमुख परिवर्तन :

1. ''एनपीएस न्यास की संपत्ति की परिभाषा'' का परिचय।
2. कंपनी अधिनियम 1956 का नाम कंपनी अधिनियम 2013 से बदल दिया गया, जहां कहीं लागू हो।
3. एनपीएस न्यास को न केवल तीसरे पक्ष के मामलों में अपितु सभी मामलों में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है।
4. मध्यस्थ, जिनके साथ एनपीएस न्यास निगरानी करेगा, एनपीएस न्यास के कार्यों को परिभाषित/निर्दिष्ट किया गया था, केवल पेंशन निधि,

न्यासी बैंक, अभिरक्षक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के लिए निकास और निकासी से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिबंधित/निर्दिष्ट किया गया था।

5. सभी बिचौलियों के संचालन में समन्वय के लिए एनपीएस न्यास को एक नोडल बिंदु के रूप से हटाना। यह पेंशन निधि, न्यासी बैंक, अभिरक्षक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के निकास और प्रत्याहरण से संबंधित कार्यो तक ही सीमित है।

6. एनपीएस न्यास द्वारा शुल्क संकलन और खर्चों की प्रतिपूर्ति की देखभाल के लिए नए प्रावधानों की शुरूआत।

7. न्यासी की नियुक्ति के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप न्यासी की अधिकतम आयु 70 वर्ष रखी गई है।

8. एनपीएस न्यास को उपस्थिति अस्तित्व और संकलनकर्ता की उचित सावधानी और सतर्कता गतिविधियों का संचालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. वार्षिक पत्रिकाओं को प्रस्तुत करने की समय–सीमा में विस्तार के लिए प्रावधान शुरू किया गया।

10. विनियम के तहत कुछ प्रावधानों के मामले में स्पष्टीकरण।

3.14.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

एनपीएस की सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सेवानिवृत्ति सलाहकार(रों) की नियुक्ति की जाती है, जिससे एनपीएस की पहुंच का विस्तार किया जा सके। आरएएस एक व्यक्तिगत, पंजीकृत साझेदारी निकाय, कॉर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या समाज हो सकता है। आरए के रूप में एक व्यक्ति/संस्था के पंजीकरण की सुविधा के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन मंच विकसित और जारी किया गया है।

परिभाषित–लाभ योजनाओं से परिभाषित–अंशदान योजनाओं में पेंशन प्रणालियों में बदलाव के साथ, जहां व्यक्तियों को वित्तीय निर्णय लेने और अधिक वित्तीय जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है, पेंशन योजना प्रतिभागियों के लिए एक उपयुक्त निवेश पैटर्न का चयन महत्वपूर्ण है। भारत, जिसे वित्तीय साक्षरता में कम माना जाता है, सेवानिवृत्ति के निर्णयों के संबंध में वित्तीय सलाह की एक वास्तविक आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। सेवानिवृत्ति सलाहकार उपभोक्ताओं को निवेश और पे–आउट विकल्पों की बेहतर समझ के लिए मार्गदर्शन और सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए बाजार सहभागियों के लिए सेवानिवृत्ति गुणवत्ता मध्यस्थता के लिए सेवानिवृत्ति सलाह और उपयुक्त पेंशन/बचत उत्पाद चुनने में सही कौशल और विशेषज्ञता रखने वाले मानव संसाधनों के एक पूल के विकास की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव और संगठित और असंगठित श्रमिकों की भारतीय प्रणाली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सेवानिवृत्त आबादी के हितों की रक्षा के लिए और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, रिटर्न में विभिन्न विकल्पों की कम समझ से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए एनपीएस, पीएफआरडीए ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) को सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा के प्रमाणन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में मान्यता दी है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क आदि के लिए एक ढांचा प्रदान करने और पेंशन क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्य और जिम्मेदारी के दायरे को परिभाषित करने के उद्देश्य से पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

3.14.10 प्राधिकरण द्वारा पेंशन के क्षेत्र में किए गए अन्य कार्य

1. टार्च

पीएफआरडीए की प्रौद्योगिकी संरचना को बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के साथ साझेदारी में रणनीतिक बनाया गया है। टार्च को पीएफआरडीए में तकनीक के उपयोग को बदलने की दिशा में सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद डिजाइन

किया गया है । टार्च में 4 प्रमुख मॉड्यूल शामिल हैं – डेटा विश्लेषण,[REGTECH और SUPTECH] आंतरिक डिजिटलीकरण और निवेशक जागरूकता।

क. पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए प्रौद्योगिकी संरचना की परिकल्पना, विकास/अनुकूलन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

ख.. टार्च परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन और इनपुट के लिए बाहरी विशेषज्ञों के साथ तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

2. एनपीपी

एनपीएस प्रोस्पेरिटी प्लानर की संकल्पना अभिदाताओं को उनके योगदान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है। यह एक अनुकूलित मॉड्यूल है जिसे अभिदाताओं के सीआरए लॉगिन में बनाया जाना है ताकि एनपीएस के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सके जिसे 'टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बजाय 'वृद्धावस्था आय' योजना साधन माना जाता है।

3. लोकपाल ई–अपील पोर्टल का विकास

अभिदाताओं को लोकपाल अपील दायर करने में सुविधा और एक मजबूत शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, ई–अपील मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिसे पीएफआरडीए की वेबसाइट पर शामिल किया जाएगा। मॉड्यूल में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होगा और लोकपाल को अपीलों को ट्रैक करने और उनका जवाब देने के लिए एक एमआईएस प्रदान करेगा।

4. यूआई/यूएक्स और अनुप्रयोग निष्पादन लेखापरीक्षा

एनपीएस यूजर इंटरफेस को अभिदाताओं के लिए आकर्षक और आसान बनाने के उद्देश्य से यूआई/यूएक्स और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑडिट की योजना बनाई जा रही है। यह ऑडिट सीआरए द्वारा प्रदान किए गए सभी डिजिटल मॉड्यूल और इंटरफेस को शामिल करेगा। चूंकि सीआरए एनपीएस संरचना में केंद्र बिंदु है, इसलिए यह परिकल्पना की गई है कि सीआरए मॉड्यूल के प्रदर्शन और गुणवत्ता को बढ़ाने से एनपीएस में अभिदाताओं के साथ–साथ अन्य मध्यस्थों के समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा।

5. सूचना साइबर सुरक्षा अनुपालन की निगरानी और समीक्षा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थों की साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन और तिमाही अनुपालन। यह एनपीएस प्रणाली के प्रदर्शन और सुरक्षा मुद्रा में सुधार हुआ है।

6. साइबर सुरक्षा नीति की समीक्षा

वर्क फ्रॉम होम की समानता और उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रसार के साथ, साइबर खतरे का परिदृश्य विकसित हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए, – पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा मुद्रा को मजबूत करने के लिए आंतरिक (पीएफआरडीए) और मध्यस्थों (विनियमित संस्थाओं) के लिए साइबर सुरक्षा नीति के संशोधन में लगा हुआ है। इसका उद्देश्य सक्रिय और निवारक नीतिगत उपायों को प्राथमिकता देना है।

7. क्लाउड अंगीकरण दिशानिर्देश

संपूर्ण वित्त क्षेत्र में क्लाउड अंगीकरण तेजी से आदर्श बन रहा है, और यह एनपीएस मध्यस्थ इकाईयों में भी क्लाउड स्थानांतरण के बढ़ते अनुरोधों के साथ परिलक्षित होता है। क्लाउड को अपनाने के साथ आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और अपेक्षित सावधानी के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाने की सुविधा के लिए, पीएफआरडीए विनियमित संस्थाओं के लिए क्लाउड अंगीकरण दिशानिर्देशों के विकास पर काम कर रहा है।

8. प्रख्यात वक्ताओं से उभरती तकनीकों पर सुप्रसिद्ध वक्ताओं द्वारा सत्र

पीएफआरडीए ने सीईआरटी–इन जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में कैसपर्सकी के गेम आधारित सिमुलेशन मॉड्यूल के माध्यम से पीएफआरडीए के अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण

आयोजित किया। इसके अलावा, क्लाउड मंच पर ज्ञान को समृद्ध करने, उनकी अवधारणा और कार्य करने के लिए अमेजॅन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड को शामिल करके पीएफआरडीए के अधिकारियों के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी पर सत्र आयोजित किया गया था। उभरती प्रौद्योगिकियों पर व्याख्यान देने के लिए विशेषज्ञों को वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया था।

9. सीआरए की एसएलए समीक्षा

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सेवा स्तर के समझौतों की समीक्षा करने के लिए, परिवर्तन प्रबंधन, घटना प्रबंधन आदि को शामिल करने के लिए एसएलए को अद्यतन करने के लिए पहल की गई है ताकि मॉड्यूल के त्वरित विकास को सुनिश्चित किया जा सके, समय पर ढंग से मॉड्यूल के प्रदर्शन में मुद्दों का निवारण किया जा सके और कुशल सेवा सुनिश्चित की जा सके।

10. संपर्क

प्रेषक आईडी 'पीएफआरडीएआई' के तहत पीएफआरडीए के नाम से संदेश भेजने के लिए एनआईसीएसआई की संपर्क एसएमएस संचार सेवाएं लगी हुई हैं। इस पहल के तहत, कई अभिदाताओं के जागरूकता संदेशों का संचार किया गया है। संपर्क का उपयोग लक्षित अभिदाताओं को सर्वेक्षणों के लिंक के साथ संदेश भेजकर एपीवाई सर्वेक्षण करने के लिए भी किया गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की सहायता से, पीएफआरडीए तुरंत अद्यतन जानकारी भेजकर वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रमों (एएलपी) में अभिदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में सक्षम हुआ है ।

11. अभिदाता जागरूकता

फिशिंग और मोबाइल डिवाइस सुरक्षा जैसे साइबर खतरों पर पाठकों को ज्ञान से लैस करने के लिए 'साइबर सुरक्षा जागरूकता' विषय पर पेंशन साइबर स्पॉटलाइट – खंड 2 जारी किया गया था।

इ. जालसाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न कार्यप्रणाली पर आम जनता को आवश्यक जागरूकता से लैस करने के लिए धोखाधड़ी के खिलाफ सावधानी पर संशोधित नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस साइबर धोखाधड़ी के मामले में उपलब्ध शिकायत निवारण के तरीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

12. पीएफआरडीए द्वारा विनियमित एनपीएस प्रणाली में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में सीआरए और पीएफ की पहचान और मूल्यांकन।

13. सीआरए के डिजास्टर रिकवरी ड्रिल ने पीएफआरडीए की आवधिक सलाह के आधार पर सीआरए सिस्टम की लचीलापन क्षमता में वृद्धि की है।

14. साइबर सुरक्षा का क्रियान्वयन : –

स्थायी समिति सूचना प्रणाली, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा मुद्दों, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), पर्यवेक्षी और नियामक मंचों के विकास, वित्तीय प्रौद्योगिकियों के नए अवसरों और चुनौतियों, नियामक प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा / प्रणाली / सूचना सुरक्षा की प्रक्रियाओं को मजबूत करने, एनपीएस संरचना के तहत पीएफआरडीए और बिचौलियों की लेखापरीक्षा पर सलाह देगी।

o पीएफआरडीए ने सूचना, प्रणाली और प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा (आईएसटी एंड सीएस) पर एक स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है और तेजी से तकनीकी परिवर्तनों और साइबर जोखिम और और तेजी से तकनीकी परिवर्तन और साइबर जोखिम पर नजर रखने और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर नजर रखने के लिए "पेंशन फिनटेक इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी" का नाम बदल दिया। पीएफआरडीए ने एनपीएस संरचना में आंतरिक और बाहरी साइबर सुरक्षा नीतियों और मुद्दों से संबंधित सभी सूचनाओं और साइबर सुरक्षा के प्रबंधन के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा, अर्थात् सूचना और साइबर सुरक्षा – आंतरिक तथा सूचना और साइबर सुरक्षा – बाहरी के लिए दो विभाग भी बनाए हैं।

- पीएफआरडीए ने CERT&In जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में, Kaspersky के गेम–आधारित सिमुलेशन मॉड्यूल के माध्यम से पीएफआरडीए के अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन किया। साथ ही, पीएफआरडीए के अधिकारियों के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म, उनकी अवधारणाओं और उनके काम पर ज्ञान को समृद्ध करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल करके क्लाउड टेक्नोलॉजी पर एक सत्र आयोजित किया गया था। पीएफआरडीए ने ISEA के एक विशेषज्ञ के सहयोग से एक सूचना सुरक्षा जागरूकता सत्र का आयोजन किया।

- पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहल करता है जिसमें प्रोजेक्ट टार्च, लोकपाल ई–अपील पोर्टल का विकास, और एनपीएस समृद्धि योजनाकार सहित नई परियोजनाएं शामिल हैं।

- पीएफआरडीए बिचौलियों की साइबर सुरक्षा नीति और तिमाही अनुपालन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना साइबर सुरक्षा अनुपालन की निगरानी और समीक्षा करता है। इसने एनपीएस प्रणाली के प्रदर्शन और सुरक्षा स्थिति में सुधार किया है। साइबर / आईटी ऑडिटः साइबर खतरों के खिलाफ एनपीएस को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए के बिचौलियों की साइबर सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की गई। सीआरए के डिजास्टर रिकवरी ड्रिल्स ने पीएफआरडीए की आवधिक सलाह के आधार पर सीआरए प्रणाली के लचीलापन संबंधी क्षमता में वृद्धि की है।

- संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में क्लाउड अंगीकरण तेजी से आदर्श बनता जा रहा है, और यही बात एनपीएस इंटरमीडियरीज में भी दिखाई देती है, जिसमें क्लाउड में स्थानांतरण के लिए अनुरोध बढ़ रहे हैं। क्लाउड को अपनाने और अपेक्षित सावधानी के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाने की सुविधा के साथ आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए ने एनपीएस के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों की नेटवर्क अवसंरचना योजनाओं का आकलन किया है।

- पीएफआरडीए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों और पेंशन निधियों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थों का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में मूल्यांकन और वर्गीकृत करने के लिए एनसीआईआईपीसी के साथ चर्चा में लगा हुआ है।

  पीएफआरडीए ने विभिन्न साइबर सुरक्षा से संबंधित समितियों में भी भाग लिया, जैसे सूचना और साइबर सुरक्षा पर अंतर–नियामक बैठकें, साइबर सुरक्षा और मोबाइल भेद्यता पर कार्य समूह, और ब्लॉक चेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए तकनीकी इनपुट जैसे– ब्लॉक चेन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिनटेक, सुपरटेक, रेगटेक, आदि प्रदान किए।

15. **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से फिनटेकः–** वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और नवाचारों के कारण भारी बदलाव आया है। एक नियामक सैंडबॉक्स एक नियामक द्वारा स्थापित एक ढांचा है जो फिनटेक स्टार्ट–अप और अन्य नवोन्मेषकों को एक नियामक की देखरेख में नियंत्रित वातावरण में लाइव प्रयोग करने की अनुमति देता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए आईआरटीजी–आईओआरएस का सदस्य है और एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में पेंशन क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिन टेक) के विकास को बढ़ावा देने के लिए जीएफआईएन का सदस्य बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

- IRTG&IORS: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप–समिति (FSDC&SC) ने फिनटेक पर वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच अंतर–नियामक समन्वय की सुविधा के लिए फिनटेक (फिनटेक पर IRTG) संबंधित मुद्दों पर एक अंतर–नियामक तकनीकी समूह की स्थापना को मंजूरी दी थी।

- फिनटेक पर आईआरटीजी में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार, प्रत्येक के एक प्रतिनिधि सहित अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ प्रतिनिधित्व है।

- समूह ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की सुविधा के लिए हाइब्रिड उत्पादों/सेवाओं के लिए इंटर–ऑपरेटेबल आरएस ' तंत्र को विचारार्थ विषयों पर चर्चा/ विचार–विमर्श करने के लिए बैठकें आयोजित कीं।

- IoRS एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र के नियामक के नियामक दायरे में आने वाले नवीन संकर वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए एक तंत्र है। नवोन्मेषकों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए , उनके हाइब्रिड उत्पाद के संबंध में विभिन्न नियामकों के साथ जुड़ने के लिए, एक सामान्य विंडो उपलब्ध कराई जा सकती है। सभी नियामक अपनी वेबसाइट पर आईओआरएस का विवरण प्रकाशित करेंगे और व्यापक प्रचार भी करेंगे।

GFIN: & ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क ('GFIN') को औपचारिक रूप से वित्तीय नियामक प्राधिकरण ('FCA') सहित वित्तीय नियामकों और संबंधित संगठनों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया। GFIN की देखरेख समन्वय समूह द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में FCA द्वारा की जा रही है। GFIN उपभोक्ताओं के हितों में वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध 60 से अधिक संगठनों का एक नेटवर्क है।

GFIN नवोन्मेषी फर्मों को नियामकों के साथ बातचीत करने के लिए एक अधिक कुशल तरीका प्रदान करना चाहता है, जिससे उन्हें देशों के बीच नेविगेट करने में मदद मिलती है क्योंकि वे नए विचारों को मापते हैं। इसमें सीमा–पार परीक्षण करने की क्षमता शामिल है – एक से अधिक अधिकार क्षेत्र में नवीन उत्पादों, सेवाओं या व्यावसायिक मॉडल का परीक्षण करने की इच्छा रखने वाली फर्मों के लिए एक समाधान। इसका उद्देश्य नवाचार से संबंधित विषयों पर वित्तीय सेवा नियामकों के बीच सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना, विभिन्न अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करना है।

भाग IV

4.1 पेंशन सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45 पेंशन सलाहकार समिति के गठन की चर्चा करती है, जिसमें कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं तथा वाणिज्य तथा उद्योग, मध्यस्थ इकाईयों तथा पेंशन अनुसंधान में संलग्न संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जो प्राधिकरण को विनियम बनाने से संबंधी मामलों या उससे संबंधित मामलों पर सलाह दें । संदर्भित वर्ष के दौरान, पेंशन सलाहकार समिति का राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 16 सितंबर 2021 (अनुलग्नक – I) के माध्यम से पुनर्गठन किया गया था और दिनांक 11 अगस्त, 2021 और 04 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली में पेंशन सलाहकार समिति की 16वीं तथा 17वीं बैठक आयोजित की गई।

1. 15वीं पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) बैठक के कार्यवृत्त
2. 15वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्तों पर कार्य प्रगति रिपोर्ट ।
3. एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) का सक्रिय विकल्प
4. एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत उपस्थिति अस्तित्वों के लिए शुल्क/प्रभार संरचना की समीक्षा
5. पीएफआरडीए द्वारा 'रिसोर्स पर्सन' की नियुक्ति/सूचीकरण
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और सुरक्षा निधि) विनियम, 2015 के लिए प्रस्तावित संशोधन
7. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का प्रदर्शन

पेंशन सलाहकार समिति की दिनांक 4 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित सत्रहवीं (17वीं) बैठक में निम्नलिखित एजेंडा मदों पर चर्चा की गई:

1. 16वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्त
2. 16वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्तों पर कार्य प्रगति रिपोर्ट
3. एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत उपस्थिति अस्तित्वों के लिए शुल्क/प्रभार संरचना की समीक्षा
4. एनपीएस अभिदाताओं द्वारा आस्ति आवंटन में परिवर्तन

4.2 विनियम निर्मित या संशोधित

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विनियामक विकास से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित संशोधन निम्नानुसार है:

तालिका संख्या. 4.1 संशोधन

क्र. सं.	संशोधन	राजपत्रित अधिसूचना की तिथि
1.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021	28 दिसम्बर 2021
2.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2021	22 सितम्बर, 2021
3.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठा संशोधन) विनियम, 2021	15 जुलाई 2021
4.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2021	14 जून 2021

क्र. सं.	संशोधन	राजपत्रित अधिसूचना की तिथि
5.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021	14 जून 2021
6.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के तहत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2021	14 जून 2021
7.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2021	14 जून 2021
8.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (संशोधन) विनियम, 2021	25 मई 2021
9.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021	31 मार्च 2021
10.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021	24 मार्च 2021

4.3 अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति का गठन।

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और सुरक्षा निधि), विनियम, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार, प्राधिकरण अभिदाता शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा गतिविधियों की सिफारिश करने और निधि के उपयोग के लिए एक समिति का गठन करेगा।

इसके अलावा, विनियम 6(2) के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक समिति के संयोजक होंगे:

(ख) प्राधिकरण के दो अन्य अधिकारी :

(ग) पांच अन्य सदस्य जिनके पास वित्तीय बाजार में विशेषज्ञता है और अभिदाता शिकायत निवारण या अभिदाता शिक्षा मामलों में अनुभव है।

तदनुसार, समिति को 06 अक्टूबर, 2021 को पुनर्गठित किया गया था, समिति अंशदाताओं की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा के लिए धन के उपयोग की सिफारिश करेगी।

क्र.सं	नाम और पद	संगठन
	आंतरिक सदस्य	
1.	श्री ए.जी दास, कार्यकारी निदेशक	समिति के संयोजक
2.	श्री वेंकटेश्वरलू पेरी, मुख्य महाप्रबन्धक, पीएफआरडीए	सदस्य
3.	श्री आशीष भारती, महा प्रबन्धक, पीएफआरडीए	सदस्य
	बाहरी सदस्य	
4.	श्री उज्जवल कुमार घोष, आईएएस, आयुक्त, कोषालय विभाग	कर्नाटक सरकार
5.	श्री सुशील पाल, मुख्य लेखा नियंत्रक	गृह मंत्रालय
6.	प्रो पार्थ रे, निदेशक	एनआईबीएम

क्र.सं	नाम और पद	संगठन
7.	श्री सत्यजीत द्विवेदी, सीईओ	एनसीएफई
8.	श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड

एसइपीएफ समिति की बैठक 24 दिसंबर, 2021 को हुई थी, जिसमें समिति के सदस्यों ने विचारार्थ विषयों, एसईपीएफ खातों की स्थिति और गतिविधियों और एनपीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की जाने वाली योजना पर चर्चा की थी।

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और सुरक्षा निधि), विनियम, 2015 के विनियम 5 (1) के अनुसार, निधि का उपयोग अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा और अभिदाताओं की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। सेमिनार, संगोष्ठी, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन सहित शैक्षिक गतिविधियाँ, जिनका उद्देश्य महानगरों, गैर–महानगरों और छोटे शहरों और असंगठित क्षेत्रों, कॉर्पोरेट्स, स्वयं सहायता समूहों और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न भौगोलिक स्थानों के अभिदाताओं को प्रशिक्षित करना है।

4.4 पीएफआरडीए में सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति

पीएफआरडीए ने अगस्त 2018 में सूचना, प्रणाली और प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर एक स्थायी समिति का गठन किया है ताकि अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए तेजी से तकनीकी परिवर्तन और वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर नजर रखी जा सके। उक्त समिति के विचारार्थ विषय सूचना प्रणाली, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के मुद्दों, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), पर्यवेक्षी और नियामक मंचों के विकास, वित्तीय प्रौद्योगिकियों के नए अवसरों पर और वित्तीय और नियामक तकनीकों की चुनौतियों, एनपीएस संरचना के तहत पीएफआरडीए की साइबर सुरक्षा/प्रणाली/सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर सलाह देना है।

भाग V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मुद्दे

5.1 प्राधिकरण का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 प्राधिकरण के गठन को दर्शाता है, जिसमें सम्मिलित है, पीएफआरडीए अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 31.03.2020 तक के अनुसार, प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार है :

(i) अध्यक्ष

श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं । वह पीएफआरडीए में अध्यक्ष के रूप में 21 फरवरी 2020 को शामिल हुए । इससे पूर्व, वह 12 मार्च 2018 से 16 जनवरी 2020 तक पीएफआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत थे। पीएफआरडीए में नियुक्ति से पूर्व, उन्होंने 1985 में एलआईसी में नियुक्ति के लगभग 35 वर्ष बीमा उद्योग में गुजारे।

(ii) पूर्णकालिक सदस्य

1. श्री प्रमोद कुमार सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 03 मार्च 2020 से आज तक
2. डॉ. दीपक मोहंती, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 01 सितंबर 2020 से आज तक
3. डॉ. मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 01 सितंबर 2020 से आज तक

(iii) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए और एस 1988), अपर सचिव (निजी), व्यय विभाग, 12 दिसंबर 2014 से आज तक
2. सुश्री सुजाता चतुर्वेदी (आईएएस 1989), अपर सचिव (स्थापना विभाम प्रमुख), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) 16 जनवरी, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक
3. श्री मदनेश कुमार मिश्रा (आईआरएस 1990), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, 03 नवंबर 2017 से 31 अगस्त ,2021तक
4. सुश्री वंदिता कौल (आईपीओएस 1989) अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, 22 दिसम्बर, 2021 से 31 मार्च 2022 से आज तक

5.2 प्राधिकरण की बैठकें

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्राधिकरण की 8 बैठकें आयोजित की गई।

क्र. म.	प्राधिकरण की बैठकें	आयोजित की गई
1.	95 वीं प्राधिकरणीय बैठक	06.04.2021 (मंगलवार) और 07.04.2021 (बुधवार)
2.	96वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिचालन द्वारा – 26.05.2021 (सोमवार)
3.	97वीं प्राधिकरणीय बैठक	30.06.2021 (बुधवार)
4.	98वीं प्राधिकरणीय बैठक	27.08.2021 (शुक्रवार)
5.	99वीं प्राधिकरणीय बैठक	09.11.2021 (मंगलवार)
6.	100वीं प्राधिकरणीय बैठक	10.01.2022 (सोमवार)
7.	101वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिचालन द्वारा 14.02.2022 (सोमवार)
8.	102वीं प्राधिकरणीय बैठक	22.03.2022 (मंगलवार)

5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2022 तक, पीएफआरडीए की नियमित स्टाफ संख्या बहत्तर (72) है, जिसमें से सत्तर (70) अधिकारी संवर्ग में, एक (01) कनिष्ठ सहायक और एक (01) स्टाफ कार चालक हैं।

5.4 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकारी निर्देशों को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है एक महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए में अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । एक उप महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों प्रकोष्ठों के सदस्य अपने सम्बंधित संपर्क अधिकारी से उनके कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करेंगे ।

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार शिकायतें, पूछताछ आदि प्राप्त करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को स्थापित किया गया है और तिमाही आधार पर इसकी बैठक होगी।

5.6 स्टॉफ कल्याणकारी समिति

विभिन्न कर्मचारी कल्याण गतिविधियों की शुरूआत और आयोजन के लिए पीएफआरडीए में एक कर्मचारी कल्याण समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी कर्मचारियों के मध्य और कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को विकसित करने में सहायता करेगी। एक मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न विषय क्षेत्रों पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों को नामित किया गया था:

1. अनुबंध प्रबंधन और विवाद समाधान
2. कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा निर्माण और प्रबंधन, संकट संचार, हितधारकों का प्रबंधन और कार्यकारी उपस्थिति निर्माण।
3. लचीलापन और पलटाव – +5 ज्द अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा की तैयारी।
4. घरेलू जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. उभरती साइबर सुरक्षा प्रथाएं
6. प्रबंधकीय नेतृत्व और संघर्ष समाधान
7. प्रबंधकीय प्रभावशीलता के लिए निर्णय लेना
8. निवारक सतर्कता
9. नेतृत्व विकास
10. वरिष्ठ नेताओं के लिए साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन अभिविन्यास
11. डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीतियाः ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ
12. साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
13. संचार कौशल
14. संभावित परिवर्तन
15. प्रबंधकीय प्रभावशीलता के लिए निर्णय लेना

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान उपर्युक्त विषयों में कुल 58 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

5.8 राजभाषा हिन्दी का प्रसार

भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए नियमित रूप से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रयासरत है । गृह मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सभी संचार में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु पीएफआरडीए प्रतिबद्ध है । इस क्रम में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान राजभाषा

विभाग की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनका विवरण निम्नलिखित है :

1. पीएफआरडीए में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों और कार्य योजनाओं का अनुपालन किया जाता है ।

2. प्राधिकरण में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के निर्देशन द्वारा महाप्रबन्धक (राजभाषा), सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) और हिन्दी अनुवादक की सहायता से कार्य किया जाता है।

3. राजभाषा नीति के अनुपालन में फरवरी, 2022 में सहायक प्रबन्धक – राजभाषा की नियुक्ति की गई है।

4. प्राधिकरण में जारी सभी प्रपत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करने का प्रयास किया जा रहा है ।

5. प्राधिकरण के सभी कम्प्यूटरों को हिन्दी टंकण हेतु सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है । इसी क्रम में, इनमें यूनिकोड फॉन्ट और गूगल इनपुट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं ।

6. 'क' और 'ख' क्षेत्र से प्राप्त पत्रों के उत्तर द्विभाषी रूप में दिए जा रहे हैं ।

7. हिन्दी में प्राप्त आरटीआई, संसदीय प्रश्नों और विधायी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं।

8. रजिस्टरों और फाइलों के नाम, शीर्षक और प्रविष्टियां हिन्दी में भी दर्ज करवाई जा रही हैं । साथ ही नामपट्ट को भी द्विभाषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

9. भारत सरकार की प्रतिष्ठित पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु उनका हिन्दी में प्रचार–प्रसार किया जा रहा है ।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

पीएफआरडीए में कार्यकारी निदेशक महोदया की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है । सभी विभागाध्यक्ष महोदय इसके सदस्यगण हैं तथा सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) द्वारा सचिवीय दायित्वों का निर्वहन किया जाता है । वर्ष के दौरान समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गई हैं । प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की जाती है और कार्यवृत्त के आधार पर अगली तिमाही हेतु कार्य योजनाओं की सूची बनाई जाती है ।

3. नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

पीएफआरडीए द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली – 03 की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया गया है। इसके सम्बन्ध में परिपत्र भेजा जा चुका है।

4. सूचना प्रबंधन प्रणाली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) पोर्टल पर प्राधिकरण पंजीकरण हेतु प्रयासरत है। पोर्टल में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विभागों से सूचना मांगी जा रही है ।

5. अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं

1. प्राधिकरण में अधिकारियों के हिन्दी ज्ञान सम्बन्धी रोस्टर का निर्माण किया गया है। रोस्टर के आधार पर अधिकारियों हेतु लक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है।

2. प्राधिकरण में नवनियुक्त सहायक प्रबन्धकों हेतु हिन्दी में कामकाज पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया।इस कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया।

3. अधिकारियों के हिन्दी प्रशिक्षण हेतु दिसम्बर, 2021 में एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई ।

6. पीएफआरडीए की वेबसाइट

1. पीएफआरडीए द्वारा अपनी वेबसाइट www.pfrda.org.in को द्विभाषी बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है।

2. साथ ही, पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु शुरू किए गए पहल के तहत पेंशन संचय नामक वेबसाइट को द्विभाषी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है ।

7. हिन्दी दिवस समारोह और हिन्दी पखवाड़ा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया । इस समारोह का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना था ।

8. पीएफआरडीए प्रतीक चिन्ह

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास के प्रतीक चिन्ह (लोगो) द्विभाषी रूप में निर्मित किए गए हैं।

5.9 सूचना का अधिकार

पीएफआरडीए में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ है । यह प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों को संसाधित करता है और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधीन कार्य करता है । जैसा कि आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक है, पीएफआरडीए ने एक अपीलीय प्राधिकारी (एए) को नामित किया है जिसके पास सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी–14/ए, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली 110016 को पर्याप्त शुल्क के साथ लिखित में उचित आवेदन करते हुए सूचना की मांग कर सकता है और www.pfrda.org.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत आरटीआई दर्ज कर सकता है ।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 702 आरटीआई आवेदन और 49 अपील प्राप्त हुई जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशदान के साथ–साथ, व्यक्तिगत खाता खोलने, स्थानान्तरण, एनपीएस के तहत प्रत्याहरण और निकास, एपीवाई योजना आदि के सम्बन्ध में थी। सभी आवेदन और अपील का आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर उत्तर दिया गया/निपटाया गया ।

आरटीआई अधिनियम, की धारा 4 सभी प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करती है । पीएफआरडीए ने भी अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से सूचना प्रकटीकृत की है। प्रकटीकरण का केंद्र बिंदु पीएफआरडीए की व्यावहारिकता और कार्य पद्धति के स्तर में पारदर्शिता को बढ़ाना है । इस सम्बन्ध में, पीएफआरडीए के विभिन्न कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों एवं उसके अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में सूचना पीएफआरडीए की वेबसाइट पर दी गई है । इसके अलावा, पीएफआरडीए अधिनियम, उनके तहत बनाए गए नियम और विनियम, परिपत्र और जारी की गई नियमावली भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5.10 संसदीय प्रश्न

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पीएफआरडीए को 58 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए जो भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए थे, जिनमें एनपीएस और एपीवाई पर वृद्धावस्था आय सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न शामिल हैं । पीएफआरडीए ने उत्तर/उत्तरों के लिए सूचना और सामग्री नियतकालिक समय में प्रस्तुत की है जिससे संसद के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके।

5.12 पीएफआरडीए के खाते

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पीएफआरडीए ने अपने उपलब्ध संसाधनों द्वारा अपने सभी प्रशासनिक और स्थापना खर्चो को पूर्ण किया। पीएफआरडीए को अटल पेंशन योजना के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ। अटल पेंशन योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में की गई थी । यह पेंशन योजना 18–40 वर्ष के आयु समूह में सभी नागरिकों के लिए निर्मित की गई थी, जो प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की ओर केन्द्रित थी। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पीएफआरडीए को एपीवाई के तहत सेवा प्रदाताओं की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने और प्रचारात्मक गतिविधियों के लिए रु.203.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

प्राधिकरण के वार्षिक खातों में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (लेखों और विलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियमों, के अनुसार अंतिम निर्धारित अनुसूचियों के साथ दिनांक 31.03.2022 तक का तुलनपत्र, 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता शामिल है । बोर्ड द्वारा इन खातों को दिनांक 29.06.2022 को आयोजित 104वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इसकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई।

प्राधिकरण के लेखों पर दिनांक 31.0.2022 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक् लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुसूचियों सहित प्राधिकरण की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रमाणित वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न हैं और परिशिष्ट में रखी गई हैं.

भाग VI

अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र

6. अभिदाताओं के हित को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

6.1 सक्षम विनियमन के अभाव में सरकारी नोडल अधिकारी वंचित रह जाते हैं।

- नोडल कार्यालयों द्वारा विभिन्न एनपीएस से संबंधित गतिविधियों में विलंब प्रमुख चिंतनीय क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इस तरह की देरी से एनपीएस कोष संचय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप कर्मचारी–अभिदाताओं द्वारा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- प्राधिकरण उन्हें संबंधित सरकारी नोडल कार्यालयों में लगातार प्रेरित करते हुए उनसे कुछ नीति के साथ–साथ संचालनात्मक उपाय करने का आग्रह कर रहा है, ताकि उनके अंतर्निहित कार्यालयों में एनपीएस के कार्यान्वयन में अनुशासन लाया जा सके, ताकि कर्मचारी–अभिदाता हितों की रक्षा की जा सके।

- हालांकि, एक सक्षम प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण सरकारी नोडल अधिकारियों (सीजी, एसजी और स्वायत्त नोडल कार्यालयों) को पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अनुसार मध्यस्थ के रूप में माना जाता है और इसलिए वे पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रदान किए गए दंड प्रावधान के दायरे से बाहर रहते हैं।

- इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021, जैसा कि डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.03.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है, सीजी क्षेत्र के तहत एनपीएस के कार्यान्वयन की सामान्य शर्तों को निर्धारित करता है। उक्त नियम, अन्य बातों के साथ–साथ, एनपीएस से संबंधित कुछ गतिविधियों से संबंधित समय–सीमा का पालन अनिवार्य करते हैं, हालांकि, विलंब की स्थिति में जिम्मेदारी का निर्धारण विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाता है।

6.2. एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा

एनपीएस लाइट/स्वावलंबन, जिसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था, को अप्रैल, 2015 से बंद कर दिया गया है। एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना के स्थान पर, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई थी, जो अंतर्निहित अभिदाताओं को गारंटीकृत लाभ प्रदान करती है। एनपीएस लाइट योजना के अभिदाताओं को एपीवाई में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया है। हालाँकि, एपीवाई योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के अभिदाताओं के प्रवेश की अनुमति देती है। तदनुसार, 40 वर्ष से अधिक आयु के संभावित अभिदाता जो वर्तमान में आय अर्जित कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना में शामिल होने में असमर्थ हैं। अतः इन लोगों को योजना उपलब्ध कराने के लिए पात्रता की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 50 वर्ष करने पर विचार किया जा सकता है।

6.3 वैधानिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है

6.3.1 न्यूनतम सुनिश्चित वापसी योजना (मार्स)

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा 2 (डी) (बी) के तहत, न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की मांग करने वाले अभिदाता के पास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं में अपने धन का निवेश करने का विकल्प होगा। हालांकि, धारा 20 की उप–धारा 2 (जी) में कहा गया है कि अभिदाता द्वारा खरीदे जाने वाले बाजार–आधारित गारंटी तंत्र को छोड़कर लाभों का कोई निहित या स्पष्ट आश्वासन नहीं होगा। पीएफआरडीए अधिनियम के तहत परिकल्पित न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना प्रदान करने के लिए, पीएफआरडीए, पीएफ और संभावित अभिदाताओं के परामर्श से मार्स को परिकल्पित करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पेंशन निधि द्वारा मार्स की पेशकश की जाएगी।

6.4 कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नियोक्ता के योगदान पर कराधान:

- केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से नियोक्ता एनपीएस योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और पीएसबी/पीएसयू ने भी केंद्र सरकार के समान अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता एनपीएस योगदान में वृद्धि की है।

- बढ़े हुए नियोक्ता एनपीएस योगदान को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 80सीसीडी (2) के तहत छूट दी गई थी। केंद्रीय बजट 2022-2023 में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इस छूट का विस्तार किया गया था। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए, वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नियोक्ता योगदान कर्मचारियों के हाथों में कर योग्य है, जो वर्तमान में 7 लाख से अधिक एनपीएस अभिदाताओं वाले पीएसबी/पीएसयू के कर्मचारियों को प्रभावित करता है।

- इसके अलावा, कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को कर्मचारी के वेतन (बेसिक जमा डीए) के 10 प्रतिशत तक आयकर अधिनियम की धारा 36 (i) (iv) के तहत नियोक्ता को व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति दी जाती है। अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में अपनाने वाले नियोक्ता कर्मचारी/अभिदाता के लिए एक बड़ा पेंशन कोष बनाने के लिए एनपीएस के लिए कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक योगदान नहीं करना चाहते।

6.5 कर योग्य अनुलाभ की गणना के लिए नियोक्ता के योगदान पर सीमा:

- 1 अप्रैल 2020 से पहले, एनपीएस में नियोक्ता के योगदान (वेतन के 10 प्रतिशत तक) को बिना किसी मौद्रिक सीमा के कर से छूट दी गई थी। 1 अप्रैल 2020 से, आयकर अधिनियम की धारा 17(2)(अपप) के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, स्वीकृत अधिवर्षिता निधि और एनपीएस के लिए नियोक्ता योगदान पर कुल कटौती 7.50 लाख रुपये कर दी गई है और 7.50 लाख रुपये से अधिक की राशि को एक कर्मचारी के हाथों में कर योग्य अनुलाभ के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, इस तरह के अतिरिक्त योगदान (यदि कोई हो) पर वार्षिक वृद्धि को भी आयकर अधिनियम की धारा 17(2) (vii) के तहत कर्मचारी के हाथों कर योग्य अनुलाभ के रूप में माना जाता है।

- चूंकि एनपीएस निवेश बाजार से जुड़ा है, इसलिए किसी व्यक्ति के पेंशन खाते (एनपीएस) में दर्शाए गए लाभ/हानि वास्तविक होने तक काल्पनिक हैं और इसलिए एनपीएस अभिदाताओं के लिए काल्पनिक लाभ का कराधान उपयुक्त नहीं हो सकता है।

6.6 टियर-II टैक्स सेवर 80सी के कर लाभ के साथ केवल केंद्र सरकार कर्मचारियों तक ही सीमित है।

सरकार ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय पेंशन योजना टियर II- टैक्स सेवर स्कीम (एनपीएस टीटीएस योजना) अधिसूचित की है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80 सी (3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन) के तहत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए योगदान पर कर लाभ है। आज तक, योजना अन्य एनपीएस अभिदाताओं द्वारा सदस्यता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है।

6.7 टियर-II निवेश पर होने वाले लाभ पर कराधान

- एनपीएस टियर-II खाता जो एनपीएस के तहत वैकल्पिक खाता है (जीपीएफ के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया) में कोई विशेष कर उपचार निर्धारित नहीं है और इसलिए निकासी पर उत्पन्न होने वाले लाभ लागू सीमांत दरों पर कर के अधीन हैं, जिससे टियर-II अभिदाताओं के लिए कम आकर्षक हो जाता है ।

- इसी तरह, राष्ट्रीय पेंशन योजना टियर II- टैक्स सेवर स्कीम, 2020 (एनपीएस टीटीएस योजना) से होने वाले लाभ भी केंद्र सरकार के कर्मचारी/अभिदाता के लिए लागू दरों पर कर योग्य हैं।

भाग VII

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य उपाय ।

7.1 पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित कदमों के अलावा, प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई कुछ अन्य पहलें निम्नानुसार हैं।

- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा विभिन्न नई पहल की गई और परिपत्रों के रूप में दिशा–निर्देश जारी किए गए, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है। साथ ही, विनियमों में आवश्यकता और प्राप्त की गई प्रतिपुष्टियों के आधार पर आवश्यक संशोधन किए गए ।
- प्राधिकरण, उपस्थिति अस्तित्वों को नियमित रूप से परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गतिविधियों में देरी और इस तरह की देरी के कारण अभिदाताओं को मुआवजे के भुगतान के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए विचलन पर सलाह देता है।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एपीवाई–पीओपीज़ के लिए जारी परिचालन दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी किए गए। इसी तरह वर्ष के दौरान एनपीएस लाइट–पीओपी के लिए परिचालन दिशानिर्देश वर्ष संशोधित और 1 अप्रैल 2022 से लागू किए गए।
- केंद्र सरकार क्षेत्र के नोडल कार्यालयों को एनपीएस के तहत गतिविधियों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के लिए समीक्षा बैठकों/बातचीत के दौरान सलाह दी गई थी।
- वे एससीएफ को अपलोड करने और एनपीएस अंशदान के प्रेषण के संबंध में विभिन्न एनपीएस संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीओई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा का पालन करें ।
- सीजी और एसजी के तहत नोडल कार्यालयों को अपने अंतर्निहित नोडल कार्यालयों के लिए नियमित बैठकें सह कार्यशाला आयोजित करने की सलाह दी गई ताकि उन्हें चिंता के प्रमुख क्षेत्रों और परिचालन मामलों पर संवेदनशील बनाया जा सके।
- सीजी और एसजी क्षेत्र के तहत निरीक्षण कार्यालयों, अर्थात पीआरएओ/डीटीए को सलाह दी गई थी कि वे अपने अंतर्निहित पीएओ/डीटीओ के प्रदर्शन की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि एनपीएस से संबंधित गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाती हैं।
- एनपीएस संरचना के तहत सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर सलाह – सीआरए प्रणाली के लॉगिन क्रेडेंशियल के उपयोग, गैर–साझीकरण और सुरक्षित रखने के संबंध में सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने के लिए नोडल कार्यालयों को सलाह देना।
- दिनांक 30.09.2021 तक कोविड–19 महामारी के कारण गैर–सक्रियण को निष्क्रिय करने के लिए समय सीमा के विस्तार पर सलाह – ऐसे सभी कर्मचारियों से भौतिक सामान्य अभिदाता पंजीकरण फॉर्म (सीएसआरएफ) एकत्रित करने के लिए नोडल कार्यालयों को सलाह देना।

- ईएपीवाई मंच के माध्यम से एपीवाई खाता खोलने का एक डिजिटल मोड शुरू किया गया था। डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ावा देने के अलावा, यह मंच परिवार के सदस्यों/ दोस्तों/ शुभचिंतकों के लिए बैंकों के साथ लीड जनरेशन और स्वाबलंबन अभिदाताओं के प्रवसन की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें 18 से 40 वर्ष के मौजूदा स्वाबलंबन अभिदाताओं के लिए एपीवाई में ऑनलाइन प्रवास कर सकते हैं।

- ई–वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम (एएलपी) – सेवानिवृत्त एनपीएस अभिदाताओं के बीच वार्षिकी पर जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम । यह वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और सीआरए के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

- ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर – पेंशन कैलकुलेटर अस्थायी पेंशन और एकमुश्त राशि को दर्शाता है, जिसकी एक एनपीएस अभिदाता परिपक्वता या 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर नियमित मासिक अंशदान, वार्षिकी खरीदने के लिए पुनर्निवेश की गई राशि के प्रतिशत और निवेश पर रिटर्न के संबंध में और चयनित वार्षिकी पर अनुमानित दर के आधार पर आशा कर सकता है।

- लोकपाल ई–अपील पोर्टल का विकास – अभिदाताओं के लिए लोकपाल के पास अपील दायर करने में आसानी और एक मजबूत शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, आईटी विभाग ई–अपील मॉड्यूल विकसित कर रहा है, जिसे पीएफआरडीए की वेबसाइट पर शामिल किया जाएगा। मॉड्यूल में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होगा और लोकपाल को अपीलों को ट्रैक करने और उनका जवाब देने के लिए एक एमआईएस प्रदान करेगा।

- न्यूजलेटर स्पॉटलाइट –3 के खंड पाठकों को साइबर खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान से लैस करने के लिए जारी किए गए हैं।

- धोखाधड़ी के खिलाफ सावधानी पर नोटिस– धोखेबाजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न तौर–तरीकों पर आम जनता को आवश्यक जागरूकता से लैस करना। यह नोटिस साइबर धोखाधड़ी के मामले में उपलब्ध शिकायत निवारण के तरीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

- संपर्क – ग्राहक जागरूकता संदेश सीधे पीएफआरडीए द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। यह अद्यतन सूचना तुरंत भेजकर वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रमों (एएलपी) में अभिदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में सक्षम है ।

- यूआई/यूएक्स और एप्लिकेशन परफॉर्मेंस ऑडिट – एनपीएस यूजर इंटरफेस को अभिदाताओं के लिए आकर्षक और आसान बनाने के उद्देश्य से यूआई/यूएक्स और एप्लिकेशन परफॉर्मेंस ऑडिट की योजना बनाई जा रही है। यह ऑडिट सीआरए द्वारा प्रदान किए गए सभी डिजिटल मॉड्यूल और इंटरफेस को शामिल करेगा।

- सूचना साइबर सुरक्षा अनुपालन की निगरानी और समीक्षा की जिम्मेदारी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थों की साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन और तिमाही अनुपालन हो। यह एनपीएस सिस्टम के प्रदर्शन और सुरक्षा मुद्रा का अद्यतन रूप है।

- सुप्रसिद्ध वक्ताओं से उभरती प्रौद्योगिकियों पर सत्र – विभाग ने सीईआरटी–इन जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में पीएफआरडीए के अधिकारियों के लिए कैसपर्सकी के गेम आधारित सिमुलेशन मॉड्यूल के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया। इसके अलावा, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ज्ञान को समृद्ध करने, उनकी अवधारणा और कार्य करने के लिए अमेजॅन वेब सेवाओं और गूगल क्लाउड को शामिल करके पीएफआरडीए के अधिकारियों के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी पर सत्र आयोजित

किया गया था। विभाग उभरती प्रौद्योगिकियों पर व्याख्यान देने के लिए विशेषज्ञ वक्ताओं को आमंत्रित करने में भी लगा हुआ है।

- सीआरए की एसएलए समीक्षा – केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सेवा स्तर के समझौतों की समीक्षा करने, परिवर्तन प्रबंधन, घटना प्रबंधन आदि को शामिल करने के लिए एसएलए के अद्यतन की पहल की गई है ताकि मॉड्यूल का त्वरित विकास सुनिश्चित किया जा सके, मॉड्यूल के प्रदर्शन में मुद्दों का समयबद्ध रूप से निवारण और कुशल सेवा सुनिश्चित की जा सके।

- पीएफआरडीए द्वारा विनियमित एनपीएस प्रणाली में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में सीआरए और पीएफ की पहचान और मूल्यांकन।

- सीआरए के डिजास्टर रिकवरी ड्रिल ने पीएफआरडीए की आवधिक सलाह के आधार पर सीआरए प्रणाली में लचीलेपन की क्षमता में वृद्धि की है।

अनुलग्नक की सूची

अनुलग्नक I

पेंशन सलाहकार समिति का गठन और पेंशन सलाहकार समिति की बैठकों के दौरान चर्चित मुद्दे

अनुलग्नक II

राज्यवार कुल पीओपी–एसपीज़

अनुलग्नक III

अनुसूचियों सहित प्राधिकरण के वार्षिक खाते

अनुलग्नक–I
पेंशन सलाहकार समिति का गठन

1. मुख्य महाप्रबंधक, गर्वनमेंट बिजनेस यूनिट, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
2. प्रबंधक निदेशक और सीईओ, एनएसडीएल, ई–गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
3. कार्यकारी निदेशक (रिटेल बैंकिंग), एक्सिस बैंक
4. उपमहालेखा नियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
7. उपाध्यक्ष और प्रमुख अभिरक्षा सेवाएं, स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. श्री दिनेश पंत, नियुक्त एकचुरी लाइफ इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया
9. अध्यक्ष, एनपीएस न्यास
10. निदेशकए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
11. रेणुका साने, एशोसिएट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंश एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी)
12. श्री कुलीन पटेल, वरिष्ठ बीमांकक और निदेशक– क्लाइंट अकांउट मैनेजमेंट, टॉवर्स वाटसन, गुडगांव
13. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट एक्चुरीज़ ऑफ इंडिया
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एक्सीक्यूटीव ऑफिसर फिक्सड इनकम मनी मार्किट एंड डेरीवेटीवस एशोसिएशन ऑफ इंडिया
15. उप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
16. निदेशक (लेखा) डाक विभाग, नई दिल्ली
17. श्री राजीव कपूर, कार्यकारी निदेशक– सीआईआई का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप एचआरएम मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
18. मुख्य कार्यकारी– भारतीय बैंक एशोसिएशन
19. निदेशक, बजट, भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सरकार
20. निदेशक (वित्त/बजट), रक्षा वित्त, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
21. श्री गौरव शर्मा, उप कमांडेन्ट, सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
22. श्री रमेश चन्द्र पांडे, अनुभाग अधिकारी, वित्त स्थापना, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में ।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे ।

अनुलग्नक–II
राज्यवार कुल पीओपी–एसपी की संख्या

क्र.सं	राज्य का नाम	2021	2022
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	134	136
2	आंध्रप्रदेश	15,796	15645
3	अरूणाचल प्रदेश	385	384
4	असम	5,952	5982
5	बिहार	13,429	13476
6	चंडीगढ़	526	536
7	छत्तीसगढ़	5,029	5037
8	दादरा और नगर हवेली	126	127
9	दमन और दीव	913	918
10	गोवा	14,277	14424
11	गुजरात	6,730	6938
12	हरियाणा	3,164	3175
13	हिमाचल प्रदेश	2,133	2145
14	जम्मू और कश्मीर	4,295	4324
15	झारखंड	15,613	15661
16	कर्नाटक	10,916	10901
17	केरल	11	11
18	लक्षद्वीप	0	1
19	मध्यप्रदेश	13,457	13461
20	महाराष्ट्र	25,207	25216
21	मणिपुर	252	511
22	मेघालय	544	1091
23	मिजोरम	235	481
24	नागालैंड	247	495
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (नई दिल्ली)	5,218	10634
26	उड़ीसा	10,653	21371
27	पुदुच्चेरी	317	636
28	पंजाब	10,019	20059
29	राजस्थान	10,868	21796
30	सिक्किम	145	145
31	तमिलनाडु	16,467	33037
32	तेलंगाना	5,703	11569
33	त्रिपुरा	651	1312
34	उत्तराखंड	2,937	34061
35	उत्तरप्रदेश	30,025	33032
36	पश्चिम बंगाल	14,880	30044
	कुल (संपूर्ण भारत)	247254	249756

***नोटः** सूची में केफिनटेक–सीआरए के तहत पंजीकृत सीआरए–एनएसडीएल और अनन्य पीओपी–एसपी के आंकड़े शामिल है।*

31 मार्च 2022 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2021 तक के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) और उसके साथ पठित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 42 के तहत पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के उस वर्ष के लिए आय और व्यय खाते एवं प्राप्तियां और भुगतान खाते पर संलग्न तुलनपत्र की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के निर्माण की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की है, हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. पृथक् लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं, जो कि सर्वोत्तम लेखा प्रथाओं के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के साथ लेखांकन उपचार पर है। कानून, नियम और विनियम (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हों, तो वे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से रिपोर्ट किए जाएंगे।

3. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और संपन्न करें ताकि वित्तीय विवरणों के त्रुटिमुक्त होने का उचित आश्वासन दिया जा सके । लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों और वित्तीय वक्तव्यों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल हैं। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय के अनुसार उचित है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने यह रिपोर्ट किया है कि:

   (i) हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने रिपोर्ट में टिप्पणियों के अधीन सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

   (ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटान किए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते और रसीदें और भुगतान खाते को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियमों, 2015 में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।

   (iii) हमारी राय में, हमारी लेखापरीक्षा में जहां तक ऐसी खाताबहियों से प्रकट होता है, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के उचित खाता बहियों को प्रबंधित किया गया है ।

   (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलनपत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 निर्धारित/धर्मादा निधियां (अनुसूची –3): रु 2.50 करोड़

उपरोक्त में स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना के लिए 31 मार्च 2022 तक, सरकार से प्राप्त रू.51.46 करोड़ का अनुप्रयुक्त अनुदान शामिल नहीं है। पीएफआरडीए (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप)

नियम, 2015 के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान, उसके तहत किए गए भुगतान, वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियों को केवल संबंधित निधियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

हालांकि, यह देखा गया कि वर्ष 2021–22 के दौरान, पीएफआरडीए ने खातों की अनुसूची–1 रू.51.46 करोड़ को अनुप्रयुक्त कोष के अंतिम शेष के रूप में दर्शाया था। इन निधियों का पीएफआरडीए के पूंजीगत/कोष निधि और इन पर अर्जित ब्याज का पीएफआरडीए की ब्याज निधि के रूप में प्रदर्शन निर्धारित निधियों में कमी और मौजूदा देनदारियों में रु. 51.46 करोड की अधिकता को परिणामित करता है।

एपीवाई के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान और स्वावलंबन योजना और एपीवाई अनुदान की शेष राशि पर अर्जित ब्याज और इन अनुदानों से किए गए व्यय के गलत प्रयोग ने आय और व्यय खाते को प्रभावित किया है क्योंकि (क) अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21) के मामले में – 172.09 करोड़ रुपये से (ख) अनुदान और सब्सिडी पर व्यय (अनुसूची –22) के मामले में 16.56 करोड़ रुपये से (ग) अनुदान और सब्सिडी (अनुसूची –13) के मामले में 203.00 करोड़ रुपये (एपीवाई के लिए अनुदान) से और (घ) अर्जित ब्याज (अनुसूची–17) 0.57 करोड़ रुपये से अधिक प्रदर्शित हुई है। एपीवाई के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज और स्वावलंबन और एपीवाई अनुदान से किए गए सभी व्यय अनुसूची–3 निर्धारित और धर्मादा निधि के माध्यम से किए जाने चाहिए थे। हालाँकि, इस विसंगति के सटीक प्रभाव की गणना वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी क्योंकि पूर्व वर्ष के अप्रयुक्त कोष का प्रारंभिक शेष पूर्व वर्ष के सरकारी अनुदान के गलत लेखांकन के कारण गलत पाया गया था।

इस मुद्दे को 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए पीएफआरडीए के खातों पर पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कई बार उठाए जाने पर भी पीएफआरडीए द्वारा इसे उपर्युक्त अनुदानो ं को 'निर्धारित/धर्मादा निधियों' के तहत नहीं दर्शाया जा रहा है।

ख. अनुदान

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पीएफआरडीए को रू.203.00 का अनुदान प्राप्त हुआ और इसका प्रारंभिक शेष रु.152.40 करोड़ था। वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान पर प्राप्त ब्याज रु. 0.57 करोड़ था और स्वाबलंबन के तहत प्राप्त राशि रू.0.001 करोड़ थी और एपीवाई के लिए प्राप्त राशि रु.1.39 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान उपलब्ध रु.239.36 करोड़ की कुल राशि से पीएफआरडीए ने रु 187.90 करोड़ (जिसमें रु.15.84 करोड़ के अनुदान की वापसी और सरकारी अनुदान पर अर्जित रु.0.73 करोड़ का सरकारी अनुदान शामिल है) प्रयुक्त की और रू.51.46 करोड़ शेष रही।

ग. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हे ं उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदो ं मे ं हमारी टिप्पणियो ं के आधार पर, हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाते/ रसीद और भुगतान खाते, खाता बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और पृथक् लेखा रिपोर्ट के अनुलग्नक–। में वर्णित अन्य मामलो ं के अधीन, यह भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

(क) अब तक यह 31 मार्च 2022 तक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तुलनपत्र से संबंधित है, और

(ख) अब तक यह 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते के व्यय से अधिक आय से संबंधित है।

भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक
हेतु और उनके द्वारा

(एस.आह्लादिनी पंडा)
प्रधान लेखा निदेशक
(उद्योग एवं कोर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 सितंबर, 2022

अनुलग्नक– I

क. आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता

पीएफआरडीए के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने वर्ष 2020–21 के लिए पीएफआरडीए के सभी भागों की लेखापरीक्षा पूर्ण की है। वर्ष 2021–22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है। आंतरिक लेखापरीक्षा को पीएफआरडीए की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुसार सुदृढ़ होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021–22 के लिए पीएफआरडीए के खातों की लेखापरीक्षा, पीएफआरडीए द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त की गई सनदी लेखाकार फर्म द्वारा आयोजित की गई। इसमे प्राप्त परिणामों को पीएफआरडीए प्रबंधन को रिपोर्ट कर दिया गया था और सीए फर्म के अवलोकनों पर पीएफआरडीए द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा की गई है।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदान की बुकिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। वाउचर का रखरखाव, विभिन्न नियंत्रण रजिस्टर, सहायता अनुदान और स्वीकृति से संबंधित रिकॉर्ड और व्यय अनुमोदन में नियमितता संतोषजनक थी।

ग. अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पीएफआरडीए द्वारा वर्ष के अंत में अचल आस्तियो ं का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया। अचल संपत्ति रजिस्टर में कर्मचारियों की अचल संपत्ति से संबंधित आस्ति पहचान संख्या जैसे कार्यालय कम्प्यूटर और मोबाइल हैंडसेट का उल्लखे नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, स्क्रैप के रुप में घोषित संपत्ति को निपटाए जाने की आवश्यकता है।

घ. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वस्तुसूचियो ं को 'शून्य' दर्शाया गया है।

ङ.) वैधानिक देय राशियो ं के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 31.03.2022 तक के अनुसार 6 महीने से कोई वैधानिक बकाया राशि नहीं है।

मृणाल

निदेशक

पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर पीएफआरडीए की टिप्पणियां
(वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाना है)

पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु क.1.1 और अनुलग्नक के बिंदु ख और ग के लिए

यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि पीएफआरडीए (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 ('नियम') को, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 42 की उपधारा(1) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (ज) के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के परामर्श से, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। वार्षिक खातों के प्रपत्र और अनुसूचियां उपर्युक्त नियमों के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिनमें स्वावलंबन योजना के अंतर्गत व्ययों को अनुसूची 21 अर्थात् अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत दर्शाया गया है। इसी तरह, प्राप्त अनुदान/ सहायकी को अनुसूची 13 (अनुदान /सहायकी) के तहत दर्शाया गया है, जो आय और व्यय खाते का हिस्सा है। तदनुसार, स्वावलंबन और एपीवाई योजना के तहत अनुदान और व्यय को पीएफआरडीए की खातों बहियों में आय और व्यय माना गया है। यह उपचारात्मक कार्रवाई उपर्युक्त 'नियमों' के अनुसार की गई है :

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदान बहियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर, यह उल्लेख किया जाता है कि पीएफआरडीए ने सरकारी अनुदान के लिए पृथक् अभिलेख, खाता बहियां और बैंक खाते प्रबंधित किए हैं। परिणामस्वरूप, मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त है। अचल संपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि आस्तियां प्रत्येक वर्ष के अंत में सत्यापित की जाती हैं और किसी प्रकार के गैर–पहचान का मामला सामने नहीं आया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा को पीएफआरडीए की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुसार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। स्क्रैप के रुप में घोषित संपत्ति का समय–समय पर निपटान किया जा रहा है।

अनुलग्नक III

प्रपत्र क

(नियम 3 (क) देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2022 तक तुलन पत्र के रूप में

(इकाई–भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कोष/पूंजी भंडार	1	1,90,00,61,056	1,24,50,15,689	1. अचल संपत्तियां	8		
				सकल ब्लॉक		1,00,15,22,291	51,07,47,779
2. आरक्षित अधिशेष	2	-	-	कम मूल्यह्रास		2,36,41,478	1,79,49,562
				कुल ब्लॉक		**97,78,80,813**	**49,27,98,216**
3. निर्धारित / धर्मादा निधि	3	2,50,13,267	2,35,02,420				
				2.निर्धारित/ बंदोबस्ती कोष से निवेश	9	2,43,88,564	2,26,95,680
4. सुरक्षित ऋण और उधारी	4	-	-				
				3 निवेश–अन्य	10	77,44,56,001	51,71,31,221
5. असुरक्षित ऋण और उधारी	5	-	-				
				4.मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	76,96,59,660	65,71,01,148
6. आस्थगित ऋण और देनदारियां	6	-	-				
				5. विविध व्यय (कुछ हद तक नहीं लिखे या समायोजित किए गए)		-	-
7. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	62,13,10,715	42,12,08,157				
कुल		**2,54,63,85,038**	**1,68,97,26,266**	**कुल**		**2,54,63,85,038**	**1,68,97,26,266**

नोटः–

तुलन पत्र में सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

प्रपत्र ख
(नियम 3 (ख) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए आय और व्यय का लेखा–जोखा

(इकाई–भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.स्थापना व्यय	20	35,03,34,730	17,46,71,424	1. बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,06,49,41,748	3,94,46,05,711	2. अनुदान/अनवृत्ति	13	2,03,00,00,000	2,73,00,00,000
3.अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि	22	16,56,53,252	13,79,89,642	3.शुल्क/सदस्यता	14	1,33,58,93,795	59,16,36,861
4. ब्याज	23	5,993	11,413	4.निवेशों से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के हस्तांतरण से निवेश पर आय	15	-	-
5. मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल–अनुसूची 8 के तदनुसार)		59,63,505	33,18,117	5.रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
				6.अर्जित ब्याज	17	4,43,38,224	7,16,33,290
				7.अन्य आय	18	22,92,607	32,58,192
				8.तैयार माल और काम में प्रगति के शेयर में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल		**2,58,68,99,228**	**4,26,05,96,306**	**कुल**		**3,41,25,24,626**	**3,39,65,28,342**
आय का शेष व्यय से अधिक		82,56,25,398	(86,40,67,964)				
विशेष आरक्षित को स्थानांतरित प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-	-				
सामान्य आरक्षित को/से स्थानांतरित		-	-				
शेष को अधिशेष/घाटा के रूप में कोष /पूंजी निधि में रखा गया		**82,56,25,398**	**(86,40,67,964)**				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा–जोखा पर नोट्स	25						

नोटः–
तुलन पत्र में सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

प्रपत्र ग
(नियम 3 (ग) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

(इकाई–भारतीय रुपया)

क्र.सं.	आवती	मौजूदा वर्श	पूर्व वर्श	क्र. सं	भुगतान	मौजूदा वर्श	पूर्व वर्श
1.	प्रारंभिक शेष राशि			1.	खर्च		
(क)	नकदी	20,000	5,313	(a)	स्थापना पर खर्च	32,27,78,542	18,42,94,163
(ख)	बैंक बैलेंस			(b)	प्रशासनिक व्यय	29,16,93,067	22,97,03,303
	(i) चालू खातों में	-	-	2.	उपयोग किए गए अनुदान		
	(ii) आवधिक जमा खातों में	-	-	(a)	स्वावलंबन योगदान	(6,420)	(9,887)
	(iii) बैंक जमा खातों मे`	40,01,42,196	1,55,64,94,648	(b)	स्वावलंबन प्रचार	1,13,82,300	54,79,000
2.	प्राप्त अनुदान			(c)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अनुदान	-	-
(i)	भारत सरकार स			(d)	एपीवाई अंशदान	(1,39,10,719)	1,55,02,17,812
	(क)अनुदान सहायता वेतन	-	-	(e)	एपीवाई संवर्धन एवं विकास	1,70,20,29,612	2,22,89,29,841
	(ख)अनुदान–सहायता–सामान्य	-	-	(f)	अनुदान की वापसी	15,84,00,000	-
				(g)	ब्याज की वापसी	72,53,252	13,79,89,642
	(ग) अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	-	-	(h)	अन्य (एनसीएफई)	-	-
	(घ) अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	-	-	3.	निवेश और जमा राशि		
	(ड.)अनुदान सहायता एपीवाई अंशदान	-	1,01,00,00,000	(a)	निर्धारित/धर्मादा निधि से बाहर	4,00,000	1,00,000
	(च) अनुदान सहायता एपीवाई संवर्धन एवं विकास	2,03,00,00,000	1,72,00,00,000	(b)	स्वयं के धन से बाहर (निवेश – अन्य)	25,73,24,780	(22,04,88,979)
	(छ) अन्य	-	-	4.	अचल संपत्तियों और चालू काम पर लगी पूंजी पर व्यय		
(ii)	राज्य सरकार से			(a)	अचल संपत्तियों की खरीद	12,27,422	27,38,818
	(क)अनुदान सहायता वेतन	-	-	(b)	चालू काम पर लगी पूंजी पर व्यय	48,01,94,460	48,01,94,519
	(ख)अनुदान–सहायता–सामान्य	-	-	5.	अधिशेष पैसे / ऋणों की वापसी		
	(ग) अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	-	-	(a)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से वसूली	-	-
	(घ) अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	-	-	(b)	राज्य सरकार को	-	-
	(ड) अन्य	-	-	(c)	धन के अन्य प्रदाताओं को	-	-
(iii)	अन्य स्रोतों से	-	-	6.	वित्त शुल्क (ब्याज)		
3.	निवेश पर आय			(a)	बैंक शुल्क	5,993	11,413
(क)	निर्धारित/बंदोबस्ती धन	4,616	4,648	(b)	अन्य	-	-
(ख)	स्वनिवेश (अन्य निवेश)	-	-	7.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)		
4.	प्राप्त ब्याज			(a)	प्रीपेड	49,45,765	14,56,743
(क)	बैंक जमाराशियों पर	5,25,43,693	6,43,63,126	(b)	ऋण / उधार कर्मचारियों के लिए	1,42,591	2,53,091
(ख)	ऋण, उधार आदि	-	-	(c)	खर्चों के लिए अग्रिम राशि	3,90,10,557	1,86,92,191
(ग)	अन्य (ऋण पर ब्याज)	-	-	(d)	सुरक्षा जमा	9,82,000	
5.	अन्य आय (निर्दिष्ट)			8.	अंतिम शेष		
(क)	वार्षिक शुल्क	1,30,56,29,042	59,18,98,251	(a)	नकद	12,291	20,000
(ख)	विविध सेवाओं से प्राप्त आय	1,54,91,724	3,33,99,991	(b)	बैंक अतिशेष		
(ग)	विविध आय	18,77,272	32,52,531		(i) चालू खातों में		
6	उधार ली गई राशि	-	-		(ii) समय जमा खातों में		
7	कोई भी अन्य रसीद				(iii) बचत बैंक जमा खातों में	59,31,07,928	40,01,42,196
(क)	सुरक्षा /ईएमडी रसीद	50,000	68,000				
(ख)	उधार की वसूली	1,61,51,168	3,87,40,504				
(ग)	संपत्ति के हस्तांतरण	-	1,23,567				
(घ)	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	3,63,711	1,30,746				
(च)	अन्य	3,47,00,000	12,42,540				
	कुल	**3,85,69,73,421**	**5,01,97,23,865**		**कुल**	**3,85,69,73,421**	**5,01,97,23,865**

नोटः–

तुलन पत्र में सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 1
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
कोष/पूंजी भंडार

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
शेष राशि वर्ष के आरंभ में		1,24,50,15,689	92,90,86,573
जोड़ेः	अप्रयुक्त कोष निधि की शुरुआती शेष राशि	34,40,05,696	1,52,40,02,776
कमः	अप्रयुक्त कोष निधि की समापन शेष राशि	51,45,85,726	34,40,05,696
जोड़े/ घटाएंः	शुद्ध आय व्यय की शेष राशि जो आय और व्यय खाते से स्थानांतरित की गई है	82,56,25,398	(86,40,67,964)
जोड़ेः	सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान/आय और व्यय खाते से स्थानांतरित		
वर्ष के अंत में शेष राशि के रूप में		**1,90,00,61,056**	**1,24,50,15,689**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 2
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
भंडार और अधिशेष

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. **पूंजी कोश**		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. न्यून : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. **पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. न्यून : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. **विशेष आरक्षित**		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. न्यून : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. **सामान्य आरक्षित**		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. न्यून : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	**-**	**-**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 3
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
भंडार और अधिशेष

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण			अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	
			मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.		1. धन की प्रारंभिक शेष राशि	2,35,02,420	2,19,93,893
2.		2. धन में जोड़		
	(क)	दान/अनुदान	-	-
	(ख)	धन के खाते में किए निवेश पर आय	11,47,136	13,77,781
	(ग)	वर्ष के दौरान आवती	3,63,711	1,30,746
	(घ)	अन्य जोड़ (प्रकृति उल्लिखित करें)		
कुल (1+2)			**2,50,13,267**	**2,35,02,420**
3.		निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय		
	(क)	पूंजीगत व्यय		
		i. अचल संपत्तियाँ	-	-
		ii. अन्य संपत्तियाँ	-	-
कुल			-	-
	(ख)	राजस्व व्यय		
		i. वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि	-	-
		ii. किराया	-	-
		iii.अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-
कुल			-	-
कुल (3)			**-**	**-**
साल के अंत में शुद्ध बैलेंस (1+2-3)			**2,50,13,267**	**2,35,02,420**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 4
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
सुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
i. सावधि ऋण	-	-
ii. अर्जित ब्याज और दे	-	-
4. बैंक		
i. सावधि ऋण	-	-
–अर्जित ब्याज और देय		
ii. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	-	-
–अर्जित ब्याज और देय		
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 5
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
i. सावधि ऋण	-	-
ii. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	-	-
4. बैंक		
i. सावधि ऋण	-	-
ii. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	-	-
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
कुल	**-**	**-**

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि–

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 6
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
2. अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 7
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
मौजूदा देयताएं और उपबंध

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
मौजूदा देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. फुटकर लेनदार और देनदारियां	2,18,45,986	3,48,32,981
3. उधार प्राप्त	3,47,00,000	-
4. अर्जित ब्याज पर देय नहीं है:		
क. सुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
ख. असुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
5. वैधानिक देनदारियां		
क. अतिदेय	-	-
ख. अन्य	29,74,117	16,37,083
6. अन्य चालू देनदारियां		
क. भारत सरकार को देय अप्रयुक्त अनुदान के रूप में	51,45,85,726	34,40,05,696
ख. अन्य : सुरक्षा जमा	56,17,000	65,99,000
कुल	**57,97,22,829**	**38,70,74,760**
प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. ऐच्छिक दान	58,19,474	97,50,718
3. व्यापार वारंटियां/दावे	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	3,46,63,549	2,38,13,861
5. पेंशन अंशदान देय	6,12,543	-
6. छुट्टी नकदीकरण देय	-	-
7. अन्य– विनिर्दिष्ट	4,92,320	5,68,818
कुल	**4,15,87,886**	**3,41,33,397**
कुल योग	**62,13,10,715**	**42,12,08,157**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 8
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
अचल संपत्ति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	कुल संपत्तियां				मूल्यह्रास				कुल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के आरंभ के रुप में	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती पर	कुल वर्ष के अंत तक	चालू वर्ष के रुप में	पूर्व वर्ष के रुप में
अचल संपत्तियां										
1. भूमि										
क. फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. बिल्डिंग					-			-		
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/ परिसर जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ.सुपरस्ट्रक्चर जो किसी इकाई से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.वाहन	13,18,102	9,38,781	-	22,56,883	7,52,148	2,25,710	-	9,77,858	12,79,025	5,65,954
5.फर्नीचर तथा अलमारियां	45,29,866	7,29,596		52,59,462	23,86,859	2,35,922	-	26,22,781	26,36,681	21,43,008
6. कार्यालय उपकरण	87,44,674	24,19,347	3,28,155	1,08,35,866	38,93,710	9,84,263	91,063	47,86,909	60,48,957	48,50,964
7.कंप्यूटर/सहायक उपकरण	1,55,64,767	71,05,504	2,97,073	2,23,73,199	1,05,76,362	45,00,078	1,80,527	1,48,95,914	74,77,285	49,88,405
8.विद्युत प्रतिष्ठान	1,51,908	12,052		1,63,960	1,35,870	1,801		1,37,671	26,289	16,038
9. लाइब्रेरी की किताब	2,43,942		-	2,43,942	2,04,614	15,731	-	2,20,345	23,597	39,328
10. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**3,05,53,260**	**1,12,05,280**	**6,25,228**	**4,11,33,312**	**1,79,49,562**	**59,63,505**	**2,71,590**	**2,36,41,478**	**1,74,91,834**	**1,26,03,697**
पिछला वर्ष	**2,49,07,112**	**81,00,381**	**24,54,233**	**3,05,53,260**	**1,64,02,729**	**33,18,117**	**17,71,283**	**1,79,49,562**	**1,26,03,697**	**85,04,383**
पूजीकार्य में प्रगति	**48,01,94,519**	**48,01,94,460**	**-**	**96,03,88,979**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,03,88,979**	**48,01,94,519**
कुल									**97,78,80,813**	**49,27,98,216**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 9
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
उद्दिष्ट/धर्मादा निधि में निवेश

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	2,43,88,564	2,26,95,680
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 10
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
निवेश–अन्य

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर (कोट नहीं किए गए) नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) के इक्विटी शेयरः 10,00,00,000/– कम : सरकारी अनुदान से किया गया निवेश : 9,99,99,999/–	1.00	1.00
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	77,44,56,000	51,71,31,220
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**77,44,56,001**	51,71,31,221

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 11
31.03.2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
क).वर्तमान संपत्तियां		
1. मालः		
क) संचित और अतिरिक्त	-	-
ख) शिथिल उपकरण	-	-
ख) बिक्री के लिए माल		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर है	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदारः		
क. 6 महीने की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. नकदी	12,291	20,000
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
i) चालू खातों पर	-	-
ii) समय जमा खातों पर	-	-
iii) बचत बैंक जमा खातों पर	59,31,07,928	40,01,42,196
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
i) चालू खातों पर	-	-
ii) समय जमा खातों पर	-	-
iii) बचत बैंक जमा खातों पर	-	-
5. डाकघर–बचत खाते	-	-
6. अन्य	-	-
कुल (क)	**59,31,20,219**	**40,01,62,196**
(ख).ऋण, उधार और अन्य परिसंपत्तियांः		
1. ऋणः		
क) स्टॉफ	2,38,000	2,60,000
ख) अन्य संस्था, जो संस्था की तरह के गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न हैः	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. उधार और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रुप में या वसूली जाने वाली कीमत के रुप में प्राप्त हो		
क) पूंजी खाते पर	-	-
ख) पूर्वभुगतान (पूर्वदत्त खर्च)	49,45,765	14,70,350
ग) सुरक्षा जमा	39,64,480	38,47,500
घ) अन्य	4,69,79,735	13,73,66,838
3. आय अर्जित		
उदिष्ट और धर्मादा निधि से निवेश पर	4,84,302	6,34,666
अन्य–पर निवेश	2,50,39,998	3,32,45,467
ऋणों तथा उधारों पर	-	-
अन्य (इसमें अचेतनीय राशि रु...........भी शामिल है।)	9,48,87,162	8,01,14,133
4. प्राप्ति योग्य दावे	-	-
कुल (ख)	**17,65,39,442**	**25,69,38,953**
कुल योग (क)+(ख)	**76,96,59,660**	**65,71,01,148**

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 12
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
बिक्री/सेवाओं से आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. बिक्री से आय		
(क)तैयार माल की बिक्री	-	-
(ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
(ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
(क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
(ख) व्यवसायिक/परामर्श सेवाएं	-	-
(ग) ऐजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
(घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
(ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 13
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
अनुदान/अनवृत्ति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थिर अनुदान/अनवृत्ति		
1. केंद्र सरकार	2,03,00,00,000	2,73,00,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी अभिकरण	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**2,03,00,00,000**	**2,73,00,00,000**

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 14
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
शुल्क/सदस्यता

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रवेश शुल्क	-	-
2.	वार्षिक शुल्क	1,32,04,02,071	55,83,36,870
3.	कार्यक्रम शुल्क	-	-
4.	सलाहकारी शुल्क	-	-
5.	अनुज्ञा शुल्क	-	-
6.	अन्य सेवाओं शुल्क	1,54,91,724	3,32,99,991
7.	अन्य	-	-
कुल		**1,33,58,93,795**	**59,16,36,861**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 15
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
निवेश से आय (उद्दिष्ट और धर्मादा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय)

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण		निर्धारित धनराशि से निवेश		निवेश–अन्य	
		वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	ब्याज				
	क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	ख. अन्य बांड/डिबेंचर्स	-	-	-	-
	ग. अन्य	11,47,136	13,77,781	-	-
2.	लाभांश				
	क. शेयरों पर	-	-	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-
	ग. अन्य	-	-	-	-
3.	किराया	-	-	-	-
4.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल		**11,47,136**	**13,77,781**	**-**	**-**
उद्दिष्ट और धर्मादा निधि को हस्तांतरित		**11,47,136**	**13,77,781**		
कुल शेष		**-**	**-**	**-**	**-**

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय

(इकाई–भारतीय रूपया)

विवरण		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रभुत्व शुल्क से आय		-
2.	प्रकाशन से आय	-	-
3.	अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
	कुल	**-**	**-**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

अर्जित ब्याज

(इकाई–भारतीय रूपया)

विवरण		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सावधि जमा खातों पर		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ	3,32,69,079	5,69,67,150
	ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग. संस्थानों के साथ	-	-
	घ. अन्य	-	-
2.	बचत बैंक जमा खातों पर		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ	1,10,69,145	1,46,66,140
	ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग. डाकघरों के साथ	-	-
	घ. अन्य		
3.	ऋण पर:		
	क. कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
	ख. अन्य	-	-
4.	देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
	कुल	4,43,38,224	7,16,33,290
स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाए			

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

निवेश से आय (उद्दिष्ट और धर्मादा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय)

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. 1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
(ख) अनुदान से परे या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
2. 2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	-	-
3. 3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. 4. विविध आय	22,92,607	32,58,192
कुल	**22,92,607**	**32,58,192**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 19

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और काम में प्रगति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) समापन स्टॉक		
–तैयार माल	-	-
–कार्य प्रगति पर	-	-
(ख) कम– शुरुआती स्टॉक		
–तैयार माल	-	-
–कार्य प्रगति पर	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	**-**	**-**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 20

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

स्थापना व्यय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	वेतन और परिश्रमिक	28,82,46,416	14,82,88,879
2.	भत्ता और बोनस	-	-
3.	भविष्य निधि अंशदान	-	-
4.	पेंशन के लिए अंशदान	2,37,73,295	1,28,32,661
5.	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
6.	कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ पर व्यय	-	-
7.	छुट्टी का वेतन	2,94,56,283	85,83,969
8.	ट्यूशन शुल्क अदायगी	-	-
9.	चिकित्सा अदायगी	38,05,100	30,50,143
10.	ग्रेच्युटी योगदान	50,53,636	19,15,771
11.	अन्य (विशिष्ट)	-	-
कुल		**35,03,34,730**	**17,46,71,424**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 21

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

अन्य प्रशासनिक व्यय

(इकाई–भारतीय रुपया)

	विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	खरीदारियां	-	-
2.	श्रम और प्रसंस्करण खर्चे	-	-
3.	ढुलाई और आंतरिक परिवहन	-	-
4.	बिजली और पावर	17,72,164	16,47,876
5.	जल शुल्क	6,86,823	5,69,522
6.	बीमा	17,99,867	18,44,892
7.	मरम्मत और रखरखाव	56,36,902	64,00,678
8.	उत्पाद शुल्क	-	-
9.	किराया, दरें और कर	8,14,43,062	7,34,71,187
10.	चलते वाहन और उनका रखरखाव	2,35,48,764	1,36,94,318
11.	डाक, टेलीफोन और संचार के शुल्क	69,75,702	52,08,044
12.	मुद्रण और स्टेशनरी	16,38,459	14,80,358
13.	यात्रा और वाहन खर्चे	72,05,131	6,71,399
14.	सेमिनार/कार्यशालाएं/बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	81,13,200	2,48,36,439
15.	सदस्यता खर्च	-	-
16.	फीस और व्यय	-	-
17.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	3,49,702	2,46,160
18.	आतिथ्य खर्च	-	-
19.	पेशेवर शुल्क	6,52,30,823	3,50,12,958
20.	पुस्तकें और पत्रिकाएं	3,03,304	1,73,652
21.	भर्ती खर्च	1,05,24,747	80,36,941
22.	आशोध्य और संदिग्ध ऋण/ उधार के लिए प्रावधान	-	-
23.	संकलनकर्त्ता के लिए प्रोत्साहन राशि	1,13,82,300	54,79,000
24.	स्वावलंबन सरकारी अंशदान	(6,420)	(9,887)
25.	एपीवाई सरकारी अंशदान	(1,39,10,719)	1,55,02,17,812
26.	उपस्थिति अस्तित्व को प्रोत्साहन राशि	-	-
27.	अप्रतिलभ्य शेष राशि का लेखा जोखा	-	-
28.	पैकिंग खर्च	-	-
29.	फ्रेट और अग्रेषण खर्च	-	-
30.	वितरण खर्च	-	-
31.	विज्ञापन और प्रचार खर्च	11,85,32,178	1,93,47,176
32.	सदस्यता शुल्क	5,87,305	32,68,640
33.	कर्मचारी कल्याण	14,83,833	8,35,661
34.	कंसल्टेंसी खर्च	34,90,294	27,65,685
35.	एपीवाई प्रचार	5,18,24,736	6,19,500
36.	एपीवाई के लिए प्रोत्साहन राशि	1,67,16,09,750	2,18,76,32,920
37.	बैठक शुल्क		-
38.	अन्य (वेबसाइट शुल्क खर्च, निधि प्रबंधन शुल्क, कम्प्यूटर सामग्री)	47,19,842	11,54,779
	कुल	**2,06,49,41,748**	**3,94,46,05,711**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 22

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	संस्थाओं/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान	-	-
2.	संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
3.	अन्य (विशिष्ट)		
	क. अनुदान की वापसी	15,84,00,000	-
	ख.ब्याज़ की वापसी	72,53,252	13,79,89,642
	कुल	**16,56,53,252**	**13,79,89,642**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 23

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

ब्याज

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	निर्धारित ऋणों पर	-	-
2.	अन्य ऋणों पर		-
3.	बैंक के शुल्क	5,993	11,413
4.	अन्य (विशिष्ट)	-	-
	कुल	**5,993**	**11,413**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

पंकज शर्मा
सदस्य

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 24
31 मार्च 2022 को वर्ष की समाप्ति पर खातों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन और वित्तीय बयान की तैयारी का आधार

प्राधिकरण का वित्तीय लेखा–जोखा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नियम (लेखा और रिकॉर्ड के वार्षिक विवरण के रुप में), 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। भारत सरकार की योजना होने के कारण स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अलावा वित्तीय लेखा–जोखा ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत प्रोद्भवन के आधार पर भुगतान आधार पर बनाया जाता रहा है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए न्यासी बैंक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों से शुल्क की गणना बीमांकिक आधार पर की की गई है।

2. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

विशिष्ट संपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया गया है, उनके बुक वैल्यू पर पहुंचने में और संबंधित परिसंपत्तियों को मामूली मूल्य पर तुलनपत्र में दिखाया गया है।

3. अचल संपत्ति

अचल संपत्तियों को उनके करों और अन्य आनुषंगिक अधिग्रहण से संबंधित खर्च सहित मूल लागत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् अनुदान और छुट्टी नकदीकरण को भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई समूह अनुदान योजना और समूह छुट्टी नकदीकरण के तहत कवर किया गया है ।

5. मूल्यह्रास

5.1 इसे आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार नीचे लिखे मूल्य विधि पर प्रदान किया जाता है।

5.2 5000/– या उससे कम की कीमतों की प्रत्येक आस्तियों को राजस्व खर्च के रूप में माना जाता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद	पंकज शर्मा	एस.बंदोपाध्याय
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 25

01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए खातों से जुड़े होने और भाग के रूप में

आकस्मिक देयताएं और खातों में लेखन

1. आकस्मिक देयताएं

प्राधिकरण की 31.03.2022 पर कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

2. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और उधार का मूल्य कम से कम तुलनपत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर मूल्य का है।

3. कराधान

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकरण अपने धन, आय लाभ या लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, इस तरह का कोई प्रावधान लेखा बहियों में प्रदान नहीं किया गया है।

4. 31.03.2022 तक के अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को प्रमुख मौजूदा देनदारियों और प्रावधान के तहत दर्शाया गया।

5. पिछले वर्ष के लिए संबंधित आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनःसमूहीकृत/पुनःप्रबंधित किया गया।

6. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2022 के तुलनपत्र के रुप में एकत्रित किया गया और इसे तुलनपत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया और 01.04.2021 से 31.03.22 तक की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के रुप में लिया गया है।

7. पीएफआरडीए ने केंद्र सरकार से वित्त वर्ष 2019–20 में प्राप्त अनुदान से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की शेयर पूंजी में रूपये 10 करोड़ का योगदान दिया है। इसलिए, इस निवेश को अनुसूची 10 के तहत रू.1 के संवैधानिक मूल्य पर दिखाया गया है।

8. मार्च 2022 में वित्त वर्ष 22–23 के लिए अभिरक्षक के रूप में डायशे बैंक से रु.3.47 करोड़ का वार्षिक शुल्क प्राप्त हुआ जिसे 'अग्रिम रूप से प्राप्त आय' के रूप में दिखाया गया है और तदनुसार वित्त वर्ष 21–22 के लिए आय के रूप में नहीं दिखाया गया है।

9. पीएफआरडीए ने अपनी 88वीं बोर्ड बैठक में एनबीसीसी की आगामी परियोजना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में, अपने लिए रु.200–250 करोड़ की बजट राशि में कार्यालय खरीदने की स्वीकृति दी है। तदनुसार, पीएफआरडीए ने 2021–22 के दौरान उक्त परिसर, जो अभी निर्माणाधीन है, की खरीद के लिए एनबीसीसी को यथानुपात 48.02 करोड़ रूपये का भुगतान किया है और 31 मार्च 2022 तक कुल 96.04 करोड़ का भुगतान किया है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। इसे अनुसूची–8 में 'पूजीकार्य में प्रगति' के तहत दर्शाया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2022

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. मनोज आनंद	**पंकज शर्मा**	**एस.बंदोपाध्याय**
सदस्य	सदस्य	सदस्य

This Report is in conformity with the format of the Annual Report prescribed in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns, and Statements) Rules, 2015

Note:- In case of any conflict between the Hindi version and the English version, the English version will prevail.

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

सुप्रतिम बंदोपाध्याय
अध्यक्ष
Supratim Bandyopadhyay
Chairperson

Letter of Transmittal

F. No: PFRDA/09/02/11/0002/2022-ANNUAL RPT Dept

November 11, 2022

The Secretary
Department of Financial Services
Ministry of Finance
Government of India
Parliament Street, Jeevandeep Building
New Delhi-110001

Subject: Annual Report of PFRDA for FY 2021-22

Sir,

In accordance with the provision of Section 46 (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, I have the pleasure of transmitting copies of the Annual Report of the Pension Fund Regulatory and Development Authority on the working of the Authority for the financial year ended on March 31, 2022.

Yours Sincerely,

(Supratim Bandyopadhyay)

बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : +91–11–26517095, 45063672 फैक्स : 011–26517507, ई–मेल: chairman@pfrda.org.in, वेबसाईट : www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : +91-11-26517095, 45063672 Fax : 011-26517507, E-mail : chairman@pfrda.org.in, Website : www.pfrda.org.in

INDEX

Table of Content

Statement of Goals and Objectives		9
Objective		9
Vision		9
Chairman's Message		11
Members of the Board		13
Senior Management of the Authority		14
Abbreviations		15
Part - I		
Policies & Programmes		
1.1	Global Economic Scenario	18
1.1.1	Inflation	18
1.1.2	Global Commodities Prices	19
1.1.3	Global Financial Environment	19
1.1.4	Bond and Equity Markets	20
1.2	Domestic Economy	20
1.2.1	Macroeconomic Developments in India	20
1.2.2	Inflation	20
1.2.3	Monetary Management	21
1.3	Financial Markets	22
1.3.1	G. Sec Market	22
1.3.2	Corporate Bond Market	23
1.3.3	Equity Market	23
1.4	Review of Global Pension Markets	23
1.4.1	Pension Fund Assets in the OECD area in 2021	23
1.4.2	Equities Investments in 2021	25
1.5	Major Announcement for Pension Section in Budget 2022	26
1.6	Indian Demography and Old Age Income Security	27
1.7	Indian Pension Landscape	27
1.8	A Brief on the Review of the Objectives of PFRDA	31
1.9	Intermediaries under NPS	32
1.9.1	Intermediaries and Other Entities Associated with National Pension System and Other Pension Schemes Covered Under the Act	32
1.9.2	Types of Account	35
1.9.3	Outreach	35
Part - II		
Investment of Funds under NPS		36

2.1	Pension Funds (PFs)	36
2.1.1	Functions of Pension Funds	36
2.1.2	List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), NPS-Swavalamban and APY	37
2.1.3	List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes	37
2.2	Schemes	37
2.3	Regulations, Notification, issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund	45
2.4	Inspection	47
Part - III		
Functions of the Authority		
3.1	Registration of Intermediaries and Suspension, Cancellation, etc	48
3.2	Approval of Schemes, the Terms and Conditions thereof	52
3.3	Exit of Subscribers From the National Pension System	53
3.3.1	PFRDA (Exits & Withdrawals Under NPS) Regulations 2015 and Amendments thereof	53
3.3.2	Partial Withdrawal Under NPS 48	57
3.4	Activities Undertaken for Protection of Interests of Subscribers under the National Pension System and of Other Pension Schemes under the Act	63
3.5	Mechanism For Redressal of Grievances of Subscribers and Activities Undertaken For Redressal of Such Grievances	65
3.5.1	No. of Complaints received, resolved and pending for FY 2021-22 at the office of Ombudsman	70
3.5.2	State-wise complaints received for FY 2021– 22 at the office of Ombudsman	70
3.5.3	Initiatives taken by PFRDA	71
3.6	Certification Programme for Retirement Advisers	72
3.7	Collection of Data by the Authority and the Intermediaries Including undertaking and Commissioning of Studies, Research and Projects	72
3.8	Steps undertaken for Educating Subscribers and the General Public on Issues Relating to Pension, Retirement Savings and Related Issued and Details of Training of Intermediaries	73
3.8.1	Financial Literacy regarding Pensions	73
3.8.2	Programme for Co-ordination with Financial Agencies and Other Agencies	73
3.8.3	PFRDA's endeavor on media & communication and NPS/APY awareness	74
3.8.4	PFRDA on Social Media	77
3.8.5	Public Relation Agency	77

3.8.6	Training	77
3.8.7	NPS and APY Information Helpdesk	78
3.9	Conferences /Meetings and other Initiatives undertaken during FY 2021-22	79
3.9.1	Conferences under Central and State Government Sector	79
3.9.2	Steps initiated for smooth implementation of NPS in Government Sector/Non-Government Sector	82
3.9.3	Conferences under Corporate Sector	89
3.9.4	Atal Pension Yojana	90
3.10	Performance of Pension Funds	94
3.11	Regulated Assets	96
3.12	Fees and Other Charges Levied or Collected by the Authority During the Financial Year	97
3.13	Information Sought for, Inspections Undertaken, Inquiries Conducted and Investigations Undertaken Including Audit of Intermediaries and Other Entities or Organisations Connected with Pension Funds	99
3.13.1	Inquiries & Investigations	99
3.13.2	Inspection & Audits	99
3.14	Others	100
3.14.1	Subscribers (Category Wise) Covered Under the National Pension System and Other Pension Schemes Under the Act	100
3.14.2	Points of Presence	104
3.14.3	Asset under Management Scheme wise	104
3.14.4	The Central Recordkeeping Agency	105
3.14.5	Pension Funds	114
3.14.6	The Trustee Bank	115
3.14.7	The Custodian under the National Pension System	120
3.14.8	The National Pension System Trust	122
3.14.9	Retirement Advisor	125
3.14.10	Other Functions Carried Out by the Authority in the Area of Pensions.	125
PART - IV		
4.1	Pension Advisory Committee	130
4.2	Regulations Made or Amended	130
4.3	Constitution of Committee for Utilization of Subscriber Education and Protection Fund	131
4.4	Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA	132

PART - V		
Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority		
5.1	Constitution of PFRDA Board	133
5.2	Meetings of the Authority	133
5.3	Staff Strength in PFRDA	134
5.4	Functioning of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA	134
5.5	Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace	134
5.6	Staff Welfare Committee	134
5.7	Training of employees in PFRDA	134
5.8	Promotion of Official Language	135
5.9	Right to Information	136
5.10	Parliamentary Questions	137
5.11	Accounts of PFRDA	137
PART - VI		
Any Critical Area Adversely Affecting the Interest of Subscribers		
6	Some of the area affecting the Interest of the Subscribers	138
6.1	Absence of an enabling regulation precludes the Govt. nodal officer	138
6.2	Age Limit of 40 Years for Joining APY	138
6.3	Statutory Obligations that the Authority has not complied	138
6.3.1	Minimum Assured Returns Scheme (MARS)	138
6.4	Taxation on employer contribution beyond 10% of salary	139
6.5	Cap on employer contribution for calculating taxable perquisite	139
6.6	Tier-II Tax Saver with tax benefit of 80C restricted for Central Govt. employees	139
6.7	Taxation on gains arises on Tier-II investment	139
PART - VII		
Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other Pension Schemes under the Act		
7.1	Other Initiatives taken by the Authority to Protect the Interest of the subscribers	140
List of Annexure		
Annexure I		
Composition of Pension Advisory Committee		143
Annexure II		
State wise total no. of POP-SPs		144
Annexure III		
Annual Accounts and Schedules		151

STATEMENT OF GOALS AND OBJECTIVES

Under rule 9(2) (C) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015

OBJECTIVE

The broad objectives of the PFRDA are contained in the Preamble go the PFRDA Act 2013 as under:

"To provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interest of subscribers to schemes of pension funds and matters connected therewith and incidental thereto"

VISION

To be a model regulator for promotion and development of an organized pension system to serve the old age income needs of people on a sustainable basis.

CHAIRMAN's MESSAGE

The financial stability risks to the Indian economy are tilted towards global spillovers and geopolitical issues. However, the Indian financial system demonstrates elementary scalability and elasticity to withstand these shocks. In the uncertain global economic scenarios prevalent, PFRDA has been able to take several measures to actively safeguard the interests of its subscribers under NPS and APY. It has ranged from providing monetary support by allowing partial withdrawals during the COVID-19 pandemic to facilitating the ease of usage and access for all of its subscribers.

The headwinds from COVID-19 and the shocks from the war in Europe further aggravated the commodity market prices, put financial markets on the edge, and crude oil prices touched multiyear high. As per the World Economic Outlook report-April 2022, Global growth is projected to slow from an estimated 6.1 percent in 2021 to 3.6 percent in 2022. This has led to a worldwide increase in inflation and tightening monetary policies across the world, with the first rate hike of 25 basis points being done by the Federal Reserve in March 2022 and more lined up for the year. In the dynamic environment with considerable uncertainty, PFRDA has been able to actively cushion its impact on its subscribers through prudentially managed pension funds and optimally regulated investment guidelines.

In the current scenario of an increasing and aging population, the country's demographic dividend will be reversed in the coming decades. Not only this, but in another five- or six years India will become the most populous nation in the world with a simultaneous increase in life expectancy. In such a situation it becomes imperative to strengthen old age security for all the citizens of the country.

Pension as a financial product has a two-pronged aim, first to serve as an old age support mechanism and secondly to be adequate so that the standard of living in old age remains similar for the individual. As it is a long-term financial product, it requires a sustained level of contribution towards the accumulation of the corpus during the working age of an individual. To attain the same, financial literacy in the context of pension, retirement planning and saving plays a crucial role. The earlier an individual starts contributing to their pension, the more they are able to reap the benefits of compounding.

With a growth of 22.6 percent in the subscriber base that currently stands at 520.21 Lakh and a growth of 27.4 percent in the Asset under Management that currently stands at Rs. 7,36,594 crore, PFRDA has witnessed rapid growth. The enrolments under Atal Pension Yojana, the scheme focused on the unorganised sector, crossed four crore which, was another landmark achieved by PFRDA.

PFRDA is in the process of offering a pension product that will provide a fixed minimum assured returns to subscribers who choose to opt for it. PFRDA is also taking steps to introduce a risk-o-meter with each of the portfolio allocation schemes.

It is my pleasure to share this Annual Report of the PFRDA for the financial year 2021-22. The report endeavours to encompass all the major activities and initiatives of the Authority. I am sure that the report will enhance the understanding of the functionalities of the pension system in India and how it is witnessing rapid growth. We welcome feedback on the Report.

Finally, I wish to reiterate the commitment and dedication of the PFRDA to the overarching cause of making India a Pensioned society to fulfil its objective of old age income security.

Supratim Bandyopadhyay
Chairman

Members of the Board

(Appointed under Section 4 of the PFRDA Act, 2013 (Act 23 of 2013))

CHAIRPERSON

Shri Supratim Bandyopadhyay
Chairman, PFRDA from February 21, 2020 till date

WHOLE-TIME MEMBERS

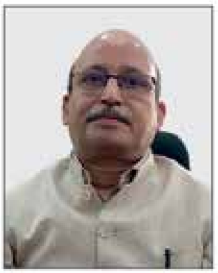

Shri Pramod Kumar Singh
Whole-Time Member (Law)
from 03.03.2020 till date.

Dr. Deepak Mohanty
Whole-Time Member
(Economics) from 01.09.2020 till date.

Dr. Manoj Anand
Whole-Time Member (Finance)
from 01.10.2020 till date.

PART-TIME MEMBERS

Ms. Annie George Mathew
(IA & AS 1988)
Additional Secretary (Pers),
Department of Expenditure
from 12.12.2014 till date.

Ms. Sujata Chaturvedi
(IAS 1989),
Additional Secretary
(in-charge of Establishment Division),
Department of Personnel & Training (DoPT)
from 16.01.2020 till 30.09.2021.

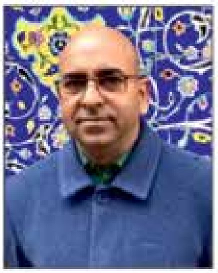

Shri Madnesh Kumar Mishra
(IRS 1990)
Joint Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance
from 03.11.2017 till 31.08.2021.

Ms. Vandita Kaul
(IPoS 1989)
Additional Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
from 22.12.2021 till 31.03.2022.

Senior Management of the Authority

(As of March 31, 2022)

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Ananta Gopal Das
Ms. Mamta Rohit
Shri Ashok Kumar Soni

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri Venkateswarlu Peri
Ms. Sumeet Kaur Kapoor
Shri Ashish Kumar
Shri K. Mohan Gandhi
Shri Mono Mohon Gogoi Phukon
Shri Akhilesh Kumar

GENERAL MANAGER

Shri Pravesh Kumar
Shri Vikas Kumar Singh
Shri Sumit Kumar
Shri P. Arumugarangarajan
Shri Sachin Joneja
Shri Ashish Bharti
Ms. Gurminder Kaur

Chief Vigilance Officer

Shri D.K. Namdeo

Ombudsman

Shri Arnab Roy

ANNUAL REPORT TEAM

Shri Venkateswarlu Peri, Chief General Manager

Ms. Manju Bhalla, Deputy General Manager

Shri Manish Mani, Assistant General Manager

Shri Sidhant Mohapatra, Assistant Manager

Ms. Akansha Chauhan, Junior Economist

Abbreviations

AIF	Alternative Investment Fund
APY	Atal Pension Yojana
APY-SP	APY-Service Provider
ASSOCHAM	Associated Chambers of Commerce and Industry of India
ASP	Annuity Service Provider
AUM	Assets under Management
BSE	Bombay Stock Exchange
CAB	Central Autonomous Bodies
CAGR	Compounded Annual Growth Rate
CBO	Corporate Branch Office
CCI	Competition Commission of India
CEO	Chief Executive Officer
CG	Central Government
CGMS	Central Grievance Management System
CHO	Corporate Head Office
CII	Confederation of Indian Industry
COR	Certificate of Registration
CPI	Consumer Price Index
CPIO	Central Public Information Officer
CRA	Central Recordkeeping Agency
CSGL	Constituent Subsidiary General Ledger
DB	Defined Benefit
DDO	Drawing and Disbursing Office
DCCB	District Central Co-operative Bank
DFS	Department of Financial Services
DTA	Directorate of Treasuries and Accounts
DTO	District Treasury Office
EMDE	Emerging Market and Developing Economies
EPF	Employee Provident Fund
EPFO	Employees' Provident Fund Organisation
EPS	Employees' Pension Scheme
ERM	Error Rectification Module

FAQ	Frequently asked Question
FICCI	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
Fin-Tech	Financial Technology
FSDC	Financial Stability and Development Council
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product
G-Sec	Government security
IFSCA	International Financial Services Centres Authority
IMF	International Monetary Fund
IOS	iPhone Operating System
ISTM	Institute of Secretariat Training and Management
IPIN	Internet Personal Identification Number
TPIN	Telephonic Personal Identification number
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
IRF-FC	Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates
KYC	Know Your Customer
MFI	Micro Finance Institution
MIS	Management Information System
Mobile app	Mobile Application
MPC	Monetary Policy Committee
NAHRD	National Academy of Human Resource Development
NAV	Net Asset Value
NBFC	Non-Banking Financial Company
NCFE	National Centre for Financial Education
NISM	National Institute of Securities Market
NLAO	NPS Lite Account office
NPCI	National Payments Corporation of India
NPS	National Pension System
NPSCAN	NPS Contribution Accounting Network
NPST	National Pension System Trust
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development

OPGM	Online PRAN Generation Module
OTP	One Time Password
PAC	Pension Advisory Committee
PAN	Permanent Account Number
PAO	Pay and Accounts Office
PrAO	Principal Accounting Office
PF	Pension Fund
PFM	Pension Fund Manager
PHDCCI	PhD Chamber of Commerce and Industry
PoP	Point of Presence
PoP-SE	Point of Presence-Sub Entity
PoP-SP	Point of Presence-Service Provider
PRAN	Permanent Retirement Account Number
QR code	Quick Response code
RA	Retirement Advisor
RBI	Reserve Bank of India
RRB	Regional Rural Bank
RTI	Right to Information
SCF	Subscriber Contribution File
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SG	State Government
SHCIL	Stock Holding Corporation of India Ltd
SOT	Statement of Transactions
STS	Server to Server
TB	Trustee Bank
TGFIFL	Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy
UOS	Unorganised Sector
WEO	World Economic Outlook
WPI	Wholesale Price Index
WTM	Whole Time Member

Part I
Policies and Programmes

The introduction of the NPS in India marked a paradigm shift from a defined benefit pension system to a defined contribution pension system. The Preamble to PFRDA Act, 2013 sets out the objective of providing old-age income security in India. The National Pension System (NPS) is designed with a view to having a systemic approach toward designing and implementing a coherent and financially sustainable pension system in the country.

The pension sector is impacted by global and domestic developments. At the same time, pension assets impact the economy in different ways by channelizing resources to the capital market and infrastructure. The global and domestic developments are reflected in economic growth, inflation, commodity prices, as well as monetary and fiscal policy responses which in turn impact all segments of the financial market, be it the equity market, government securities market, or bond market. This part of the report briefly reviews the global and domestic economy before delving into the developments in the global and domestic pension markets.

1.1 Global Economic Scenario

The world economy is experiencing a period of turmoil that could be compared to that of the Great Depression of the 1930s. This has majorly been due to the dual shock of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. Fuel and food prices have increased rapidly, with vulnerable populations, particularly in low-income countries, most affected. As per the April 2022 update, World Economic Outlook (WEO) report, Global growth is projected to slow from an estimated 6.1 percent in 2021 to 3.6 percent in 2022 and 2023. Beyond 2023, global growth is forecast to decline to about 3.3 percent over the medium term. The World Trade Organization has scaled down the projection of world trade growth for 2022 to 3.0 percent.

Emerging market and developing economies (EMDEs) – As per the WEO report, April 2022, Manufacturing PMIs fell into contraction in March in Turkey and Malaysia, while in Egypt, the total economy PMI fell to its lowest reading since the initial wave of the pandemic and expectations for future output reached a record low. Rising food and fuel costs contributed to annual Inflation hitting 11.3 percent and 7.5 percent in Brazil and Mexico, respectively, and more than 60 percent in Turkey.

1.1.1 Inflation

Elevated Inflation will complicate the trade-offs central banks face between containing price pressures and safeguarding growth. Interest rates are expected to rise as central banks tighten policy, exerting pressure on emerging markets and developing economies. This can be particularly seen by the move of the U.S. Federal Reserve in March 2022, where the U.S. Government has raised the benchmark interest rate by half a percentage point to a range of 0.75 percent to 1 percent, which is their biggest hike since 2000. According to WEO April 2022 update, Inflation is expected to remain elevated for longer than in the previous forecast, driven by war-induced commodity price increases and broadening price pressures. By 2022, Inflation is projected at 5.7 percent in advanced economies and 8.7

percent in emerging market and developing economies. Although a gradual resolution of supply-demand imbalances and a modest pickup in labor supply are expected in the baseline, easing price inflation eventually, uncertainty again surrounds the forecast. Many emerging market economies are projected to achieve fiscal consolidation in 2022, but high post-pandemic debt burdens will remain a problem for many years to come.

1.1.2 Global Commodities Prices

As per the April 2022 edition of the Commodity Markets Outlook Report, World Bank, the war in Ukraine has added to a broad-based rise in commodity prices that began in mid-2020 with a surge in demand driven by receding concerns about the COVID-19 pandemic. Demand for commodities rebounded as the global economy recovered, while commodity production increased more slowly, weighed down by several years of weak investment in new production capacity as well as various supply disruptions. As a result, energy prices (in U.S. dollar terms) were more than four times higher in March 2022 than their April 2020 lows—the largest 23-month increase in energy prices since the 1973 oil price hike. Brent crude oil prices reached a 10-year high of $130 per barrel in early March but fell closer to $105 per barrel by mid-April, helped by significant oil inventory releases by member countries of the International Energy Agency. Metal prices increased by 7 percent in March. The global composite PMI fell from 53.5 to 52.7 in March. Similarly, food prices are expected to increase at a more moderate pace of about 4.5 percent in 2022 and decline in 2023. Commodity price increases and broadening price pressures have led to 2022 inflation projections of 5.7 percent in advanced economies and 8.7 percent in emerging market and developing economies.

1.1.3 Global Financial Environment

As per the Global Financial Stability Report (GFSR) April 2022, the resilience of the current financial systems across the world will be tested due to market disruptions in commodity markets and increased counterparty risk, poor market liquidity and funding strains, acceleration of cryptoization in emerging markets and possible cyber-related events. Emerging and frontier markets are facing tighter financial conditions and higher risks of capital outflows. The deterioration in spreads, combined with the increase in U.S. yields, has pushed financing costs well above their pre-pandemic levels for many borrowers. Tighter external financial conditions on the back of U.S. monetary policy normalization and heightened geopolitical uncertainty are likely to increase the downside risks for portfolio flows. An abrupt, sustained increase in interest rate, particularly in the United States, could tighten global financial conditions, intensifying existing vulnerabilities, resulting in market volatility and a sharp decline in the price of financial instruments. Emerging markets could be adversely impacted if there is a pullback from risk-taking during a time when they face labor shortages and when native currency yields are rising. With the sharp rise in commodity prices anticipated to add to pre-existing inflation pressure, central banks are faced with a challenging trade-off between fighting record-high Inflation and safeguarding the post-pandemic recovery at a time of heightened uncertainty about prospects for the global economy.

1.1.4 Bond and Equity Markets.

As per GFSR, April 2022, after rising early in the year on concerns about the inflation outlook, advanced economy nominal bond yields have increased further since the invasion, amid heightened volatility of rates. Inflation break-evens (a market-implied proxy for future Inflation) have risen significantly on the back of sharply higher commodity prices.

As per GFSR, Global corporate bond spreads have widened some, surpassing pre-pandemic levels across major sectors and most high-yield segments. The increase has been more evident for the lowest-rated firms, pointing to concerns about potential future defaults. Volatility has risen sharply in both equity and interest rate markets, reflecting heightened uncertainty on the economic and policy outlook.

In equities, market-implied volatility has declined sharply and is anticipated to remain around these levels through the end of 2022. In interest rates, market-implied volatility has remained elevated, reflecting uncertainties about the policy normalization process in advanced economies. On the other hand, financial conditions in advanced economies have tightened notably this year, reflecting the decline in corporate valuations, higher government bond yields, and continued expectations of monetary policy normalization.

After rising early in the year on concerns about the inflation outlook, advanced economy nominal bond yields increased sharply in March amid heightened interest rate volatility, reflecting an increase in both break evens and real rates.

1.2 Domestic Economy

1.2.1 Macro-Economic Developments in India

India is expected to emerge as the fastest-growing major economy in the world as the economy recovers from the Covid-19 shock, backed by its robust democracy. With an improvement in the economic scenario, there have been investments across various sectors of the economy. Numerous foreign companies are setting up their facilities in India on account of various Government initiatives like Make in India and Digital India. The Make in India initiative aims to boost the country's manufacturing sector and increase the purchasing power of an average Indian consumer, which would further drive demand and spur development, thus benefiting investors. On the other hand, the Digital India initiative focuses on three core components: the creation of digital infrastructure, delivering services digitally and increasing digital literacy.

As per RBI (reference MPC Report, April 2022), real gross domestic product (GDP) rose by 8.9 percent in 2021-22, above its pre-pandemic (2019-20) level by just 1.8 percent. Economic activity, which gained strength in Q2:2021-22 (July-September) with the diminishing of the second wave, has lost pace since Q3:2021-22 (October-December), exacerbated by the spread of the Omicron variant in Q4 (January-March).

1.2.2 Inflation

According to RBI MPC Report, April 2022, after easing to 4.3 percent in September 2021, CPI inflation rose in the following months to reach 6.1 percent in February

2022, driven by the increase in food inflation.

According to the Monthly Economic Review, March 2022, Consumer Price Index –Combined (CPI-C) inflation or retail inflation for April- February FY 2022 stood at 5.4 percent, well below the tolerance limit of 6 percent, as compared to 6.3 percent in the corresponding period last year. Core inflation (CPI excluding food and fuel), a more stable measure of inflation, remained sticky during the period at 6.0 percent compared to 5.5 percent in the same period last year as demand pressures in the economy sustained in 2021-22.

Wholesale Price Index (WPI), WPI inflation for the period April 2021-February 2022 was benign at 0.7 percent. However, it witnessed a sharp uptick in the corresponding period of 2021-22 to 12.7 percent. A part of the rise in the WPI inflation is on account of the unfavorable base effect in the previous year.

Wholesale price Index (WPI) rose to 15.08 per cent for the month of April. The WPI inflation has remained in the double digits for the 12th consecutive months beginning April 2021.

Chart 1.1: Inflation rate CPI & WPI

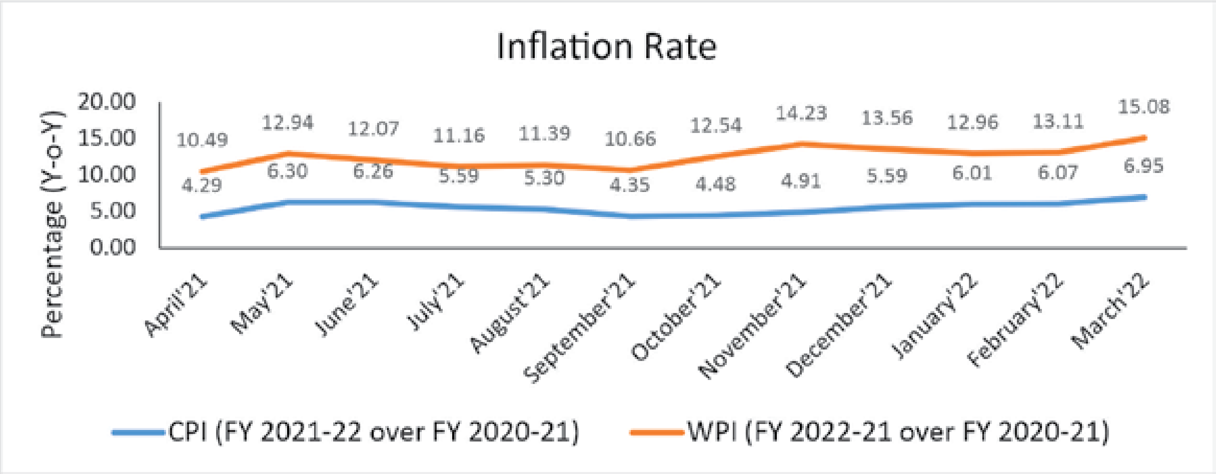

Source: PIB and MoSPI

1.2.3 Monetary Management

In the First Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2021-2022, the MPC kept the policy repo rate to 4.00 percent. The policy repo rates percent kept unchanged in the Third, Fourth, Fifth, and Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statements. In addition, the RBI continued with the accommodative stance if it was necessary to revive growth while ensuring that inflation remained within the target.

Based on an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, which included supply chain bottlenecks, the rising price of fuel, etc., the Monetary Policy Committee (MPC), at its meeting on May 4, 2022, decided to increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 40 basis points to 4.40 percent with immediate effect. This also included the Rate of Standing Deposit Facility being raised to 4.15 percent and that of Marginal Standing

Facility being raised to 4.65 percent. This marked a moment where the RBI decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth.

Chart 1.2: Movement in the repo rate during FY 2020-21 and FY 2021-2022 is presented below:

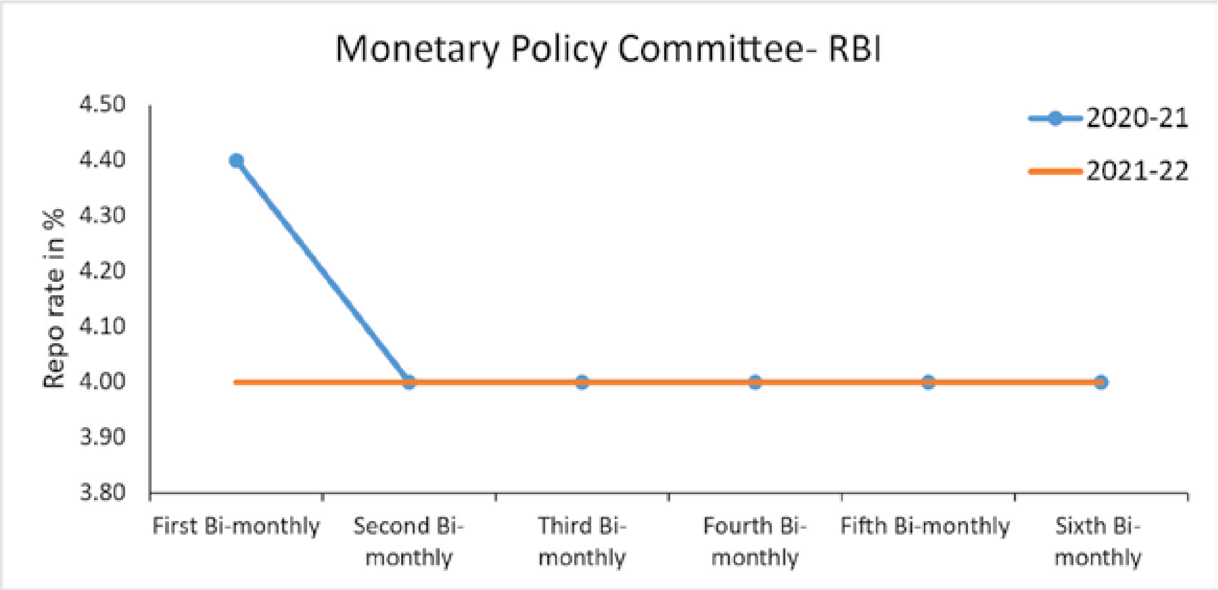

Source: MPC Reports RBI

1.3 Financial Markets

India has a diversified financial sector undergoing rapid expansion, both in terms of growth of financial services and new entities. The sector comprises commercial banks, non-banking financial companies, co-operatives, insurance companies, pension funds, mutual funds, and other smaller financial entities. As per the monetary policy report of RBI April 2022, during H2:2021-22, the domestic financial markets remained relatively stable amidst surplus liquidity conditions with intermittent bouts of volatility caused by Omicron's outbreak, faster than anticipated pace of normalization in advanced countries, domestic inflation concerns, bearishness about the large government borrowing program and, more recently, geopolitical conflict the sympathetic jump in crude oil prices.

1.3.1 G-Sec Market

As per the monetary policy report of RBI April 2022, During H2: 2021-22, the 10-year G-sec yield hardened by 63 bps, reflecting global and domestic factors. During Q3:2021-22, the 10-year yield rose by 24 bps. In Q4:2021-22, the benchmark yield firmed up by a further 39 bps. Average trading volume in both G-secs and T-bills dipped in H2:2021-22 amidst rising yields and elevated uncertainty. The average level of yield increased by 38 bps during H2. The slope flattened by 41 bps in view of the sharper increase in the short-term rates on account of the liquidity rebalancing.

Chart 1.3: 10 Year G-Sec Bond Yield (Percent)

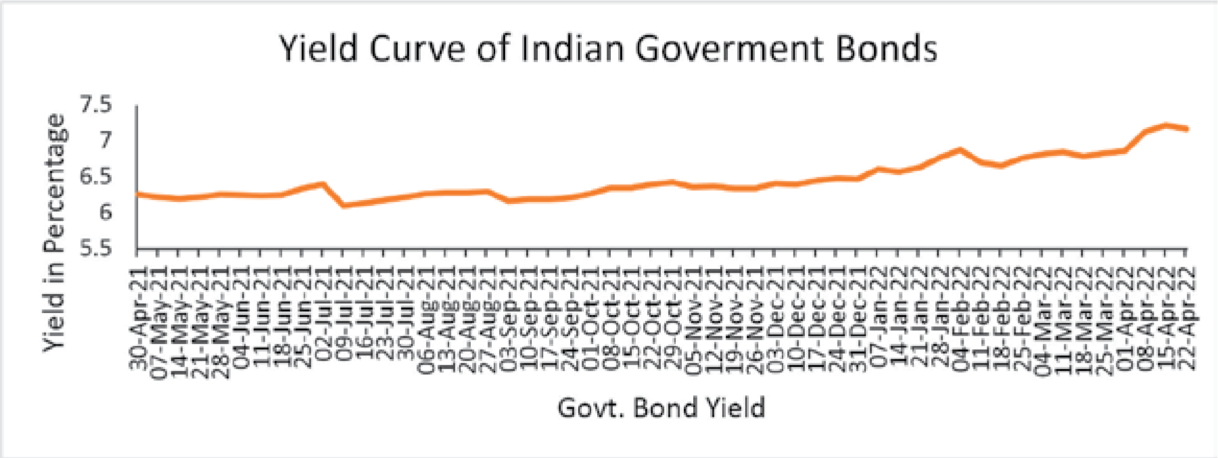

Data Source: RBI report

1.3.2 Corporate Bond Market

As per the MPC report of RBI April 2022, During H2:2021-22, corporate bond yields remained softened. Yields on AAA-rated 3-year bonds issued by NBFCs declined by 66 bps to 5.98 percent, while those on corporates and public-sector undertakings (PSUs), financial institutions (FIs), and banks moderated by 64 bps to 5.88 percent and by 51 bps to 5.84 percent, respectively. The risk premium or spread over 3-year G-sec yields declined from 49 bps to 37 bps in H2 for NBFCs, from 50 bps to 23 bps for PSUs, FIs, and banks, and from 40 bps to 26 bps for corporates.

1.3.3 Equity Market

India's equity markets corrected marginally during H2:2021-22 amid high volatility triggered by the outbreak of hawkish monetary policy, Omicron version of COVID-19, Crude oil prices, policy stances of global central banks, and escalating geopolitical tensions.

Domestic equities witnessed sharp selloffs in the second half of February 2022 and early March 2022 over Ukraine-Russia tensions but recovered in the second half of March 2022. Overall, the BSE Sensex lost 0.9 percent in H2 to close at 58,569. The correction in the stock prices, coupled with higher corporate earnings, led to the price-to-earnings ratio (of BSE Sensex) falling to 25.1 by end-March 2022 from 27.6 in end-September 2021, moderating the valuation premium over its long-term average.

1.4 Review of Global Pension Markets

1.4.1 Pension fund Assets in the OECD Area in 2021

As per an OECD report, Assets in pension funds rose by over 8 percent in the OECD area and nearly 2 percent in other reporting jurisdictions in 2021.

A second year into COVID-19, pension fund assets continued to grow in almost all reporting jurisdictions. Preliminary data for 2021 show that the asset growth was the strongest in Zimbabwe (over 200 percent), Georgia (69.6 percent), Turkey (41.2 percent), Lithuania (31.5 percent) and Armenia (30.7 percent). By contrast, pension funds recorded a decline in assets in 4 out of the 68 reporting jurisdictions, including Chile (-4.5 percent), and Peru (-19.1 percent) where early withdrawals

Chart 1.4 Nifty movement

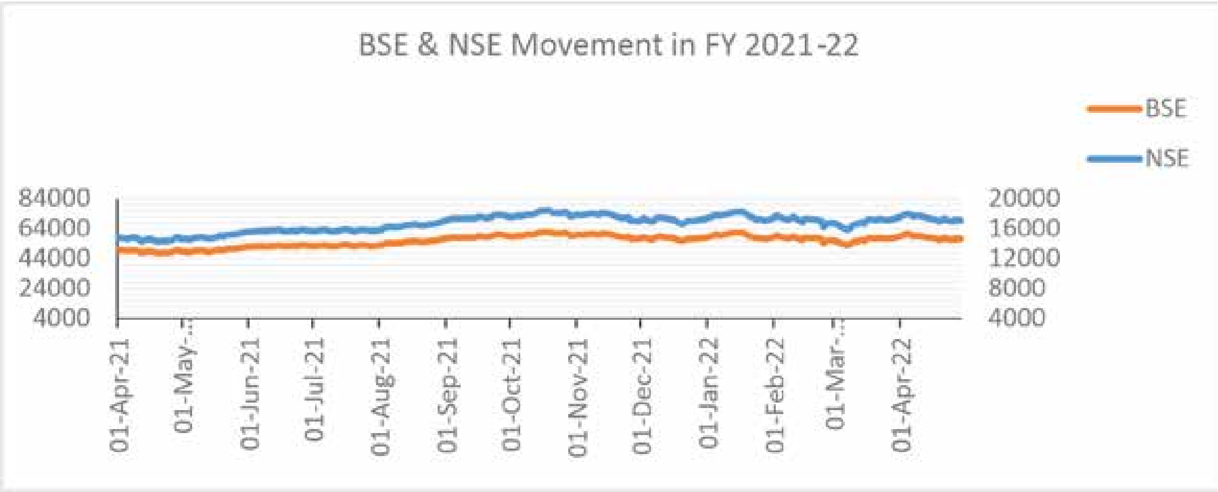

Data Source: RBI report

from individual accounts were allowed in 2021 to support people during COVID-19, and Estonia (-15.5 percent) following a reform of the (formerly mandatory) second pension pillar. Overall, in the total OECD area, pension fund assets rose by 8.2 percent in USD terms, while they rose by 1.7 percent in the 30 other non-OECD reporting jurisdictions.

Overall, pension fund assets amounted to USD 38.5 trillion in a total of 68 reporting jurisdictions at end-2021. Most of these assets were held by pension funds in the OECD, totalling USD 37.7 trillion. The United States recorded the largest amount of assets in pension funds (USD 22.6 trillion), followed by the United Kingdom (USD 3.6 trillion), Australia (USD 2.3 trillion), the Netherlands (USD 2.0 trillion), Canada (USD 1.7 trillion), Japan (USD 1.5 trillion) and Switzerland (USD 1.2 trillion).

These seven countries altogether held 92.4 percent of pension fund assets in the OECD area.

Pension fund assets show large variations across jurisdictions. Overall, pension fund assets in the OECD area amounted to 66.9 percent of the GDP of all OECD countries at end-2021, which is higher than at end-2020

The nominal growth in pension fund assets partly came from the investment income that pension funds managed to earn in 2021. Pension funds recorded positive investment rates of return (net of investment expenses) in all reporting jurisdictions in 2021 in nominal terms, except Hong Kong (China). The nominal returns exceeded 10 percent in 17 out of 53 reporting jurisdictions, and were even above 20 percent in Lithuania (20.7 percent), Poland (25.2 percent) and Turkey (25.2 percent).

Chart 1.5: Nominal and real investment rates of return of pension funds, Dec 2020 - Dec 2021 (preliminary)

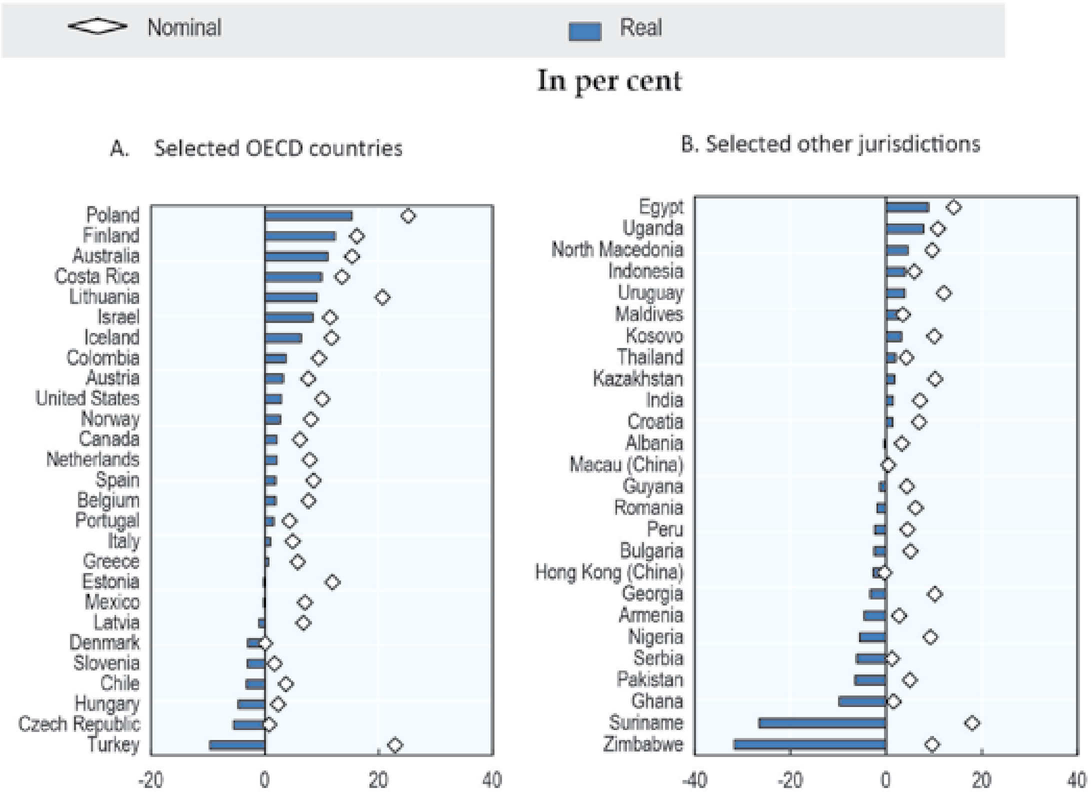

Data Source: OECD report.

Pension funds recorded positive investment rates of return in real terms in 18 out of 27 reporting OECD countries. Pension funds even managed to record double-digit returns in real terms in four OECD countries in 2021: Poland (15.2 percent), Finland (12.3 percent), Australia (11.1 percent), and Costa Rica (10.0 percent). This strong performance in these four countries may be due to lower inflation (between 3.3 percent and 3.8 percent for Australia, Costa Rica, and Finland) or a higher proportion of assets invested in equities than elsewhere. By contrast, pension funds recorded a positive investment rate of return in only 11 out of the 26 other non-OECD reporting jurisdictions. The lowest investment rates of return in real terms were reported in Zimbabwe (-31.8 percent), Suriname (-26.5 percent), and Ghana (-9.8 percent), where inflation was also among the highest in all reporting jurisdictions (60.7 percent in Zimbabwe and Suriname, and 12.6 percent in Ghana). In the OECD area, pension funds recorded the lowest real investment rate of return in Turkey (-9.7 percent), where inflation reached 36.1 percent.

1.4.2 Equities Investments in 2021

As per the OECD report, Pension funds held 47.9% of their portfolios in bonds and 26.1% in equities on average among all reporting OECD and non-OECD jurisdictions. Chart 1.6 shows however that the asset mix varied widely across jurisdictions.

Chart 1.6: Asset allocation of pension funds in selected investment categories at end-2021 (preliminary)

Data Source: OECD report.

A. Selected OECD Countries

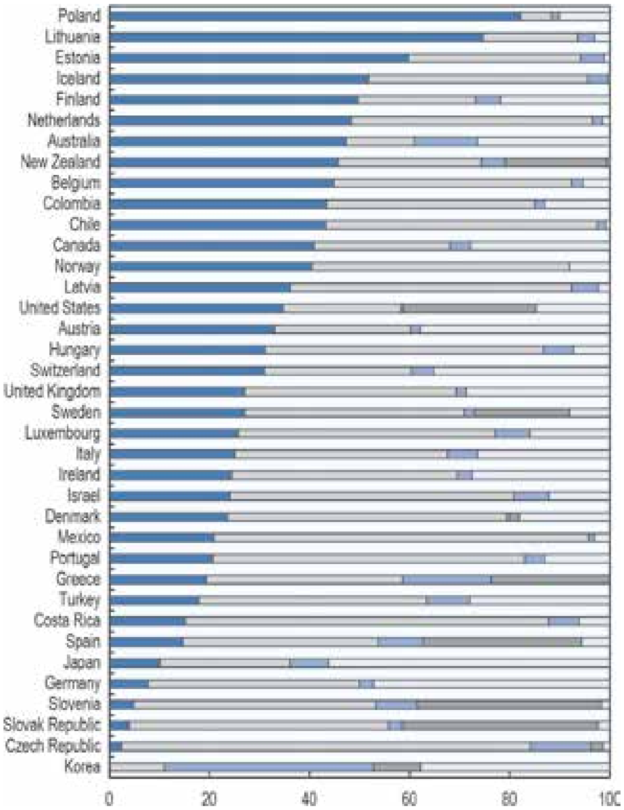

B. Selected other jurisdictions.

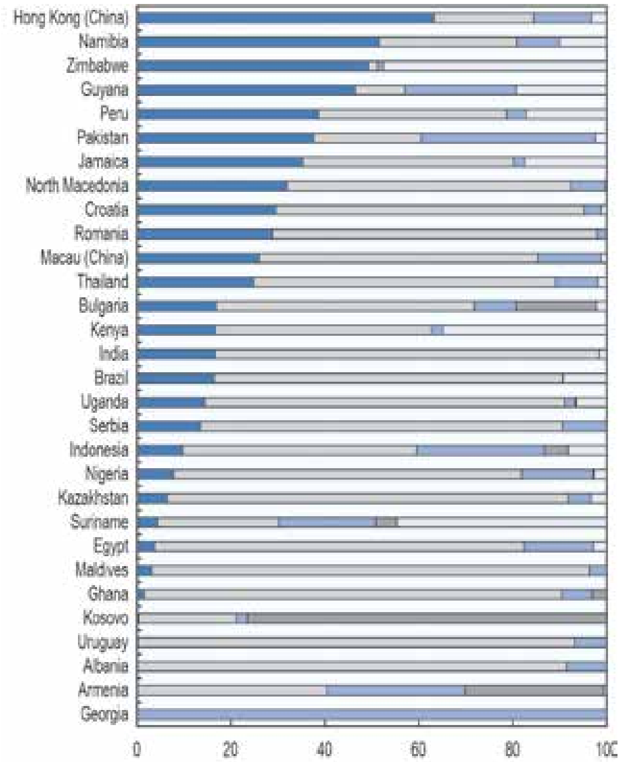

Bonds are usually one of the major holdings in the portfolios of pension funds, accounting for more than 50 percent of investments in 29 reporting jurisdictions and even more than 90 percent in Albania (91.5 percent), the Maldives (93.2 percent) and Uruguay (93.1 percent). Yet, pension funds invested a larger proportion of their assets in equities than in bonds in 18 jurisdictions, including Australia, Canada, the Netherlands, and Switzerland and the United States. Pension funds even invested more than 50 percent of their assets in equities in six reporting jurisdictions: Poland (82.1 percent) where open pension funds (OFE) are not allowed to invest in government bonds, Lithuania (74.6 percent), Estonia (59.7 percent) and Iceland (51.7 percent) among OECD countries, and in Hong Kong (China) (63.3 percent) and Namibia (51.5 percent) among other jurisdictions.

1.5 Major Announcement for Pension Sector in Budget 2022-23

The announcement was made in the budget 2022-23 relating to Pension Sector:

At present, the Central Government contributes 14 percent of the salary of its employee to the National Pension System (NPS) Tier-I. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee.

However, such deduction is allowed only to the extent of 10 percent of the salary in the case of employees of the State government. To provide equal treatment to both Central and State government employees, it is proposed in the budget to increase the tax deduction limit from 10 percent to 14 percent on the employer's contribution to the NPS account of State Government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees.

1.6 Indian Demography and Old Age Income Security

Due to rising and unsustainable pension liabilities, in keeping with global practices and after deep deliberations on the issue, the Government made a conscious move to shift from the defined benefit pension scheme to the defined contribution pension scheme. The New Pension Scheme, now renamed as National Pension System (NPS), was introduced by the Government through a notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated December 22, 2003, and it was made mandatory for Central Government employees (except armed forces) who joined service w.e.f. January 1, 2004.

The NPS, which was initially introduced for the Central government subscribers, has now been adopted by all the state governments except West Bengal and most of the Central and State autonomous bodies. NPS has also been extended to the private and unorganized sector on a voluntary basis from May 2009.

Government of India vide notification dated January 31, 2019, has notified the increase in its contribution to central government employees NPS accounts from 10 percent to 14 percent with effect from April 1, 2019. As per the notification, "The monthly contribution would be 10 percent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 percent of the Basic Pay plus DA by the Central Government". Greater freedom in choosing pension funds and pattern of investment to central government employees has also been notified along with compensation for non/delayed deposit of NPS contribution.

1.7 Indian Pension Landscape

The landscape of the Indian pension system includes non-contributory social pension schemes financed by the Government to provide a minimum level of protection like the National Social Assistance Programme (NSAP), mandatory defined benefit pension scheme on a pay-as-you-go basis like Civil Service Pension for employees who joined service before 2004, Employees' Provident Fund (EPF) and Employees' Pension Scheme(EPS) under the EPFO, other statutory provident funds like Coal Mines, Seamen's and Assam Tea Plantations schemes; the National Pension System (NPS) for the Central government employees joining on or after January 1, 2004, on a mandatory basis, employees of those state governments who have joined NPS, NPS for all citizens on voluntary basis covering both employees and self-employed including those in the unorganized sector, Public Provident Fund, retirement and superannuation plans offered by insurance companies and mutual funds.

The fiscal stress of the defined benefit pension system was the major factor driving pension reforms for Government employees and the introduction of NPS for Government employees. Owing to

the financial and practical difficulties of extending coverage to the unorganized sector through mandatory schemes like EPF (especially for organized sector workers), voluntary retirement savings are seen as an important policy tool to extend the coverage of pension provision in India. The important policy measure to achieve a higher coverage of the unorganized sector workers under the pension system is the extension of the NPS, which is a financially self-sufficient, low cost and efficient system.

To encourage people from the unorganized sector to voluntarily save for their old age, the Government launched the co-contribution scheme – NPS Lite/ Swavalamban scheme in September 2010 (the fresh enrolment under of NPS lite Swavalamban scheme is stopped w.e.f 01/04/2015). Subsequently, Atal Pension Yojana (APY) was launched on May 9, 2015, by the Prime Minister, and the scheme is being implemented with effect from June 1, 2015, with a focus on the unorganized sector. The Subscribers under APY shall get a Government guaranteed pension of Rs. 1000, Rs. 2000, Rs. 3000, Rs. 4000 or Rs. 5000 depending upon the contribution level opted by them. The number of subscribers and Assets under Management under NPS is given in the table below:

Table no 1.1: Number of Subscribers under NPS/APY

(As on March 31, 2022)

Sector	No. of subscribers (in Lakh) (as on March 31, 2021)	No. of subscribers (in Lakh) (as on March 31, 2022)	Growth (In percent) (Y-o-Y)	Share (In percent)
Central Government	21.76	22.84	5	4
State Government	51.41	55.77	8	11
Corporate	11.25	14.05	25	3
All Citizen	16.47	22.92	39	4
NPS Lite	43.02	41.87	-	8
APY	280.49	362.77	29	70
Grand Total	**424.40**	**520.21**	**23**	**100**

As on March 31, 2022, a total of 520.21 lakh subscribers have been enrolled under the NPS and APY and recorded a year-on-year growth of 22.58 percent. APY, a defined benefit pension scheme, had 362.77 lakh subscribers as on March 31, 2022, with year-on-year growth of 29.33 percent.

As on the end of March 2022, 414 banks are registered as APY – Service Providers, which include Public Sector Banks, Private Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, District Commercial Banks, Schedule Commercial Banks, Urban Commercial Banks, Payment Banks, Small Finance Bank and Department of Post.

Table 1.2: Assets under Management under NPS/APY

(As on March 31, 2022)

Sector	AUM (Rs. crore) (as on March 31, 2021)	AUM (Rs. crore) (as on March 31, 2022)	AUM Growth (In percent) (Y-o-Y)	AUM Share (In percent)
Central Government	1,81,788	2,18,577	20	30
State Government	2,91,381	3,69,427	27	50
Corporate	62,609	90,634	45	12
All Citizen	22,206	32,346	46	4
NPS Lite	4,354	4,687	8	1
APY	15,687	20,923	33	3
Grand Total	**5,78,025**	**7,36,594**	**27**	**100**

Table 1.3: Performance Highlights of National Pension System/Atal Pension Yojana during FY 2021-22

(In numbers)

Measures	At the end of FY 2020-21	At the end of FY 2021-22	Growth (In per cent)
Government Subscribers	73,16,350	78,60,657	7
All Citizen + Corporate Subscribers	27,71,936	36,96,583	33
APY Subscribers	2,80,49,151	3,62,76,704	29
No. of POP-SPs#	2,47,254	2,49,756	1
No. of APY-SPs	414	414	-
No. of CABs	630	651	3
No. of SABs	1,459	1,578	8
No. of Corporate	8,599	10,405	21
No. of officials trained (FY wise)*	12,024	40,826	240

** Incremental conducted by Hero Mind-mine Institute Private Ltd.*

 # Data considered state-wise highest number of POP-SPs of NSDL and K-fintech CRAs.

Other represented figures are registered with CRAs.

- The number of Service Providers for APY is 414 during the last year.
- All employees of Central Government along with CABs and State

Governments along with SABs which have adopted NPS are to be mandatorily covered under NPS. This year 21 new CABs and 119 SABs have been brought under NPS taking the total no. of CABs and SABs to 651 and 1578, respectively.

- The corporate sector offers NPS to their employees on a mandatory or voluntary basis. At the end of March 2022, as per CRAs reports, a total of 10405 Corporate is registered under NPS against 8599 Corporate at the end of March 2021, with an increase of 21 percent.

Government support to these schemes in the form of tax benefits and guarantees for APY increases the appeal of these schemes. However, considering the vast uncovered population of the country, a lot more needs to be done. The major challenge in extending the NPS to all citizens is increasing the awareness and financial literacy among potential subscribers. PFRDA has been taking several steps to increase awareness through different mass media and capacity-building programmes. Further, to ensure dissemination of NPS awareness, PFRDA has aggressively undertaken promotional and developmental activities by engaging a dedicated agency for imparting training and capacity building for officials of Service Providers.

To improve ease of access to NPS for the potential subscribers and service providers, PFRDA has been further enhancing the technology across the value chain, whether it is e-NPS, Mobile apps, or e-KYC. These channels have been driving the efficiencies. Through e-NPS, a person can conveniently register and contribute online. An online contribution facility under NPS is also available for the existing subscribers. e-NPS facilitates the opening of an Individual Pension Account under NPS and making initial and subsequent contributions to the Tier I as well as Tier II/Tax Saver account online. This feature also enables the subscribers to change their Pension Funds, asset class, allocation ratio, and scheme options after authentication. NPS subscribers can initiate withdrawal/Partial Withdrawal requests from Tier II/Tier I accounts by using their login credentials and OTP authentication on their registered mobile number.

The online PRAN generation module (OPGM) is offered to stakeholders for the on boarding of NPS subscribers to enable instant PRAN generation with minimal documentation. However, such accounts are deemed to be irregular till complete documentation is verified and recorded with the Central Record Keeping Agencies (CRAs). Intermediaries registered with PFRDA are permitted to use the Video-based Customer Identification Process (VCIP) for the purpose of on boarding, exit, or any other service request related to NPS.

NPS subscribers are provided with various convenient options to deposit their voluntary contributions through the associated Nodal Offices, PoPs, e-NPS, or through NPS Mobile Applications. An additional option/mode of contribution, namely Direct Remittance (D- Remit), is introduced wherein the existing NPS Subscribers under Government/All Citizens Model are able to deposit their voluntary contributions by creating a Virtual ID linked to their PRANs and provide the same day NAV on investments. Through D Remit, not only one-time contributions can be made, but also periodic NPS contributions can be automated for any defined amount and for any defined date from the Subscribers bank account. The option of contribution to NPS

through D Remit has also been extended to NRI-NPS subscribers who can contribute to their NPS accounts from funds in their NRO/NRE accounts. At the time of withdrawal/Exit, the proceeds of NPS shall be credited into the NRO/NRE account of NRI subscribers, and repatriation would be as per applicable FEMA guidelines.

1.8 A Brief on the Review of the Objectives of PFRDA during the year.

The preamble to the PFRDA Act 2013 lays down the objectives of the Authority as the promotion of old age income security, through regulation and development and protection of the interests of the subscribers to schemes of Pension Funds and for matters connected therewith or incidental thereto.

PFRDA has been actively engaged in the promotion and development of NPS (all its variants) and Atal Pension Yojana, regulation, and supervision of all intermediaries under NPS towards the overall objective of provision of old age income security and protection of subscriber's interest. While engaged in these activities, in keeping with the preamble of the PFRDA Act 2013 and the best global practices, the PFRDA endeavours to achieve the following broad objectives/outcomes:

- Increasing Coverage
- Security
- Efficiency
- Adequacy
- Sustainability

Increasing Coverage

Provision of the old age income security to all sections of the population has been one of the important objectives of the Authority. While PFRDA Act 2013 mandates regulation of NPS, a number of variants of NPS have been introduced to cover different sections of the population like Central Government, State Government, Corporate, All-Citizen, NPS Lite, Atal pension Yojana (a GOI scheme administered by PFRDA). The Authority has been engaged in expanding coverage through the creation of mass awareness through print, electronic and social media, engaging a training agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices, the appointment of retirement advisors, facilitating ease of on boarding and transaction through e-NPS, etc.

Security

PFRDA has put in place an extensive framework of regulations under the PFRDA Act 2013 to ensure the security of pension assets to minimize the risk to the pension funds that have been accumulated to provide retirement benefits. These regulations include strenuous eligibility criteria for selection, detailed Corporate Governance frameworks, fit and proper criteria, extensive code of conduct, detailed roles and responsibilities, and penalty structures for all intermediaries, including Pension Funds, to ensure the security of assets. These regulations have been reviewed and strengthened from time to time. In order to further strengthen the IT supervisory processes, the PFRDA is focusing on the implementation of cyber security and will ensure coverage.

Efficiency

It has been the endeavour of the Authority to optimize the efficiency of the system by maximizing returns to the subscribers subject to acceptable risks. This has been done through a review of the investment

guidelines from time to time to optimize the returns.

Efficiency also relates to the efficiency of the labor and capital markets, as each interacts with the pension system through direct contributions to pensions (through longer working lives and contributions, lower costs of capital, or greater financial inclusion) as well as through indirect contributions to jobs and investment. PFRDA has been actively engaged in financial inclusion through awareness creation for APY subscribers in particular and NPS in general.

For capital markets, efficiency relates to capital market depth through the development of non-bank financial capital to fund productive investment and maximize the benefits of wider capital market reforms. PFRDA has been part of inter-regulatory groups and committees in furtherance of these objectives.

Adequacy

One of the important objectives of any pension system is to have adequate facilities in place to enable its subscribers to plan for their retirement, i.e., facilitating the accumulation of retirement benefit entitlements to enable them for old age income security. While NPS is a defined contribution scheme, without guarantee of any benefits, however, as a measure of good practice, Authority's endeavour has been to work towards ensuring adequate retirement planning infrastructure through various measures, including review of investment guidelines for optimizing returns, increasing contributions through engaging with the Government for tax concessions, etc.

Sustainability

Sustainability is one of the focal points of any contributory pension system. Through NPS, there is an effort to offer pension products to a different segment of society of the country, which can sustain in the long run to achieve the ultimate goal of providing a secured old age income. NPS is a defined contribution scheme with an institutional framework and product design, and it empowers itself to sustain itself in the long run. The continued savings habit and investment discipline have an important role to play in achieving the endeavour of a sustainable pension system. PFRDA has initiated several steps to increase the awareness level of retirement savings/pension and to the furtherance these objectives.

1.9 Intermediaries under NPS

1.9.1 Intermediaries and Other Entities Associated with National Pension System and Other Pension Schemes Covered under the Act

The National Pension System (NPS) works under an unbundled architecture, with each function assigned to specialized entities in the field. The NPS architecture consists of Points of Presence (POP), Government Department Nodal Offices, Central Record-keeping Agency (CRA), Trustee Bank, Pension Funds (PF's), NPS Trust, Custodian, Annuity Service Providers, and Retirement Advisers.

1.9.1.1 Points of Presence (PoPs)

Points of Presence are banks and non-banking financial companies etc., registered with PFRDA for registration and servicing of the subscribers to the NPS. A PoP is the first point of interaction between the subscriber and the NPS. The registered PoPs have authorized branches called POP-Service providers (PoP-SPs)

to act as collection points and extend services to customers. The functions of the PoPs include subscriber's registration, processing subscriber contributions, change in personal details, change in investment scheme/fund manager, processing subscriber shifting from one model to the other, issuing printed account statements, and processing of withdrawal/ exit request on superannuation, etc.

1.9.1.2 Government Nodal Offices

(i) Central Government Nodal Offices

PrAO, PAO, and DDO

The Principal Accounts Office (PrAO), Pay and Accounts Office (PAO), and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the Central Government or analogous offices under Central Government and Central Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for the purpose of NPS.

(ii) State Government Nodal Offices

DTA, DTO, and DDO

The Directorate of Treasury and Accounts (DTA), District Treasury Office (DTO), and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the State Governments or analogous offices under State Governments and State Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for the purpose of NPS.

Nodal Offices are the identified offices of Government agencies registered under the CRA system for various operational works under NPS. These offices are identified by a unique number, i.e., Pr.AO /PAO/ DDO registration number that is allotted to them by the CRA on successful registration. These offices have a major role to play few of them are as below:

- Submission of Forms for subscriber registration
- Distribution of PRAN kits to subscribers
- Providing timely and accurate information about the contributions of the subscribers
- Forwarding requests of the subscribers for necessary action
- Resolving grievances of the subscribers
- Forwarding approved withdrawal requests of the subscribers

1.9.1.3 Central Record-keeping Agency (CRA)

Protean, K-fin Technologies Pvt. Ltd. and Computer Age Management Services Ltd (CAMS) have been designated the CRAs for the NPS. Their main functions include:

(i) Maintaining subscriber records, administration, and customer service functions.

(ii) Issuing Permanent Retirement Account Number (PRAN) for each subscriber, maintaining the database of all PRANs, and recording transactions relating to each PRAN.

(iii) Acting as the interface between the various intermediaries of the NPS system. This includes monitoring contributions by each member and instructions and communication of the same to the pension funds. Periodically, they also send a PRAN statement to each member.

(iv) Providing a centralized grievance management system.

(v) Providing timely fund transfer-related

information to the fund managers.

(vi) Coordination with the Trustee Bank for remitting withdrawal funds to the subscribers' account and to the annuity service provider for the annuity scheme.

PFRDA has also granted a Certificate of Registration (CoR) to Computer Age Management Services Ltd. (CAMS) to act as Central Record keeping Agency (Exit of) for NPS under PFRDA (CRA) Regulations 2015. CAMS has commenced its operations from 17th of March 2022.

1.9.1.4 Trustee Bank

The Trustee Bank handles the flow of funds between various intermediaries under NPS. Presently, Axis Bank Ltd is the designated bank to facilitate fund transfers across subscribers, fund managers, and annuity service providers based on the instructions received from the CRA. The Trustee Bank receives funds from the Nodal Offices/ PoPs/Aggregators and reconciles them with the Subscriber Contribution File. The Trustee Bank holds the funds in the name of the NPS Trust, and the subscribers are the beneficial owners.

1.9.1.5 Pension Funds (PFs)

These are professional pension fund managers appointed to invest, judiciously and prudently, the pension corpus in a portfolio of securities and manage them. Currently, the pension fund managers under NPS are –ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd., LIC Pension Fund Ltd, Kotak Mahindra Pension Fund Ltd., SBI Pension Fund Private Ltd., UTI Retirement Solutions Ltd, and HDFC Pension Management Co Ltd., Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited Their functions include:

(i) Ensuring investment as per investment guidelines

(ii) Investing the contributions in the schemes as per the instructions provided by CRA.

(iii) Constructing the scheme portfolio.

(iv) Maintenance of books and records, reporting to the Authority, and making disclosures.

1.9.1.6 Custodian of Securities

The securities purchased from the NPS corpus in the name of the NPS trust are held by the Custodian of Securities, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities. The PFRDA has appointed the Stock Holding Corporation of India Ltd as the Custodian. PFRDA has recently appointed Deutsche Bank as the new Custodian of its securities. The functions include:

(i) Having Custody of the Securities held in the name of NPS Trust, purchased out of NPS Corpus.

(ii) Maintaining details of securities held.

(iii) Collecting the benefits like dividends, rights, bonuses, etc., on securities.

(iv) Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

1.9.1.7 NPS Trust

NPS Trust is a trust set up under the Indian Trusts Act 1882, which holds the assets of the NPS for the benefit of subscribers. The Trust has the fiduciary responsibility of taking care of the funds and protecting the subscriber's interests. The NPS Trust monitors and supervises the functioning of the Pension Funds and interacts with

other intermediaries like the Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, Custodians, and other entities.

1.9.1.8 Annuity Service Providers

Annuity Service Providers (ASPs) are insurance companies regulated by IRDAI and empanelled by the PFRDA to provide the annuity to the NPS subscribers from the bouquet of annuities offered by them

1.9.1.9 Retirement Advisers

Retirement Adviser means any person being an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered trust or society which desires to engage in the activity of providing advice on the National Pension System or other pension scheme regulated by PFRDA to prospects/ subscribers or other persons or group of persons and is registered as such under PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016. The list of Individual and Other than Individual Retirement Adviser is available on PFRDAs' website.

1.9.2 Types of Account

Under NPS following two types of accounts are available:

(i) Tier-I account: Under the Tier-I account, the subscriber contributes his savings for retirement/ pension into this partially withdrawable account. Premature withdrawals are allowed subject to certain conditions.

(ii) Tier-II account: This is a voluntary investment account where the subscriber is free to deposit and withdraw the savings from this account whenever he/she wishes.

Under Tier-II, there is Tier II Tax Saving Scheme (TTS) account which another variant of account specially designed for government employees to make them avail additional tax benefit. It will have three years lock in period.

Besides NPS, PFRDA also administers and regulates the Atal Pension Yojana.

1.9.3 Outreach

To fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness about the need for saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes various activities, including imparting training through training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Government Nodal Officers, Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Points of Presence/ Banks/ Post Offices involved in the registration of subscribers about the salient features of the NPS / APY, the process of joining, etc. Further, training workshops/ camps have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy. NPS/ APY training was imparted only through online mode, i.e., Video conferencing, and the appointed training agency conducted a total of 255 online training sessions for 12024 participants during the financial year. Moreover, 13 training programs/ workshops were conducted directly by PFRDA, notably for; NAHRD, ISTM, CCI, NPC, IFSCA, and ICICI Securities. Assets under Management which includes the returns on the corpus under the NPS and APY, have witnessed an increase from Rs. 5,78,025 crores as on March 31, 2021, to Rs. 7,36,594 crores as on March 31, 2022, registering a year-on-year increase of 27.43 percent.

Part II
Investment of Funds under NPS

This chapter deals with the investments of funds under NPS, and other pension schemes covered under the Act, and the extent of exposure in the National Pension System, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities in accordance with Appendix II of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

2.1 Pension Funds (PFs)

Pension fund means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub - section (3) of section 27 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them, and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations.

Appointed and registered Pension Funds manage pension corpus through various schemes under National Pension System or any other Scheme. Pension Funds use their access codes to confirm receipt of netted assets and instructions regarding fund allocation, confirm allocation of funds and communicate the NAV of each scheme to CRA and the custodian on a regular basis.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were notified on 14th May 2015 and the Pension Funds had to abide by these regulations including any amendments thereunder.

2.1.1 Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include, but are not limited to the points mentioned below:

a. The management of pensions schemes shall be carried in accordance with the objects of the schemes, provisions of the Act, Trust Deed, rules, regulations, guidelines, and circulars issued by the Authority from time to time and within the timelines as specified by the Authority or the National Pension System Trust.

b. The day-to-day management of the pension funds shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.

c. The pension fund shall, at all times render high standards of service, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence, and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension funds shall avoid speculative investments or transactions.

d. The pension fund shall employ well qualified professionals or staff with high integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or authorised persons whose services have been procured and its liability for such acts of commissions or omissions. This liability shall survive despite the cancellation or suspension or withdrawal of certificate of registration or supersession of management by the Authority.

e. The pension fund shall facilitate and co-ordinate with other intermediaries and other entities interalia through

agreements, technological platforms for undertaking its functional obligations.

f. The pension fund shall maintain books of accounts, records, registers, and documents relating to the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars issued by the Authority from time to time, and facilitate audit trail of transactions and business continuity at all times.

g. The pension fund shall submit periodical and compliance reports as required under these regulations, guidelines, or circulars, or as may be called for by the Authority, or as required by the National Pension System Trust from time to time.

h. The pension fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner as may be specified by the Authority in Schedule V.

i. The pension fund shall adopt best governance practices for investments and risk management viz. constitution of Investment Committee and Risk Committee, its composition, functions, policy contents and other like matters as specified in Schedule X.

j. The pension fund shall prevent conflict of interests that may arise while discharging the obligations as a pension fund and reporting of such instances to the National Pension System Trust.

k. The pension fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund business activities from its sponsors.

l. The pension fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers' information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control except as required by the Authority or the National Pension System Trust or provisions of any law.

m. The pension fund shall provide such representations and warranties as may be necessary for the protection of subscribers' interest on behalf of the National Pension System Trust.

2.1.2 List of Pension Funds (PFs) managing composite schemes for Government Sector NPS Schemes (i.e., Central Government (CG) and State Governments (SG) including autonomous bodies) and APY.

i. LIC Pension Fund Limited

ii. SBI Pension Funds Private Limited

iii. UTI Retirement Solutions Limited

2.1.3 List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes

i. HDFC Pension Management Company Limited

ii. ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited

iii. Kotak Mahindra Pension Fund Limited

iv. Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited

v. LIC Pension Fund Limited

vi. SBI Pension Funds Private Limited

vii. UTI Retirement Solutions Limited

2.2 Schemes

The subscribers in NPS fall under the following sectors:

i. Government Sector (Central Govt/ State Govt including Autonomous Bodies)

ii. NPS Lite

iii. Atal Pension Yojana (APY)

iv. All Citizen / Un-Organised Sector

v. Corporate Sector

Investments under NPS for the above sectors are made as prescribed under the investment guidelines issued by the Authority and equity exposure has been specified since inception for all the schemes /segments. The investment options under NPS vary from Sector to Sector.

2.2.1 Government Sector (Central Govt / State Govt including Central Autonomous Bodies and State Autonomous Bodies)

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the Government sector including CABs/SABs under NPS:

Table No.2.1: Allocation of Assets in Government Sector

Particulars	Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	Upto 55
Debt Instruments & related investments	Upto 45
Short term debt instruments & related investments	Upto 10
Equity & related investments	Upto 15
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	Upto 5

Under the Government Sector, 3 public sector Pension Funds i.e., LIC Pension Fund Limited / SBI Pension Funds Private Limited / UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time.

Further, based on the Government's OM no. 1/3/2016-PR dated 31st January 2019 and as per the Authority's recent circular dated 8th May 2019; Government employees have been given the following options:

Choice of Pension Fund:

As in the case of subscribers in the private sector, the Government subscribers shall also be allowed to choose any one of the pension funds including private sector pension funds. They could change their option once in a year. However, the current provision of combination of the public sector pension funds will be available as the default option for both existing as well as new Government subscribers.

Choice of Investment Pattern:

i. Existing scheme in which funds are allocated by the PFRDA among three Public Sector Undertaking fund managers based on their past performance in accordance with the guidelines of PFRDA for Government employees shall continue as default scheme for both existing and new subscribers.

ii. Government employees who prefer a fixed return with minimum amount of risk shall be given an option to invest 100% of the funds in Government securities (Scheme G)

iii. Government employees who prefer higher returns shall be given the

options of the following two life cycle-based schemes:

a. Conservative life cycle fund with maximum exposure to equity capped at 25% - LC-25

b. Moderate life cycle fund with maximum exposure to equity capped at 50% - LC-50

The Central Government subscribers under NPS may exercise one of the above choices of investment pattern twice in a financial year.

Some of the State Governments have also extended above choice of investments.

2.2.2 NPS-Lite

The fresh enrolments under NPS-Lite had been discontinued w.e.f 01.04.2015. However, for the existing NPS-Lite subscribers, as per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the NPS -Lite sector.

Table No.2.2: Allocation of assets in NPS Lite Sector

Particulars	Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	Upto 55
Debt Instruments & related investments	Upto 45
Short term debt instruments & related investments	Upto 10
Equity & related investments	Upto 15
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	Upto 5

Under NPS-Lite, only 3 public sector Pension Funds i.e., LIC Pension Fund Limited / SBI Pension Funds Private Limited / UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time. Further, a single private sector Pension Fund i.e., Kotak Mahindra Pension Fund Limited has been chosen as one of the aggregators for managing the contributions. Under NPS- Lite scheme, no selection of Pension Fund or the asset allocation is offered to the subscribers.

2.2.3 Atal Pension Yojana (APY)

Atal Pension Yojana (APY), a Government pension scheme for citizens of India, is focused on the unorganised sector workers. Under the APY, guaranteed minimum pension of Rs. 1,000/- or 2,000/- or 3,000/- or 4,000 or 5,000/- per month will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the subscribers.

Under Atal Pension Yojana (APY), no selection of Pension Fund or the asset allocation is offered to the subscribers because it is a guaranteed government scheme, and the asset allocation is kept same as for the Government sector employees under NPS as per the following:

Table No.2.3: Allocation of assets in Atal Pension Yojana Sector

Particulars	Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	Upto 55
Debt Instruments & related investments	Upto 45
Short term debt instruments & related investments	Upto 10
Equity & related investments	Upto 15
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	Upto 5

Under Atal Pension Yojana, 3 public sector Pension Funds i.e., LIC Pension Fund Limited / SBI Pension Funds Private Limited / UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time.

2.2.4 All Citizen Un-Organised Sector

The subscribers under All Citizen Un-Organized Sector may opt for any of the investment pattern i.e., "Active Choice" or "Auto Choice".

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the All Citizen /Un-Organized Sector under NPS:

Table No.2.4: Allocation of Assets in All Citizen/UoS Sector

Particulars	Exposure Limits (In Per cent)
Equity & related investments	Upto 75
Debt Instruments & related investments	Upto 100
Government Securities & related investments	Upto 100
Alternate Assets	Upto 5
Short term investments (money market, short duration mutual funds, & term deposits)	Upto 10

Option of change of Pension Fund and investment choice

Further, Pension Fund can be changed once in a financial year and Investment Option can be changed twice in a financial year by the subscriber.

2.2.5 Corporate Sector

For subscribers belonging to corporate sector – where the employer has adopted NPS for its employees, the investment options and choices have been kept flexible.

There are two types of schemes under this segment:

i. Corporate CG scheme: This scheme has been discontinued and it is not available under corporate segment but those corporates which were already covered under this scheme and have not changed this scheme are still continuing under this scheme.

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the Corporate CG sector under NPS:

Table No. 2.5: Allocation of assets in Corporate CG Sector

Particulars	Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	Upto 55
Debt Instruments & related investments	Upto 45
Short term debt instruments & related investments	Upto 10
Equity & related investments	Upto 15
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	Upto 5

Under the Corporate CG scheme, investments are with 2 Pension Funds i.e., LIC Pension Fund Limited or SBI Pension Funds Private Limited.

ii. Other scheme: (At present available under corporate segment):

Under this scheme, the employer may delegate the responsibility of selecting a Pension Fund and/or mode of investment to employees or the employer may select a Pension Fund and/or the Life Cycle Fund on behalf of its employees. These aspects related to NPS may form part of the employer-employee arrangement. As per the investment option exercised, the employer or the subscriber has to select any of the one registered Pension Fund and further selection of asset allocation among the four asset classes as per the following:

- Asset class E -Equity and related instruments
- Asset class C -Corporate debt and related instruments
- Asset class G –Government Bonds and related instruments
- Asset Class A -Alternative Investment Funds including instruments like CMBS, MBS, REITS, AIFs, InvIts etc.

The subscribers under this sector may opt for any of the investment pattern i.e., "Active Choice" or "Auto Choice".

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the corporate Sector under NPS:

Table No. 2.6: Allocation of assets in Corporate Sector

Particulars	Exposure Limits (In Per cent)
Equity & related investments	Upto 75
Debt Instruments & related investments	Upto 100
Government Securities & related investments	Upto 100
Alternate Assets	Upto 5
Short term investments (money market, short duration mutual funds, & term deposits)	Upto 10

Option of change of Pension Fund and investment choice

Further, Pension Fund can be changed once in a financial year and Investment Option can be changed twice in a financial year by the subscriber.

2.2.6 Tier II Tax Saver Scheme (TTS)

The scheme is only available for NPS subscribers belonging to the Central

Government. There is a lock-in period of 3 years from the date of unitization of contributions by Central Recordkeeping Agencies to enjoy the tax benefits u/s 80C of Income Tax Act.

No withdrawals will be allowed during the lock-in period, however, in case of death of subscriber, the corpus can be withdrawn by the nominee/legal heir.

In case of closure of Tier-I account due to exit from NPS, contributions to NPS-TTS will not be allowed until the completion of the lock-in period.

The following investment limits have been prescribed to the Pension Funds with respect to TTS:

Table No. 2.7: Asset Class Limits for TTS

Asset Classes	Limits(In Per cent)
Equity	10 - 25
Debt	Upto 90
Cash/Money Market/ Liquid mutual funds	Upto 10

Option of change of Pension Fund and investment choice

The subscribers do not have any choice of investment options under this scheme. However, the TTS subscribers are allowed to have maximum of 3 pension funds separately. However, the PF change will be allowed only after completion of lock-in period.

The details of the schemes wise asset under management in given in the table below:

Table 2.8: Details of Asset under Management

(Amt. in Rs. Crore)

Scheme	As on Mar-21	As on Mar-22	Absolute Growth	% Growth
Central Government	1,81,416.26	2,16,883.09		
State Government	2,91,959.92	3,69,743.33		
Sub Total	**4,73,376.17**	**5,86,626.42**	1,13,250.25	23.92
Corporate CG	36,929.68	47,343.05		
E- I	18,979.51	30,303.85		
C- I	9,686.52	15,509.97		
G- I	16,766.29	27,630.39		
A- I	74.76	162.65		
E- II	850.98	1,424.50		
C- II	482.73	762.55		
G- II	835.49	1,214.08		
Tier II - TTS	2.12	6.75		
NPS Lite	4,354.38	4,686.74		
APY	15,687.11	20,922.60		
Sub Total	**1,04,649.56**	**1,49,967.14**	45,317.58	43.30
Grand Total	**5,78,025.74**	**7,36,593.56**	**1,58,567.82**	**27.43**

**Source NPS-Trust*

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 23.92%, however the asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 43.30%. In terms of absolute number, the government sector schemes grew by Rs. 1,13,250 crores whereas other than government sector schemes in aggregate grew by Rs. 45,317 crores.

As explained above, the different schemes are managed by different Pension Fund managers, the details of asset under management of various schemes under the respective Pension Funds are given below:-

Table 2.9: Pension Fund wise and scheme-wise (CG, SG, NPS lite, APY & Corp. CG) Asset under Management as of March 2022

(Amount in Rs. Crore)

Name of Pension Fund/ Schemes	CG	SG	NPS Lite	APY	Corp. CG	Grand Total
SBI Pension Funds Private Limited	76,480.44	1,28,187.09	1,903.91	7,126.91	44,991.67	2,58,690.02
LIC Pension Fund Limited	69,678.87	1,21,709.06	1,369.96	6,916.23	2,351.38	2,02,025.50
UTI Retirement Solutions Limited	70,723.78	1,19,847.18	1,339.49	6,879.46		1,98,789.91
ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited						
Kotak Mahindra Pension Fund Limited			73.38			73.38
HDFC Pension Management Company Limited						
Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited						
Total	**2,16,883.09**	**3,69,743.33**	**4,686.74**	**20,922.60**	**47,343.05**	**6,59,578.81**

Table 2.10: Pension Fund wise vis-a-vis scheme-wise (E-I, C-I, G-I, A-I, E-II, C-II & G-II, TTS-II) Asset under Management as of March 2022

Amount in Rs. Crore

Name of Pension Fund/ Schemes	E-I	C-I	G-I	E-II	C-II	G-II	A-I	TTS-II	Grand Total
SBI Pension Funds Private Limited	8,382.63	4,775.32	9,723.84	334.35	190.78	340.80	35.69	2.22	23,785.63
LIC Pension Fund Limited	2,539.64	1,613.98	2,905.97	93.17	60.12	139.64	7.48	0.78	7,360.77
UTI Retirement Solutions Limited	1,239.61	622.87	1,104.79	69.98	31.59	53.59	5.72	0.46	3,128.60
ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited	4,606.44	2,393.60	4,042.38	228.44	135.38	188.32	19.12	0.62	11,614.32
Kotak Mahindra Pension Fund Limited	873.59	423.93	708.06	65.50	31.44	47.94	5.78	0.31	2,156.55
HDFC Pension Management Company Limited	12,427.46	5,568.25	8,983.22	614.53	303.11	428.30	86.91	2.08	28,413.86
Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited	234.48	112.01	162.14	18.54	10.12	15.48	1.95	0.27	555.01
Total	**30,303.85**	**15,509.97**	**27,630.39**	**1,424.50**	**762.55**	**1,214.08**	**162.65**	**6.75**	**77,014.75**

The Asset class wise bifurcation of the assets under management as on March, 2022 vis-à-vis March 2021 is given below

Table No.2.11: Asset Class wise bifurcation of Asset Under Management

Asset Class	March 31,2021		March 31,2022	
	Amount (Rs Cr)	% of Investment	Amount (Rs Cr)	% of Investment
G-Sec	2,86,131.91	49	3,73,451.90	51
Corporate Bond	1,76,412.24	30	2,03,071.95	28
Equity	91,400.25	16	1,21,423.93	16
REITs/InvIts	-	-	1,052.55	0.1
Money Market	15,346.52	3	25,734.55	3
Cash & Net Current Assets	8,733.82	2	11,858.68	2
Total	**5,78,025.74**	**100**	**7,36,593.56**	**100**

Chart No. 2.1: Asset Class wise bifurcation of Assets under Management

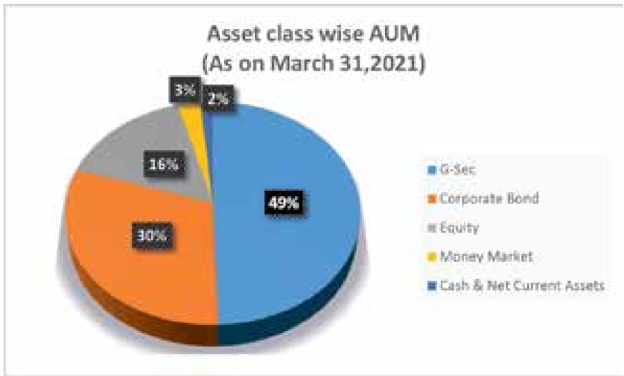

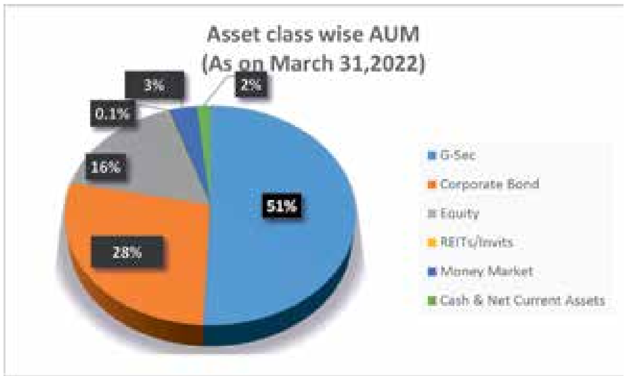

2.3 Regulations, Notification, issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund.

i. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fourth Amendment) regulations, 2021 dated April 1, 2021.

The amendment states about the matter of annual fee and management fee. Every pension fund shall deposit annual fee with the authority and the investment management fee is inclusive of all transactions-related charges except brokerage and custodian charges along with applicable taxes thereon. The cost of investment shall include only the stamp charges and brokerage along with applicable taxes thereon.

ii. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fifth Amendment) regulations, 2021 dated May 25, 2021.

The sponsor, individually or jointly, shall have a positive tangible net worth of at least fifty crore rupees on the last day of each of the preceding five financial years and at least twenty-five crore rupees should be the paid-up equity capital on the date of making application as sponsor.

iii. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Sixth Amendment) regulations, 2021 dated July 15, 2021. In regulation 8, in clause (g) of sub-regulation (1), in line 3, the words "forty-nine per cent." shall be substituted with "seventy-four per cent".

iv. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Custodian of Securities) regulations, 2021 dated September 22, 2021. "Provided that in the same group where the sponsor of a Pension Fund, Trustee Bank or central record keeping agency or their associates, are holding 50 percent or more of the voting rights of the share capital of a custodian, it can apply to become Custodian with the Authority under certain conditions.

v. PFRDA (Registration of Pension Funds) Guidelines, 2021 for opening 'on tap' registration of Pension Funds.

vi. Investment Guidelines-2021 for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana). The Investment guidelines for NPS Schemes (Other than Govt. Sector (CG &SG), Corporate CG, NPS Lite and APY) were issued by PFRDA

w.r.t. asset class G (category i) and asset class C (category ii).

vii. Relaxation of Processing of exit applications by PoPs. Considering challenges faced due to Covid -19 pandemic, Points of Presence (POPs) were given special dispensation to accept the scanned and self-certified images of exit documents through digital means to process the withdrawal requests of the Subscribers. The relaxation is further extended till 31st July 2021 in the interest of Subscribers.

viii. Premature exit of NPS Lite Swavalamban Subscribers. The Swavalamban Subscribers whose accumulated pension wealth do not exceed one lakh rupees and if they are not eligible to migrate to Atal Pension Yojana (APY), can opt to prematurely exit with lump sum payment with certain condition.

ix. Relaxation of timelines for activities under National Pension System (NPS) & NPS Lite - Swavalamban Scheme in view of Covid-19 Pandemic. PFRDA had relaxed in the timelines on the request of the PoPs, in view of the lockdown and other preventive measures undertaken by the Government during Covid-19 pandemic.

x. Launch of NACH mandate for the benefit of Nodal Officers/PoP/ Corporate. Introduction of National Automated Clearing House (NACH) mandate jointly hosted by Trustee Bank (TB) and Central Record Keeping (CRA) through NACH operated by National Payments Corporation of India (NPCI). The NACH mandate is technology enabled which offers end to end solution and is a secured mode of contribution fund transfer. Under NACH Mandate, all the nodal offices have to provide the 'one-time mandate registration' for auto debiting their bank accounts with the amount based on the SCF uploaded in NPSCAN.

xi. Relaxation in processing of exit application by PoPs. Considering challenges faced due to Covid -19 pandemic, Points of Presence (POPs) under NPS were provided with the special dispensation to accept the scanned and self-certified images of exit documents through digital means to process the withdrawal requests of the Subscribers. This once of the majors taken by PFRDA to alleviate the difficulties being faced by the Subscribers in submitting physical applications for exit/withdrawal and the logistical challenges faced by POPs.

xii. Facility of NPS on-boarding through online Aadhaar e KYC. The on-boarding process of NPS prospective subscribers was made easy, pursuant to the approvals from Dept. of Revenue, Government of India to undertake Online Aadhaar e-authentication services from UIDAI under Section 11A of PMLA 2002, NSDL – CRA has enabled the Aadhaar based online e-KYC authentication functionality for subscriber registration in e NPS platform.

xiii. Appointment of Computer Age Management Service Ltd (CAMS) as Central Record Keeping Agency (CRA) under NPS. In order to increase competition and provide better

services to the subscribers under NPS, PFRDA has granted Certificate of Registration (CoR) to Computer Age Management Services Ltd. (CAMS) to act as Central Record keeping Agency (CRA) for NPS under PFRDA (CRA) Regulations, 2015.

xiv. Central KYC Records Registry (CKYCR). Government of India has authorized the Central Registry of Securitization and Asset Reconstruction and Security interest of India (CERSAI) to act as, and to perform the functions of the Central KYC Records Registry under the PML Rules 2005, POP under NPS were advised to registered with CERSAI for CKYC registration.

2.4 Inspection

During the FY 2021-22, inspection of 7 Pension Funds was conducted as under:

i. SBI Pension Funds Private Limited

ii. LIC Pension Fund Limited

iii. UTI Retirement Solutions Limited

iv. HDFC Pension Management Company Limited

v. ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited

vi. Kotak Mahindra Pension Fund Limited

vii. Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited

Part III
Investment of Funds under NPS

The chapter deals with duty, power, and functions of the Authority for promotion and orderly growth of the National Pension System and pension schemes in accordance with Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

Functions of the Authority

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes

Section 14 of the PFRDA Act, 2013 lays down the duties, powers, and functions of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes, and to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

The National Pension System and any other Pension Scheme which are operationalized by PFRDA through large number of entities such as Pay & Accounts offices / Treasury Offices at the Central and State Government, they are responsible for the registration and upload of the periodic NPS subscription of the Government employees on the NPSCAN, the Point of Presence (PoPs) which are Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFC), Micro Finance Institutions (MFI) etc. which assist in the registration and upload of NPS subscription for the corporate, private sector and unorganized sector subscribers, the Aggregators (now POPs) which help in the last-mile reach to the potential subscribers particularly in the informal sector, the Central Recordkeeping Agency (CRA), which is responsible for the recordkeeping of individual pension accounts called PRAN of the subscribers and acts as a coordinator for the NPS architecture, Trustee Bank, responsible for the day-to-day flow of funds and banking facilities, the Pension Funds (PFs), mandated to invest and manage the pension assets of the subscribers covered under NPS as per the investment guidelines prescribed by PFRDA and Annuity Service Providers (ASPs), empanelled with PFRDA to provide a monthly annuity pension to the subscriber.

i) Government Sector - Central and State Autonomous Bodies

Registration of Autonomous Bodies: Continuous efforts have been made to register Central and State Autonomous bodies by interacting with them as well as with the respective Financial Advisors of Central Ministries and Nodal Officers of the State Governments. PFRDA also assisted State Governments towards streamlining guidelines and notifications for registration of SABs.

Further, processing of Letters of Consent (LoCs) received from CABs and SABs after ensuring the compliance of stipulated guidelines issued by Central Government and State Governments and also handles queries of NPS during pre-registration process are undertaken.

Letters of consent processed in FY 2021-22

(i) CABs – 20 (ii) SABs – 119

As on March 31, 2022, the number of PrAOs/DTAs, PAOs/DTOs and DDOs are as are as under: -

Table No. 3.1 Number of PrAOs/ DTAs, No. of PAOs/DTOs and No. of DDOs

Sector	No. of PrAOs/ DTAs (2021)	No. of PrAOs/ DTAs (2022)	No. of PAOs/ DTOs (2021)	No. of PAOs/ DTOs (2022)	No. of DDOs (2021)	No. of DDOs (2022)
Central Government	134	144	2,987	3,027	16,221	16,375
Central Autonomous Body	631	651	1,989	2,019	4,088	4,126
Total	**765**	**795**	**4,976**	**5,046**	**20,309**	**20,501**

Table No. 3.2 Number of DTA/DTOs/DDOs

Sector	No. of PrAOs/ DTAs (2021)	No. of PrAOs/ DTAs (2022)	No. of PAOs/ DTOs (2021)	No. of PAOs/ DTOs (2022)	No. of DDOs (2021)	No. of DDOs (2022)
State Government	72	74	1,986	2,402	2,21,463	2,25,103
State Autonomous Body	560	612	5,242	5,522	13,855	15,827
Total	**632**	**686**	**1,490**	**7,564**	**2,35,318**	**2,40,930**

Table No. 3.3 Registration of new CABs and SABs during FY 2021-22

Details	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021	Registration during the FY 2021-22-
CABs	651	630	21
SABs	1,578	1,459	119

Table No. 3.4 Newly registered CABs & SABs Financial Year Wise

FY wise performance	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020--21	FY 2021-22
Newly registered CABs	25	25	24	27	21
Newly registered SABs	272	107	133	141	119

Source: Sup (CAB/SAB) & P&D (CAB/SAB)

As on March 31, 2022, 1,578 State Autonomous Bodies and 651 Central Autonomous Bodies are registered under NPS.

Further, there are 311 PoPs (registered with CRAs), three Central Recordkeeping Agency, one Trustee Bank, seven Pension Funds and fourteen Annuity Service Providers as on March 31, 2022.

ii) Points of Presence (PoPs)

Registration of POPs: Though, Atal Pension Yojana (APY) is administered by PFRDA but there were no regulations for entities offering APY services. To bring APY under the ambit of PFRDA, PFRDA (POP) Regulations, 2018 were notified and APY was also included under it as a separate category of POP.

Categories of POPs under current regulations are as below:

(i) National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for public at large through physical as well as online platforms

(ii) National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for citizens at large through online platforms only

(iii) National Pension System (NPS) – Distribution and servicing only for own employees and other personnel either through physical or online platforms. Provided that only such entities shall be permitted to function which has covered its employees for social security benefits under the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or the Employees State Insurance Act, 1948 or under the Goods and Services Act, 2017 and is registered with authorities under the said enactments, for not less than a period of two years, from the date of the application

(iv) NPS Lite- scheme

(v) Atal Pension Yojana

(vi) Any other scheme regulated or administered by Authority

Under POP Regulations, 2018, PFRDA has issued Certificate of Registration (CoR) to PoPs and PoP-SEs, number of CoR issued as on March 31, 2022, are as below:

(i) PoPs – 311 (ii) PoP-SEs – 50

The enrollments in NPS Private Sector for FY 2021-22 were undertaken by 86 Point of Presence (as on 31st March 2022). During the financial year, 5 PoPs were activated /operationalized to enhance NPS distribution to the public at large.

iii) Pension Funds

Letter of Appointment of Sponsor issued on 19.05.2021 to Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd. and Kotak Mahindra Bank Ltd. under RFP dated 23.12.2020 for selection of Sponsors of Pension Funds.

Certificate of Registration issued on 01.06.2021 to Kotak Mahindra Pension Fund Limited under RFP dated 23.12.2020.

Letters of Appointment issued on 24.09.2021 to following entities as the Sponsors of Pension Funds selected under PFRDA (Registration of Pension Funds Guidelines), 2021 issued on 01.07.2021.

i. Tata Asset Management Private Limited

ii. Max Life Insurance Co. Ltd.

Letter of Appointment of Sponsor issued on 24.11 2021 to Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd. under RFP dated 23.12.2020 for selection of Sponsors of Pension Funds.

Certificate of Registration issued to Tata Pension Management Limited under PFRDA (Registration of Pension Funds) Guidelines, 2021.

Selection of Deutsche Bank AG as the Custodian of Securities under RFP issued on 25.09.2021. i. Letter of Appointment issued ii. Certificate of Registration issued iii. Certificate of Commencement of Business issued Accordingly, Deutsche Bank AG started operations as Custodian of Securities w.e.f. 02.04.2022

The Investment Management Fee has been revised w.e.f. April 1, 2021 (incorporated

under CoRs issued on March 30, 2021) as per following slab structure of AUM managed by the PFs:

Table No. 3.5: Investment Management Fee w.e.f. April 1, 2021

Slabs of AUM	Maximum Investment Management Fee (In Per cent)
Upto 10,000 Cr.	0.09*
10,001 – 50,000 Cr.	0.06
50,001 – 1,50,000 Cr.	0.05
Above 1,50,000 Cr.	0.03

**UTI RSL to charge 0.07% under this slab.*

The IMF to be charged by the Pension Fund on the slab structure would be on the aggregate AUM of the Pension Fund under all schemes managed by Pension Funds and to be calculated upto four decimal points and truncated thereof. These rates of IMF shall be reviewed by the Authority in a period of five (5) years from the date of implementation.

The above rates of investment management fee are exclusive of brokerage, custodian fee and applicable taxes thereon, subject to maximum brokerage allowed to be charged to the scheme by the Pension Funds @ 0.03% (including applicable taxes on brokerage) on equity transactions only. All other costs shall be borne by the pension fund and shall not be reimbursed or charged to the scheme by the Pension Fund.

Clarification of Change in Investment Guidelines:

i. Investment in securities having residual maturity of three years shall be done as per earlier guidelines/ norms

ii. All fresh issuance of the GOI-Fully Serviced Bonds post 16.07.2020 shall be classified under 'Government Securities and Related Investments'/ Asset Class 'G'

Letter issued to Birla Sun Life Pension Management Ltd. on Revalidation and Extension of Certificate of Registration. A Fresh Certificate of Registration has been issued to Aditya Birla Sun Life Pension Management Ltd. in changed name.

iv) Retirement Advisors

Certificate of Registrations were issued after evaluation of applications as per eligibility criteria defined in PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and subsequent amendments.

During the FY 2021-22, 23 Individual Retirement Advisors & 4 other than Individual Retirement Advisors were registered under the NPS architecture. To expedite the registration process, online platform for registration is available where applicants can apply online.

v) Central Recordkeeping Agency

Amendment, notification, and dissemination of amendment to Regulations

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Record Keeping Agency) (Second Amendment) Regulations, 2020 issued to set standards for the eligibility, governance, organization, and operational conduct of the CRA and for providing centralized recordkeeping, administration, and customer service functions to all subscribers.

Extension to the tenure of registration of M/s NSDL E-Governance Infrastructure Ltd (Now Protean) as Central Recordkeeping Agency for a further period of one year from April 01, 2020, till March 31, 2021, or the date of grant of registration certificate under the first amendment to PFRDA (CRA) Regulations, 2015 and amendments there under, whichever is earlier.

In FY 2020-21, another entity, Computer Age Management Services Ltd. (CAMS) has been granted Certificate of Registration under PFRDA (CRA) Regulations, 2015. The third CRA has operationalised its eNPS platform w.e.f. 17th March 2022. However, it is yet to commence its operations fully.

vi) Trustee Bank

No regulatory changes were introduced. However, timely collection of annual fee and compliance certificate was ensured.

Axis Bank Ltd. has been appointed as Trustee Bank under NPS, in response to the Request for Proposal (RFP) dated 12th October 2020 issued by PFRDA for selection of Trustee Bank under PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015 and amendments thereto.

The Certificate of Registration issued to Axis Bank as NPS Trustee Bank w.e.f. 8th January 2021 and is valid for a period of five years from the date of grant of certificate of registration and extension granted thereto, unless suspended or cancelled by the Authority as per regulation 13 of PFRDA (Trustee Bank) Regulations 2015 and amendments thereto.

vii) NPS Trust

Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2020 issued to amend the governance of a Trustee of the Board of Trustees of the National Pension System Trust.

The details of the Trustees of NPS Trust Board as on March 31, 2022

1.	Sh. Atanu Sen	Chairman & Trustee
2.	Sh. Sudhir Shyam	Trustee
3.	Sh. Ruchir Mittal	Trustee
4.	Dr. P.C. Jaffer	Trustee
5.	Sh. J K Sharma	Trustee
6.	Sh. Dinesh Kumar Mehrotra	Trustee
7.	Sh. Radhakrishnan Nair	Trustee
8.	Sh. Sanjeev Chanana	Trustee
9.	Sh. Suraj Bhan	Trustee
10.	Sh. Y Venkata Rao	Trustee
11.	Ms. Chitra Jayasimha	Trustee

viii) Exit and Annuity Service Providers (ASPs):

Amendment, notification, and dissemination of amendment to Regulations Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2020 issued to facilitate ease of exit from NPS.

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for

the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes

The details of schemes administered by the Authority may be referred in Part II of the report.

The allocation of funds for incremental subscriptions under existing Central Government Scheme as a default scheme under NPS as per Notification F. No. 1/3/2016-PR dated 31.01.2019 issued by DFS and existing State Government scheme/default scheme, for both existing as well as new Government subscribers under Central Govt. and State Govt. Sectors, for the FY 2021-22 was distributed among the pension funds.

Further under Central Government and Central Autonomous Bodies, the Assets under Management for the FY 2021-22 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 31:34:35while earlier this ratio of allocation was 38:32:30 for SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.

For the scheme applicable to State Government employees and employees of State Autonomous bodies, the Assets under Management for the FY 2021-22 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio of 31:34:35 respectively while earlier this ratio of allocation was 38.5:32:29.5 for SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System

3.3.1 As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments thereto, following Withdrawal categories are allowed:

(i) Exit of subscribers from the National Pension System

As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015, following Withdrawal categories are applicable:

Table No. 3.6: PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments

Sr. No.	Withdrawal Categories	Conditions in Government Sector	Conditions in Non-Government Sector
1	Upon Normal Superannuation	At least 40 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as lump sum to the Subscriber.	Same as Government Sector

		If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 2 lakhs, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity. However, there is slight change Exit guidelines notified vide 14th June 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of five lakh rupees, or a limit as specified by the Authority.	
2	Upon Death	At least 80 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Spouse and the balance is paid as lump sum to the nominee/ legal heir. If the accumulated pension wealth in the PRAN at the time of his death is equal to or less than 2 lakhs, the nominee or legal heirs as shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity. However, there is slight change Exit guidelines notified vide 14th June 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of five lakh rupees, or a limit as specified by the Authority.	If subscriber before attaining the age of 60 years or superannuation dies, then the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs. The nominee or family members of the deceased subscriber shall have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit if they so desire.
3	Pre-mature Exit	At least 80 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber.	The option so exercised shall be allowed only upon such subscriber having subscribed to the national pension system for at least a minimum period of ten years. At least 80 per cent of the accumulated pension

		If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity. However, there is slight change in Exit guidelines notified on June 14, 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees, or a limit as specified by the Authority.	wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity. However, there is slight change in Exit guidelines notified on June 14, 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees, or a limit as specified by the Authority.

In addition, Subscriber can decide to remain invested in NPS (Up to 75 years) or can exit from NPS. Following options are available to NPS Subscribers:

- Continuation of NPS account: Subscriber can continue to contribute to NPS account beyond Retirement (Up to 75 years) and avail additional tax benefit on the contribution.
- Deferment of Withdrawal: Subscriber can defer his/her Withdrawal and stay invested in NPS up to 75 years of age. Subscriber can defer only lump sum Withdrawal, defer only Annuity, or defer both lump sum as well as Annuity.
- Start your Pension: If Subscriber does not wish to continue/defer NPS account, he/she can exit from NPS. He/she can initiate exit request online and as per NPS exit guidelines start receiving pension.

One can watch video on Continuation & Deferment process available on the dedicated YouTube channel "NSDL - NPS Ki Pathshala" at https://bit.ly/2ZLzTkB and on "Online Withdrawal Processing by Subscriber" at https://bit.ly/2vyuhfK

For the purpose of exit from the NPS, the subscribers are categorized and defined as:

(i) Government sector, (ii) All citizens including corporate sector and (iii) NPS Lite subscribers. The exit regulations specified shall apply accordingly to the category to which the subscribers belong to.

Table No. 3.7: No. of Withdrawal Reported, Accepted and Settled during April 1, 2021, and March 31, 2022

Sr. No.	Sector	Online Withdrawal			Physical Withdrawal		
		Reported *	Accepted $	Settled	Reported #	Accepted ***	Settled
1	Central Government	7865	7,345	7275	47	47	47
2	State Government	30,472	27,375	27318,	66	66	66
3	All Citizen/UoS	8,529	8,253	7711	54	54	54
4	Corporate	5,456	5,213	4326	-	8	8
5	NPS Lite	34,690	34,309	34,302	524	524	524
	Total	**87,012**	**82,495**	**80,932**	**699**	**699**	**699**

*(**Source of Data:** NSDL – CRA & Kfin Technologies-CRA)*
Note:

* ***Online Withdrawal:*** *Reported implies the cases authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.*

$ Online Withdrawal: Accepted implies the cases where Nodal Office has authorized the withdrawal request in CRA system.
 # Physical Withdrawal: Reported implies the cases where CRA has received the physical withdrawal requests from Nodal Office/Subscriber till April 30, 2016.
**** Physical Withdrawal: Accepted implies the cases which were On Hold at CRA and for which necessary documents received from Nodal Office/ Subscriber.*

Table No. 3.8: Withdrawal claims outstanding as on March 31, 2021 & March 31, 2022.

Sr. No.	Sector	Online Withdrawal Pending	
		As on March 31, 2021	As on March 31, 2022
1	Central Government	434	520
2	State Government	2417	3097
3	UOS	469	286
4	Corporate	246	244
5	NPS Lite	315	381
	Total	**3881**	**4528**

(Source of Data: NSDL – CRA & Kfin Technologies -CRA) Note:

Physical Withdrawal: Withdrawal claims outstanding at the end of the year are the cases where Subscriber/Nodal Office is yet to submit necessary documents to CRA.

Online Withdrawal: Withdrawal claims outstanding at end of the year are the cases where Nodal Office is yet to authorize the withdrawal request in CRA system.

It has been observed that in majority of the cases the withdrawal applications pending for processing is due to missing/ inadequate documents submitted by the subscribers or the Nodal Offices.

3.3.2 Partial Withdrawal under NPS

NPS subscribers can do partial withdrawals, not exceeding 25 per cent of the contribution made by the subscriber, excluding contribution made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System subject to the terms and conditions, purpose, frequency, and limits specified below:

(a) Purpose: A subscriber on the date of submission of the withdrawal form, shall be permitted to withdraw not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by such subscriber to his individual pension account, for any of the following purposes only: -

(i) for Higher education of his or her children including a legally adopted child.

(ii) for the marriage of his or her children, including a legally adopted child.

(iii) for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted.

(iv) for treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases:

i. Cancer;

ii. Kidney Failure (End Stage Renal Failure);

iii. Primary Pulmonary Arterial Hypertension;

iv. Multiple Sclerosis;

v. Major Organ Transplant;

vi. Coronary Artery Bypass Graft;

vii. Aort Graft Surgery;

viii. Heart Valve Surgery;

ix. Stroke;

x. Myocardial Infarction

xi. Coma;

xii. Total blindness;

xiii. Paralysis;

xiv. Accident of serious/ life threatening nature.

xv. any other critical illness of a life-threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time. Covid-19 is also included under this category.

xvi. to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.

xvii. Towards meeting the expenses by subscriber for skill development/ re-skilling or for any other self-

development activities, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

xviii. Towards meeting the expenses by subscriber for establishment of own venture or any start-ups, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

(b) Limits: The permitted withdrawal shall be allowed only if the following eligibility criteria and limit for availing the benefit are complied with, by the subscribers: -

(a) the subscriber shall have been in the National Pension System at least for a period of three years from the date of his or her joining;

(b) the subscriber shall be permitted to withdraw accumulations not exceeding twenty- five per cent of the contributions made by him or her and standing to his or her credit in his or her individual pension account, as on the date of application for withdrawal;

(c) Frequency: the subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System. The request for withdrawal shall be submitted by the subscriber, along with relevant documents to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust, as may be specified, for processing of such withdrawal claim through their nodal office. Provided that where a subscriber is suffering from any illness, specified in sub-clause (d), the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber.

Table No. 3.9: No. of Partial Withdrawal Cases Reported and Settled during the period FY 2021-22

S. N.	Sectors	Reported**	Settled**
1	Central Government	32,668	33,054
2	State Government	89,264	88,586
3	UOS	2,599	2,867
4	Corporate	6,651	7,057
5	NPS Lite	6	6
	Total	**1,31,188**	**1,31,570**

*(**Source:** NSDL – CRA & Kfin Technologies -CRA)*

Note:

** Reported cases includes authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.*

***Settled cases are where funds have been transferred to subscriber's bank account*

 # Cases Initiated by Subscriber is also added in Initiated by Nodal Office.

Table No. 3.10: Reason wise of Partial withdrawal cases reported & Settled during the period from April 1, 2021, to March 31, 2022

Reason for Withdrawal	Reported	Settled
For Higher education of children including a legally adopted child	8,568	8,540
For the marriage of children, including a legally adopted child	8,568	8,540
For the purchase or construction of a residential house	75,155	75,356
For treatment of specified illness	24,758	24,786
To meet medical & incidental expenses due to disability/ incapacitation	10,962	10,912
For skill development/ re-skilling or any other self-development activities	2,483	2,586
For establishment of own venture or any start-up	323	360
Total	**1,31,188**	**1,31,570**

i) Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers

Annuity provides for a monthly payment of pension against deposit of a lump sum amount. The subscriber has to mandatorily purchase the annuity as specified in the exit rules of NPS, from a PFRDA empanelled Annuity Service Providers.

Annuity Service Providers are Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) licensed and regulated life insurance companies, transacting annuity business in India and are empanelled by PFRDA for servicing the annuity requirements of the NPS subscribers.

Presently, the following 14 ASPs are empanelled with PFRDA to provide annuity services to NPS subscribers:

i) Life Insurance Corporation of India
ii) SBI Life Insurance Co. Ltd.
iii) ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
iv) HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd
v) Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd
vi) Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd
vii) India First Life Insurance Co. Ltd
viii) Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd
ix) Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
x) Canara HSBC Oriental bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
xi) Tata AIA Life Insurance Co. Limited
xii) Max Life Insurance Co. Limited
xiii) Aditya Birla life insurance company limited
xiv) PNB MetLife Insurance Company Limited

Under National Pension System (NPS), the subscriber has the option to choose the type of Annuity and the ASPs. The subscriber may choose the annuity type/scheme basing on his requirements from the available schemes offered by the respective ASPs.

Table No. 3.11: Online Annuity requests processed during April 1, 2021, to March 31, 2022

Sr. No.	Annuity Service Providers/Annuity Schemes	No. of Cases	Amount Transferred (Rs. In crore)
1	Annuity for life	2373	104.77
2	Annuity for life with return of purchase price on death	12071	710.99
3	Annuity payable for life with 100 per cent annuity payable to spouse on death of annuitant	4035	215.63
4	Annuity payable for life with 100 per cent annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	4242	562.14
5	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price in parts	33	1.30
6	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price on diagnosis of Critical Illness	148	8.51
7	NPS - Family Income Option	4715	316.14
	Total	**27617**	**1919.48**
(Source of Data: NSDL – CRA & Kfin Technologies -CRA)			

ii) **Digital initiatives rolled out by PFRDA which can be consumed by the Subscriber either mobile or through Internet**

a. e-Annuity Literacy Programs (ALPs)

For creating awareness on Annuity among retiring NPS Subscribers. The program held jointly with Annuity Service Providers and CRAs. ALPs held for 2 different states, Chhattisgarh and Madhya Pradesh in physical mode while 4 ALPs were held in online mode for subscribers.

Table No. 3.12: ALP conducted during FY2021-22

S.No.	Online & Offline	Location	Date	Participants
1	eALP	Kerala	28th January 2022	265
2	ALP	Indore	17th December 2021	350
3	ALP	Raipur	25th & 26th November 2021	375
4	eALP	Tamil Nadu	27th October 2021	245
5	eALP	All India	17th September 2021	290
6	eALP	All India	13th August 2021	260
Total				**1785**

b. Online Pension Calculator

The pension calculator illustrates the tentative pension and lump sum amount an NPS subscriber may expect on maturity or 60 years of age based on regular monthly contributions, percentage of corpus reinvested for purchasing annuity and assumed rate in respect of returns on investment and annuity selected for. It is available in NPS Trust website.

Link for pension calculator: http://www.npstrust.org.in/content/pension-calculator

https://cra-nsdl.com/CRAOnline/aspQuote.html

https://nps.kfintech.com/npc/

c. Special Measures during Covid-19

i. Online Withdrawal process

The relaxation was given to nodal offices/POPs for accepting the scanned /self-certified images of exit documents through digital means to process the withdrawal request of NPS. Subscribers can submit the documents digitally instead of physical mode.

ii. Partial Withdrawal allowed for Covid-19 related medical treatment

Partial withdrawal guidelines modified to include Covid related ailments.

d. Online Exit/Withdrawals

i. Ease of Annuity issuance for NPS subscribers on single KYC.

KYC and Withdrawal documents uploaded by nodal officers suffice to issue annuity by Annuity Service Providers (ASP). The process was finalized by PFRDA in co-ordination with IRDAI and ASPs.

ii. Instant Online Bank Account verification

As part of additional due diligence, instant Bank Account verification through Penny drop introduced to avoid return of funds and check the beneficiary details on real time basis. The process makes the exit seamless and avoids delays.

iii. e-NPS Subscribers exit

The online e-NPS exit functionality built in coordination with Banks. Functionalities rolled out on November 30, 2020.

iv. Exit Authorization code (EA Code).

Facilitate the Subscribers to verify mobile number at the time of exit and improves the contact ability. Ensures ease of annuity processing by ASPs.

Table No. 3.13: Overall summary of functionalities released by PFRDA in 2021 -22

Name of the Functionality	No. of requests processed in FY 2021 -2022 *
Online Withdrawal process based on scanned documents*	306
Partial Withdrawal cases (along with total amount) allowed for Covid-19 related medical treatment **	6790 (Rs 47.39 Crores)
online e-NPS exit	1,156
Partial withdrawal (overall)***	55,172
Online exit process for NPS Subscribers associated with POPs (Corporate)	1,619
Online exit process for NPS Subscribers associated with POPs (UOS)	1,940

(Source of Data: NSDL CRA, Kfin Technologies CRA and CAMS CRA)

Notes: The numbers provided are for the relevant functionalities released during FY 21-22.

** Govt Paperless processed cases were considered.*

*** online e_ NPS nos. consists self-authorization and Bank POP authorization cases.*

**** Partial withdrawal request initiated by Subscriber and self-authorized have been considered.*

iii). Digital Initiatives – Work in progress at PFRDA and in the process of roll out

a. Video based Customer Identification Process (VCIP) for remote onboarding and exit

PFRDA has permitted its registered intermediaries to use video-based customer identification process (VCIP) for the purpose on onboarding, exit or any other service request related to NPS. It will overcome the challenges of remote presence, limited mobility, contactless service, social distancing norms etc. and also optimize the turn-around time of account opening, execution of exit and other service request. It provides the opportunity for expanding reach of NPS since account opening process is paperless, instantaneous, convenient, and cost effective.

b. Offline Aadhaar based online exit

Expediting the process of exit by using offline Aadhaar. This will make process of exit Seamless, paperless, and also time bound processing of exit.

c. Online Partial Withdrawal

Ease of partial withdrawal process on self-declaration basis and making the process online along with penny drop. Reduces the Turnaround time for processing partial withdrawal.

d. Online Smart Exit Guide

It helps subscribers to get Annuity quotes with/without return of purchase price. Subscribers can take well informed decision while selecting annuity schemes offered by various ASPs.

e. Online exit process for NPS Subscribers associated with POPs.

Under this process, subscribers can upload the withdrawal documents along with KYC and authorize using eSign/OTP. This paperless process of exit helps in timely processing of claims and issue of annuity. For processing of exit, the subscriber has to pay 0.0125 per cent with minimum amount of Rs 125 and maximum up to Rs. 500 of their corpus to the POPs.

3.4 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act

One of the major aims of PFRDA is protection of subscribers' interest and PFRDA has been engaged in multifarious activities in furtherance of this cause.

Table No. 3.14: Measures taken to protect subscribers' interest

Sr. No.	Initiative	Benefits
1.	Offline Aadhar KYC for On-boarding	Ease of on-boarding and instant PRAN generation
2.	ePRAN card for NPS Subscribers	Now the Subscribers have to pay less for Account opening and it is easy to handle.
3.	OTP based authentication by Subscribers.	Paperless on boarding of subscribers.
4.	Online Aadhaar e-KYC	PFRDA's proposal approved by UIDAI to offer online e-KYC verification to one of the CRAs.
5.	D-Remit (Direct Remittance)	Same day NAV and Facility of auto debit to NPS Subscribers. Delay in processing the contribution is cut down by two days.
6.	NACH based debit	Automated debit through NACH e-mandate introduced on pilot basis. The process initiated in FY 2020-21 and would be rolled out in FY 2021-22.
7.	E-nomination facility through e sign	Online nomination/ updation of nominees in a paperless manner
8.	Ombudsman for NPS/ APY	FAQ published for the benefit of Subscribers and wide awareness created about the services of Ombudsman.
9.	Annuity Literacy Programs (ALPs)	For creating awareness on Annuity among retiring NPS Subscribers. The programs held jointly with Annuity Service Providers, Nodal Officers of Govt and CRAs.

Sr. No.	Initiative	Benefits
10.	Annuity Calculator	Revamped Annuity Calculator for better transmission of annuity rates/ information to NPS Subscribers.
11.	Compliance certificate for ASPs	Half yearly compliance certificate being submitted by ASPs for enhanced Subscribers service.
12.	NPS Tax Saver account	Enables tax saving by subscribers of Central Government Sector.
13.	Choice of Investment and PFs	Government sector subscribers can exercise choice of investment and select PFs.
14.	OTP based Authentication for legacy NPS accounts	To alleviate the difficulties of NPS Subscribers who have opened their NPS Accounts during Covid-19 pandemic induced lock down but could not submit physical applications to CRA.
15.	Withdrawal process	The relaxation was given to nodal offices/POPs for accepting the scanned /self-certified images of exit documents through digital means to process the withdrawal request of NPS.
16.	Partial Withdrawal allowed for covid related treatment	Partial withdrawal guidelines modified to include covid related ailments.
17.	Continuation of PRAN in case of premature exit where only lump sum is paid	Option for partly exited NPS Subscribers to continue the same PRAN.
18.	Ease Annuity issuance for NPS subscribers on single KYC.	KYC and Withdrawal documents uploaded by nodal officers suffice to issue annuity by Annuity Service Providers (ASP).
19.	Instant Bank Account verification	Instant Bank Account verification through Penny drop to avoid return of funds and check the beneficiary details on real time basis.
20.	e-NPS Subscribers exit	The online e-NPS exit functionality built in coordination with Banks
21.	Exit Authorization code (EA Code)	Facilitate the Subscribers to verify mobile number at the time of exit.

3.5 Mechanism for Redressal of Grievances of Subscribers and Activities undertaken for Redressal of such Grievances

1. Introduction:

As per PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015, every intermediary has to follow the Grievance Redressal Policy as laid down under the regulations. The term "Grievance" is defined under Regulation 2(g) as: "grievance or complaint" includes any communication that expresses dissatisfaction, in respect of the conduct or any act of omission or commission or deficiency of service on the part of, an intermediary or an entity or a person governed by the provisions of the Act and in the nature of seeking a remedial action but do not include the following;

i. Complaints that are incomplete or not specific in nature;

ii. Communications in the nature of offering suggestions;

iii. Communications seeking guidance or explanation;

iv. Complaints which are beyond the powers and functions of the PFRDA or beyond the provisions of the PFRDA Act and the rules and regulations framed there under;

v. Any disputes between intermediaries;

vi. Complaints that are sub-judice (cases which are under consideration by court of law or quasi-judicial body) except matters within the exclusive domain of the Authority under the provisions of the Act;

2. Process flow related to handling of grievances?

Redressal of subscriber grievance happens in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015. For smooth and timely handling of grievance, subscribers are requested to follow the following escalation matrix :

Level 1: As per the provisions of the PFRDA (Redressal of subscriber Grievance) Regulations 2015, the subscribers can raise their grievances for resolution through the Central Grievance Management System (CGMS). The grievances shall be directed to the concerned intermediary/office, for taking necessary action to resolve the grievance raised by the subscriber. The resolution remarks provided by the concerned entity shall be intimated to the subscriber over email and can be viewed online.

To raise grievance, subscriber may click on the respective CRA under which his/her PRAN is generated. Following are the details and processes to lodge the grievances and view the status of resolution:

Protean eGov Technologies Limited (earlier known as NSDL e-governance)	KFin Technologies Pvt. Ltd
1. Web based interface for registering grievance/complaint : a) By raising a grievance in the Central Grievance Management System (CGMS) by using the Internet Personal Identification Number (IPIN). (https://cra-nsdl.com/CRA/). After successful login subscriber need to click Log Grievance Request under Grievance Tab. By login in Mobile Application using I-PIN. After successful login subscriber need to click Enquiry/ Grievance Option. b) Subscriber can raise the grievance at the Corporate website (https://npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php under Log Your Grievance / Enquiry option) 2. Other modes of registering grievance/ complaint: a) Call Centre/Interactive Voice Response System (IVR) : By calling the Toll free Number **1800 222 080** and authenticating oneself with the Tele query Personal Identification Number (TPIN). b) Physical forms : By raising a grievance in writing – in the specified format (Form G1) or a letter and sent to following address: Protean e Gov Technologies Limited (earlier known as NSDL e-governance)	1. Web based interface for registering grievance/complaint: a) Subscriber can register a grievance through a web-based interface provided by the KFintech CRA with the use of I-PIN by visiting our website https://enps.kfintech.com/login/login/. The entity will have to provide the necessary details as required in the web-based format. On successful registration, a token number will be displayed on the screen for the purpose of reference. b) Subscriber can also raise the grievance without login into the CRA system by providing the relevant details on https://enps.kfintech.com/registergrievanceenquiry/registergrievanceenquiry/ 2. Other modes of registering grievance/ complaint: a). Call Centre/Interactive Voice Response System (IVR): Subscriber can reach our Call Centre our toll free number 1800 208 1516. Subscriber can raise a grievance after authentication using T-PIN. The grievance will be registered by the Call center executive and a token number will be given to the entity for reference. b) Physical forms: A subscriber can log a grievance by submitting details in a physical form to the Central Grievance

1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 3. How to check the status of the Grievance? Subscriber can check the status of the grievance at the CRA website (https://npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php under Track Your Grievance / Enquiry option) or through the Call Centre by mentioning the token number.	Management Cell at CRA. Subscriber has to submit the Grievance Form (Form G1) to CRA. On receiving such a grievance, the CRA user will digitize the same and lodge a request in the CRA system, with SMS/ email intimation to the subscriber. It can be sent on following address: KFin Technologies Pvt. Ltd Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal Hyderabad – 500 032 3. How to check the status of the Grievance? Subscriber can check the status of the grievance at the CRA website (https:// https://enps.kfintech.com/login/ login/) or through the Call Centre by mentioning the token number.

Level 2: If the complainant is not satisfied with the redressal of the his grievance or if it has not been resolved by the intermediary by the end of thirty days of filing of complaint, he may escalate the complaint to the National Pension System Trust (NPS Trust) through any one of the following modes -

1. Website : www.npstrust.org.in / https://www.npstrust.org.in/content/contact-us
2. Letter: Subscriber may also raise the grievance by writing to NPS Trust at the following address - Grievance Redressal Officer (GRO)

National Pension System Trust
14th Floor, IFCI Tower
61, Nehru Place
New Delhi – 110 019
Ph: +91 11 47207700

Table No. 3.15: Query/Grievance (referral) against CRA

Referral Raised Against	Status of referrals for the month for FY 2021 -22			
	Pending at the end of March 2021	Received during the FY 2021 - 2022	Closed/resolved during the FY 2021 - 2022	Pending the end of March 2022
CRA	1,560	1,50,372	1,50,908	831

(Source of Data: NSDL CRA, Kfin Technologies CRA and CAMS CRA)

Table No. 3.16: Status of Query/Grievance (referrals) Category wise against CRA

Referral Category	Cases pending at end of the March 2021	Cases received during the FY 2021 - 2022	Cases resolved during the FY 2021 - 2022	Cases pending for resolution at end of March 2022
General Query	590	66672	66866	310
PRAN Card Related	378	25528	25690	153
SOT Related	135	12237	12265	94
Tier II related	50	5483	5500	26
Incorrect Processing of Subscriber Details	31	5711	5723	19
I-PIN, T-PIN Related	38	3535	3541	28
Withdrawal Related	37	50175	5711	34
Email/SMS alerts not received	26	2912	2911	21
Exit not initiated / not authorised / amount not received	25	1763	1777	11
Partial withdrawal not initiated / not authorised / amount not received	20	5568	5568	20
Other Grievances	5	266	262	9
Death withdrawal not initiated / not authorised / amount not received	2	285	286	1
Not Processed/ Delay in Processing Subscriber Changes Request	13	1526	1532	7
Delays in Issuance of PRAN Cards	9	132	134	0

Referral Category	Cases pending at end of the March 2021	Cases received during the FY 2021 - 2022	Cases resolved during the FY 2021 - 2022	Cases pending for resolution at end of March 2022
Pre-mature withdrawal not initiated / not authorised / amount not received	1	900	894	7
Contribution amount not reflected in account	200	12140	12248	91
Total	**1560**	**194833**	**150908**	**831**
(Source of Data: NSDL CRA, Kfin Technologies CRA and CAMS CRA)				

Table No. 3.17: Ageing of referrals pending for the month ending March 31, 2022

Sector	< 7 days	8-14 days	15-30 days	31-60 days	> 60 days	Total
Central Government	49	0	1	1	3	54
State Government	57	3	0	0	3	63
Corporate	90	4	3	0	2	99
Unorganized	549	13	10	1	9	582
NPS Lite	8	0	0	0	0	8
APY	25	0	0	0	0	25
Total	**778**	**20**	**14**	**2**	**17**	**831**
(Source of Data: NSDL CRA & Kfin Technologies CRA and CAMS CRA)						

Level 3: If the complainant is not satisfied with the redressal of his grievance or no reply beyond 30 days at level 2 is received, Ombudsman appointed by PFRDA can be approached by the subscriber by submitting the details as per prescribed format.

As per PFRDA (Redressal of Subscriber grievance) Regulations 2015: An appeal can be filed with the Ombudsman under the regulations and complying the following–

(a) by a complainant whose grievance has not been resolved within thirty days from the escalation of the grievance to NPS Trust.

(b) by a complainant, where a complaint has been made directly against the NPS Trust and no other intermediary and the same remains unresolved within the specified period of thirty days

The appeal to ombudsman has to be made within forty-five days from the date of receipt of response of the National Pension System Trust.

The appeal shall be in writing, duly signed by the complainant or his authorized representative (not being a legal practitioner) in the form as specified the regulations and supported by documents, if any.

At present only one Ombudsman has been appointed by PFRDA.

Shri Arnab Roy
Pension Fund Regulatory and Development Authority
B-14/A,Chatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Chhatrapati Shivaji Bhawan,

Email Id: ombudsman@pfrda.org.in

Landline No. : 011 - 26517507 Ext : 188

Level 4: If subscriber is not satisfied with the order passed by the Ombudsman, subscriber can file appeal against the order to the Designated member of PFRDA at following address :

Ombudsman Department,

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)

B-14/A, Chatrapati Shivaji Bhawan,

Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai

New Delhi – 110 016

Level 5: Securities Appellate Tribunal.

Subscribers are requested to file the grievances at the first level so that timely resolution can be ensured and trail of the grievance can be maintained .

3.5.1 No. of Complaints Received, Resolved and Pending for FY 2021-22 at the Office of Ombudsman

Table No. 3.18: No. of Complaints Received, Resolved and Pending at the office of Ombudsman for FY 2021-22

Particulars	Sector*				
	CG/CAB	SG/SAB	UOS	NPS Lite	Total
No. of Complaints received	2	12	6	1	21
No. of Complaints Resolved	4	16	6	-	26
No. of Complaints pending	-	-	-	-	-

Note: * for other sectors viz. Swavalamban & APY, no appeals had been received for FY 2021 - 22.

3.5.2 State-wise Complaints Received for FY 2021-22 at the Office of Ombudsman

Table No. 3.19: State-Wise Complaints received for FY 2021 – 22

Sr No.	Name of State	No. of Grievance received state-wise
1	Karnataka	1
2	Maharashtra	1
3	Telangana	1
4	Tamil Nadu	1
5	Uttar Pradesh	2
6	Rajasthan	1

Sr No.	Name of State	No. of Grievance received state-wise
7	Andhra Pradesh	1
8	West Bengal	1
9	Delhi	10
10	Haryana	1
11	Chandigarh U.T	1
	Total	**21**

3.5.3 Initiatives taken by PFRDA

(i) Development of online system for filing appeal with ombudsman

Currently, the appeals are received at the office of the Ombudsman in the physical form. An online process for filing appeal with ombudsman by developing a web portal on the website of PFRDA where the aggrieved subscriber whose grievance not resolved after specified time with respective intermediary can prefer appeal online as an option is under development.

(ii) Release of FAQs on Ombudsman

PFRDA had released a FAQ on appeal process with Ombudsman for the creation of awareness among the Subscribers. The same is available on PFRDA website.

The status of grievances received during the year at CGMS as on March 31, 2022, is furnished in the table below:

Table No. 3.20: Grievances Pending, Received and Closed in CGMS from April 1, 2020, to March 31, 2022.

Sr. No	Sector	Pending As on March 31, 3021	Received Till March 31, 2022	Resolved Till March 31, 2022	Pending percentage till March 31, 2022
1	NPS Regular#	3,148	1,75,175	1,75,512	1.60
2	NPS Lite	173	2,345	2,409	4.65
3	APY	695	57,015	56,833	1.54
	Total	**4,016**	**2,34,535**	**2,34,754**	**1.62**

Source: As per CRAs

Note: # NPS Regular consists of CG/SG/SAB/CAB/ Corporate and All Citizen Sector

The status of Grievances received to various intermediaries during the year at CGMS as on March 31, 2022, is furnished in the table below:

Table No. 3.21: Grievances Pending, Received and Closed in different sectors in CGMS during April 1, 2021, to March 31, 2022.

Sr. No	Sector	Pending As on March 31, 3021	Received Till March 31, 2022	Resolved Till March 31, 2022	Pending percentage till March 31, 2022
1	Central Government	488	5052	5200	340
2	State Government	492	6,491	6233	750
3	POP	471	29,966	29,716	721
4	Corporate	1	55	53	3
5	Trustee Bank	200	50	166	84
6	NPS Lite	637	41,284	41,103	818
7	APY (APY-SP)	155	714	771	98
8	eNPS	395	21,608	21,849	154
9	CRA	1,131	126,918	127,584	465
10	NPS Trust	46	2,397	2,079	364
	Total	**40,16**	**2,34,535**	**2,34,754**	**3,797**

Source: CRAs

The major grievances received are related to Statement of Transactions, Contribution amount not reflected in account, PRAN Card, incorrect processing of subscriber details, delays in uploading of contribution amounts etc. Grievances are registered in CGMS by the subscriber and are directly routed to concerned intermediaries for necessary action. Thus, it is for the concerned intermediaries to resolve and close grievance in the CGMS which are raised against them. The periodic reminders are sent to concerned intermediary for resolving and closing grievances in CGMS.

3.6 Certification Programme for Retirement Advisers

Pension Fund Regulatory and Development Authority registers Retirement Advisers (RAs) for widening the coverage of NPS and providing advisory services to the subscribers for allocating assets under NPS and choosing PFMs. The scope of work and responsibility of the Retirement Adviser is to ensure orderly growth of pension sector.

PFRDA is providing registration to individuals as Retirement Adviser as per PFRDA (Retirement Adviser) Regulations 2016. PFRDA has accredited National Institute of Securities Market (NISM) as institute for certification of Retirement Adviser Certification Examination. Upto March 31, 2022, total 908 candidates were certified as Retirement Adviser. In the FY2021-22, 19 RAs, in the category of Individual, were registered as fresh, 4 RAs in the category of Individual, were registered under renewal granted by PFRDA and 4 RAs Other than Individual category were registered as fresh by PFRDA. A quarterly summary of the candidates enrolled, appeared, and passed during the FY 2021-22 is as under:

Table No. 3.22: Retirement Adviser Certification

NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification			
Month	Enrolled	Appeared	Passed
Apr-June 2021	44	29	19
July–Sept. 2021	83	68	45
Oct – Dec. 2021	78	72	56
Jan – March 2022	94	71	45
Total	**299**	**240**	**165**

3.7 Collection of Data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research, and project.

Collection and compilation of a comprehensive data based on demographics, retirement savings and investments, the different financial products/ schemes issued by the different organizations to cater to the old age income security of the underlying subscribers, the returns generated thereon, the disclosure and protection provided to the subscribers etc. under different scheme are the on - going activities of PFRDA. Towards this end, PFRDA is compiling information on people covered under various pension schemes and also people receiving pensions under various schemes. PFRDA is currently in

the process of gathering information from other pension providers in the country.

3.8 Steps undertaken for educating subscribers the general public on issues related to pension, retirement savings and related issued and details of training of intermediaries

3.8.1 Financial Literacy regarding Pensions:

PFRDA as a member of Financial Stability and Development Council (FSDC), its sub-committee, working groups and various inter-regulatory forums viz. Inter Regulatory Technical Group (IR-TG), Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL), Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates (IRF-FC), Working Group on resolution regime for financial institutions actively contributes to the furtherance of the objectives of these committee's/groups/forums.

PFRDA has hosted the website www.pensionsanchay.org.in to spread awareness and educate subscribers and general public on the fundamental elements and related to money, financial planning, retirement planning, investment evaluation and annuity. The website has a blog section for discussions and sharing of information on Behavioural Aspects of Retirement Planning, Fundamentals of Money & Finance, Retirement Planning, Saving & Investing and Pension. The blog section has 72 articles of which 9 were hosted during FY 2021-22, and these were contributed by writers from across the country. During FY 2021-22, the total visitor counts to the Pension Sanchay website stood at 3,39,001.

3.8.2 Programme for co-ordination with financial agencies and other agencies

PFRDA is promoting National Centre for Financial Education (NCFE), a Section 8 (Not for Profit) Company along with Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). Out of share capital of Rs. 100 crores PFRDA has contributed its allocation of Rs. 10 crores while other RBI, SEBI and IRDAI contributed Rs.30 crores each. NCFE's mission is to undertake massive Financial Education campaign to help people manage money more effectively to achieve financial well-being by accessing appropriate financial products and services through regulated entities with fair and transparent machinery for consumer protection and grievance redressal.

The objective of the NCFE is to promote Financial Education across India for all sections of the population as per the National strategy for Financial Education, to create financial awareness and empowerment through financial education campaigns across the country for all sections of the population through seminars, workshops, conclaves, trainings, programs, campaigns, discussion forums by itself or with help of institutions, organisations and to provide training in financial education and create financial education material in electronic or non-electronic formats, workbooks, worksheets, literature, pamphlets, booklets, fliers, technical aids and to prepare appropriate financial literature for target based audience on financial markets and financial digital modes for improving financial literacy so as to improve their

knowledge, understanding, skills and competence in finance.

APY has been incorporated in the NCFE modules as one of the Government schemes providing minimum guaranteed pension. Further, NPS has also been incorporated in the NCFE modules as a solution to retirement needs.

The National Strategy for Financial Education for India (NSFE: 2020-25) recommends adoption of a multi-stakeholder approach to achieve financial well-being of Indians. As per the Strategic Goal under Action Plan of NSFE 2020-25, content of financial education in school curriculum for students of Classes VI to XII, has been drafted in coordination with all sector regulators.

Further PFRDA contributed and coordinated with NCFE and other regulators successfully observed Financial Literacy Week (FLW 2022) observed from February 14th to February 18th, 2022. On 16th Feb 2022, a national level webinar on "Transforming India's Pension System Through Digitisation-Scope and Way Forward" was addressed by a senior officer of PFRDA.

In addition to above, the PFRDA actively participated during the Global Money Week (GMW) which is an annual international financial education awareness-raising campaign designed to encourage a wide range of stakeholders to motivate children and youth to learn about money matters, livelihoods and entrepreneurship. SEBI as a national coordinator of the GMW campaign in India and GMW was organized during 21st March 2022 to 27th March, 2022. A senior officer of PFRDA also addressed a national level webinar on ''Planning smartly for Retirement" on March 24, 2022 as Guest speaker during the GMW.

nps national pension system PENSION FOR ALL अटल पेंशन योजना मेरा अधिकार मेरा सम्मान

3.8.3 PFRDA's endeavor on media & communication and NPS/APY awareness

PFRDA continued with its unceasing efforts of creating awareness about pensions and retirement planning with a vision to make 'India a Pensioned Society.' In this backdrop, various channels and mediums of communication viz. social media, digital domain, electronic media (audio & visual) and print media, were adopted to educate and enhance financial & pension literacy and for explaining the features & benefits of NPS/APY to the public at large especially to citizens falling in the age group of 18-65 years for NPS and 18-40 years for APY. All the media activities were undertaken through Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP) and Prasar Bharti (AIR & Doordarshan) under arrangements. The digital platforms were also deployed to disseminate and sensitize the public about NPS through webinars/seminars/online workshops/e-conferences etc.

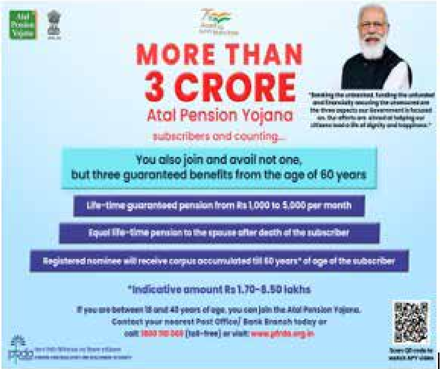

During the FY 2021-22, **NPS print campaigns** were undertaken to inform, what is NPS, who can join, benefits to employer, tax incentives and the print ad designs were inscribed with QR code, enabling users to visit the webpages of NPS Trust for availing further information on NPS. The print advertisements were carried out in 155 newspapers in Hindi, English and 11 regional languages with country wide coverage. NPS radio campaigns were launched to inform the general public through 342 radio stations covering pan India. **TV scroll campaigns** were undertaken for NPS in the fourth quarter of the financial year through DD News & 28 Regional Kendras of Doordarshan emphasizing the tax benefits of NPS. Digital/social media campaigns were also undertaken throughout the year with an objective to increase the enrolments by posting paid messages in social media platforms like Facebook, twitter, and LinkedIn, featuring the benefits of subscribing to NPS.

NPS Diwas was observed on 1st Oct 2021 with these activities- Organized press meets on 'NPS Diwas- with vide publicity of the same on various media vehicles- Press Release for 'Declaration of NPS Diwas by PFRDA', Announcement by Radio Jockey (Ad Live) - , Bug flash (10sec) during News Broadcast - 15 times, TV spots (30sec) during News Broadcast - 5 times, Social Media Campaign through PR Agency, Twitter Trend , Chairman TV Interview for 15 mins (Hindi & English through DD), Chairman Radio Interview for 15 mins (Hindi & English through AIR), NPS Diwas Sponsored 01-minute video (04 types played 24 times) by Zee News, Newspaper Advertisement (NPS Diwas), Paid NPS Diwas Ad in collaboration with PoPs.

APY print campaign was undertaken to deliver the message of the 3 unique benefits of APY and the ads were created not only to provide information about product offerings but also encourage potential subscribers to join the scheme by informing that more than 3 crore subscribers have already joined the scheme. The APY prints ad designs were released in 210 newspapers across the country.

In order to keep the citizens and subscribers aware and watchful about the fraudulent activities inimical to their economic and social well-being, dissemination of information for prevention of fraud and phishing in name of PFRDA/NPS were undertaken by the Authority through postings of text and graphical messages in social media handles. Public Notices were released at periodic intervals in print media covering 288 newspapers, scrolling message incorporated in PFRDA website and video messages hosted in Pension Sanchay website.

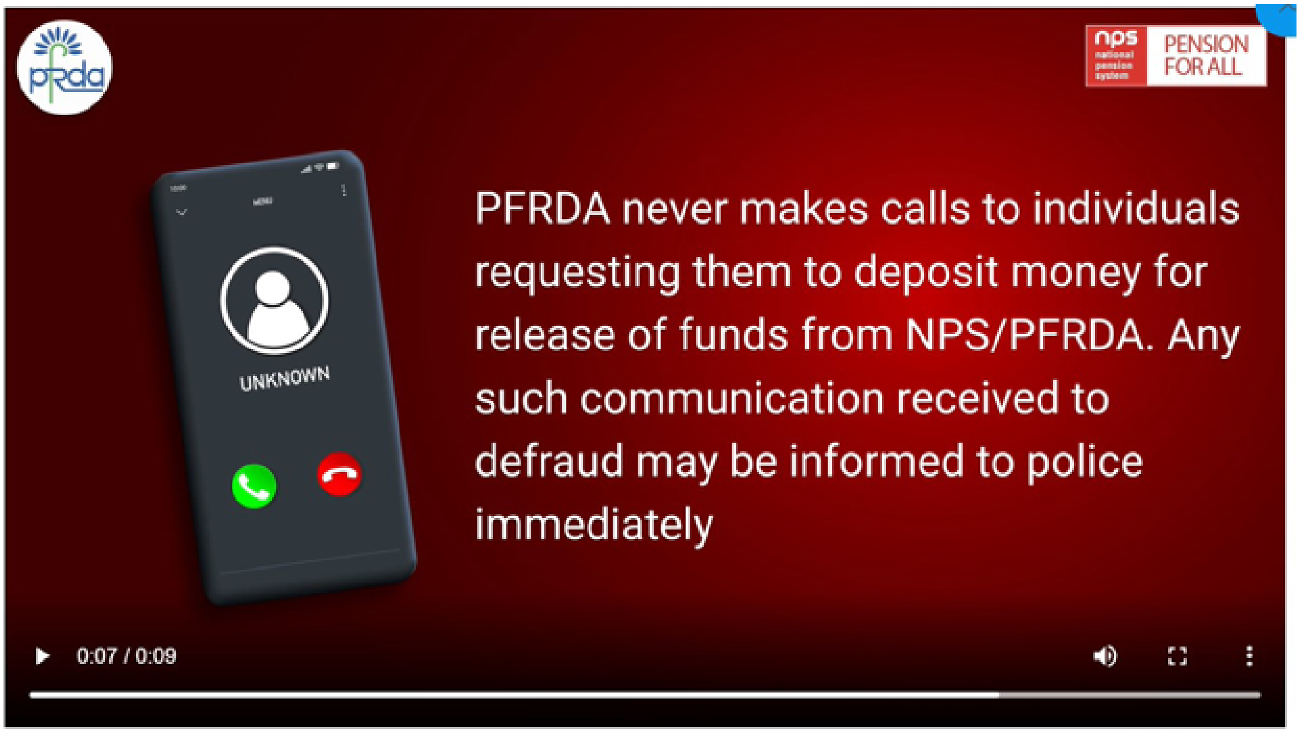

3.8.4 PFRDA on Social Media

Considering the challenges in traditional media and being generally labelled as a one-way communication to the public at large, the social media platforms provides a multi-pronged channel of communication and delivery of message to target audience with feedbacks from the targeted audiences. Social media plays a vital role for outreach and engagement with the public and PFRDA in its effort of connecting and engaging with subscribers has proactively been maintaining its account with Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube for NPS and APY.

The followership to PFRDA social media handles are: APY Facebook page – 72159, NPS Facebook - 40008, Twitter- 8347 and during the financial year 2021-22 a total 677 Facebook post, 785 Tweets and 363 posts on LinkedIn were made, through which crucial information and updates were shared with the objective to disseminate policy changes and engage the targeted segment/audience.

3.8.5 Public Relations and Communications

PFRDA undertakes various public relations activities/communications with an objective to enhance awareness and disseminate information regarding its policies, activities, and schemes for promoting old age income security and protecting subscriber interests. During the FY 2021-22, PFRDA held 2 press meets, 54 media interviews/interactions and issued 27 Press Releases, communicating the policy changes and developments for publishing in print, audio, online and visual media channels, and attained coverage in 438 newspapers and 566 online news platforms. Various aspects of retirement planning, pensions and challenges associated with old age income security their solutions were disseminated through 7 featured articles in print and online media.

3.8.6 Training

PFRDA had disseminated information on NPS/APY through training sessions to more than 2.26 lakh participants over the last

5 financial years. The participants to these training sessions were imparted knowledge on the salient features of NPS/APY, the process of joining the schemes, options available for selection of fund manager, asset allocation, annuity plans, procedure for resolution of grievances, etc. Presently, 04 training agencies have been empanelled by PFRDA to address the training requirements of various stakeholders viz. Govt. Sector nodal office, corporate, Points of Presence and APY Service Providers. The empanelled training agency Hero Mindmine Ltd. during its engagement from 01/10/2021 to 31/03/2022 had conducted online training sessions across the country for 40520 participants in total.

Table No.3.23: The Sector Wise Distribution of the Number of Training Sessions and Participates under NPS

	Sectors	Training Sessions	Participants Count		Sectors	Training Sessions	Participants Count
NPS	Central Govt.	9	972	APY	Business Correspond	55	5099
	State Govt.	153	15938		Dept of Post	9	972
	Corporate	18	1616		Public Sector Bank	72	7675
	Point of Presence	41	4006		Regional Rural Bank	55	4242
	Total	**22**	**22532**		**Total**	**191**	**17988**

Presently, 4 training agencies have been empanelled by PFRDA to address the training requirements of various stakeholders viz. Govt. Sector nodal office, Corporate, Point of Presence and APY Service Providers.

3.8.7 NPS and APY Information Helpdesk

Towards facilitating a human interactive system to existing and potential subscribers for accessing and procuring reliable information on NPS and APY from across the country, PFRDA is operating a dedicated NPS/APY Information Helpdesk wherein queries on NPS/APY are responded in a professional and systematic manner. The call center is also utilized for making outbound call to subscribers as per requirements (viz. persistency of APY contributions, invitations to sessions conducted by PFRDA etc) and conducting surveys for improving the processes and delivery of services within the NPS architecture (viz. gauging awareness of scheme features, quality of training session etc) and Survey on voluntary exits from APY. The NPS Information Helpdesk had received a total of 1.26 lakhs inward calls and 6.34 lakhs outbound calls were made through the call centre during the financial year.

Presently, two toll free numbers of Information Helpdesk are operational i.e., 1800110708 for NPS and 1800110069 for APY are operational and for call back services

from Helpdesk, an SMS facility is also available through 'SMS NPS to 56677'. The NPS/APY Information Desk is operational for 8 hours a day (9.30 a.m. – 5.30 p.m.), 7 days a week (including Sundays) excluding National holidays.

3.9 Conferences, meetings and other Initiatives undertaken during FY 2021-22

3.9.1 Conferences under Central and State Government Sector

PFRDA engages with the government Nodal Offices on various platforms, in order to improve the efficiency of NPS in the government sector. In pursuance of the same, PFRDA conducts review meetings/ video conferences /Conferences/ workshops with the Government Nodal offices at the Centre / State /CABs/SABs.

In light of the prevailing lockdowns on account of the Covid-19, the review meeting was conducted with the nodal offices through an online platform. PFRDA conducted review meetings/video conferences with Central Ministries and Central Autonomous Bodies (CABs) and with State Govt. and State Autonomous Bodies (SABs). Apart from the same, awareness sessions were also conducted to make the nodal offices aware of the choices pension funds and investment patterns available to the Government subscribers.

For better implementation of NPS in the Government Sector which comprises of the majority of the of NPS subscribers, PFRDA sensitize the Government Nodal offices on various issues/matters to improve their performance. In this regard, PFRDA undertakes various measures and also conducts review meetings/ video conferences with the Government Nodal offices in the Central / State Government sector.

PFRDA conducted review meetings/ video conferences with Central Ministries/ departments & State Governments and Central and State Autonomous Bodies during the FY 2021-2022. The details of the same is as under: -

Table No. 3.24: List of review meeting/ Conferences held during FY 2021-22

Sector	Review Meetings
CG	52
CABs	56
Sub -total (CG +CABs)	108
SG	62
SABs	32
Sub -total (SG +SABs)	94
Total	**202**

a) CG & CABs

i) CG

Accounting Formation	Ministry/ Office Name (No. of meetings held)
Civil	Pr. AO, Ministry of Home Affairs (2)
	Pr. AO, CBDT, Department of Revenue, Ministry of Finance (2)
	Pr. AO, CBEC, Department of Revenue, Ministry of Finance (2)
	Pr. AO, Department of Indian Audit and Accounts (2)
	Pr. AO, Department of Atomic Energy (2)
	Pr. AO, Department of Space (2)
	Pr. AO, Andaman and Nicobar Islands Administration (1)

	Pr. AO, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (2)
Defence	PCDA (Navy), Mumbai (1)
	CDA (Border Roads), Delhi Cantonment (2)
	Pr.AO, Controller of Defence Accounts Navy and Coast Guard, New Delhi (1)
	PCDA (Southern Command), Pune (2)
	PCDA (Western Command), Chandigarh (2)
	ACAS (Accounts and AV), New Delhi (2)
NCT	Pr. AO, Ministry of NCT of Delhi (2)
Postal	General Manager Finance, Postal Accounts, Delhi (2)
Railways	FA and CAO, Northern Railway, New Delhi (0)
	FA and CAO, Central Railway, Mumbai (2)
	FA and CAO, Eastern Railway, Kolkata (2)
	FA and CAO, East Central Railway, Hajipur (2)
	FA and CAO, South Western Railway, Hubli (1)
	FA and CAO, Southern Railway, Chennai (2)
	FA and CAO, Western Railway, Mumbai (1)
	FA and CAO, South Central Railway, Secunderabad (2)
	FA and CAO, North Central Railway, Allahabad (1)
Railways	FA and CAO, South Eastern Railway, Kolkata (2)
	FA and CAO, North Frontier Railway, Maligaon (1)
	FA and CAO, Western Central Railway, Jabalpur (1)
	FA and CAO, North Western Railway, Jaipur (1)
	FA and CAO, South East Central Railway, Bilaspur (2)
	FA and CAO, North Eastern Railway, Gorakhpur (2)
	FA and CAO, East Coast Railway, Bhubaneswar (1)

**( ) indicates no. of review meetings held with the concerned office*

ii) CABs

CABs	Pr.AO, Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi (2)
	Pr.AO, Employees State Insurance Corporation (HQ), New Delhi (2)
	Pr.AO, North Delhi Municipal Corporation, New Delhi (0)
	Pr.AO, South Delhi Municipal Corporation, Delhi (2)
	Pr.AO, East Delhi Municipal Corporation, Delhi (1)
	Pr. AO, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (2)

CABs	Pr.AO, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi (2)
	Pr.AO, Employees Provident Fund Organisation, New Delhi (2)
	Pr.AO, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi (2)
	Pr.AO, Delhi Jal Board, New Delhi (2)
	Pr.AO, Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida (2)
	Pr.AO, Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (2)
	Pr.AO, Aligarh Muslim University, Aligarh (2)
	Pr.AO, Banaras Hindu University, Varanasi (2)
	Pr.AO, Prasar Bharati, New Delhi (2)
	PrAO, New Delhi Municipal Council, New Delhi (0)
	Pr.AO, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry (2)
	Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai (1)
	Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi (1)
	Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi (2)

CABs	Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh (2)
	Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune (2)
	Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow (2)
	Indian Institute Of Technology, Bombay (2)
	Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur (2)
	PrAO, All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh (2)
	Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Bhopal (2)
	Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur (1)
	Pr.AO, Central Agricultural University, Imphal (2)
	Pr.AO, Indian Institute of Technology, Kharagpur (2)
	Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam (2)
	Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore (2)

**( ) indicates no. of review meetings held with the concerned office*

b) SGs and SABs

i) SG:

East	North East	North	South	Central	West
• Bihar (3) • Jharkhand (2) • Odisha (2)	• Assam (2) • Arunachal Pradesh (2) • Manipur (2) • Meghalaya (2) • Mizoram (2) • Nagaland (2) • Tripura (2) • Sikkim (2)	• Himachal Pradesh (2) • Jammu and Kashmir (2) • Chandigarh (2) • Haryana (2) • Uttarakhand (2) • Punjab (2) • Ladakh (2)	• Andhra Pradesh (2) • Karnataka (2) • Kerala (2) • Puducherry (2) • Telangana (2)	• Chhattisgarh (2) • Madhya Pradesh (2) • Uttar Pradesh (2)	• Goa (2) • Gujarat (2) • Maharashtra (2) • Rajasthan (3

**( ) indicates no. of review meetings held with the concerned office*

ii) SABs

SGs	SABs of respective SGs with which meetings held
Bihar	Bihar State Power (Holding) Company Ltd. (2)
Chhattisgarh	Directorate of Public Instruction, Raipur, Chhattisgarh (2)
	Urban Administration and Development, Raipur (2)
	Directorate of Panchayat, Raipur (2)
Gujarat	Surat Municipal Corporation, Surat (1)
	Ahmedabad Municipal Corporation, Ahmedabad (2)w
Andhra Pradesh	A P Model (1)
Karnataka	Directorate of Municipal Administration (2)
Haryana	Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited, Hisar (1)
Madhya Pradesh	Directorate of Public Instruction, Madhya Pradesh (0)
	Directorate of Urban Administration & Development, Bhopal (1)
Punjab	Punjab State Power Corporation Limited, Patiala (2)

SGs	SABs of respective SGs with which meetings held
Rajasthan	Directorate of Local Bodies, Jaipur (2)
Kerala	Kerala State Road Transport Corporation, Thiruvananthapuram (2)
	Kerala State Electricity Board Limited, Thiruvananthapuram (2)
Uttar Pradesh	Finance Controller, Basic Shiksha Parishad, Allahabad (2)
	Directorate of Education Secondary, Allahabad (2)
	Directorate of Higher Education, Allahabad (2)
	Local Bodies Directorate, Lucknow (2)

3.9.2 Steps initiated for smooth implementation of NPS in Government Sector

3.9.2.1 Measures suggested to CG Ministries/ Central Autonomous Bodies/ State Govts/State Autonomous Bodies for smooth implementation of NPS

a) Nodal offices under Central Govt sector were advised during review

meetings/interactions to adhere to various provisions provided under CCS (NPS) Rules, 2021, to ensure timely completion of activities under NPS.

b) Nodal offices under CG and SG sector have been advised to follow the timelines prescribed by DoE, GoI for completion of various NPS related activities with respect to upload of SCFs and remittance of NPS contributions.

c) It was advised to Nodal offices under CG and SG to hold regular meetings cum workshops for their underlying Nodal offices in order to sensitize them on the key areas of concern and operational matters.

d) The oversight offices under CG and SG sector, viz, PrAOs/DTAs were advised to review performance of their underlying PAOs / DTOs and ensure that the NPS related activities are completed in a time bound manner.

e) State Governments were advised to consider undertaking certain policy level measures for effective implementation of NPS in the State such as

- Framing of NPS rules while specifying timelines,
- Constitution of NPS Oversight and Review Committee,
- Setting up of dedicated NPS cell for smooth handling of various NPS related matters,
- Consider enabling various provisions under NPS in line with Gazette notification dated 31.01.2019 issued by DFS, Ministry of Finance viz. enhancement of employer contribution, enabling choice of Investment pattern and Pension Fund (PF) for the employee-subscribers, provision of compensation in case of non-deposit or delayed deposit of NPS contributions,
- Inclusion of NPS related activities as a part of regular / internal audit and
- Adoption of Online PRAN generation module (OPGM) & Server to Server Integration (STS) process for timely completion of NPS activities.

3.9.2.2 Advisories and Circulars issued for smooth implementation of NPS

a) Advisory on Digital Safety Practices to be followed by Govt Nodal offices to access CRA system under NPS architecture - Advising the nodal offices towards adopting safety practices in respect of usage, non-sharing, and safe-keeping of login credentials of the CRA system.

b) Advisory on Extension of timeline for De-activation of Non- IRA PRANs due to COVID-19 Pandemic till 30.09.2021 - Advising the nodal offices towards collection of physical Common Subscriber Registration Forms (CSRF) from all such employee.

3.9.2.3 Leveraging of technological initiatives Server to Server (STS) Integration and OPGM (Online PRAN Generation Module)

a) PFRDA through various forums

sensitizes the Nodal offices to adopt and implement OPGM and STS Integration so as to curtail the delays shall decrease the delays in PRAN generation and remittance of NPS contributions.

i. OPGM- To ensure timely registration of subscriber's under NPS, the Govt Nodal offices under CG/SG sector were advised to adopt OPGM (Online PRAN Generation Module) to eliminate delay in PRAN generation as well as rejection of subscriber registration forms.

ii. STS- To adopt STS (Server to Server) integration of the nodal offices' financial software package with CRA system.

b) The cumulative status of adoption of OPGM and STS by CG/SG Nodal offices is as under: -

i. As on 31.03.2022, total 13 SGs have adopted STS and the list of SGs is as under:

Table No. 3.25: The Status of adoption of STS/OPGM by State Government. Nodal offices:

Particulars	State Government
State Governments Adopted STS as on 31-03-2022	Assam
	Bihar
	Chhattisgarh
	Jharkhand
	Haryana
	Karnataka
	Maharashtra
	Odisha
	Punjab
	Rajasthan
	Tripura
	Uttar Pradesh
	Uttarakhand

i. on 31.03.2022, total 51 SABs have adopted STS and the list of SABs is as under:

Table No. 3.26: The Status adoption of STS by SABs:

SG	No. of SAB Nodal Offices Adopted STS
Maharashtra	50
Uttarakhand	1
Total	**51**

i. As on 31.03.2022, total 31 SGs/UTs have adopted OPGM, and the list of State Govt. is as under:

Table No. 3.27: The Status of adoption of OPGM by SGs:

Particulars	State Government		
State Governments Adopted OPGM as on 31-03-2022	Arunachal Pradesh	Madhya Pradesh	Tamil Nadu (Only for AIS)
	Assam	Maharashtra	Tripura
	Bihar	Manipur	Uttar Pradesh
	UT Chandigarh	Meghalaya	West Bengal (Only for AIS)
	Goa	Mizoram	Chhattisgarh
	Gujarat	Nagaland	Uttarakhand
	Haryana	Orissa	Jharkhand

Particulars	State Government		
	Himachal Pradesh	Puducherry	Telangana
	Jammu & Kashmir	Punjab	Ladakh
	Karnataka	Rajasthan	
	Kerala	Sikkim	

As on 31.03.2022, total 835 SABs have adopted OPGM, and the list of SAB Nodal offices is as under:

Table No. 3.28: The Status of adoption of OPGM by SABs:

Name of the State Government	No. of SABs/ SAB Nodal offices adopted OPGM
Andhra Pradesh	10
Assam	13
Bihar	3
Chandigarh	0
Chhattisgarh	17
Goa	2
Gujarat	4
Haryana	78
Himachal Pradesh	205
Jammu & Kashmir	25
Jharkhand	1
Karnataka	77
Kerala	11
Madhya Pradesh	13
Maharashtra	90
Manipur	3
Meghalaya	3
Mizoram	2
Odisha	10
Puducherry	0
Punjab	89
Rajasthan	74
Telangana	10
Uttar Pradesh	72
Uttarakhand	23
Total	**835**

The Status of adoption of OPGM by CG and CAB Nodal offices is placed as under:

Table No. 3.29: The Status of adoption STS/OPGM by Central Government Nodal offices:

Accounting Formation	No. of Nodal Offices Adopted OPGM
Civil	237
Defence	7
Post	24
Railways	68
CABs	180
Total	**537**

3.9.2.4 NPS in Non Govt Sector

The enrollments in NPS Private Sector for FY 2021-22 were undertaken by 86 Point of Presence (as on 31st March, 2022) comprising of 12 Public Sector Banks, 19 Private Banks, 55 Non-Bank Entities – Stock Broking firms/AMCs/Fintech Companies/ Pension Funds, who primarily facilitates subscriber registration, KYC verification and servicing of financial and non-financial requests received from subscribers. During the financial year, 5 PoPs were activated /operationalized to enhance NPS distribution to the public at large. Strategy review meetings were also conducted to understand the business plans / strategies and monitor their performances in line with the strategies adopted by them. To motivate and recognize the efforts of the PoPs' staff, Award/recognition programme were rolled out for which monitoring were done

on periodic basis and the qualified PoPs were felicitated with mementos/awards/ certificates.

Despite the prevalence of ongoing COVID-19 pandemic, enrolments in NPS remained unaffected through PoPs and new subscriber enrolments in FY 2021-22 reached 9,76,285 under NPS Private Sector (All Citizen and Corporate), registering a growth of 65% vis-à-vis 5,92,999 enrolments in the previous year. In the corporate sector, a total of 1,806 corporates/entities have adopted NPS with enrollment of 1,02,275 new employees. The total number of corporates adopting NPS has reached 10,370 by 31st March 2022. Special emphasis was laid down to on-board Central Public Sector Enterprises (CPSEs) in NPS and in FY 2021-22, 9 CPSEs have adopted NPS for their employees thereby taking the tally of CPSEs under NPS to 60.

Table 3.30 : Outstanding PRANs

Sector	Outstanding PRANs (in Lakh)*				Y-o-Y growth	
	FY 2018- 19	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	Number	%
All Citizen	9.30	12.52	16.47	22.92	6.45	39
Corporate	8.03	9.74	11.25	14.05	2.80	25
Total	**17.33**	**22.26**	**27.72**	**36.97**	**9.25**	**34**

It is the balancing figure which indicates the number of outstanding PRANs for reasons such as moving from govt to corporate, vice-versa, etc

Chart 3.1: Outstanding PRANs

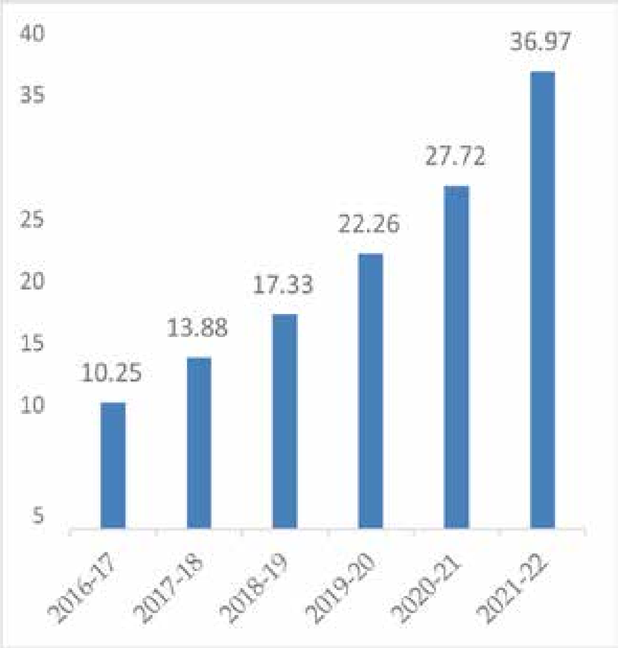

Table 3.31 : Additions in Non Govt Sector

Sector	Additions				Y-o-Y growth	
	FY 2018- 19	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	Number	%
All Citizen	2,86,907	3,94,108	4,78,196	8,72,265	3,94,069	82
Corporate	90,773	1,46,326	1,14,803	1,04,020	-	-
Total	**3,77,680**	**5,40,434**	**5,92,999**	**9,76,285**	**3,83,286**	**65**
Corporate Registration	1,395	1,617	1,100	1,806	706	64

Chart 3.2 : Additions in Non Govt Sector

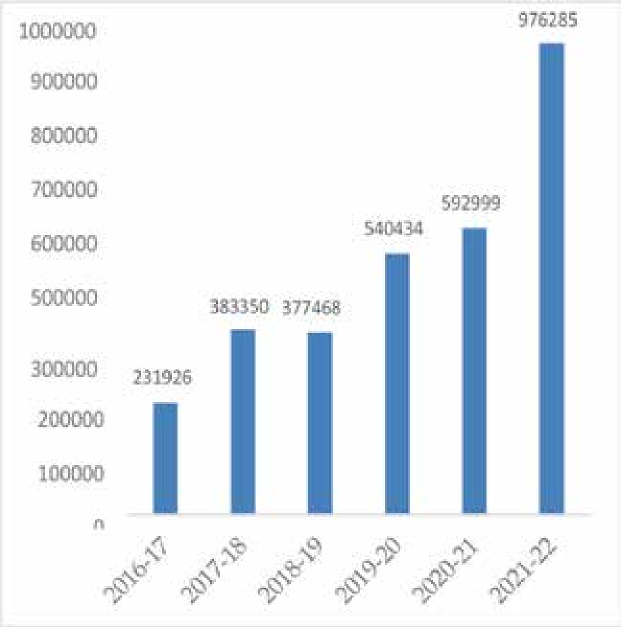

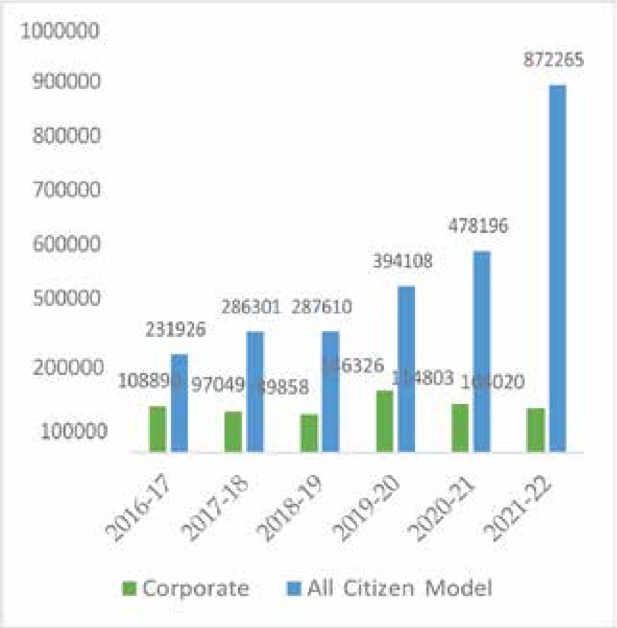

Tier-II accounts under NPS as on 31st March, 2022 stood at 5,08,019 vis-à-vis 3,65,751 as on 31st March, 2021 registering a growth of 39 percent. The AUM under NPS Tier-II has also increased from Rs. 2,169 crores to Rs. 3,401 crores during the aforesaid period.

Table 3.32: Tier II Subscribers and AUM

Particular	CG	SG	Corporate	All Citizen	Total
No. of accounts	33043	35682	98971	340323	508019
AUM (in Rs. crore)	170	67	782	2380	3401

NPS Tier-II Tax Saver which is available only to central government employees has 2842 activations with an AUM of 6.75 crore.

An analysis of the profile of subscribers registered in FY 2021-22 i.e. total 9,76,285 enrolled under NPS Private Sector (All Citizen and Corporate), is depicted hereunder

Chart 3.3: Gender Wise Distribution of NPS Non Govt

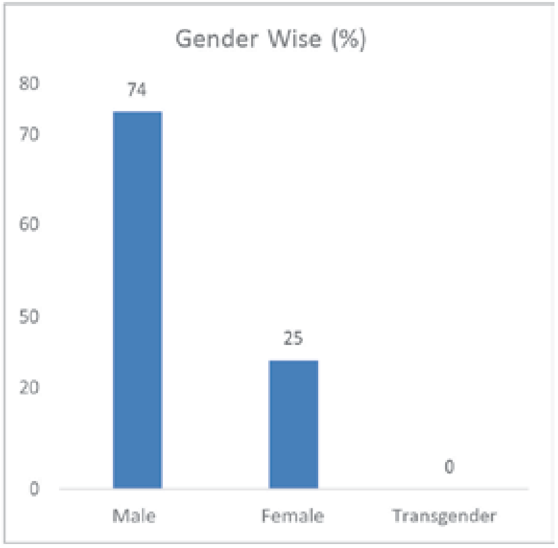

(i) Male subscribers represent three- fourths of the total subscribers.

(ii) Female subscribers accounted for one-fourth of the total subscribers.

Chart 3.4: Age Wise Distribution of NPS Non Govt

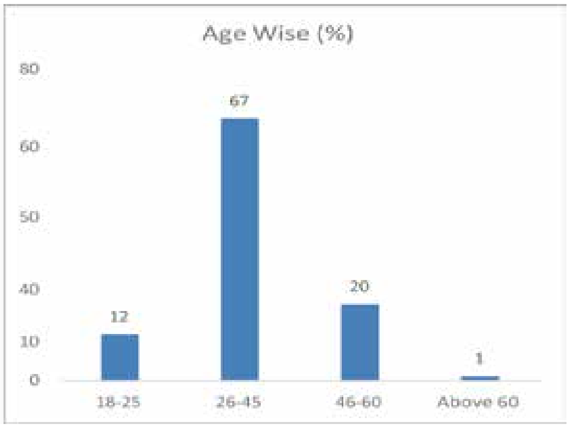

(i) 67% of the total subscribers fall under 26-45 years age bracket and 12% under 18-25 years age bracket showing that NPS mostly subscribed by the younger population.

(ii) Around 20% of the total subscribers represented 46-60 years age bracket and only 1% falls under above 60 age group.

Chart 3.5: Occupation Wise Distribution of NPS Non Govt

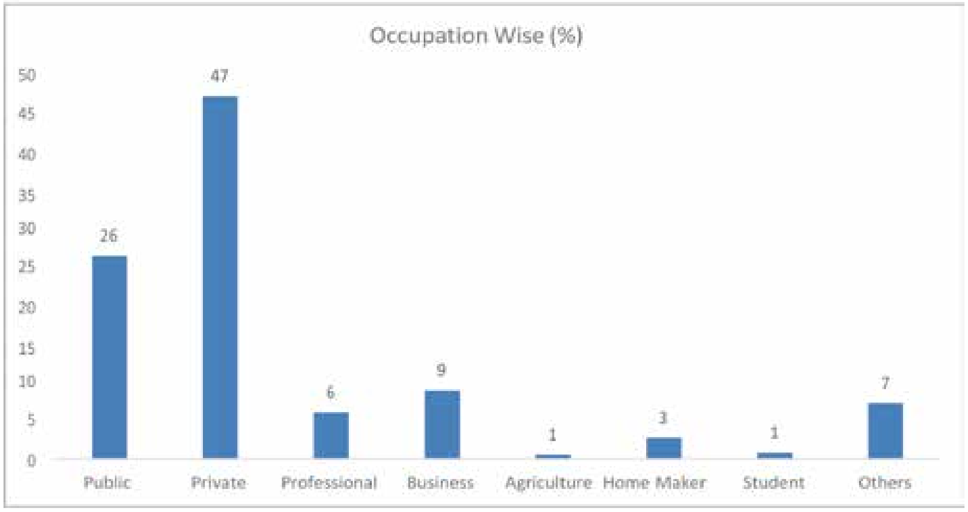

(i) Almost 50% of the subscribers employed in the private sector have NPS as one of their retirement benefit plans.

(ii) Subscribers employed in the public sector accounted for over one-fourth of the total subscribers whereas professionals and business owners stand at 6% and 9% each.

(iii) Subscribers who are students or employed in agriculture sector represents 1% of the total subscribers whereas homemakers constitute 3%.

Chart 3.6: Income Wise Distribution of NPS Non Govt

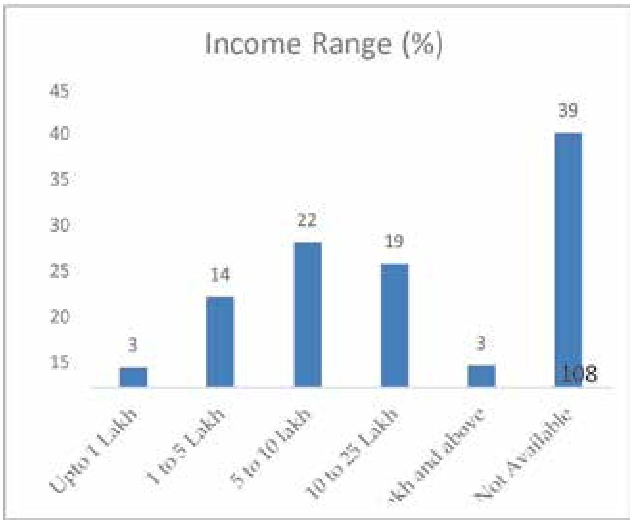

(i) More than one-fifth of the total subscribers fall under Rs. 5 lac – 10 lac income range.

(ii) Almost one-fifth of the total subscribers having income range of upto Rs. 5 lacs whereas two-fifth of the subscribers have not provided any data.

Chart 3.7 : Top 10 State Wise Distribution of NPS Non Govt

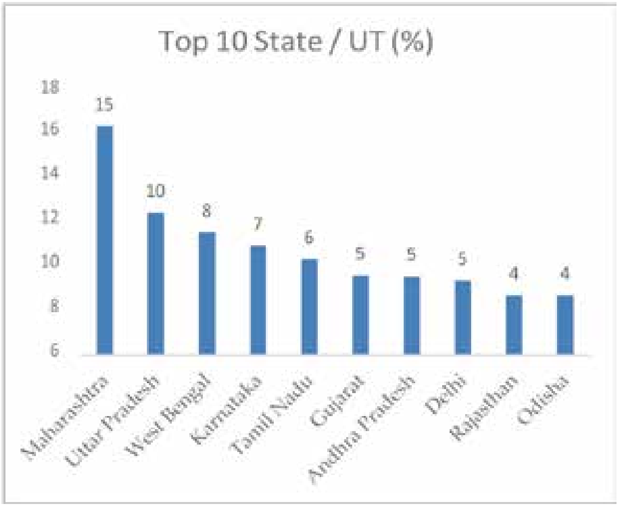

(i) Maharashtra and Uttar Pradesh constitute one-fourth of the total subscribers.

(ii) West Bengal, Karnataka and Tamil Nadu constitute one- fifth of the total subscribers.

(iii) Gujarat, Andhra Pradesh, Delhi, Rajasthan and Odisha represent 5%-4% subscribers

3.9.3 Conferences under Corporate Sector

To create awareness about pensions and promote NPS in the non-government segment, tie-ups with various trade bodies (FICCI, CII, PHDCCI, ASSOCHAM, ICC) were done to disseminate information to their members through workshops/ seminars organized across the country. During the financial year, 19 such webinars

were organized in which more than 5000 delegates from 800 corporates participated. Numerous engagements or web sessions were also held in association with PoPs / Institutions etc. to propagate NPS to the Employers/Employees directly which resulted in 1,806 new corporates enrolments and 1,02,275 employees subscribing to NPS during the year. Moreover, 09 new CPSEs adopted NPS for their employees as special emphasis was put forth to onboard these entities during the financial year. The webinars organized in association with the trade bodies were as under:

Table No. 3.33: Corporate Sector Conferences held during FY 2021-22

Date	Place	In association with
03rd June 2021	Kolkata	MCCI
26th June 2021	Ludhiana	CII
28th July 2021	Bengaluru	CII
29th July 2021	Delhi	PHDCCI
30th July 2021	Chennai	CII
20th Aug 2021	Kolkata	ICC
24th Aug 2021	Pune	CII
31st Aug 2021	Mumbai	CII
14th Sep 2021	Gurugram	PHDCCI
29th Sep 2021	Dehradun	CII
30th Sep 2021	Jaipur	CII
26th Oct2021	Kochi	CII
27th Oct 2021	Coimbatore	CII
12th Nov 2021	Indore	PHDCCI
28th Dec 2021	Delhi	ASSOCHAM
27th Jan 2022	Hyderabad	FICCI
08th Feb 2022	Guwahati	FICCI
18th Feb 2022	Bengaluru	FICCI
15th Mar 2022	Chandigarh	PHDCCI

3.9.4 Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana (APY), a pension scheme for citizens of India, is focused on the unorganised sector workers in the age group of 18-40 years. Under the APY, minimum guaranteed pension of Rs. 1,000/- or 2,000/- or 3,000/- or 4,000 or 5,000/- per month will start once subscriber attains the age of 60 years, depending on the pension amount opted and contributions made by him.

The scheme was launched on 09.05.2015 and operationalized on 01.06.2015. As on 31.03.2022, enrolments under APY Scheme has crossed 4.01 crore and the number is strongly growing day by day. Out of 4.01 crore, more than 99 lakh APY Accounts were enrolled during FY 2021-22. The scheme had seen this tremendous success due to the active participation of APY Service Providers across all categories i.e. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks, Payment Bank, Cooperative Banks (Rural & Urban) & Department of Post.

Details with respect to the year-on-year performance in terms of subscriber registration and its analysis is depicted in the tables below:

Table 3.34: - APY-SPs category-wise details of subscribers enrolled under APY

A. The Banks wise details of Number of Enrollment under APY

Category of Banks	As on date (*March 31, 2016)	As on date (March 31, 2017)	As on date (March 31, 2018)	As on date (March 31, 2019)	As on date (March 31, 2020)	As on date (March 31, 2021)	Additions During FY 2021-22	As on date (March 31, 2022)
Public Sector Banks	16,93,190	30,47,273	65,53,397	1,07,19,758	1,56,75,442	2,12,52,435	70,09,008	2,82,61,443
Private Banks	2,18,086	4,97,323	8,73,901	11,45,289	15,62,997	19,86,467	5,21,900	25,08,367
Small Finance Bank	-	-	-	9,190	15,760	35,114	51,149	86,263
Payment Bank	-	-	-	48,182	3,44,001	8,18,800	4,69,227	12,88,027
Regional Rural Banks	4,76,373	11,15,257	19,87,176	31,71,152	43,30,190	57,10,770	18,17,260	75,28,030
District Co-op Banks	21,222	29,791	33,880	38,863	48,581	54,628	8,807	63,435
State Co-op Banks	354	680	805	1,053	4,620	5,350	511	5,861
Urban Co-op Banks	327	3,507	10,936	14,469	17,355	20,095	3,420	23,515
DOP	75,343	1,89,998	2,45,366	2,70,329	3,02,712	3,32,141	30,197	3,62,338
Total	**24,84,895**	**48,83,829**	**97,05,461**	**1,54,18,285**	**2,23,01,658**	**3,02,15,800**	**99,11,479**	**4,01,27,279**

Chart 3.8: Year on year enrolment under APY (2016-2022)

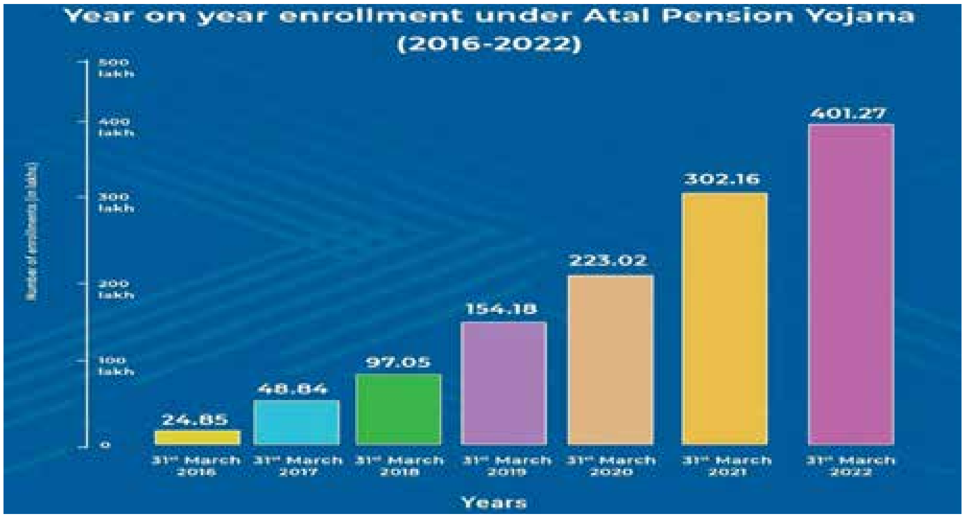

Pace of enrolments has been very encouraging despite COVID-19 related challenges. Since the launch of the scheme, first time in the month of August 2021, more than 10 lakh subscribers were enrolled in a month with 3.5 lakh new enrolments

in a week and 1 lakh new accounts were sourced on a single day.

APY enrolment growth has been observed across the country. Among the State-wise distribution, Uttar Pradesh was at the top among all States and UTs, in terms of cumulative APY enrollments.

Table 3.35: Top 15 states having higher enrollments under APY as on 31st March 2022

Sr. No	State Name	Number of enrolments under APY
1	Uttar Pradesh	6,072,347
2	Bihar	3,997,372
3	Maharashtra	3,097,671
4	West Bengal	3,070,457
5	Tamil Nadu	2,929,240
6	Andhra Pradesh	2,299,498
7	Karnataka	2,294,858
8	Madhya Pradesh	2,294,421
9	Rajasthan	2,105,600
10	Gujarat	1,607,503
11	Orissa	1,504,968
12	Jharkhand	1,135,106
13	Punjab	1,118,351
14	Telangana	1,000,678
15	Assam	886,076

Map : State wise enrolment of APY as on 31st March 2022

Table 3.36: Month on Month APY Enrolment during FY 2021-22 (in lakh) and the same is also depicted using graph.

April'21	May'21	June'21	July'21	Aug'21	Sept.'21	Oct.'21	Nov.'21	Dec.'21	Jan.'22	Feb.'22	Mar.'22	Total
2.26	1.95	6.98	7.69	11.03	9.91	7.43	7.65	9.98	9.06	11.64	13.55	99.11

Chart 3.9: Month on Month APY Enrolment during FY 2021-22

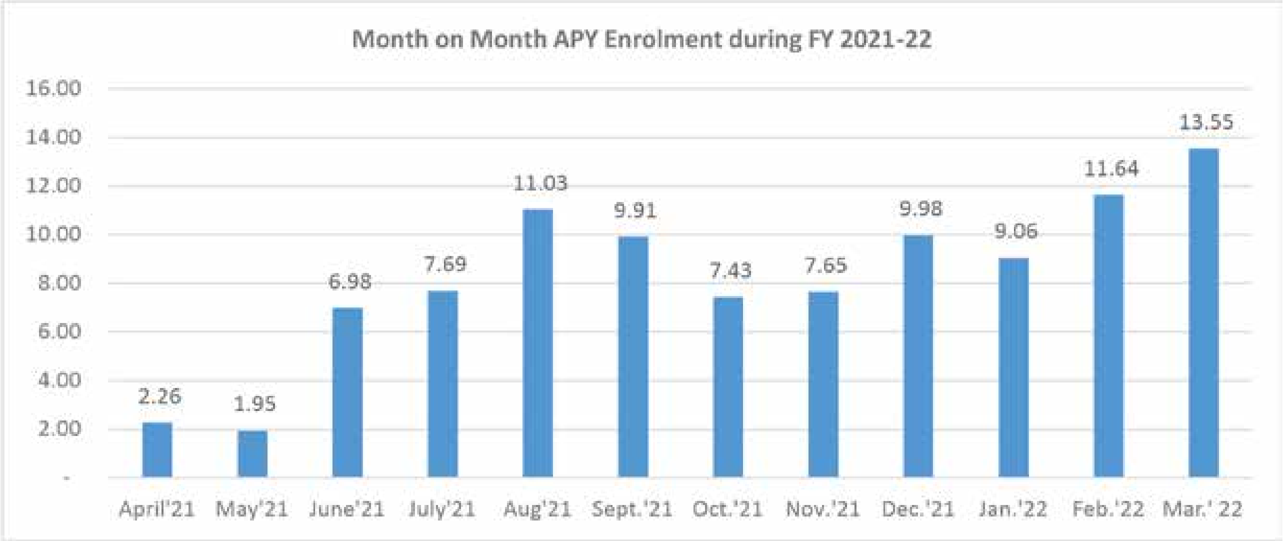

2. Performance:

During the FY 2021-22, 8 Public Sector Banks (State Bank of India, Indian Bank, Bank of India, Bank of Baroda, Central Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank and Indian Overseas Bank) have achieved annual target of 70 Average Account Per Branch (AAPB). 31 RRBs Aryavart Bank, Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Assam Gramin Vikash Bank, Baroda Gujarat Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Baroda U.P. Bank, Chaitanya Godavari Grameena Bank, Dakshin Bihar Gramin Bank, Himachal Pradesh Gramin Bank, Jharkhand Rajya Gramin Bank, Karnataka Gramin Bank, Karnataka Vikas Grameena Bank, Madhyanchal Gramin Bank, Maharashtra Gramin Bank, Manipur Rural Bank, Madhya Pradesh Gramin Bank, Odisha Gramya Bank, Paschim Banga Gramin Bank, Prathama UP Gramin Bank, Puduvai Bharthiar Grama Bank, Punjab Gramin Bank, Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Sarva Haryana Gramin Bank, Saurashtra Gramin Bank, Telangana Grameena Bank, Tripura Gramin Bank, Uttar Bihar Gramin Bank, Uttarakhand Gramin Bank, Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank achieved annual target of 70 AAPB.

Among Private Banks, Tamilnad Mercantile Bank achieved annual target of 30 AAPB.

Among payments bank, Airtel Payments Bank achieved the annual enrolment target for FY 2021-22.

Among Small Finance Bank, AU Small Finance Bank Limited achieved annual target of 50 AAPB.

6 Cooperative Banks ***(Shri Mahila Sewa Sahakari Bank Ltd, The Kalupur Commercial Cooperative Bank Ltd, The Sabarkantha District Central Cooperative***

Bank Ltd and Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd., South Canara District Central Co-Operative Bank and The Surat District Co-Operative Bank) also achieved annual target of 20 AAPB.

3.10 Performance of Pension Fund

Reference Table no 3.37, funds under NPS scheme have shown an overall growth of 27.43% Y-o-Y. The scheme wise growth details are as below.

Table 3.37: Asset Under Management (AUM) Break up in NPS- Growth Scheme Wise Position as on March 31, 2022

Amt. Rs. In Crore

Schemes	Mar-20	Mar-21	Mar-22	Growth in AUM			
				YoY Mar 21 over Mar 20		YoY Mar 22 over Mar 21	
				Amount	%	Amount	%
Equity Tier I	7932.06	18979.51	30303.86	11047.45	139.28	11324.35	59.67
Equity Tier II	352.55	850.99	1424.51	498.44	141.38	573.52	67.39
Equity Total	8284.61	19830.50	31728.37	11545.89	139.37	11897.87	60.00
% Share in Total AUM of Tier I&II	31.18	41.59	41.20				
Bonds (C)Tier I	6495.77	9686.51	15509.97	3190.74	49.12	5823.46	60.12
Bonds (C)Tier II	297.26	482.72	762.55	185.46	62.39	279.83	57.97
Bonds (C) Total	6793.03	10169.23	16272.52	3376.20	49.70	6103.29	60.02
% Share in Total AUM of Tier I&II	25.57	21.33	21.13				
G Sec (G) Tier I	10992.81	16766.30	27630.39	5773.49	52.52	10864.09	64.80
G Sec (G) Tier II	457.16	835.48	1214.08	378.32	82.75	378.60	45.32
G Sec (G) Total	11,449.97	17,601.78	28844.47	6151.81	53.73	11242.69	63.87
% Share in Total AUM of Tier I&II	43.10	36.92	37.46				
Scheme A Tier I	39.60	74.76	162.65	35.16	88.79	87.89	117.57
Scheme A Tier II	-	-	-	-	-	-	-
Scheme A Total	39.60	74.76	162.65	35.16	88.79	87.89	117.57
% Share in Total AUM of Tier I&II	0.15	0.16	0.21				
Sub Total Tier I	25460.24	45507.08	73606.87	20046.84	78.74	28099.79	61.75
Sub Total Tier II	1106.97	2169.19	3401.13	1062.22	95.96	1231.94	56.79
Tier I + Tier II	26567.21	47676.27	77008.01	21109.06	79.46	29331.74	61.52
NPS Lite	3728.40	4354.38	4686.74	625.98	16.79	332.36	7.63
APY	10526.26	15687.11	20922.60	5160.85	49.03	5235.49	33.37
Corporate CG	27143.03	36929.68	47343.05	9786.65	36.06	10413.37	28.20
Sub Total (Pvt Sector)	67964.87	104647.44	149960.40	36682.57	53.97	45312.96	43.30
% Share in Total AUM	16.28	18.10	20.36				

Schemes	Mar-20	Mar-21	Mar-22	Growth in AUM			
				YoY Mar 21 over Mar 20		YoY Mar 22 over Mar 21	
				Amount	%	Amount	%
Central Govt	138014.67	181416.26	216883.09	43401.59	31.45	35466.83	19.55
% Share in Total AUM	33.06	31.39	29.44				
State Govt	211499.55	291959.92	369743.33	80460.37	38.04	77783.41	26.64
% Share in Total AUM	50.66	50.51	50.20				
Sub Total (Govt.)	349514.22	473376.18	586626.42	123861.96	35.44	113250.24	23.92
% Share in Total AUM	83.72	81.90	79.64				
Scheme TTS	-	2.12	6.74				
% Share in Total AUM	-	-	-				
Grand Total	**417479.13**	**578025.74**	**736593.57**	**160546.61**	**38.46**	**158567.83**	**27.43**
Source: NPS Trust website reports.							

Table 3.38: The position of the AUM with the Pension Fund Managers

Amt. Rs. In Crore

S. No.	Pension Fund	Mar-21	Mar-22	Growth in AUM	
				Amount	%
1	SBI Pension Funds Private Limited	2,22,615.19	2,82,475.65	59,860.46	26.89
2	UTI Retirement Solutions Limited	1,66,209.21	2,01,918.51	35,709.30	21.48
3	LIC Pension Fund Limited	1,63,389.54	2,09,386.28	45,996.74	28.15
4	ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited	7,558.64	11,614.32	4,055.68	53.66
5	Kotak Mahindra Pension Fund Limited	1,572.14	2,229.93	657.79	41.84
6	HDFC Pension Management Company Limited	16,383.98	28,413.86	12,029.88	73.42
7	Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited	297.03	555.01	257.98	86.85
	Total	**5,78,025.74**	**736,593.56**	**158,567.83**	**27.43**
Source: NPS Trust					

Table 3.39 Scheme wise Pension fund wise returns as on March 31,2022

Since inception (in percent)

Scheme		SBI	LIC	UTI	KOTAK	HDFC	ICICI	BIRLA
CG		9.87	9.66	9.63				
SG		9.56	9.64	9.59				
APY		9.18	9.48	9.44				
NPS Lite		10.05	10.12	10.05	9.91			
Corporate-CG		9.66	9.75					
TIER I	E	10.86	13.02	12.27	11.79	15.30	12.48	13.28
	C	10.18	9.78	9.15	9.79	10.02	10.14	9.25
	G	9.39	10.42	8.41	8.70	9.49	8.72	8.13
	A	9.84	7.79	6.57	7.44	8.91	7.58	6.81
TIER II	E	10.68	10.79	11.06	11.22	13.35	10.98	13.22
	C	9.70	9.21	9.20	9.08	9.19	9.97	8.45
	G	9.39	10.68	9.06	8.44	9.67	8.81	7.30
TIER II TTS		3.09	5.68	3.37	7.23	3.92	5.46	6.63

Source: NPS Trust Annual report. The date of inception is different for different schemes.

Returns above 1 year periods are annualized

Inception dates: LIC, SBI & UTI April 01,2008 for CG scheme & June 25, 2009 for SG Scheme

Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI May 18, 2009, Kotak May 5,2009, LIC July 03, 2013, SBI May 15, 2009 and UTI May 21, 2009 for (E-I)

Inception date : LIC October 04, 2010; Kotak Jan 30, 2012; SBI September 16 2010; UTI October, 04, 2010 (NPS Lite)

UTI Scheme Corporate CG ended in the financial year 2013-14 (corporate CG)

Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI Dec 21, 2009, Kotak Dec 14,2009, LIC August 12, 2013, SBI Dec 14, 2009 and UTI Dec 14, 2009 for (E-II)

Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May,9 2017 , ICICI May 18, 2009, Kotak May 15, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI May, 21 2009 (C-I)

Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013); Birla May, 9, 2017, ICICI December 21,2009, Kotak December 14, 2009, SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 C-II

Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017, ICICI May 18,2009, Kotak May 15, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI 21 May, 2009 (G-I)

Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May,9, 2017 ICICI December 30, 2009; Kotak December 14, 2009; SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 (G-II);

Inception dates: LIC October 13, 2016; HDFC October 10, 2016; Birla May 15, 2017 ICICI November 21, 2016; Kotak October 14, 2016; SBI October 13, 2016 and UTI October 14, 2016 (Scheme A-I)

3.11 Regulated Assets

“Regulated Assets” means and includes tangible and intangible assets created exclusively for the purpose of operations of CRA comprising bespoke software with all the components required for running the application, any third party software and component off the shelf specific to the CRA application system, all relevant CRA project data, dedicated specific hardware/ software components of Data Centre

and Disaster Recovery Centre, networks and all other facilities excluding physical infrastructure (building, air conditioners, power supply infrastructure, furniture).

On the expiry of the tenure of the registration or in the event of termination of the CRA, information and regulated assets held by CRA shall be transferred to another CRA registered with the Authority, within the time period and in the manner, as may be required under the PFRDA Act, rules or regulations or as may be directed by the Authority.

3.12 Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year.

Fees and charges are levied on the subscribers of the NPS at various stages by the intermediaries serving to the subscribers. At the entry to the NPS system, the intermediaries responsible for registration of the subscribers in NPS i.e., PoPs, charge fees which are collected upfront from the subscribers. The charge for registration of Atal Pension Yojana (APY) is borne by the government. In the next stage, CRA, the recordkeeping agency, levies fee for opening account and generation of PRAN, maintenance of account by cancellation of units. Thereafter, for each transaction involving contribution of the subscribers there is charge by both CRA and POP. Investment management fee is charged by the Pension Funds for managing the investment portfolio of the subscribers. The custodian of the securities charges for the assets under its custody and reimbursement of NPS Trust expenses are charged from the subscribers.

Table 3.40: Fees and charges to the subscribers at various stages

Intermediary	Charge head	Service Charges*				
			Private / Govt.			Lite/APY (in Rs.)
CRA	PRA Opening charges		CRA charges for account opening if the subscriber opts for Physical PRAN card if the subscriber opts for Physical PRAN card (in Rs.)	CRA charges for account opening if the subscriber opts for e-PRAN card (in Rs.) Welcome kit sent in physical (in Rs.)	Welcome kit sent vide email only (in Rs.)	NCRA: 15 KCRA: 15 CAMS: 15
		NCRA	40	35	18	
		KCRA	39.36	39.36	4	
		CAMS	40	40	40	
		Note: The reduction in charges will be on the current charge structure and excludes applicable taxes. *Charges will be applicable post release of the functionalities by CRAs to capture the choice of NPS subscribers to have physical or ePRAN card.*				

	Annual PRA Maintenance cost per account	NCRA: Rs. 69 KCRA: Rs. 57.63 CAMS: Rs. 65		NCRA: 20.00 KCRA: 14.40 CAMS: 16.25
	Charge per transaction	NCRA: Rs. 3.75 KCRA: Rs. 3.36 CAMS: Rs. 3.50		Free
POP	-	Private	Govt.	-
	Initial subscriber registration and contribution upload	Rs. 200	NA	NA
	Any subsequent transactions	0.5% of contribution Min. Rs. 20 Max. Rs. 25000	NA	NA
	Persistency > 6 months & Rs. 1000 contribution	Rs. 50 per annum	NA	NA
	Persistency > 6 months & Rs. 1000 contribution	Rs. 50 per annum	NA	NA
	Contribution through eNPS	0.10% of contributionMin Rs. 10, Max Rs. 10000 (Only for NPS-All Citizen and Tier-II Accounts)	NA	NA
Trustee Bank	-	NIL		
Custodian	Asset Servicing charges	0.0032% p.a. for Electronic and Physical Segment		
PF charges	Investment Management Fee	0.01 % of AUM p.a. (For private sector)	0.0102% % of AUM p.a. (For govt sector)	
NPS Trust	Reimbursement of Expenses	0.005% of AUM p.a.		

** In case of Government employees, CRA charges are being paid by the respective Governments.*
 # Erst-while Karvy Computershare Pvt. Ltd (K Fintech Pvt. Ltd) has started operation w.e,f. February 15, 2017

The Fees received by PFRDA from the various intermediaries during the financial year 2021-22 is provided in the table below:

Table 3.41: Fees received during the Financial Year 2021-22:

S.No.	Intermediary	Fee receipt* (Rs. in Lakh)
1	Trustee Bank- Axis Bank	2,316.83
2	Pension Fund	9,607.57

S.No.	Intermediary	Fee receipt* (Rs. in Lakh)
3	CRA- NSDL- E Governance Infrastructure Ltd	1,011.57
4	Custodian - SHCIL	249.71
5	CRA- CAMS	0.01
6	Retirement Advisor / POP/Aggregator/ASP/ EMD/RFP Processing Fee	154.92
7	CRA- Karvy Computershare Pvt Ltd	18.33
	Total	13,358.94
*Fee received from various intermediaries are accounted on realization basis.		

3.13 Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted, and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organizations and connected with pension funds.

3.13.1 Inquiries and investigation

PFRDA and NPS trust review the reports submitted by CRA, Trustee Bank and their auditors to ensure that the intermediary is following the turnaround time as defined in service level agreements.

3.13.2 Inspection and Audits

PFRDA regulates and supervises the PoPs through offsite and onsite monitoring mechanism as under:

(a) Offsite monitoring:

(i). The offsite monitoring and supervision include review of the following reports submitted to the PFRDA: -

a). Monthly MISs, quarterly exception reports on the delays in SCF uploads and remittance of contributions and other subsequent services.

b). Quarterly/half yearly compliance certificates;

c). Account balance certificate on un-reconciled balances in NPS collection accounts;

d). Half yearly/yearly internal audit reports;

e). Cyber security certificate;

f). Pending grievances;

g) Utilisation Certificate under APY for credit of Government Co-contributions to subscribers saving bank account.

(ii) The defaulting PoPs are advised to adhere to the specified operational Turn Around Times and to pay compensation for delays observed if any.

(iii) If deemed fit, the matter can be referred to Adjudication department for initiating Adjudication proceedings.

(b) Onsite monitoring:

(i) PFRDA conducts Onsite inspections of the POPs to monitor the compliance of the PoPs and their adherence to the operational TATs as specified in the operations guidelines under the regulations. The inspection

parameters cover all the services offered by the PoPs under NPS, right from the enrolment process to final exit. The PoPs are required to comply to various Acts and Rules viz. the customer due diligence process including compliance of KYC as per PMLA Act and Rules. Other pertinent issues include escalated grievances pending for resolution, reporting of operational delays, payment of compensation if any, balances in collection accounts etc.

(ii) During FY 2021-22, onsite inspection of 7 PoPs have been conducted for activities under NPS and APY owing to Covid -19 pandemic. Further, regular VCs were conducted with PoPs for compliance of pending deviations observed during inspections conducted by PFRDA for previous years and unreconciled /outstanding contributions in collection account under NPS, NPS-Lite, and APY etc. reported in the compliance reports.

(iii). The audit reports pertaining to FY 2019-20 of 70 PoPs conducted by NPS Trust empanelled auditors were examined along with the status of pending deviations for previous audit periods. Deviations observed during the audit and the pending deviations for previous years were shared and followed up with the PoPs under NPS and NPS-lite for the compliance.

3. Issuance of advisories/directions/ notices under Regulation 14(2)(o) of PFRDA Act,2013 to PoPs under NPS, NPS-Lite, APY and RAs

The Authority issues advisories / directions / notices to POPs to ensure the compliance and smooth functioning of activities under NPS.

4. Submission of preliminary report:

In the event of any alleged violations having been detected, which prima facie discloses any act of omission or commission covered under Section 28 of the Act, a formal preliminary report is submitted to Member in Charge (Investigation and Surveillance) in accordance with PFRDA (Procedure for inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

5. Policy Matters

Based on the requirement and suggestions received from various stakeholders for improvement in process and procedures, PFRDA examines and recommends the improvements for the benefit of subscribers and stakeholders.

For all other intermediaries under NPS, mechanism exists for offsite/onsite inspections.

3.14 Others

3.14.1 Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act

i) Number of Subscribers under NPS over the Years

Enrolment of subscribers in NPS increased from 424.40 lakh in March 2021 to 520.2 lakh in March 2022. The growth of number of subscribers during 2021-22 is 22.57 per cent. A year-wise number of NPS subscribers is provided in below chart.

Table 3.42: Sector wise number of Subscribers under NPS/APY:

Sectors	March 2021 (No. in lakh)	March 2022 (No. in lakh)	Growth over year Absolute increase (No. in lakh)	Per cent
Central Government	21.76	22.83	1.08	4.96
% To total	5.13	4.39		
State Government	51.41	55.77	4.36	8.48
% To total	12.11	10.72		
Corporate	11.25	14.05	2.80	24.89
% To total	2.65	2.70		
All Citizen/UoS	16.47	22.92	6.45	39.16
% To total	3.88	4.40		
NPS Lite*	43.02	41.87	-	-
% To total	10.14	8.05		
APY	280.49	362.77	82.28	29.33
% To total	66.09	69.74		
Total	**424.40**	**520.22**	**95.82**	**22.58**

**(No fresh registration permitted after 01st April 2015)*

Chart 3.10: Year wise number of subscribers under NPS & APY

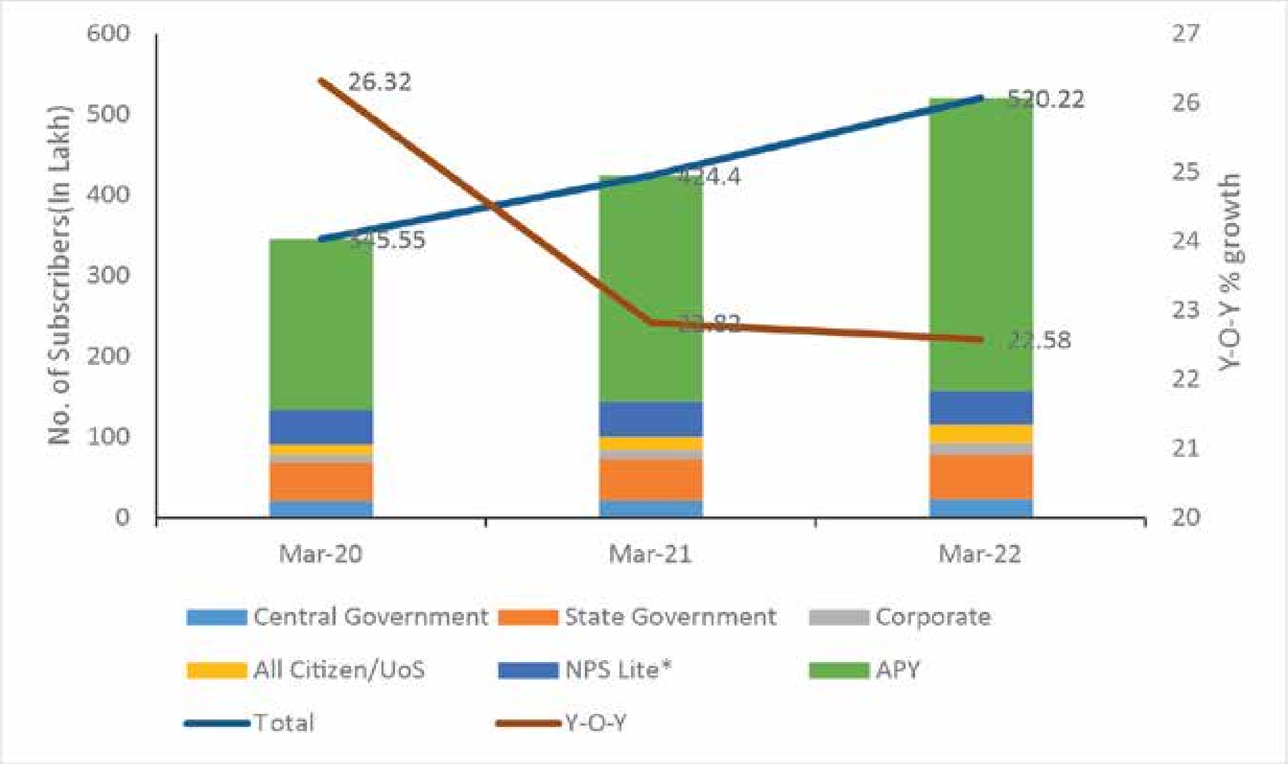

ii) No. of subscribers – Sector wise

Government Sector

Table 3.43: No. of Subscribers, Contribution & AUM of Government Sector as on March 31, 2022

Sector	No. of subscribers	Contributions (Rs. crore)	AUM (Rs. crore)
Central Government	22,83,671	1,50,491	218577
State Government	55,76,986	2,74,949	369427
Total	**78,60,657**	**4,25,440**	**588004**

Government subscribers have increased from 73.16 lakh as end of March 2021 to 78.61 lakh subscribers as end of March 2022, registering an increase of 5.44 lakh (7.44 per cent).

Private Sector

Table 3.44: No. of Subscribers, Contribution & AUM of Private Sector as on March 31, 2022

Sector	No. of subscribers	Contributions (Rs. crore)	AUM (Rs. crore)
Corporate Sector	14,04,569	66,089	90,634
All Citizen/UoS *	22,92,014	33,348	32,346
Total	**36,96,583**	**99,437**	**1,22,980**

Under Private sector, number of corporate subscribers has increased from 11.25 lakh to 14.05 lakh, an increase of 2.80 lakh subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen have increased from 16.47 lakh as end of March 2021 to 22.92 lakh as end of March 2022, an increase of 6.45 lakh subscribers.

Unorganised Sector

Table 3.45: No. of Subscribers, Contribution & AUM of NPS Lite and APY as on March 31, 2022

Particulars	Subscribers (In No.)	Contributions (Rs. in crore)	AUM (Rs. in crore)
NPS Lite	41,86,943	3,107	4,687
Atal Pension Yojana	3,62,76,704	18,647	20,923
Total	**4,04,63,647**	**21,754**	**25,610**

- Number of subscribers under NPS Lite and APY, together, has increased from 323.51 lakh in March 2021 to 404.64 lakh in March 2022, increasing by 81.13 lakh subscribers (25.08 per cent).

- New entry into NPS Lite scheme has been discontinued w.e.f. April 1, 2015, and APY was launched on May 9, 2015, and it became operational from 1st July 2015. APY is focused on the poor and the under-privileged citizen of India; it will provide a defined pension after 60 years of age.
- Under the APY, the subscribers would receive the minimum guaranteed pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month, Rs. 5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would be based on the subscriber's age on joining the APY. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. Therefore, minimum period of contribution by any subscriber under APY would be 20 years or more.
- Scheme operates through all Bank Branches /Post Offices/Payment Banks/Small Finance Banks registered with Central Recordkeeping Agency (CRA).
- APY scheme is managed by three public sector pension funds namely LIC, SBI and UTI. The asset under management of this scheme as in March 2022 is Rs. 20,923 crores.
- Under APY: -

a. 79.78 per cent of the subscribers have opted for Rs 1000 pension amount whereas 12.86 per cent of the subscribers have opted for Rs 5000 pension amount

b. 27.95 per cent of the pension aspirants are in the age group of 21-25 years.

c. The ratio of female and male subscribers is 44:56

Table 3.46: Detailed Analysis of registered APY subscribers (PRANs Generated) on the basis of Gender, Pension Amount and Age.

Gender wise			
Sr. No.	**Gender**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	Female	1,78,04,866	44.37
2	Male	2,23,12,842	55.61
3	Transgender	9,571	0.02
	Total	**4,01,27,279**	**100.00**

Pension Amount wise			
Sr. No.	**Pension Amount (Rs. Per month)**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	1,000	3,20,12,653	79.78
2	2,000	17,60,939	4.39
3	3,000	8,59,451	2.14
4	4,000	3,32,309	0.83
5	5,000	51,61,927	12.86
	Total	**4,01,27,279**	**100.00**

Age wise			
Sr. No.	**Age Range**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	Between 18 to 20 Years	66,87,003	16.66
2	Between 21 to 25 Years	1,12,15,899	27.95
3	Between 26 to 30 Years	99,30,748	24.75
4	Between 31 to 35 Years	77,76,413	19.38
5	Above 35 Years	45,17,216	11.26
	Total	**4,01,27,279**	**100.00**

3.14.2 Points of Presence

Under the architecture of NPS, there are 311 Points of Prescience (NPS-regular/ Aggregators/APY-SP) and 50 POP-SEs registered with the Authority as on 31.03.2022

3.14.3 Assets under Management Scheme wise

The details of the scheme wise asset under management are given in the table below

Table No. 3.47: Scheme wise Asset under Management

(Rs. Crore)

Scheme	March 21	March 22	Absolute Growth	Growth in Percent
Central Government	181416.26	216883.08		
State Government	291959.92	369743.33		
Sub Total	**473376.18**	**586626.41**	**113250.23**	**23.92**
NPS Lite	4354.38	4686.740		
Atal Pension Yojana	15687.11	20922.59		
Corporate CG	36929.68	47343.05		
Tier I – E	18979.51	30303.85		
Tier I – C	9686.52	15509.97		
Tier I – G	16766.29	27630.38		
Tier I – A	74.76	162.65		
Tier II – E	850.98	1424.50		
Tier II – C	482.73	762.54		
Tier II –G	835.49	1214.07		
Tier II – TTS	2.12	6.74		
Sub Total	**104649.56**	**149967.14**	**45317.58**	**43.30**
Grand Total	**578025.74**	**736593.56**	**158567.82**	**27.43**

The above table indicates that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 24 percent, however the asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 43 percent. In terms of absolute number, the government sector schemes grew by Rs.1,13,250 crore whereas other than government sector schemes in aggregate grew by Rs. 45,318 crores.

3.14.4 The central recordkeeping Agency, its role, and functions

i) Introduction

Central Recordkeeping Agency is required to establish an internal system (defined under section 21 of PFRDA Act 2013) that delivers compliance with standards for internal organization and operational conduct, to protect the interests of subscribers under the framework of the National Pension System ("NPS"). It also acts as an operational interface between PFRDA and other NPS intermediaries such as Pension Funds, Annuity Service Providers, Trustee Bank, etc.

Central Record Keeping Agencies also provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, State Governments, Central Government, and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs for nodal offices, and provide seamless and error-free system operations involving CRA system, PFs, TB, and other entities in NPS.

Presently, the following three entities are registered as Central Recordkeeping Agency, out of which one entity is expected to be fully operational by 30.09.2022:

- Protean eGov Technologies Limited. (Formerly known as NSDL e-Governance Infrastructure Limited)
- KFin Technologies Limited.
- Computer Age Management Services Ltd.

Protean, was appointed by PFRDA, as the Central Recordkeeping Agency and an agreement was executed on November 26, 2007. After notification of the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 with effect from April 27, 2015, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd was issued certificate of registration to work as Central Record keeping Agency effective from December 18, 2015, for the remaining period of the original contract dated November 26, 2007, effective from December 01, 2007, for 10 years and after that periodic extensions were granted. CRA acts as an operational interface for all intermediaries. The role includes liasoning with all necessary external agencies and recordkeeping, administration, and customer service functions for all subscribers of the NPS. During the FY 2016-17, PFRDA had registered M/s KFin Technologies Private Limited (erstwhile M/s Karvy Computershare Private Limited) as second CRA and allowed them to start its operations for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber was provided an option to choose between Protean and M/s Kfin Technologies CRA (2nd CRA) with effect from February 15, 2017, and other distribution channels thereafter. M/s Kfin Technologies CRA was allowed to service the new accounts till March 31, 2017, and thereafter it was allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality providing for option to shift for existing subscribers of NPS from April

01, 2017, onwards. In FY 2020-21, another entity, Computer Age Management Services Ltd. (CAMS) has been granted Certificate of Registration under PFRDA (CRA) Regulations, 2015. The third CRA has operationalised its eNPS platform w.e.f. 17th March 2022. However, it is yet to commence its operations fully.

Under sub regulation 4 of regulation 3 the CRA regulations, the allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be notified by the Authority from time to time having regard to the subscribers' interest. Accordingly, the criterion for allocation of subscribers is mentioned as under:

In case where there is employee- employer relationship, including corporate, if the CRA charges are being borne by the employer, the decision to select the CRA shall rest with the employer, unless they specifically delegate the option to individual employees and in all other cases, the choice of selection of CRA will rest with the employee/ subscriber under NPS. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee-employer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscriber in general. In case of subscribers registered under Atal Pension Yojana, the respective government will choose the CRA for rendering the services. In case of NPS Lite subscribers the PoP/Aggregator had the option to choose the CRA.

ii) Role and responsibilities of CRA

The major role and responsibilities of CRA are as follows:

i. Continuous Enhancements and developments of new functionalities. It is the responsibility of the CRA to create and establish Facilitation-Centres network across country. They have to develop various new functionalities/utilities and do continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders.

ii. Services to Subscribers of all sectors. The primary role of CRA is of recordkeeping, administration, providing customer service functions for all NPS subscribers, issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) and IPIN/ TPIN to the subscribers. The various services to the subscribers includes sending SMS alerts and emails at the time of registration, credit/ debit of units, withdrawal, balance in the PRAN, conducting subscriber awareness programs and providing web-based access to all the NPS stakeholders. CRA also provides Centralized Grievance Management System and Call-Centre facility to the subscribers and Nodal offices. Besides these services all subscriber maintenance services such as change of scheme, change of demographic details, grievance handling etc. are being handled by CRA.

iii. Services to Intermediaries

(i) PFs-It is the primary responsibility of CRA to timely intimate the position of the funds to PFs, prepare and send consolidated Investment Preference Scheme information, sending net fund transfer report to PFs on the basis

of confirmation of fund transfer report received from Trustee bank and to measure the Scheme performance reports using NAVs sent by PFs to CRA.

(ii) TB- To reconcile pension fund reports received from Trustee Bank Account(s) with pension fund contribution information report and generate error/discrepancy report on fund reconciliation, sending instruction to Trustee Bank to remit withdrawal fund to subscribers' account and remit remaining amount to Annuity Service Providers' account against the annuity scheme.

(iii) ASPs - To collect physical application forms from the subscribers and forward them to ASPs and sharing funds transfer details for the subscriber's annuity to ASPs. Transferring electronic data transfer to ASPs with respect to subscriber details and sending instruction on Annuity scheme.

iv. Others

Provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, State Governments, Central Government and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs.

iii) Issuance of Certificate of Registration:

During the financial, Authority issued Certificate of Registration ("CoR") to Protean eGov Technologies Limited in its new name, based on a request for approval to change its name/constitution, received from NSDL e-Governance Infrastructure Limited ('N-CRA"). During the process of approval, considering the wider impact of change in name over a framework of NPS as well as subscribers, the following steps were taken to avoid any adverse impact on operations of CRA activities by the company due to the name change:

- Ensuring smooth transition of change in name of CRA, so that servicing of the existing subscriber and functioning of intermediaries under NPS architecture are not adversely impacted.
- To ensure that, NCRA enables subscriber education/ dissemination of information to the intermediaries/ stakeholders.
- To take necessary action to resolve operational aspects/issues/concerns
- To ensure that, the cost incurred for all the above activities would be borne by the NCRA

(2). With the view to expand business prospects as CRA, KFin Technologies Private Limited had requested Authority to provide its approval for changing its constitution from a private limited company to a public limited company. After ensuring all necessary information, declarations, certifications and approvals from RoC, the Certificate of Registration (COR) was issued by the Authority to KFin Technologies Limited (in their revised name).

Choice of CRA to subscribers/ intermediaries/stakeholders:

Currently, M/s Protean eGov Technologies Limited and M/s KFin Technologies Limited are carrying out activities of CRA and Computer Age Management Services Ltd. is yet to be fully operational, thus,

the subscriber has been provided with an option to choose between M/s Protean eGov Technologies Limited and M/s KFin Technologies Limited with effect from February 15, 2017. Interoperability functionality allows the existing subscribers of NPS to shift from one CRA to the other from April 01, 2017, onwards, which shall also include Computer Age Management Services Ltd. after being fully operational. To facilitate ease of contact in case of any issue/query of subscribers/intermediaries and other stakeholders, the contact details of CRAs, including other information related to charge structure are made available on the website of PFRDA.

Contact of Central Recordkeeping Agencies:

Name of Entity	Contact Details	Address
M/s Protean eGov Technologies Limited	1800 222 080	Protean eGov Technologies Limited Ltd 1st Floor, Times Tower Kamla Mills Compound Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai-400013
M/s KFin Technologies Limited.	1800 208 1516, 1800 208 1617	M/s KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Selenium Building, Financial District Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032.
M/s Computer Age Management Services Limited.	Yet to be operational	M/S Computer Age Management Services Ltd. Rayala Towers V Floor, 158 Anna Salai Chennai - 600 002

3 Annual Fee

Authority, vide a Circular No. PFRDA/2020/22/REG-CRA/3, dated 15.06.2020, had prescribed a "Guidelines for Price Discovery Mechanism for the charges to be levied by Central Recordkeeping Agencies ("CRA") for the services rendered by them to the subscribers, as an integral part of Selection of Central Recordkeeping Agencies initiated in 2020 in accordance with on-tap registration of CRA under the provisions of PFRDA(CRA) Regulation 2015 and amendments thereto.

During the financial year, Protean eGov Technologies Limited ("P-CRA") had reduced their PRA Annual maintenance charges from w.e.f 01.10.2021. In this regard, in compliance with the observations of the Board, P-CRA was informed to ensure that there should not be an adverse impact on the quality of service due to a cost reduction and until the next revision in the charge structure, increase in charges shall not be permitted, however, reduction in charges is always welcome.

The present charge's structure to be levied by Central Recordkeeping against their services rendered to NPS regular and NPS Lite subscribers is as below:

Table No. 3.48: CRA Service Charges Structure for NPS Regular and NPS Lite/APY

S. No.	Service Charge head	M/s Protean eGov Technologies Limited (1st CRA)		M/s KFin Technologies Ltd (2nd CRA)		M/s Computer Age Management Services Ltd. (Yet to be fully operational)	
		NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)	NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)	NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)
1	PRA opening charges	40.00	15.00	39.36	15	40.00	15.00
2	PRA Annual maintenance charges	69.00*	20.00	57.63	14.4	65.00	16.25
3	Transaction charges	3.75	NIL	3.36	NIL	3.50	NIL

*Note: * w.e.f 01.10.2021.*

4. Regulations and amendments:

The PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, have been notified on 27th April, 2015. Subsequently, PFRDA (Central Recordkeeping Agency) (Firs Amendment) Regulations, 2018 have been notified on 25th June 2018.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Centra Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Central Recordkeeping Agency. Regulations would ensure an e-ective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

Entity registered as Central Recordkeeping Agency through this regulation is required to establish an internal system that delivers compliance with standards for internal organization and operational conduct, with the aim of protecting the interests of NPS subscribers and their assets.

During the financial year, the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations 2015 and amendments thereto were examined.

Considering the emerging/proposed changes in PFRDA Act 2013 under the roles and responsibilities of NPS Trust, wherein NPS Trust may primarily be made responsible for the monitoring of activities of the pension funds, custodian, trustee bank, and exits & withdrawal functions of CRA, the extant CRA regulation was amended as PFRDA (Central Recordkeeping Agency) (Amendment) Regulation 2021 notified on 14.06.2021, thereafter, the compliance with respect to laying of regulations before each house of parliament as prescribed under section 53 of PFRDA Act 2013 was also met.

5. Development of New Functionalities

Continuous enhancements and development

of modules to address changing requirements of various stakeholders is one the main objective of CRA. Various functionalities were developed by CRA to ensure the seamless functioning of NP system. Few of the major developments are as under:

Facilities available to Subscribers under NPS

i) Online Aadhaar based eKYC rolled out for subscriber registration through eNPS platform-Pursuant to the approvals from Dept. of Revenue, Government of India to undertake Online Aadhaar e-authentication services from UIDAI under Section 11A of PML 2002, Protean – CRA and CAMS CRA have enabled the Aadhaar based online e-K authentication functionality for subscriber registration in eNPS platform. The KY details are fetched from the UIDAI database upon verification of the Aadhaar no entered by the subscriber. The details fetched are non editable. More than 3.50 Lakh accounts have been opened using this mode of KYC verification.

ii) Instant bank account verification – Penny Drop

In order to resolve the issue of return of remittances, to protect the interest of subscribers with timely credit of amount and for additional due diligence to identify the rightful beneficiary, Instant Bank Account Verification by 'penny drop' has been adopted by CRAs, by integrating their IT system and exit framework with the Fin-tech service providers.

Through 'penny drop' process, CRAs would check the active status of SBA (Savings Bank Account number) and match the name in bank account number with the name in PRAN (Permanent Retirement Account Number) or as per the documents submitted. The validity of account is verified by making a 'test transaction' by penny dropping a specified amount into the beneficiary's SBA and matching the name based on the penny drop response. The response of 'Success' or 'Failure' would be provided by the service provider based on validation of the SBA number and name check as per CRA records.

iii) eNPS for Government - A new On-boarding feature for Government Sector Subscribers

eNPS is the online platform hosted by the CRAs on behalf of NPS Trust, wherein

Subscriber can register and contribute online under NPS. At present, under eNPS, the facility of online registration is available to All Citizens of India sector and Corporate Sector Subscribers. Whereas the online contribution & Tier II Account activation facility is available to all the registered Subscriber including Government Sector Subscribers having active PRAN under NPS. Now, the Government employees (who are covered under NPS) will have the facility to register online in NPS and generate Permanent Retirement Account Number (PRAN) through eNPS. The process of registration through eNPS will be a paperless process wherein the Subscriber will submit the registration request through digital signature.

iv) Display of charges in the Statement of Transaction is made available – Ensures Transparency

In order to ensure transparency and full disclosure to the subscribers, the Statement of accounts has been modified to include the various charges charged to the NPS subscribers along with the mode and manner in which they are charged.

v) Integration with Digilocker for NPS/ APY centric services -In order to take the view of the Government of India to provide all citizen centric services through digital platform, NPS has been integrated with Digilocker and the PRAN card is now available to the subscribers in their digilocker accounts along with other documents. Further, the subscriber registration process has also been modified to provide an option to utilize the documents available in Digilocker as Proof of Address and Proof of Identity to further provide choice to the subscribers.

vi) Integration of SoT with Consolidated Account Statement (CAS) of Mutual Funds –In order to provide the subscribers with a consolidated information regarding their investment, PFRDA is in the process to provide the NPS investment information also in the CAS statement being provided by RTAs for Mutual Fund customers.

vii) Option to Government and Corporate subscribers who are superannuating/ resigning to continue with their scheme preference/ investment pattern –The subscribers tagged to the Government/ Corporate who are superannuating resigning from their employment and who wish to continue with their NPS account further, will now have the option to shift their account to the All Citizen sector and continue with their existing scheme preference/ investment pattern. Earlier the subscribers having scheme preference/ investment pattern not available to the All Citizen sector subscribers had to shift their account and opt for a scheme preference/ investment pattern available to the subscribers under the All Citizen sector. The move will reduce the redemption and reinvestment risk.

viii) SoT in multiple languages -Transaction statement is now available to subscribers in English, Hindi, Marathi and Kannada.

ix) "Know Your PRAN" in eNPS

KFintech CRA has provided the option to subscribers to retrieve their PRANs through the Know Your PRAN option on eNPS website. User needs to enter PAN, Date of Birth and Captcha. OTP will be sent to the registered mobile number and email ID. O successful authentication of OTP, PRAN and Subscriber name will be shown to the User.

x) Integration with UMANG App –

KFintech CRA has integrated with UMANG App to provide NPS Services. T subscriber has to provide the PRAN & password and after due authentication, can avail the following NPS services on UMANG website/ app:

- Personal details view
- Bank details view – Tier I & Tier II
- Nominee details view – Tier I & Tier II
- Scheme details – Tier I & Tier II
- Total holding – Tier I & Tier II
- Scheme-wise holding – Tier I & Tier II
- Transaction statement on email
- Recent five contributions
- Update password
- Update mobile number
- Update email id

xi) 'NPS ki Paathshala' videos on Youtube for making the subscribers and nodal offices more aware about the various functionalities and benefits of NPS.

xii) Frequently Asked Questions (FAQs) along with answers against respective query category are now available to Subscriber & Entity (raising grievance on behalf of NPS Subscriber) i CGMS. The Subscriber, raising any query through CGMS will have a provision to view th FAQs & relevant answers based on the category of grievance selected.

xiii) Online re-KYC option is available to Subscribers in case KYC is rejected by Bank/PO during registration under NPS. Subscriber can update the required details as per rejection reason and the same will be available for re-KYC to selected Bank/POP. Now, the re-KY facility is extended to all the Subscribers where KYC was rejected by Banks during Subscriber Registration.

Features in NPS Mobile App

i) D Remit Virtual ID- Subscriber can now create their D Remit Virtual ID through the mobile App in addition to visiting the eNPS website.

ii) Reset password using OTP-Subscriber can now reset his/her password using Mobile App through OTP. The Subscriber is required to enter his/her PRAN, Date of Birth and set his/her new password and generate OTP. On entering the correct OTP received on his/her mobile (registered with CRA), the password becomes active. This option is in addition to the option of resetting password using secret question.

iii) Mobile app for IOS and Windows platform user's Mobile app has been made available for subscribers using IOS and Windows platform

iv) XIRR displayed in the Mobile app showing the returns being earned by the subscriber on his corpus.

Features under Atal Pension Yojana (APY)

i) eAPY-Prospective subscribers can now enroll under APY through the eAPY platform without the need to visit their bank branch. The subscriber must enter the required details and the Aadhaar no. for KYC verification and the account will be opened and tagged to the respective APY-SP.

ii) Call Center for APY subscribers-Dedicated Call center for APY subscribers has been started. The APY Call Centre No. is 180 889-1030.

iii) Proposal to open APY to all CRAs to bring innovation and more service benefits t Subscribers.

iv) APY Mobile App –

1. At present option is available to download various documents like

Registration Form, Voluntary Exit Form, Contribution Matrix etc. At the time of download of documents, Use was redirected to the NSDL Website.

Now, Subscriber will be able to download all the documents in the App only instead of getting redirected to NSDL website.

2. In APY App, Subscriber will be able to search and download PRAN Card by providing details such as Subscriber Name, Bank A/C Number, Date of Birth and Captcha. Subscriber is not required to login to App to access this feature.

v) Upgrade/Downgrade minimum pension under APY-Under APY, the Subscriber is required to select the minimum pension of Rs. 1,000/-, 2,000/- 3,000/-, 4,000 and 5,000/- per month that will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the Subscribers. Accordingly, the contribution is deducted from Subscriber's Bank Account as per the frequency opted i.e. monthly/ quarterly/half yearly. As per PFRDA guidelines, APY Subscribers have an option to upgrade/downgrade the opted pension amount. As per the current facility the subscriber had to pay the di erential/ shortfall amount. Now the upgrade/ Downgrade through Refixation model has been enabled for subscribers between the age of 18 to 40 years. The same has been made available in the APY Mobile app.

vi) Option to NPS Lite Subscribers to migrate to APY -NPS Lite/ Swavalamban Scheme subscribers between the age of 18-40 years can now us online eNPS/ eAPY portal to migrate to Atal Pension Yojana. The details submitted by the subscriber will be shared with the APY-SP for verification and migrating the account.

vii) APY -Lead Generation Module (RundF)-Through LGM, Subscribers need not visit the APY-SP Branch as account can be opened based on OTP authentication and the same can be used by both potential Subscriber or by a well-wisher who wants to facilitate account opening for people whom he / she knows. LGM helps APY-SPs to use the downloaded data for account opening. Upon submission of the request the lead will be forwarded to concerned APY-SP for PRAN generation. LGM enables APY-S to source Subscribers with minimum effort and cost.

Features for Nodal Offices/POPs/ Corporates

i) Error Rectification module in NPS contribution -At the time of contribution processing, in case of any error is found in any record, instead of the entire file getting rejected, only that record is rejected and the other records without the error are processed. This will avoid delay in the processing of the contribution for the records where there is no error and reduces the efforts of the nodal officer.

ii) Bank account type of nodal offices -In addition to the Savings and Current account typein the CRA system, the nodal offices have been provided with the option to select Government Account type.

iii) HoD Dashboard Reports to Nodal Offices -HOD Dashboard reports have been developed in CRA system for

Head of the Department (HODs) to monitor performance and compliance of the associated DDOs. The HOD level w be similar to PrAO/DTA who will monitor the operations of underlying DDOs. A hierarchy has been created with HOD at the top and their underlying DDOs along with PAO/DTO mapped with these DDOs. These DDOs and PAOs/DTOs may be associated to di□erent PrAOs/DTA in the existing Dashboard reports available to Nodal Offices. The HOD Reports have been developed for Government Sector i.e. CG & SG.

CRA Toll Free Helpline

Dedicated toll free number (1800222081) is made available to Nodal Offices for contacting CRA regarding their general queries / complaints. This is in addition to an existing toll fre number (1800222080) available for NPS Subscribers.

3.14.5 Pension Funds

Pension fund means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub - section (3) of section 27 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them, and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations.

Appointed and registered Pension Funds manage pension corpus through various schemes under National Pension System or any other Scheme. Pension Funds use their access codes to confirm receipt of netted assets and instructions regarding fund allocation, confirm allocation of funds and communicate the NAV of each scheme to CRA and the custodian on a regular basis.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were notified on 14th May 2015 and the Pension Funds had to abide by these regulations including any amendments thereunder.

Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include, but are not limited to the points mentioned below:

a) The management of pensions schemes shall be carried in accordance with the objects of the schemes, provisions of the Act, Trust Deed, rules, regulations, guidelines, and circulars issued by the Authority from time to time and within the timelines as specified by the Authority or the National Pension System Trust.

b) The day-to-day management of the pension funds shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.

c) The pension fund shall, at all times render high standards of service, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension funds shall avoid speculative investments or transactions.

d) The pension fund shall employ well qualified professionals or staff with high integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or authorised persons whose services have been procured and its liability for such acts of commissions or omissions. This liability shall survive despite the cancellation or suspension or

withdrawal of certificate of registration or supersession of management by the Authority.

e) The pension fund shall facilitate and co-ordinate with other intermediaries and other entities interalia through agreements, technological platforms for undertaking its functional obligations.

f) The pension fund shall maintain books of accounts, records, registers, and documents relating to the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars issued by the Authority from time to time, and facilitate audit trail of transactions and business continuity at all times.

g) The pension fund shall submit periodical and compliance reports as required under these regulations, guidelines, or circulars, or as may be called for by the Authority, or as required by the National Pension System Trust from time to time.

h) The pension fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner as may be specified by the Authority in Schedule V.

i) The pension fund shall adopt best governance practices for investments and risk management viz. constitution of Investment Committee and Risk Committee, its composition, functions, policy contents and other like matters as specified in Schedule X.

j) The pension fund shall prevent conflict of interests that may arise while discharging the obligations as a pension fund and reporting of such instances to the National Pension System Trust.

k) The pension fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund business activities from its sponsors.

l) The pension fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers' information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control except as required by the Authority or the National Pension System Trust or provisions of any law.

m) The pension fund shall provide such representations and warranties as may be necessary for the protection of subscribers' interest on behalf of the National Pension System Trust.

3.14.6 The Trustee Bank

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations

PFRDA (Trustee Bank) regulations, 2015 had been notified on March 23, 2015.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity which gets selected as Trustee Bank. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act

i) Trustee Bank: Axis Bank Ltd. has been appointed as Trustee Bank under NPS, in response to the Request for Proposal (RFP) dated 12th October 2020 issued by PFRDA for selection of Trustee

Bank under PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015 and amendments thereto.

The Certificate of Registration issued to Axis Bank as NPS Trustee Bank w.e.f. 8th January 2021 and is valid for a period of five years from the date of grant of certificate of registration and extension granted thereto, unless suspended or cancelled by the Authority as per regulation 13 of PFRDA (Trustee Bank) Regulations 2015 and amendments thereto.

A service level agreement (SLA) has been executed by NPS Trust with Trustee Bank in line with the provision of RFP dated 12.10.2020 and PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015 and amendments thereto as well as Circular and guidelines issued under it.

The following diagram depicts the role of Trustee Bank in the NPS architecture:

Chart 3.11: NPS architecture and intermediaries

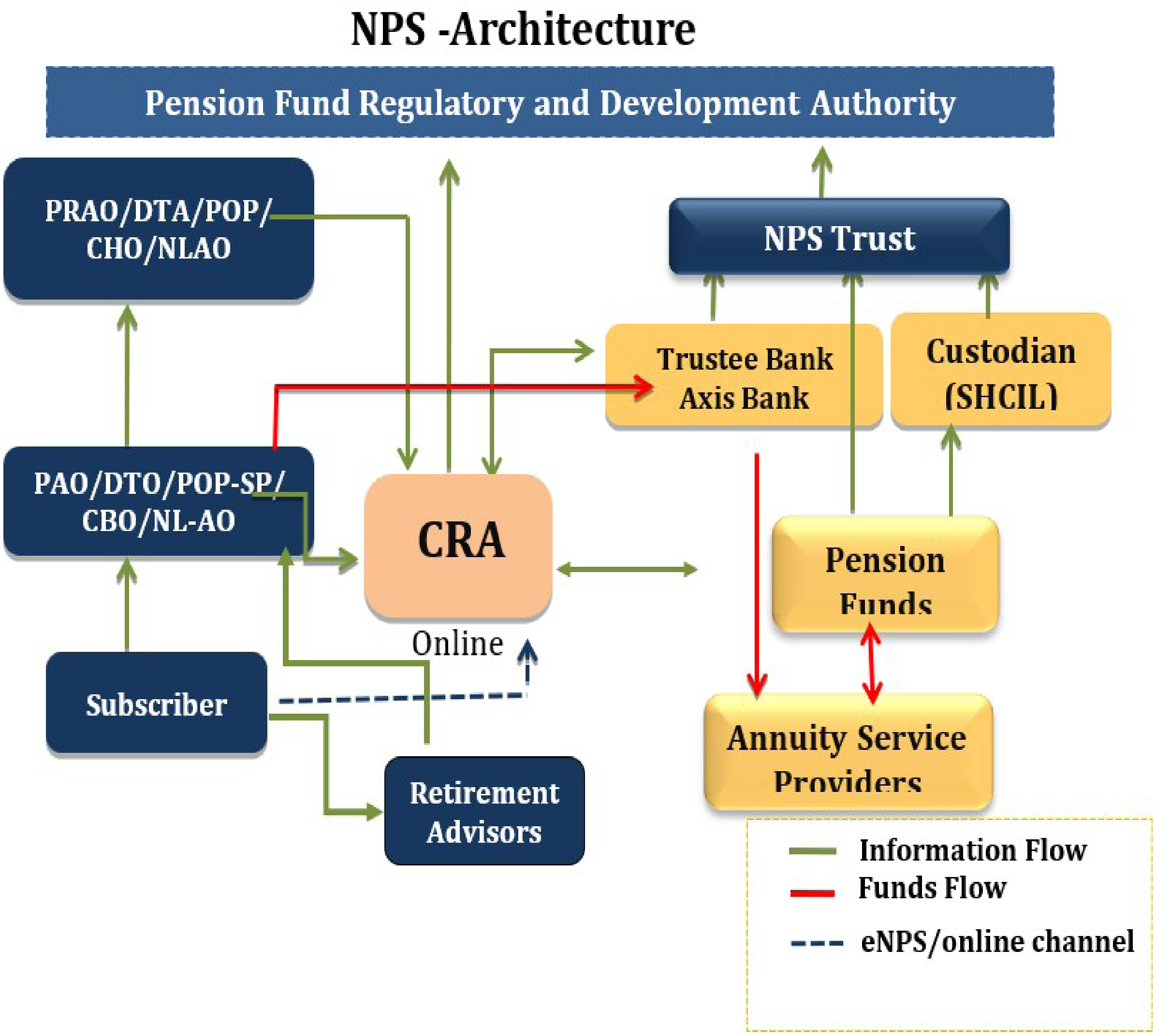

Roles and responsibilities of Trustee Bank

1. Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of CRA system viz. Nodal Offices (uploading offices), Pension Fund Managers, Annuity Service Providers and subscribers.

2. Trustee Bank uploads a file containing the details of the funds received from various Nodal Offices to the CRA system. These details are then matched with contribution details provided by Nodal Office(s) to CRA system.

3. Trustee Bank receives fund transfer instructions from CRA system as a part of Pay-in process to transfer funds to various entities viz. PFMs, Annuity Providers, withdrawal Account and may also receive funds from Pension Fund Manager(s).

4. Return of unidentified remittances or remittances with incomplete information to the concerned entity.

5. At the end of each settlement day, the balance funds at Trustee Bank account are reconciled with CRA system.

Followings are the important roles and functions of NPS Trustee Bank:

1. Trustee Bank provides banking facilities as directed by NPS Trust under the prescribed regulations, guidelines, circulars and directions of the Authority.

2. Trustee Bank signs the required Service Level Agreement and Non- disclosure Agreement, where applicable, with the National Pension System Trust and other intermediaries under the schemes regulated or administered by the Authority.

3. Trustee Bank establishes an interface and works in total co-operation and co-ordination with the other intermediaries appointed under the National Pension System.

4. Trustee Bank takes all reasonable steps and exercises due diligence to ensure that the banking facilities provided are not contrary to the provisions of PFRDA/NPS Trust guidelines/ directions and the rights and interests of the subscribers are protected.

5. Trustee Bank accounts are on behalf of the NPS subscribers, and opened in the name of the NPS Trust. The NPS Trust is registered owner of these funds. However, individual NPS subscribers shall remain beneficial owners of these funds. The NPS Trust is exempted from payment of income tax as per Section 10(44) of IT Act, 1961.

6. Trustee Bank carries out banking functions for the funds under the NPS as per guidelines/ notifications/ directions issued by PFRDA and operational Service Level Agreement executed with NPS Trust and Standard Operating Procedures issued by NPS Trust based on PFRDA's guidelines.

7. Trustee Bank is responsible for the

day-to-day flow of Funds.

8. Trustee Bank transmits the information pertaining to the NPS funds available with it and instructions to the CRA(s) on a regular basis.

9. Trustee Bank provides web-based access to the NPS Trust, PFRDA, CRA(s) and other service providers.

10. Trustee Bank adapts to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications including number of subscribers, number of schemes, and services and functional obligations prescribed by PFRDA/ NPS Trust.

11. Trustee Bank maintains books and records about the funds flow and information flow between NPS Trustee Bank, CRA(s), subscribers, Pension Fund, etc. to ensure compliance with the guidelines, and submits regular reports at such intervals and in such manner as may be required or called for by PFRDA/NPS Trust.

12. Trustee Bank is expected to comply with the disclosure requirements and the code of conduct specified by PFRDA/ NPS Trust and other financial sector regulators from time to time. The books and records related to the Trust accounts shall be available for inspection to the authorized officers or agents of PFRDA, NPS Trust, RBI, and their respective auditors.

13. Trustee Bank submits the following Periodic reports with PFRDA/NPS Trust–

    a) Extracts of Internal audit report from independent auditors with respect to the NPS Trust Accounts, compliance certificates and subscriber complaints reports at regular intervals.

    b) Concurrent audit report submitted every quarter.

    c) External audit report of all the NPS accounts maintained with the Trustee Bank submitted annually.

14. Trustee Bank shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or the persons whose services have been procured by NPS Trustee Bank.

ii) Timelines for Trustee Bank

The business activities of Trustee Bank are linked with the other processes at CRA. Therefore, bank ensures that the activities are completed within the timelines specified. The chart given below gives the basic idea of the core activities and time limit within which the same is carried out by the Bank:

Table No. 3.48 : Core activities of the Trustee Bank with timelines

Sr. No	Nature of activity	Cut off time*	Day*
1.	Fund realization at TB	-	T
2.	Return of unidentified Funds	-	T+1
3.	Upload of fund receipt confirmation file	i) For Normal FRC: By 9.15 am on T+1 day (for cleared funds received on day T) ii) For D-Remit FRC: By 10.30 am on T day (for cleared funds received between 09:30:01 am on T and 09:30:00 am on day T+1); Daily	
4.	Download instruction files	-	Daily
5.	Cut off time for Confirmation of transfer of Funds to PFs and withdrawal account	i) PF transaction processing:1.30 PM ii) WAC file processing: End of the Day	Daily
6.	Transfer of M&B Funds to PFs	-	T+1
7.	Upload of statements and closing balance of various Accounts	-	Daily

**Noncompliance with the timelines as specified by the Authority may attract penal provisions as may be specified from time to time. The present applicable rate of penal provision for non-compliance in timelines is RBI Repo plus two per cent per annum payable as compensation.*

The compensation amount shall be credited to the individual PRAN of the subscriber if the amount is more than Rs. 50/- and would be credited to SEPF account if it is less than Rs. 50/-

Regulatory Fee : Trustee Bank shall deposit an annual fee at Repo Rate calculated as a percentage per annum on the consolidated balances of all the NPS Trust accounts within 15 days from the end of the quarter, this is valid for entire duration of the registration period and any extension granted thereto, paid on quarterly basis directly to Authority.

iii) Direct Remittance (D-Remit):

In order to facilitate the subscriber make regular contributions at a low cost, PFRDA has introduced an additional option/mode of contribution namely Direct remittance (D-Remit) wherein existing NPS subscribers under Government/Non-Government/ All citizen model would be able to deposit their voluntarily contributions by creating a virtual id linked to their permanent retirement account number (PRAN). D-Remit has not only eased the mode

of deposit of voluntary contribution but also optimized the investment return by providing the same day NAV on the investment if contribution is received by Trustee Bank within prescribed cutoff time.

The subscribers can now put a standing instruction in their Netbanking account which will directly remit the contribution into their PRAN accounts. It would also reduce the timeline of investment from T+2 to T (for contributions made before a threshold time) or T+1. Immediate Payment System (IMPS) facility for accepting contributions under D remit.

Only NEFT and RTGS was accepted as mode of contribution. Now, IMPS facility has also been enabled under D Remit, the same will help subscribers to transfer amount under IMPS and avail same day NAV.

Table No. 3.49: Closing Balance (in Cr.)-Trend during FY 2021-22

Months	Protean CRA	KFINTECH CRA	CAMS CRA	Grand Total
Apr-21	17,657	251	0	17,907
May-21	14,811	217	0	15,029
Jun-21	13,535	215	0	13,751
Jul-21	16,035	200	0	16,236
Aug-21	12,377	214	0	12,592
Sep-21	17,527	284	0	17,811
Oct-21	19,993	227	0	20,220
Nov-21	17,231	262	0	17,493
Dec-21	18,272	243	0	18,515
Jan-22	18,652	408	0	19,060
Feb-22	18,325	338	0	18,663
Mar-22	23,435	531	1	23,966

(Source – Trustee Bank)

3.14.7 The Custodian under the National Pension System

Custodian of Securities" means an entity which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 of the Act by the Authority as a custodian of securities for the purpose of providing custodial and depository participant services for the pension schemes regulated by the Authority.

"Custodial services" means safekeeping of securities or assets held under the National Pension System or any other pension scheme and providing services incidental thereto and includes -

(i) maintaining accounts of securities or assets held;

(ii) undertaking activities as a Domestic Depository in terms of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or as permitted by the Securities and Exchange Board of India;

(iii) collecting the benefits or rights accruing on the securities or assets;

(iv) informing about the actions taken or to be taken by the issuer of the securities, having a bearing on the benefits or rights accruing on the securities or assets held; and

(v) maintaining and reconciling records of the services referred to in sub-clauses (i(to)iv)

Presently, the Stock Holding Corporation of India (SHCIL) is acting as Custodian of Securities.

General obligations of Custodian of Securities

As per the Regulation no. 19 of the PFRDA (Custodian of Securities) Regulations, 2015, general obligations of Custodian of Securities are listed below:

(1) The custodian of securities shall exercise at all times reasonable care, prudence, professional skill and diligence while discharging its duties in the best interest of the subscribers.

(2) The custodian of securities shall facilitate adequate infrastructure information technology, systems and procedures that are required for enabling it to co-ordinate with other intermediaries and entities and adapt to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications and services and undertake functional obligations specified by the Authority.

(3) The custodian of securities shall take all necessary precautions to ensure that continuity of the record keeping is not lost or destroyed and that sufficient back up of records are available.

(4) The custodian of securities shall ensure at all times that transactions in the pension schemes accounts are put through according to the instructions of the pension fund or the National Pension System Trust and the securities held in such accounts are used only for transactions explicitly authorised by the pension fund or the National Pension System Trust.

(5) The custodian of securities shall ensure at all times that, the securities held on behalf of the National Pension System Trust are separate and clearly segregated in its books from its own holdings, other client accounts and separated from all other activities. The custodian of securities shall open a separate custody account for pension schemes regulated by the Authority and in accordance with the manner specified for registration of securities.

(6) The custodian of securities shall ensure that all the rights or entitlements on the securities held in its custody for pension schemes or the National Pension System Trust are received on time and in the manner specified by the Authority or the National Pension System Trust.

(7) The custodian of securities shall ensure that the individual holdings of securities in the pension scheme accounts are reconciled with the depository holdings and Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account at the end of the day.

(8) The custodian of securities shall be continuously accountable for the movement of securities in and out of the pension scheme accounts and shall provide complete audit trail

whenever called for by the Authority or the National Pension System Trust.

(9) The custodian of securities shall create and maintain the records of securities held in its custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate of the documents is facilitated, in the event of loss of original records for any reason.

(10) The custodian of securities shall ensure that the securities handled by it under the National Pension System, or any pension scheme regulated by the Authority are adequately insured.

(11) The custodian of securities shall have adequate systems for internal controls to prevent any manipulation of records and documents including audits for securities and rights or entitlements arising from the securities held under this agreement. The custodian of securities shall have appropriate safekeeping measures to ensure that such securities (assets or documents) are protected from theft or natural hazard.

(12) The custodian of securities shall not be entitled to setting off securities held in the pension scheme accounts regulated by the Authority or otherwise deal with them to extinguish partly or fully any amounts due to it from the pension fund or the National Pension System Trust without the prior consent in writing from the Authority or the National Pension System Trust.

(13) The custodian of securities shall not encumber the securities in any manner including by an act of pledging, hypothecating, or creating any charge or lien on the said securities. The custodian of securities shall not convert the securities in any manner without the approval of the Authority or the National Pension System Trust.

(14) The custodian of securities shall transmit such reports and statements to the pension fund or the National Pension System Trust or the Authority or to such other intermediaries at such periodic intervals as may be specified by the Authority from time to time or as specified in the agreements

(15) The custodian of securities shall maintain proper books of accounts, registers, records, documents and have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring, and evaluating the custodian's controls, systems, procedures, and safeguards.

(16) The custodian of securities shall have its books of accounts audited quarterly by an internal auditor and submit an extract thereof relating to the assets or business of the pension funds to the Authority or the National Pension System Trust, as specified, within thirty days from the date of audit.

(17) The custodian of securities shall adhere to all applicable rules, regulations, circulars, or guidelines framed, recommended, mandated by any regulator, authority, clearing corporation, exchange or depository for various functions or services offerings to the National Pension System Trust.

3.14.8 The National Pension System Trust

The NPS Trust was established in terms of the Central Government letter D.O. No

5(75)/2006-ECB & PR dated 24th April 2007. The NPS Trust Deed was executed by PFRDA place on 27th February, 2008 with PFRDA being the Settlor of the Trust.

As per section 2(1)(j) of PFRDA Act 2013 “National Pension System Trust” means the Board of Trustees who hold the assets of subscribers for their benefit; The NPS Trust has been set up and constituted to hold the assets and funds under the NPS for the benefit of the beneficiaries (subscribers), it is also holding assets of APY. Trustees have the legal ownership of the Trust Fund, the general superintendence, direction & management of the affairs of the Trust, and all powers, authorities and discretions appurtenant to or incidental to the purpose of the Trust absolutely vest in the Trustees, subject nevertheless to the provision of the PFRDA Act-2013, Indian Trust Act – 1882, NPS Trust Deed and further subject to such directions or guidelines that may be issued by PFRDA from time to time. However, the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the NPS Trust.

The details of the Trustees of NPS Trust Board as on March 31, 2022 is provided in Table

Table No. 3.50:The details of the Trustees of NPS Trust Board as on March 31, 2022

S.N.	Name	Designation
1	Sh. Atanu Sen	Chairman & Trustee
2	Sh. Sudhir Shyam	Trustee
3	Sh. Ruchir Mittal	Trustee
4	Dr. P.C. Jaffer	Trustee
5	Sh. J K Sharma	Trustee
6	Sh. Dinesh Kumar Mehrotra	Trustee
7	Sh. Radhakrishnan Nair	Trustee
8.	Sh Sanjeev Chanana	Trustee
9.	Sh. Suraj Bhan	Trustee
10.	Sh. Y Venkata Rao	Trustee
11.	Ms. Chitra Jayasimha	Trustee

(B) Management of NPS & APY Funds by the NPS Trust

The NPS & APY funds of subscribers held in the name of NPS Trust are managed by PFRDA appointed Pension Funds, on behalf of the Board of Trustees to realize and fulfil the objectives of the NPS Trust in the interest of the Subscribers. The performance of the Pension Funds is monitored on a regular basis and quarterly information is submitted to the NPS Trust Board, and instructions/guidance is given to them for protecting the interest of the subscribers.

(C) NPS Trust fee/charges

NPS Trust is empowered for monitoring, evaluation and coordination of Pension Funds, Trustee bank and Custodian on a regular basis and it is a self-sufficient entity with a regular stream of revenue. The fee/charges of NPS Trust has been approved by the Board of PFRDA and it is @0.005% per annum of Asset Under Management (AUM) on a daily accrual basis.

(D) Appointment and extension of tenure

As per guidelines for appointment of Trustees dated 12.01.2018 under PFRDA (NPS Trust) Regulations, 2015 and amendments thereunder, two Trustees are to be nominated by State Governments such that initial preference shall be given to such State that has the maximum

subscribers under NPS, followed by a State with maximum assets under management under NPS. The tenure of trustees is of 3 years only and thereafter should be rotated between State Governments, such that each State Government is represented over some time. Also, two Trustees are to be nominated by Central Government (one through DFS and one through DoPPW) from amongst Central Government Departments/CABs. During the financial year, following appointments/extensions to the existing tenure of Trustee, NPS Trust was made. –

Appointment-

- Shri. Sudhir Shyam (Nominated by DFS, Ministry of Finance, Govt. of India)
- Shri. Ruchir Mittal (Nominated by DoPPW, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India)
- Dr. P.C. Jaffer – Trustee (Nominated by State Govt. of Karnataka)
- Shri J.K. Sharma – Trustee (Nominated by State Govt. of Madhya Pradesh)

Extension of tenure-

- Shri Suraj Bhan

(E) Regulations and Amendments:

For the establishment, duties, and functioning of the National Pension System Trust, the regulatory framework of PFRDA (NPS Trust) Regulation 2015 and amendments thereto have been notified by Authority and guidelines, circulars etc issued from time to time. During the financial year, the PFRDA (NPS Trust) Regulations, 2015 and amendments thereto were examined in light of the emerging changes in the roles and responsibilities of NPS Trust, as per which NPS Trust may primarily be responsible for the monitoring of activities of the pension funds, custodian, Trustee Bank and exits & withdrawals functions of CRA.

In view of the above, PFRDA (NPS Trust) (Amendment) Regulation, 2021 was notified w.e.f 14.06.2021. The highlights of the major changes and rationale are as below-

Rationale:

1. Introduction of "Definition of Assets of NPS Trust".
2. The name Companies Act 1956 was replaced with Companies Act 2013, wherever applicable.
3. NPS Trust is required to maintain confidentiality in all cases and not only for third parties.
4. Intermediaries, with which NPS Trust shall monitor were defined/functions of NPS Trust were restricted/specified only for pension funds, trustee bank, custodian, and central recordkeeping agencies for exits and withdrawals related function.
5. Removal of NPS Trust as a nodal point for co-ordination of the operations of all intermediaries. It is restricted to pension funds, trustee banks, custodian and central recordkeeping agencies for exits and withdrawals-related function.
6. Introduction of new provisions to take care of collection of fee and reimbursement of expenses by NPS Trust.

7. Introduction of the maximum age of the Trustee kept at 70 in sync with guidelines issued for appointment of trustees.

8. NPS Trust shall not be required to conduct due diligence and vigilance activities of POP and Aggregator.

9. Provision introduced for extension in timelines for submission of annual periodicals.

10. Clarifications in case of certain provisions under regulation.

3.14.9 Retirement Advisor

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA system to facilitate registration of an individual/ entity as RA.

With shift in the design of pension systems from defined-benefit plans to defined-contribution plans where individuals need to make financial decisions and bear greater financial risk, selection of an appropriate investment pattern is crucial for the pension plan participants. India, considered to be low in financial literacy, demonstrates a tangible need for financial advice with respect to retirement decisions. Retirement advisors are playing an important role in guiding and helping consumers to have a better understanding of investment and pay-out options. This necessitates development of a pool of human resources having right skills and expertise in retirement advice and choosing appropriate pension/savings product for retirement quality intermediation to market participants.

Taking into account international experience and the needs of the Indian system of organised and unorganised workers, with a view to protecting the interests of retiring population and more importantly, for minimising risks of losses arising out of deficient understanding of the various options in the returns from the NPS, PFRDA has accredited National Institute of Securities Markets (NISM) as the accredited institute for Certification of the Retirement Adviser Certification Examination.

With the objective to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser to ensure orderly growth of pension sector, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were notified by PFRDA.

3.14.10 Other functions carried out by the Authority in the area of Pensions

1. TARCH

Technology Architecture (TARCH) of PFRDA has been strategized in partnership with the Business Strategic Management Consultant. TARCH has been designed after wide consultation with all stakeholder towards transforming the use of technology in PFRDA. TARCH involves 4 major modules – Data Analysis, REGTECH and SUPTECH, Internal Digitalization and Investor Awareness.

a. PFRDA has Invited Expression of Interest from System Integrators for the Design, Development/ Customisation, Implementation and

Maintenance of PFRDA Technology Architecture.

b. Technical Advisory Committee has been constituted with external experts for guidance and inputs for implementation of Project TARCH.

2. NPP

NPS Prosperity Planner has been conceptualised with the objective of nudging the subscribers to enhance their contribution. This is a customised module to be built into the CRA login of subscribers to bring about an attitudinal change towards NPS being considered as 'Old age income' planning instrument rather than as a 'Tax Saving' Instrument.

3. Development of Ombudsman E-Appeal portal

To facilitate ease of filing Ombudsman appeal for subscribers and ensure a robust grievance redressal process, the E-Appeal Module is being developed which will incorporated onto the website of PFRDA. The module will have a user-friendly interface and provide an MIS for Ombudsman to track and respond to the appeals.

4. UI/UX and Application Performance Audit

With the objective of making NPS user interface attractive and easy for the subscribers, UI/UX and application performance audit is being planned. This audit will encompass all the digital modules and interfaces provided by CRA. As CRA are central node for the NPS Architecture, it is envisaged that enhancing the performance and quality of CRA modules will improve the overall user experience of the subscribers as well as other intermediaries in NPS.

5. Monitored and reviewed Information Cyber Security Compliance, to ensure that the compliance of Cyber Security Policy of the Intermediaries and Quarterly Compliance. It has been improved performance and security posture of the NPS systems.

6. Review of Cyber Security Policy

With commonality of Work from Home and increasing proliferation of emerging technologies, the cyber threat scenario has been evolving. Taking cognisance of this, - PFRDA is engaged in revision of the Cyber Security Policy for Internal (PFRDA) and Intermediaries (Regulated entities) to strengthen the Cyber Security Posture. The objective is to give primacy for proactive and preventive policy measures.

7. Cloud Adoption Guidelines

Cloud adoption is fast becoming the norm across the Finance Sector, and same is reflected in the NPS Intermediaries, with increasing requests for migration to Cloud. Considering the challenges foreseen with adoption of cloud and to facilitate adoption of technology with requisite caution, PFRDA is working on development of Cloud Adoption Guidelines for the Regulated entities.

8. Session on Emerging Technologies from Renowned Speakers

PFRDA in partnership with leading institutions such as CERT-In organised Cyber Security Awareness Training for officers of PFRDA through Game based Simulation Module of Kaspersky. Also, session on Cloud Technology were organised for officers of PFRDA by engaging Amazon Web Services and

Google Cloud for enriching knowledge on the Cloud platforms, their concept and working. The experts were invited as speakers for delivering lectures on emerging technologies.

9. SLA Review of CRAs

Initiative has been taken to review the Service Level Agreements of Central Record Keeping agencies, to update the SLAs to include Change Management, Incident management etc. to ensure prompt development of modules, redressal of issues in performance of the modules in timely manner and ensure efficient service.

10. SAMPARK

NICSI's SAMPARK SMS Communication services have been engaged to send messaged in the name of PFRDA under the sender ID 'PFRDAI.' Under this initiative, many subscribers' awareness messages have been communicated. SAMPARK has also been used for conducting APY surveys by messaging to the target subscribers with the links to the surveys. With the aid of the messaging platform, PFRDA has been able to increase participation of subscribers in Annuity Literacy Programs (ALPs) by sending upto date information promptly.

11. Subscriber Awareness

a. Pension Cyber Spotlight – Volume 2 on the theme of 'Cyber Security Awareness' was released to equip the readers with knowledge on Cyber threats such as Phishing and Mobile Device Security.

b. Revised Notice on Caution Against Frauds was released towards equipping general public with requisite awareness on various modus operandi used by fraudsters. The notice also provides information on the grievance redressal avenues available in case of cyber frauds.

12. Identification and Assessment of CRA and PFs as the **National Critical Information Infrastructure** in PFRDA regulated NPS System.

13. Disaster Recovery Drills of the CRA's has **increased the resilience** capability of CRA systems based on the periodic advisory from PFRDA.

14. Implementation of Cyber Security:- Standing Committee will advise on Information Systems, Technology & cyber security issues, development of Management Information Systems (MIS), Supervisory and Regulatory platforms, new opportunities and challenges of Financial Technologies, Regulatory Technologies, strengthen the processes of cyber security/ system/information security audit of PFRDA and intermediaries under the NPS architecture.

- PFRDA has re-constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security (IST&CS) and renamed "Pension Fintech Innovation & Development, Information Infrastructure and Cyber Security" to keep an eye on rapid technological changes and cyber risk and its effect on the financial sector to safeguard the subscribers' interest. PFRDA has also created two departments for Information and Cyber Security, i.e., Information and Cyber Security – Internal and

Information and Cyber Security – External, to manage all information and Cyber Security related to Internal and External Cyber Security Policies and Issues in NPS architecture.

- PFRDA, in partnership with leading institutions such as CERT-In, organized Cyber Security Awareness Training for officers of PFRDA through the Game-based Simulation Module of Kaspersky. Also, a session on Cloud Technology was organized for officers of PFRDA by engaging Cloud Service Providers to enrich knowledge on the Cloud platforms, their concepts, and their work. PFRDA organized an information security awareness session in collaboration with an expert from ISEA.
- PFRDA undertakes new initiatives in the field of cybersecurity include and new projects including Project TARCH, the development of the Ombudsman E-Appeal Portal, and NPS Prosperity Planner
- PFRDA monitors and reviews Information Cyber Security Compliance to ensure compliance with the Cyber Security Policy of the Intermediaries and Quarterly Compliance. It has improved the performance and security posture of the NPS systems. Cyber / IT Audit: Cyber Security Audit reports of intermediaries of PFRDA were reviewed to ensure maximum protection to NPS against Cyber threats. The CRA's Disaster Recovery Drills have increased CRA systems' resilience capability based on the periodic advisory from PFRDA.
- Cloud adoption is fast becoming the norm across the Finance Sector, and the same is reflected in the NPS Intermediaries, with increasing requests for migration to the cloud. Considering the challenges foreseen with adopting the cloud and facilitating the adoption of technology with requisite caution, PFRDA has assessed the network infrastructure plans of the intermediaries to ensure the secured operation of the NPS.
- PFRDA is engaged in discussion with NCIIPC to assess and classify the critical intermediaries among Central Record Keeping Agencies and Pension Funds as National Critical Information infrastructures.
- PFRDA also participated in the various cybersecurity-related committees, such as Inter-Regulatory meetings on Information and Cyber Security, working group on Cyber security and Mobile vulnerability, and provided technical inputs for improving the financial sector on Emerging technologies such as Block Chain, IoT, Artificial Intelligence, Machine Learning, FinTech, SupTech, RegTech, etc.,

15. **Fintech through Regulatory Sandbox:** - In financial sector there has been huge shift due to technological advancements and innovations. A regulatory sandbox is a framework set up by a regulator that allows FinTech

start-ups and other innovators to conduct live experiments in a controlled environment under a regulator's supervision. In view of above, PFRDA is a member of IRTG-IORS and submitted application to become a member of GFIN to promote the development of Financial Technology (Fin Tech) for pension sector in a safe and controlled environment.

- o IRTG-IORS: Financial Stability & Development Council Sub-Committee (FSDC-SC) had approved setting up of an Inter Regulatory Technical Group on FinTech (IRTG on FinTech), to facilitate inter-regulatory co-ordination among the financial sector regulators on FinTech related issues.
- o The IRTG on FinTech have representation from other financial sector regulators, viz., Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) and Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) along with one representative each from Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance (MoF) and Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY), Government of India.
- o The group held meetings to discuss/deliberate the terms of reference and finalization the Inter-Operable RS* mechanism for hybrid products /services to facilitate framing of Standard Operating Procedure (SOP).
- o * IoRS is a mechanism to facilitate testing of innovative hybrid financial products / services falling within the regulatory ambit of more than one financial sector regulator. To obviate the need of innovators, to engage with different regulators regarding their hybrid product, a common window may be made available. All regulators shall publish details of the IoRS on their website and give wide publicity as well.

- GFIN: - The Global Financial Innovation Network ('GFIN') formally launched in January 2019 by an international group of financial regulators and related organisations, including the Financial Conduct Authority ('FCA'). The GFIN is overseen by the Coordination Group which is currently being chaired by the FCA. The GFIN is a network of more than 60 organisations committed to supporting financial innovation in the interests of consumers.

  - o The GFIN seeks to provide a more efficient way for innovative firms to interact with regulators, helping them navigate between countries as they look to scale new ideas. This includes the ability to conduct a cross-border test – a solution for firms wishing to test innovative products, services, or business models across more than one jurisdiction. It also aims to create a new framework for co-operation between financial services regulators on innovation related topics, sharing different experiences and approaches.

Part IV

4.1 Functioning of Pension Advisory Committee

Section 45 of PFRDA Act provides for constitution of a Pension Advisory Committee (PAC) with representations from employees, associations, subscribers, commerce & industry, intermediaries and organizations engaged in pension research to advise the Authority on matter relating to the making of regulations or as may be referred to it. During the financial year 2021-22, the sixteenth (16th) and seventeenth (17th) Pension Advisory Committee Meetings were held on 11th August, 2021 and 4th January 2022 respectively at New Delhi.

The following agenda items were taken up for discussion in sixteenth (16th) meeting of the PAC held on 11th August, 2021:

1. Minutes of 15th PAC Meeting
2. Action Taken Report on Minutes of 15th PAC Meeting
3. Active choice of Asset Class E (Equity) under NPS Private Sector
4. Review of fee/charge structure for Points of Presence under NPS Private Sector
5. Appointment/Empanelment of 'Resource Person' by PFRDA
6. Proposed Amendment in Pension Fund Regulatory and Development Authority (Subscriber Education and Protection Fund) Regulations, 2015
7. Performance of Atal Pension Yojana (APY)

The following agenda items were taken up for discussion in seventeenth (17th) meeting of the PAC held on 4th January 2022:

1. Minutes of 16th PAC Meeting
2. ATR on Minutes of 16th PAC Meeting
3. Review of fee/charge structure for Points of Presence under NPS Private Sector
4. Change in asset allocation by NPS subscribers

4.2 Regulations made or Amended

The information pertaining to Regulatory development during FY 2021-22 is as under:

Following amendments have been notified during FY 2021-22:

Table No. 4.1 : Amendments

S. No.	Amendment	Date of Gazette Notification
1.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits And Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2021	December 28, 2021
2.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2021	September 22, 2021
3.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Sixth Amendment) Regulations, 2021	July 15, 2021

S. No.	Amendment	Date of Gazette Notification
4.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (Amendment) Regulations, 2021	June 14, 2021
5.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2021	June 14, 2021
6.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exit and Withdrawals Under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2021	June 14,2021
7.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (Amendment) Regulations, 2021	June 14,2021
8.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fifth Amendment) Regulations, 2021	May 25, 2021
9.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fourth Amendment) Regulations, 2021	March 31, 2021
10.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2021	March 24, 2021

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund.

As per Regulation 6 (1) of PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund), Regulations, 2015, The Authority shall constitute a committee for recommending subscriber education, awareness and protection activities and for utilisation of the Fund.

Further, as per Regulation 6(2) The committee shall consist of the following members, namely:—

(a) the Executive Director of the Authority who shall be the convener of the committee;

(b) two other officials of the Authority;

(c) five other members who have expertise in financial market and experience in matters of subscriber grievance redressal or subscriber education.

Accordingly, the committee was re-constituted on October 06, 2021, the Committee shall recommend utilization of funds for subscribers' education, awareness and protection.

Following is the composition of the committee:

S.No.	Name & Designation	Organization
Internal Members		
1.	Shri A. G. Das, Executive Director, PFRDA	Convener of the committee
2.	Shri Venkateswarlu Peri, CGM, PFRDA	Member
3.	Shri Ashish Bharti, GM, PFRDA	Member
External Member		
4.	Shri Ujjwal Kumar Ghosh, IAS, Commissioner, Department of Treasuries.	Govt of Karnataka
5.	Shri Sushil Pal, Chief Controller of Accounts	Ministry of Home Affairs
6.	Prof Partha Ray, Director.	NIBM
7.	Shri Satyajit Dwivedi, CEO.	NCFE
8.	Shri Vivek Krishna Sinha, CGM.	NABARD

The SEPF committee meeting was held on 24th December, 2021, wherein committee members had discussed the terms of reference, status of SEPF accounts and activities and plan to be undertaken for increasing the awareness of NPS.

As per Regulation 5 (1) of PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund), Regulations, 2015, the Fund shall be utilised for the purpose of protection of subscribers' interest and promotion of subscribers' education and awareness. Educational activities including seminars, symposia, training, research and publications, aimed at subscribers across different geographical locations including metros, non-metros and smaller towns and sectors including unorganized sectors, corporates, self-help groups and other.

4.4 Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA

PFRDA has constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security in August 2018 with a view to keep an eye on rapid technological change and its effect on the financial sector in order to safeguard the subscribers' interest. The terms of reference of the said committee are to advise on Information Systems, Technology & cyber security issues, development of Management Information Systems (MIS), Supervisory and Regulatory platforms, new opportunities and challenges of Financial Technologies, Regulatory Technologies, strengthen the processes of cyber security/ system/information security audit of PFRDA and intermediaries under the NPS architecture. PFRDA has re-constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security (IST&CS) and renamed "Pension Fintech Innovation & Development, Information Infrastructure and Cyber Security" to keep an eye on rapid technological changes and cyber risk and its effect on the financial sector to safeguard the subscribers' interest.

Part V

Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority

5.1 Constitution of the Authority

Section 4 of the PFRDA Act provides for the composition of the Authority consisting of a Chairperson, three whole-time members; and three part-time members to be appointed by the Central Govt. The composition of the Authority were as under:

(i) Chairperson

Shri Supratim Bandyopadhyay is the Chairperson. He joined PFRDA as Chairperson on 21st February 2020. Prior to this, he was Whole Time Member (Finance)-PFRDA from 12.03.2018 to 16.01.2020. Prior to joining PFRDA, he has spent almost three and a half decades in the Insurance industry after joining LIC of India in the year 1985.

(ii) Whole-Time Members

1. Shri Pramod Kumar Singh, Whole-Time Member (Law) from 03.03.2020 till date.
2. Dr. Deepak Mohanty, Whole-Time Member (Economics) from 01.09.2020 till date.
3. Dr. Manoj Anand, Whole-Time Member (Finance) from 01.10.2020 till date.

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Annie George Mathew (IA & AS 1988), Additional Secretary (Pers), Department of Expenditure from 12.12.2014 till date.
2. Ms. Sujata Chaturvedi (IAS 1989), Additional Secretary (in-charge of Establishment Division), Department of Personnel & Training (DoPT) from 16.01.2020 till 30.09.2021.
3. Shri Madnesh Kumar Mishra (IRS 1990), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance from 03.11.2017 till 31.08.2021.
4. Ms. Vandita Kaul (IPoS 1989), Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance from 22.12.2021 till 31.03.2022.

5.2 Meetings of the Authority

During the financial year 2021-22, eight (8) Meetings of the Authority were held as noted hereunder:

SL	Authority Meeting	Date of Meeting
1.	95th Authority Meeting	06.04.2021 (Tuesday) and 07.04.2021 (Wednesday)
2.	96th Authority Meeting	By Circulation- 26.05.2021 (Wednesday)
3.	97th Authority Meeting	30.06.2021 (Wednesday)
4.	98th Authority Meeting	27.08.2021 (Friday)
5.	99th Authority Meeting	09.11.2021 (Tuesday)
6.	100th Authority Meeting	10.01.2022 (Monday)
7.	101st Authority Meeting	By Circulation- 14.02.2022 (Monday)
8.	102nd Authority Meeting	22.03.2022 (Tuesday)

5.3 Staff Strength in PFRDA

As on 31st March, 2022, the regular staff strength of PFRDA is Seventy-Two (72) out of which Seventy (70) are in officer cadre, one (01) Junior Assistant & one (01) Staff Car Driver.

5.4 Functioning of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA.

To implement Government instructions on welfare of SC/ST/PWD employees, a cell has been set up in PFRDA. A Chief General Manager grade officer (previously General Manager in FY 2021-22) has been nominated as Liaison Officer for SCs/STs/PWDs. Further, a separate cell for welfare of OBCs has been set up. A General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for OBCs. Members of both the Cells meet with their respective Liaison Officers on quarterly basis to discuss welfare measures related to them and the Human Resources Department facilitates the quarterly meeting.

5.5 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace.

An Internal Complaints Committee (ICC) for prevention of Sexual Harassment at workplace is in place for receiving complaints, holding enquiry etc. in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and it meets on quarterly basis.

5.6 Staff Welfare Committee

A Staff Welfare Committee has been constituted in PFRDA to identify and organize various staff welfare activities. The Committee will help evolve measures for securing and preserving good relations amongst the employees and also between employees and the management. A Chief General Manager grade officer has been nominated as Chairperson of the Staff Welfare Committee.

5.7 Training of employees in PFRDA

During the financial year 2021-22, officers from different cadre were nominated by PFRDA for trainings/workshops on various subject areas like:

1. Contract Management and Dispute Resolution
2. Building and Managing Corporate Reputation, Crisis Communication, Managing Stakeholders and Building Executive Presence.
3. Resilience & Rebound – Preparing for journey towards $5 Tn Economy.
4. Online Training Programme on Domestic Enquiry and Disciplinary Action.
5. Emerging Cyber Security Practices
6. Managerial Leadership and Conflict Resolution
7. Decision Making for Managerial Effectiveness
8. Preventive Vigilance
9. Leadership Development
10. Cyber Security and Risk Management Orientation for Senior Leaders
11. Digital and Social Media Strategies: Driving Business Growth
12. Online Training Programme on Cyber Security

13. Communication Skills
14. Prospective Change
15. Decision Making for Managerial Effectiveness

A total of 58 employees have received trainings across above mentioned subjects during the FY2021-22.

5.8 Promotion of Official Language

1. PFRDA endeavours to work regularly in Hindi to ensure compliance with the Official Language Policy of the Government of India. It is also committed to promoting the use of official language in all official communications as per directions of the Ministry of Home Affairs and Department of Financial Services, Ministry of Finance. In FY 2021-22, appropriate steps were initiated to ensure compliance with various requirements of the Rajbhasha Department. The details are given below:

1. PFRDA follows the guidelines and action plans received from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, and Department of Financial Services, Ministry of Finance.
2. In order to promote Hindi in the Authority, the functions are carried out under the able guidance and directions of the respected Chairperson and the Executive Director (ED), with the help of the General Manager (Official Language), Assistant Manager (Official Language) and Hindi Translator.
3. In compliance with Official Language Policy, an Assistant Manager (Rajbhasha) was appointed in February 2022.
4. Efforts are being made by the Authority to issue all the official documents bilingually.
5. All the computers of Authority are being enabled with Hindi typing and being equipped with Unicode font and Google Input facility.
6. Letters received from the 'क' and 'ख' regions are being answered bilingually or in Hindi.
7. Hindi RTIs, Parliamentary questions, and Legislative questions are being replied to in Hindi.
8. Names, titles, and entries on registers and files are being made in Hindi also. Nameplates are also being made bilingual as well.
9. The activities related to the promotion of prestigious Pension Schemes of the Government of India, i.e. National Pension Scheme & Atal Pension Yojana, and creating awareness among the public are being done in Hindi.

2 Official Language Implementation Committee

Official Language Implementation Committee has been constituted in PFRDA with Executive Director being the presiding officer. Every HoD is a member of this committee and secretarial duties are performed by Assistant Manager (Rajbhasha). The quarterly meetings of the committee are organized during the year. In each meeting, the progress report of the previous meeting is discussed, and reviewed and action plans for the next quarter are prepared.

3. **TOLIC (Town Official Language Implementation Committee)**

PFRDA consistently made efforts in FY 2021-22 to take membership in Town Official Language Implementation Committee South Delhi-03. Consequently, it got membership of TOLIC in the first quarter of FY 2022-23.

4. **Management Information System, Rajbhasha Department, Ministry of Home Affairs**

Official Language Cell is making efforts to register the authority on the Management Information System (MIS) portal of the Ministry of Home Affairs. The information from different departments is being sought to submit the quarterly report on the Portal.

5. **Training for Officers**

i. A roster related to Hindi knowledge of officers has been prepared by the authority. Efforts are being made to arrange targeted training for officers on the basis of the roster.

ii. A Hindi workshop was organized for the newly appointed Assistant Managers in the authority. An Expert from Kendriya Hindi Sansthan was invited to impart training in this workshop.

iii. An online workshop was organized in December 2021 for Hindi training of the officers.

6. **PFRDA Website**

1. PFRDA is engaged in making its website www.pfrda.org. bilingual.
2. Also, it has been decided to make the Pension Sanchay, PFRDA's financial Literacy initiative, bilingual.

7. **Hindi Diwas Samaaroh and Hindi Fortnight**

During the year FY 2021-22, Hindi Fortnight was organized in the month of September 2021. The main purpose of this fortnight was to encourage employees towards working in Hindi.

8. **Logo of PFRDA**

As per provisions of the Official Language Act, the Logo of PFRDA has been made bilingual.

5.9 Right to Information

There is a dedicated cell in PFRDA to implement the Right to Information Act, 2005 (RTI Act). This Cell processes the applications received under the Right to Information Act, 2005 and works under Central Public Information Officer (CPIO). As required under the RTI Act, PFRDA has designated an officer as the Appellate Authority (AA) with whom the appeals can be filed against an order of the CPIO.

As per RTI Act, any citizen can seek information under RTI by making an appropriate application in writing along with the prescribed fees to the Central Public Information Officer, Pension Fund Regulatory and Development Authority, First Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan, B-14/A, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016 and/or can also file an RTI under RTI Act, 2005 on Online Portal available at www.pfrda.org.in.

During the financial year 2021-22, total 702 (692 online and 10 offline)RTI Applications

and 49 First Appeals were received inter-alia regarding contribution under National Pension System (NPS), opening of individual pension account, transfer, withdrawal & exit under NPS, APY scheme etc. All the applications and appeals were replied/disposed of within the stipulated time as prescribed under RTI Act, 2005.

Section 4 of the RTI Act casts an obligation on every public authority to make certain suo-moto disclosures on its website. PFRDA has also made such suo-moto disclosures on its website. The focus of the disclosure is to improve the level of transparency in the working and functioning of PFRDA. In this regard, information regarding various functions, powers and duties of PFRDA & its officers etc. has been provided on PFRDA's website. Further, the PFRDA Act, rules and regulations made there under, circulars and manuals issued by PFRDA are also available on the website.

5.10 Parliamentary Questions

During 2021-22, PFRDA received around 58 Parliamentary Questions referred by the Government of India, mainly from the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance on various aspects related to the old age income security comprising queries on NPS and APY. PFRDA has furnished information and material for replies in a time bound manner for facilitating replies to the same to the Parliament.

5.11 Accounts of PFRDA

During the financial year (FY) 2021-22, PFRDA met all its administrative and establishment expenses through its own resources. PFRDA received grant from Govt of India towards Atal Pension Yojana only. The Atal Pension Yojna (APY) was announced in the budget speech for the FY 2015-16. This pension scheme is meant for all citizens in the age group of 18-40 years, with a focus on persons belonging to unorganized sector. All subscribers under NPS Lite/ Swavalamban between the age of 18-40 years are eligible to shift to Atal Pension Yojana. During the FY 2021-22, PFRDA has received a grant of Rs. 203.00 crores under APY towards incentive to service providers and other promotional activities.

The annual statement of accounts of the Authority consisting of Balance Sheet as on 31.03.2022, Income & Expenditure A/c and Receipt & Payment A/c for the period 01.04.2021 to 31.03.2022, along with the schedules have been finalized as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. These accounts were approved by the Board in its 104th Board meeting held on 29.06.2022. In accordance with the provisions of the PFRDA Act, 2013, the same have been audited by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The Separate Audit report of the C&AG on the accounts of the Authority for the year ended 31.03.2022, and the comments of the Authority are attached to the certified annual statement of accounts of the Authority along with the Schedules, and are placed at Appendix Annexure III.

Part VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers

6. Some of the area affecting the interest of the subscribers are as below:

6.1. Absence of enabling regulation precludes the government nodal officers.

- The delays in completion of various NPS related activities by the Nodal offices is one of the major areas of concern, since such delays adversely impact the NPS corpus accumulation and consequently the pension receivable on superannuation by the employee-subscribers.
- The Authority has been continuously flagging them to the concerned Government Nodal offices and urging them to take certain policy as well as operational measures, so as to bring discipline in the implementation of NPS in their underlying offices, in order to protect the interest of the employee-subscribers.
- However, the absence of an enabling provision precludes the Government nodal officers (CG, SG and Autonomous nodal offices) from being considered as intermediary as per PFRDA Act 2013 and hence they remain outside the purview of the penalty provision provided under Section 28 of the PFRDA Act 2013.
- Further, it is mentioned that the CCS (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 as notified by DoPPW vide notification dated 30.03.2021, lays down the General conditions of Implementation of NPS under CG sector. The said rules, inter alia, mandates adherence to timelines related to few NPS related activities, however, the fixation of responsibility in case of delays is determined by Head of Department.

6.2. Age limit of 40 years for joining APY

NPS Lite/Swavalamban which was started for unprivileged unorganised sector workers has been discontinued from w.e.f. April 2015. In place of NPS Lite/ Swavalamban scheme, Atal Pension Yojana (APY) was launched which provides guaranteed benefits to the underlying subscribers. Subscribers of NPS Lite scheme have been given option to migrate to APY. However, APY scheme allows entry of subscribers from 18 years to 40 years. Accordingly, potential subscribers beyond 40 years of age who are currently generating income are unable to join Atal Pension Yojana. Therefore, to make the scheme available to these people, the age of eligibility may be considered for increase from 40 years to at least 50 years.

6.3 Statutory obligations that the Authority has not complied

6.3.1 Minimum Assured Return Scheme (MARS)

Under sub-section 2(d)(b) of Section 20 of PFRDA Act, the subscriber seeking minimum assured returns shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority. However, sub-section 2(g) of Sec 20 states that there shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except market-based guarantee mechanism to be purchased by the subscriber. To provide the Minimum Assured Returns Scheme as envisaged under PFRDA Act, a consultant has been appointed for designing the MARS in consultation with PFRDA, PFs and prospective subscribers. The MARS will be

offered by Pension Funds after obtaining approval from the Authority.

6.4 Taxation on employer contribution beyond 10% of employee's salary:

- Central Government had increased the employer NPS contribution from 10% to 14% effective from 1st April 2019. Subsequently various State Governments, Autonomous Bodies and PSBs/PSUs have also increased the employer NPS contribution for their employees at par Central Government.
- The increased employer NPS contribution was exempted for Central Government employees under 80CCD (2). In the Union Budget 2022-2023, this exemption was extended to State Government employees also. However, for employees other than Central and State Governments, the employer contributions in excess of 10% of salary is taxable in the hands of the employees which currently impacts employees of PSBs/PSUs constituting more 7 lakh NPS subscribers.
- Further, contribution made by employer towards employees' NPS account is allowed as a business expense to the employer u/s 36 (i) (iva) of the Income Tax Act upto 10% of salary (Basic+DA) of the employee. Employers' adopting NPS as a retiral benefit scheme for its employees are unenthusiastic to contribute more than 10% of employee's salary towards NPS for creation of a larger pension corpus for the employee/subscriber.

6.5 Cap on employer contribution for calculating taxable perquisite:

- Prior to 1st April 2020, employer contribution towards NPS (upto 10% of salary) was exempted from tax without any monitory ceiling. From 1st April 2020, the aggregated deduction on employer contributions towards Recognized Provident Fund, Approved Superannuation Fund and NPS has been capped at Rs 7.50 lakh and amount in excess of Rs 7.50 lakh is treated as taxable perquisite in the hands of an employee u/s 17(2)(vii) of Income Tax Act. Further, the annual accretion on such excess contributions (if any) is also treated as taxable perquisite in the hands of an employee u/s 17(2) (viia) of Income Tax Act.
- As NPS investments are market linked, the gains/losses depicted in an individual's pension account (NPS) are notional until realized and therefore taxation of notional gains may not be appropriate for NPS subscribers.

6.6 Tier-II Tax Saver with tax benefit of 80C restricted only to Central Govt. employees

Government has notified National Pension Scheme Tier II- Tax Saver Scheme (NPS TTS Scheme) in July 2020 which has tax benefits on contributions u/s 80C of Income Tax Act (subject to lock-in period of 3 years) only for Central Government employees. To date, the scheme is not made available for subscription by other NPS subscribers.

6.7 Taxation on gains arises on Tier-II investment

- NPS Tier-II account which is the optional account under NPS (introduced as replacement of GPF) has no special tax treatment stipulated and therefore gains arising at the point of withdrawals are subject to tax at applicable marginal rates, thereby making Tier-II less appealing to subscribers.
- Similarly, gains arising from National Pension Scheme Tier II- Tax Saver Scheme, 2020 (NPS TTS Scheme) investments are also taxable at applicable rates in the hands of the central government employee/subscriber.

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act.

7.1 In addition to the steps mentioned in previous paras, some other initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers are as below.

- Various new initiatives were taken and guidelines were issued in the form of Circulars by PFRDA to protect the interest of subscribers as mentioned in detail above. Also, necessary amendments to Regulations were carried out based on the requirements and feedback received from stakeholders.

- Authority regularly advises PoPs on the deviations reported by them for delay in prescribed activities under operational guidelines and the payment of compensation to subscribers on account of such delays.

- Operational guidelines for PoPs - APY issued during FY 2021-22 effective from 1 April 2022. Similarly, operational guidelines for PoPs - NPS Lite revised during the year and effective from 1 April 2022.

- Nodal offices under Central Govt sector were advised during review meetings/interactions to adhere to various provisions provided under CCS (NPS) Rules, 2021, to ensure timely completion of activities under NPS.

- Nodal offices under CG and SG sector have been advised to follow the timelines prescribed by DoE, GoI for completion of various NPS related activities with respect to upload of SCFs and remittance of NPS contributions.

- It was advised to Nodal offices under CG and SG to hold regular meetings cum workshops for their underlying Nodal offices in order to sensitize them on the key areas of concern and operational matters.

- The oversight offices under CG and SG sector, viz, PrAOs/DTAs were advised to review performance of their underlying PAOs / DTOs and ensure that the NPS related activities are completed in a time bound manner.

- Advisory on Digital Safety Practices to be followed by Governmentt Nodal offices to access CRA system under NPS architecture - Advising the nodal offices towards adopting safety practices in respect of usage, non-sharing and safe-keeping of login credentials of the CRA system.

- Advisory on Extension of timeline for De-activation of Non- IRA PRANs due to COVID-19 Pandemic till 30.09.2021 - Advising the nodal offices towards collection of physical Common Subscriber Registration Forms (CSRF) from all such employee.

- Ombudsman for NPS/APY- FAQ published for the benefit of Subscribers and wide awareness created about the services of Ombudsman.

- Development of Ombudsman E-Appeal portal -To facilitate ease of filing Ombudsman appeal for

subscribers and ensure a robust grievance redressal process, the IT department is developing the E-Appeal Module which will incorporated onto the website of PFRDA. The module will have a user-friendly interface and provide an MIS for Ombudsman to track and respond to the appeals.

- A digital mode of opening APY account through the eAPY platform was launched by Protean CRA in the month of September 2021. The platform besides promoting digital onboarding, also provides online facility for Lead Generation with banks for Family members / friends / well-wishers and Migration of Swavalamban Subscribers wherein existing Swavalamban subscribers between 18 to 40 years can online migrate to APY.

- e- Annuity Literacy Programs (ALPs)- For creating awareness on Annuity among retiring NPS Subscribers. The program held jointly with Annuity Service Providers and CRAs.

- Online Pension Calculator-The pension calculator illustrates the tentative pension and lump sum amount an NPS subscriber may expect on maturity or 60 years of age based on regular monthly contributions, percentage of corpus reinvested for purchasing annuity and assumed rate in respect of returns on investment and annuity selected for.

- Compliance certificate for ASPs Half yearly compliance being submitted by ASPs for enhanced Subscribers service.

- NPS Tax Saver account- Enables tax saving by subscribers of Central Govt Sector.

- Spotlight –3 Volumes of the newsletter have been released to equip the readers with knowledge on Cyber threats and best practices.

- Notice on Caution Against Frauds- Equipping general public with requisite awareness on various modus operandi used by fraudsters. The notice also provides information on the grievance redressal avenues available in case of cyber frauds.

- SAMPARK -Subscriber Awareness messages are communicated directly by PFRDA. This has been able to increase participation of subscribers in Annuity Literacy Programs (ALPs) by sending upto date information promptly.

- UI/UX and Application Performance Audit-With the objective of making NPS user interface attractive and easy for the subscribers, UI/UX and application performance audit is being planned. This audit will encompass all the digital modules and interfaces provided by CRA.

- Monitored and reviewed Information Cyber Security Compliance, to ensure that the compliance of Cyber Security Policy of the Intermediaries and Quarterly Compliance. It has been improved performance and security posture of the NPS systems.

- Session on Emerging Technologies from Renowned Speakers- PFRDA in partnership with leading institutions such as CERT-In organised Cyber Security Awareness Training for officers of PFRDA through Game based Simulation Module of Kaspersky. Also, session on Cloud Technology were organised for officers of PFRDA by engaging Amazon Web Services

and Google Cloud for enriching knowledge on the Cloud platforms, their concept and working.

- SLA Review of CRAs-Initiative has been taken to review the Service Level Agreements of Central Record Keeping agencies, to update the SLAs to include Change Management, Incident management etc. to ensure prompt development of modules, redressal of issues in performance of the modules in timely manner and ensure efficient service.
- Identification and Assessment of CRA and PFs as the National Critical Information Infrastructure in PFRDA regulated NPS System.
- Disaster Recovery Drills of the CRA's has increased the resilience capability of CRA systems based on the periodic advisory from PFRDA.
- Option for partly exited NPS Subscribers to continue the same PRAN.
- Ease Annuity issuance for NPS subscribers on single KYC- KYC and Withdrawal documents uploaded by nodal officers suffice to issue annuity by Annuity Service Providers (ASP).
- Instant Bank Account verification- Instant Bank Account verification through Penny drop to avoid return of funds and check the beneficiary details on real time basis.
- e-NPS Subscribers exit- The online e-NPS exit functionality built in coordination with Banks
- Development of online system for filing appeal with ombudsman and Release of FAQs on Ombudsman

List of Annexure

Annexure I

Composition of Pension Advisory Committee (PAC) and issues discussed during PAC meetings

Annexure II

State-wise total no.of POP-SPs.

Annexure III

Annual statement of accounts of the Authority along with the Schedules

Annexure I

Composition of Pension Advisory Committee

1. Chief General Manager, Government Business Unit, State Bank of India, New Delhi
2. Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd
3. Executive Director (Retail Banking), Axis Bank
4. Deputy Controller General of Accounts (Technical Advice), Department of Expenditure, Ministry of Finance
5. Chief Executive Officer & Whole Time Director, UTI Retirement Solutions Ltd
6. Chief Executive Officer, HDFC Pension Management Company Ltd
7. Vice President and Head Custodial Services, Stock Holding Corporation of India Ltd.
8. Shri Dinesh Pant, Appointed Actuary Life Insurance Corporation of India
9. Chairman, NPS Trust
10. Director, National Institute of Bank Management, Pune
11. Dr.Renuka Sane, Associate Professor, National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)
12. Shri Kulin Patel, Senior Actuary and Director–Client Account Management, Towers Watson,Gurgaon
13. President, Institute of Actuaries of India
14. Chief Executive Officer Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
15. Deputy Secretary (Establishment II), Department of Personnel & Training
16. Director (A/Cs), Department of Posts, New Delhi
17. Shri Rajiv Kapoor, Executive Director – Group HRM Minda Industries Ltd. representing CII
18. Chief Executive-Indian Banks' Association
19. Director, Budget, Department of Finance, Bhopal, Government of Madhya Pradesh
20. Director (Fin/Budget), Defence Finance as representative of Ministry of Defence
21. Shri Gourav Sharma, Dy Commandant Border Security Force as representative of Ministry of Home Affairs
22. Shri Ramesh Chandra Pandey, Section Officer, Finance Establishment (FE) Directorate as representative of Ministry of Railways

The Chairperson and the Members of the Authority shall be the ex-officio Chairperson and ex officio members of the Pension Advisory Committee

Annexure II

State wise total no. of POP-SPs

S. No	State Name	2021	2022
1	Andaman & Nicobar Islands	134	136
2	Andhra Pradesh	15,796	15645
3	Arunachal Pradesh	385	384
4	Assam	5,952	5982
5	Bihar	13,429	13476
6	Chandigarh	526	536
7	Chhattisgarh	5,029	5037
8	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	126	127
9	Goa	913	918
10	Gujarat	14,277	14424
11	Haryana	6,730	6938
12	Himachal Pradesh	3,164	3175
13	Jammu & Kashmir	2,133	2145
14	Jharkhand	4,295	4324
15	Karnataka	15,613	15661
16	Kerala	10,916	10901
17	Lakshadweep	11	11
18	Ladakh	0	1
19	Madhya Pradesh	13,457	13461
20	Maharashtra	25,207	25216
21	Manipur	252	511
22	Meghalaya	544	1091
23	Mizoram	235	481
24	Nagaland	247	495
25	NCT of Delhi (New Delhi)	5,218	10634
26	Odisha	10,653	21371
27	Puducherry	317	636
28	Punjab	10,019	20059
29	Rajasthan	10,868	21796
30	Sikkim	145	145
31	Tamil Nadu	16,467	33037
32	Telangana	5,703	11569
33	Tripura	651	1312
34	Uttar Pradesh	2,937	34061
35	Uttarakhand	30,025	33032
36	West Bengal	14,880	30044
	Total (All India)	**2,47,254**	**2,49,756**

Note: List includes data of CRA-NSDL and exclusive POP-SPs registered under Kfintech-CRA.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), New Delhi for the year ended 31 March 2022

We have audited the attached Balance Sheet of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as at 31 March 2022, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 42 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013. These financial statements are the responsibility of the PFRDA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. The Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed in Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Earmarked/Endowment Funds- (Schedule-3)– Rs. 2.50 crore.

The above does not include unutilised Grant-in-Aid of Rs.51.46 crore as on 31 March 2022, received from Government on account of Atal Pension Yojana (APY) and Swavalamban Scheme. As per PFRDA (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules 2015, Plan funds from the Central/State Governments are to be shown as Separate Funds and not to be mixed up with any other Funds. Grants received during the year, payments made thereto, unutilised balance at year end should be depicted under respective Funds only.

However, it was observed that during the year 2021-22, PFRDA had depicted an amount of Rs.51.46 crore as closing balance of unutilized corpus fund in Schedule-I of accounts. Depiction of these funds as Capital/Corpus Fund of PFRDA and interest on such funds as interest income of PFRDA has resulted in understatement of Earmarked funds and overstatement of current liabilities by Rs.51.46 crore.

The incorrect treatment of Government grant received for APY and interest earned on balances of Swavalamban Scheme and APY grants and also expenditure incurred out of these grants has affected the Income and Expenditure Account as there is overstatement in case of (a) Other Administrative Expenses (Schedule-21) by Rs. 172.09 crore (b) Expenditure on Grants and Subsidies (Schedule-22) by Rs. 16.56 crore (c) Grants and subsidies (Schedule—13) by Rs.203.00 crore (Grants for APY); and (d) Interest earned (Schedule- 17) by Rs.0.57 crore. Government grants received for APY and interest earned

thereon and all expenditure made from Swavalamban and APY grants should have been routed through Schedule 3-Earmarked and Endowment Funds. However, the financial impact of this discrepancy in 2021-22 on the earmarked funds could not be arrived at, as the opening balance of unutilized Corpus /closing balance of previous year was due to incorrect accounting of Government Grant during previous year.

Despite being pointed out repeatedly in SARs for the years ending on 31 March 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021, PFRDA has not depicted the above-mentioned grants under 'Earmarked/Endowment Funds'.

B. Grants in Aid

PFRDA received Grants-in-aid from Government of India during 2021-22 to the tune of Rs.203.00 crore and had an opening balance of Rs.34.40 crore. During the year, interest earned on Government Grant was Rs.0.57 crore, and credit received under Swavalamban account was Rs.0.001 crore and APY account was Rs. 1.39 crore. Out of the total available balance of Rs.239.36 crore during 2021-22, PFRDA utilized Rs.187.90 crore (including refund of grant of Rs.15.84 crore and interest earned on Government grant amounting to Rs.0.73 crore) leaving an unspent balance of Rs.51.46 crore.

C. Deficiencies, which have not been included in the Audit Report, have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraph, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of the PFRDA as at 31 March 2022; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on 31 March 2022.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 2 2 SEP 2022

Annexure-I

Annexure to Separate Audit Report

A. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit Wing of PFRDA has completed the audit of all wings of PFRDA for the year 2020-21. Internal audit for the year 2021-22 is under progress. Internal Audit needs to be strengthened in commensurate with the size and nature of the activities of PFRDA.

Additionally, the audit of accounts of PFRDA for the year 2021-22 was conducted by a Chartered Accountant firm engaged on contract basis. The findings were reported to PFRDA management and PFRDA has submitted the action taken report on the observations given by CA firm.

B. Adequacy of Internal Control System

Internal control system regarding booking of grants received for specific purpose needs improvement. The maintenance of vouchers, various control registers, records relating to grants in aid sanctions, and regularity in expenditure approval was satisfactory.

C. System of physical verification of fixed assets

The physical verification of fixed assets was conducted at the end of financial year by PFRDA. Assets Identification No. of employees related fixed assets such as home office computers and mobile handsets were not mentioned in the fixed assets register. The same needs to be mentioned for easy verification. Further, assets declared as scrap needs to be disposed off.

D. System of physical verification of inventory

There were 'Nil' inventories during the financial year 2021-22.

E. Regularity in payment of statutory dues

As per the records furnished to the audit, no statutory dues over six months were outstanding as on 31.03.2022.

मृणाल

Director

For Point A.1.1 of SAR and Point B and C of Annexure to SAR:

It is pertinent to mention that the PFRDA *(Forms of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015* **('Rules')** have been notified by t Central Government inferring powers under clause (h) of subsection (2) of Section 51 read with subsection (1) of Section 42 of the *Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013)*, in consultation with the *Comptroller and Auditor-General of India (C&AG)*. The Forms and schedules of Annual Accounts are prescribed under the above-mentioned Rules in which the expenditure under the Swavalamban scheme is shown in *Schedule 21 i.e. Other administrative expenses*. Similarly, Grant/Subsidies received are shown under Schedule 13 (Grant/Subsidiaries) which is a part of the Income and expenditure account. Accordingly, the Grant and expenditure under Swavalamban and APY scheme are considered as income and expenditure in the books of accounts of PFRDA. This treatment is in accordance with the above-mentioned 'Rules'.

Further, with reference to the internal control system regarding the booking of grants received for a specific purpose, it is mentioned that PFRDA maintains separate records, ledgers, and bank accounts in respect of Government grants. Hence, the internal control system in place is adequate. With respect to the system of physical verification of Fixed Assets, it is mentioned that the assets are verified at the end of every year and no such issue regarding non-identification has been faced.

The Internal Audit is being strengthened in commensurate with the size and nature of activities of PFRDA. The assets declared as scrap are being disposed off at periodical intervals.

Annexure III

FORM A

[See Rule 3(a)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2022

Liabilities	Schedule	Current year	Previous year	Assets	Schedule	Current year	Previous year
1. Corpus/ Capital Fund	1	1,90,00,61,056	1,24,50,15,689	1. Fixed Assets	8		
				Gross block		1,00,15,22,291	51,07,47,779
2. Reserves and Surplus	2	-	-	Less: Depreciation		2,36,41,478	1,79,49,562
				Net Block		**97,78,80,813**	**49,27,98,216**
3. Earmarked/ Endowment funds	3	2,50,13,267	2,35,02,420				
				2. Investments from Earmarked/ Endowment Fund	9	2,43,88,564	2,26,95,680
4. Secured loans and borrowings	4	-	-				
				3. Investment-Others	10	77,44,56,001	51,71,31,221
5. Unsecured loans and borrowings	5	-	-				
				4. Current assets, Loans, Advances etc.	11	76,96,59,660	65,71,01,148
6. Deferred credit liabilities	6	-	-				
				5. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
7. Current liabilities and provisions	7	62,13,10,715	42,12,08,157				
Total		**2,54,63,85,038**	**1,68,97,26,266**	**Total**		**2,54,63,85,038**	**1,68,97,26,266**

Note:-

All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Place: New Delhi

Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

FORM B

[See rule 3(b)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022

(Unit-Indian Rupee)

Expenditure	Schedule	Current year	Previous year	Income	Schedule	Current year	Previous year
1. Establishment Expenses	20	35,03,34,730	17,46,71,424	1. Income from Sales/ Services	12	-	-
2. Other Administrative expenses etc.	21	2,06,49,41,748	3,94,46,05,711	2. Grants/ Subsidies	13	2,03,00,00,000	2,73,00,00,000
3. Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	16,56,53,252	13,79,89,642	3. Fee/ Subscription	14	1,33,58,93,795	59,16,36,861
4. Interest	23	5,993	11,413	4. Income from Investments (Income on investment from earmarked/ endowment funds transferred to Funds)	15	-	-
5. Depreciation(Net Total at the year end-corresponding to Schedule 8)		59,63,505	33,18,117	5.Income from Royalty, Publications etc.	16	-	-
				6. Interest Earned	17	4,43,38,224	7,16,33,290
				7. Other Income	18	22,92,607	32,58,192
				8. Increase/ (decrease) in stock of Finished goods and Work-in-progess	19	-	-
TOTAL		**2,58,68,99,228**	**4,26,05,96,306**	**TOTAL**		**3,41,25,24,626**	**3,39,65,28,342**
Balance being excess of Income over Expenditure		82,56,25,398	(86,40,67,964)				
Transfer to Special Reserve (specify each)		-	-				
Transfer to/from General Reserve		-	-				
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		**82,56,25,398**	**(86,40,67,964)**				
Significant Accounting Policy	24						
Contigent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

FORM C

[See rule 3(c)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 to 31-03-2022

(Unit–Indian Rupee)

Sl No	Receipts	Current year	Previous year	Sl No	Payments	Current year	Previous year
1.	Opening Balances			1.	Expenses		
(a)	Cash in hand	20,000	5,313	(a)	Establishment Expenses	32,27,78,542	18,42,94,163
(b)	Bank Balances			(b)	Administrative Expenses	29,16,93,067	22,97,03,303
	(i) In Current accounts	-	-	2.	Grants Utilised		
	(ii) In Time Deposit accounts	-	-	(a)	Swavalamban Contribution	(6,420)	(9,887)
	(iii) In Saving Bank deposit accounts	40,01,42,196	1,55,64,94,648	(b)	Swavalamban Promotion	1,13,82,300	54,79,000
2.	Grants Received			(c)	Grant to National Pension system Trust	-	-
(i)	From Government of India			(d)	APY Contribution	(1,39,10,719)	1,55,02,17,812
	(a) Grant-in-aid Salaries	-	-	(e)	APY Promotion and Development	1,70,20,29,612	2,22,89,29,841
	(b) Grant-in-aid-General	-	-	(f)	Refund of Grant	15,84,00,000	-
				(g)	Refund of Interest	72,53,252	13,79,89,642
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	-	(h)	Others (NCFE)	-	-
	(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	3.	Investments and deposits made		
	(e) Grant-in-aid APY Contribution	-	1,01,00,00,000	(a)	Out of Earmarked/ Endowment funds	4,00,000	1,00,000
	(f) Grant-in-aid APY Promotion & Development	2,03,00,00,000	1,72,00,00,000	(b)	Out of Own Funds (Investments-Others)	25,73,24,780	(22,04,88,979)
	(g) Others	-	-	4.	Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress		
(ii)	From State Government			(a)	Purchase of Fixed Assets	12,27,422	27,38,818
	(a) Grant-in-aid Salaries	-	-	(b)	Expenditure on Capital Work-in-progress	48,01,94,460	48,01,94,519
	(b) Grant-aid-General	-	-	5.	Refund of surplus money/ Loans		
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	-	(a)	Recoverable from National pension system trust	-	-
	(d)Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	(b)	To the State Government	-	-
	(e) Others	-	-	(c)	To other providers of funds	-	-
(iii)	From Other Sources	-	-	6.	Finance Charges (Interest)		
3.	Income on Investments			(a)	Bank charges	5,993	11,413
(a)	Earmarked/Endowment Funds	4,616	4,648	(b)	Others	-	-
(b)	Own Funds (other investment)	-	-	7.	Other Payments (Specify)		
4.	Interest Received			(a)	Prepaid	49,45,765	14,56,743
(a)	On Bank deposits	5,25,43,693	6,43,63,126	(b)	Loan/ Advance to employees	1,42,591	2,53,091
(b)	Loans, Advances etc.	-	-	(c)	Advance against Expenses	3,90,10,557	1,86,92,191
(c)	Others (Interest on Loan)	-	-	(d)	Security Deposits	9,82,000	
5.	Other Income (Specify)			8.	Closing Balances		
(a)	Annual Fees	1,30,56,29,042	59,18,98,251	(a)	Cash in hand	12,291	20,000
(b)	Fees from Miscellaneous Services	1,54,91,724	3,33,99,991	(b)	Bank Balances		
(c)	Miscellaneous Income	18,77,272	32,52,531		(i) In Current accounts		
6	Amount Borrowed	-	-		(ii) In Time Deposit accounts		
7	Any Other receipts				(iii) in Saving Bank deposit accounts	59,31,07,928	40,01,42,196
(a)	Security/Earnest Money Received	50,000	68,000				
(b)	Recovery of Advance	1,61,51,168	3,87,40,504				
(C)	Transfer of Assets	-	1,23,567				
(d)	Subscribers Education and Protection Fund	3,63,711	1,30,746				
(e)	Others	3,47,00,000	12,42,540				
	TOTAL	**3,85,69,73,421**	**5,01,97,23,865**		**TOTAL**	**3,85,69,73,421**	**5,01,97,23,865**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 1
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
CORPUS / CAPITAL FUND

(Unit-Indian Rupee)

Particulars		Current year	Previous year
Balance as at the beginning of the year		1,24,50,15,689	92,90,86,573
Add :	Opening Balance of unutilized corpus fund	34,40,05,696	1,52,40,02,776
Less:	Closing Balance of unutilized corpus fund	51,45,85,726	34,40,05,696
Add/ Deduct:	Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure	82,56,25,398	(86,40,67,964)
Add :	Government Grant to be received from government/ transferred from the Income and Expenditure Account		
BALANCE AS AT THE PERIOD END		**1,90,00,61,056**	**1,24,50,15,689**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 2
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
RESERVES AND SURPLUS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Capital Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
4. General Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
Total	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 3
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars			Subscriber's Education and Protection Fund	
			Current Year	Previous Year
1.		Opening balance of the funds	2,35,02,420	2,19,93,893
2.		Additions to the funds		
	a)	Donations / grants	-	-
	b)	Income on Investments made on account of funds	11,47,136	13,77,781
	c)	Receipts during the year	3,63,711	1,30,746
	d)	Other Additions (Specify nature)		
TOTAL (1+2)			**2,50,13,267**	**2,35,02,420**
3.		Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
	a)	Capital Expenditure		
		i) Fixed assets	-	-
		ii) Others	-	-
Total			-	-
	b)	Revenue Expenditure		
		i) Salaries, wages and allowances, etc.	-	-
		ii) Rent	-	-
		iii) Other Administrative expenses	-	-
Total			-	-
TOTAL (3)			**-**	**-**
NET BALANCE AT THE PERIOD END (1+2-3)			**2,50,13,267**	**2,35,02,420**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 4
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars		Current year	Previous year
1.	Central Government	-	-
2.	State Government	-	-
3.	Financial Instituitions		
	a) Term Loans	-	-
	b) Interest accrued and due	-	-
4.	Banks		
	a) Term Loans	-	-
	-I nterest accrued and due		
	b) Other Loans (specify)	-	-
	- Interest accrued and due		
5.	Other Instituitions	-	-
6.	Debentures and Bonds	-	-
7.	Others	-	-
	TOTAL	**-**	**-**

Note:- Amount due within one year

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 5
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Instituitions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
-I nterest accrued and due		
b) Other Loans (specify)	-	-
- Interest accrued and due		
5. Other Instituitions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note:- Amount due within one year

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 6
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2. Others	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 7
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Current Liabilities		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors & Payables	2,18,45,986	3,48,32,981
3. Advances Received	3,47,00,000	-
4. Interest Accrued but not due on:		
a) Secured Loans / Borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ Borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	29,74,117	16,37,083
6. Other Current Liabilities		
a) Unutilised grant payable to GOI	51,45,85,726	34,40,05,696
b) Others: Security Deposits	56,17,000	65,99,000
TOTAL	**57,97,22,829**	**38,70,74,760**
Provisions		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	58,19,474	97,50,718
3. Trade Warranties/ Claims	-	-
4. Accumulated Leave encashment	3,46,63,549	2,38,13,861
5. Pension Contribution Payable	6,12,543	-
6. Leave salary payable	-	-
7. Others - CAG Audit fee payable	4,92,320	5,68,818
TOTAL	**4,15,87,886**	**3,41,33,397**
GRAND TOTAL	**62,13,10,715**	**42,12,08,157**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 8
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
FIXED ASSETS

Description	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Cost/ Valuation as at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ Valuation as at the year end	As at beginning of the year	For the year	On Deductions during the year	Total upto the year end	As at the Current year	As at the previous year
Fixed Assets										
1. Land:										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Buildings:					-			-		
a) On Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership flats/ premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant Machinery and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Vehicle	13,18,102	9,38,781	-	22,56,883	7,52,148	2,25,710	-	9,77,858	12,79,025	5,65,954
5. Furniture & Fixtures	45,29,866	7,29,596		52,59,462	23,86,859	2,35,922	-	26,22,781	26,36,681	21,43,008
6. Office Equipments	87,44,674	24,19,347	3,28,155	1,08,35,866	38,93,710	9,84,263	91,063	47,86,909	60,48,957	48,50,964
7. Computer/ Peripherals	1,55,64,767	71,05,504	2,97,073	2,23,73,199	1,05,76,362	45,00,078	1,80,527	1,48,95,914	74,77,285	49,88,405
8. Electrical Installations	1,51,908	12,052		1,63,960	1,35,870	1,801		1,37,671	26,289	16,038
9. Liabrary Books	2,43,942		-	2,43,942	2,04,614	15,731	-	2,20,345	23,597	39,328
10. Other Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Of Current Year	**3,05,53,260**	**1,12,05,280**	**6,25,228**	**4,11,33,312**	**1,79,49,562**	**59,63,505**	**2,71,590**	**2,36,41,478**	**1,74,91,834**	**1,26,03,697**
Previous Year	**2,49,07,112**	**81,00,381**	**24,54,233**	**3,05,53,260**	**1,64,02,729**	**33,18,117**	**17,71,283**	**1,79,49,562**	**1,26,03,697**	**85,04,383**
Capital work-in-progress	**48,01,94,519**	**48,01,94,460**	**-**	**96,03,88,979**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,03,88,979**	**48,01,94,519**
Total									**97,78,80,813**	**49,27,98,216**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 9
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	2,43,88,564	2,26,95,680
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 10
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
INVESTMENT- OTHERS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares (Unquoted)		
Shares of National Center for Financial Education (NCFE) 10,00,00,000/-		
Less: Invest made from Government Grants 9,99,99,999/-	1.00	1.00
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	77,44,56,000	51,71,31,220
7. Others	-	-
Total	**77,44,56,001**	51,71,31,221

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 11
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
(A) Current Assets		
1. Inventories :		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Finished goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors :		
a) Debt outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others:	-	-
3. Cash in hand	12,291	20,000
4. Bank Balances :		
a) with Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	59,31,07,928	40,01,42,196
b) with Non- Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Others	-	-
TOTAL (A)	**59,31,20,219**	**40,01,62,196**
(B) Loans, Advances And Other Assets :		
1. Loans:		
a) Staff	2,38,000	2,60,000
b) Other Entities engagaed in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Others (specify)	-	-
2. Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments (Prepaid exp)	49,45,765	14,70,350
c) Security Deposits	39,64,480	38,47,500
d) Others:	4,69,79,735	13,73,66,838
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment funds	4,84,302	6,34,666
b) On Investments- Others	2,50,39,998	3,32,45,467
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others (includes income due unrealized: NIL)	9,48,87,162	8,01,14,133
4. Claims Receivable	-	-
Total (B)	**17,65,39,442**	**25,69,38,953**
Grand Total (A)+(B)	**76,96,59,660**	**65,71,01,148**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

SCHEDULE 12
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
INCOME FROM SALES/SERVICES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished goods	-	-
b) Sale of Raw Materials	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/ Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services(Equipment/Property)	-	-
e) Others(specify)	-	-
Total	-	-

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 13
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
GRANT/ SUBSIDIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Irrevocable Grants and Subsidies Received		
1. Central Government	2,03,00,00,000	2,73,00,00,000
2. State Government	-	-
3. Government agencies	-	-
4. Instituition / Welfares bodies	-	
5. International Organisations	-	-
6. Others : (Specify)	-	-
Total	**2,03,00,00,000**	**2,73,00,00,000**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 14

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022

FEES / SUBSCRIPTIONS

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Entrance Fees	-	-
2.	Annual Fees	1,32,04,02,071	55,83,36,870
3.	Seminar/ Program Fee	-	-
4.	Consultancy Fees	-	-
5.	Licence Fees	-	-
6.	Fees from Miscellaneous Services	1,54,91,724	3,32,99,991
7.	Others (Specify)	-	-
	Total	**1,33,58,93,795**	**59,16,36,861**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 15

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022

INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on investment from Earmarked / Endowmennt funds transferred to Funds)

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Investment From Earmarked Fund		Investment- Others	
		Current year	Previous year	Current year	Previous year
1.	Interest				
	a) On Govt. Securities	-	-	-	-
	b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
	c) Others	11,47,136	13,77,781	-	-
2.	Dividend				
	a) On Shares	-	-	-	-
	b) On Mutual Funds	-	-	-	-
	c) Others	-	-	-	-
3.	Rents	-	-	-	-
4.	Others (specify)	-	-	-	-
Total		**11,47,136**	**13,77,781**	**-**	**-**
Less: Transferred to Earmarked/ Endowment Funds		**11,47,136**	**13,77,781**		
Net balance		**-**	**-**	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 16
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (specify)	-	-
Total	**-**	**-**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 17
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
INTEREST EARNED

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Term Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	3,32,69,079	5,69,67,150
b) with Non-Scheduled Bank	-	-
c) with Instituitions	-	-
d) Others	-	-
2. On Savings Bank Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	1,10,69,145	1,46,66,140
b) with Non-Scheduled Bank	-	-
c) Post Office Savings Accounts	-	-
d) Others:		
3. On Loans:		
a) Employees/Staff	-	-
b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
Total	4,43,38,224	7,16,33,290
Tax deducted at source to be indicated		

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 18
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
OTHER INCOME

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Profit on Sale/ Disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	-
b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2. Export Incentives Realized	-	-
3. Fees for Miscellaneous Services	-	-
4. Miscellaneous Income	22,92,607	32,58,192
Total	**22,92,607**	**32,58,192**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 19
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
A) Closing Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
B) Less: Opening Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
Net Increase/(Decrease) (A-B)	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 20

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022

ESTABLISHMENT EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars		Current year	Previous year
1.	Salaries and Wages	28,82,46,416	14,82,88,879
2.	Allowances and Bonus	-	-
3.	Contribution to Provident Fund	-	-
4.	Contribution to Pension	2,37,73,295	1,28,32,661
5.	Staff Welfare Expenses	-	-
6.	Expense on Employee Retirement and Terminal Benefits	-	-
7.	Leave Salary	2,94,56,283	85,83,969
8.	Tution Fees reiumbursement	-	-
9.	Medical reiumbursement	38,05,100	30,50,143
10.	Gratuity Contribution	50,53,636	19,15,771
11.	Others: (specify)	-	-
Total		**35,03,34,730**	**17,46,71,424**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 21
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
OTHER ADMINISTRATION EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Purchases	-	-
2.	Labour and Processing Expenses	-	-
3.	Cartage and Carriage Inwards	-	-
4.	Electricity and Power	17,72,164	16,47,876
5.	Water Charges	6,86,823	5,69,522
6.	Insurance	17,99,867	18,44,892
7.	Repair and Maintenance	56,36,902	64,00,678
8.	Excise Duty	-	-
9.	Rent, Rates and Taxes	8,14,43,062	7,34,71,187
10.	Vehicles Running and Maintenance	2,35,48,764	1,36,94,318
11.	Postage, Telephone and Communication Charges	69,75,702	52,08,044
12.	Printing and Stationary	16,38,459	14,80,358
13.	Travelling and Conveyance Expenses	72,05,131	6,71,399
14.	Expenses on Seminar/ Workshops/ Meetings and conferences	81,13,200	2,48,36,439
15.	Subscription Expenses	-	-
16.	Expenses on Fees	-	-
17.	Auditors Remuneration	3,49,702	2,46,160
18.	Hospitality Expenses	-	-
19.	Professional Charges	6,52,30,823	3,50,12,958
20.	Books and Periodicals	3,03,304	1,73,652
21.	Recruitment Expenses	1,05,24,747	80,36,941
22.	Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances	-	-
23.	Incentive to Aggregator	1,13,82,300	54,79,000
24.	Swavalamban Government Contribution	(6,420)	(9,887)
25.	APY Government Contribution	(1,39,10,719)	1,55,02,17,812
26.	Incentive to Point of presence	-	-
27.	Irrevocable balances Written off	-	-
28.	Packing charges	-	-
29.	Freight and Forwarding Expenses	-	-
30.	Distribution Expenses	-	-
31.	Advertisement and Publicity Expenses	11,85,32,178	1,93,47,176
32.	Membership fees	5,87,305	32,68,640
33.	Staff Welfare expenses	14,83,833	8,35,661
34.	Consultancy expenses	34,90,294	27,65,685
35.	APY Promotion	5,18,24,736	6,19,500
36.	Incentive under APY	1,67,16,09,750	2,18,76,32,920
37.	Sitting Fees		-
38.	Others (Website fee expense, Fund management expense, Computer consumables+Auction Processing Fees)	47,19,842	11,54,779
	Total	**2,06,49,41,748**	**3,94,46,05,711**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 22
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
EXPENDITURE ON GRANT SUBSIDIES ETC.

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Grants given to Instituitions/ Organisations/National Pension System Trust	-	-
2.	Subsidies given to Instituitions/ Organisations	-	-
3.	Others :		
	a. Refund of Grants	15,84,00,000	-
	b. Refund of Interest	72,53,252	13,79,89,642
	Total	**16,56,53,252**	**13,79,89,642**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 23
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
INTEREST

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	On Fixed Loans	-	-
2.	On Other Loans	-	-
3.	Bank charges	5,993	11,413
4.	Other(specify)	-	-
	Total	**5,993**	**11,413**

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 24
ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of accounting and preparation of financial statements

The financial statements of the Authority have been prepared in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention except for Swavlamban scheme and Atal Pension Yojna (APY) maintained on payment basis, being the schemes of Government of India .

Fee from Trustee Bank and Central Record Keeping Agencies for the last quarter have been accounted on accrual basis for 2021-22.

2. Government Grants

Government grants are accounted on realisation basis.

Government grants relating to specific assets have been shown as a deduction from the gross value of the assets concerned, in arriving at their book value and the related assets have been shown in the balance sheets at a nominal value.

3. Fixed Assets

Fixed assets are stated at their original cost including taxes and other incidental expenses related to acquisition.

4. Retirement benefits

The retirement benefits of employees i.e Gratuity and leave encashment, are covered through Group Gratuity Scheme and Group Leave Encashment Scheme taken from Life Insurance Corporation of India.

5. Depreciation

5.1 Depreciation is provided on the written down value method as per rates specified in The Income tax Act 1961.

5.2 Items costing Rs. 5,000/- or less each are treated as revenue expenditure.

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand
Member

Pankaj Sharma
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 25
ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 01-04-2021 TO 31-03-2022
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. **Contingent Liabilities**

   There is no contingent liability of the Authority as at 31.03.2022.

2. **Current Assets, Loans & Advances**

   The Current assets, Loans and advances have a value on realisation equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. **Taxation**

   In view of the Section 34 of The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, the Authority shall not be liable to pay wealth-tax, income-tax or any other tax in respect of its wealth, income, profits or gains derived. Accordingly, no provision for the same has been provided in the books of accounts.

4. The unutilised Government grants as on 31.03.2022 has been shown under the head Current Liabilities and Provisions.

5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

6. The schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance sheet as at 31-03-2022 and the Income and Expenditure account for the period 01-04-2021 to 31-03-2022.

7. PFRDA has contributed Rs.10 crores towards Share Capital of 'National Center for Financial Education (NCFE)' from the Grants received from Central Government in the FY 2019-20. Hence, this investment has been shown at a notional value of Re.1 under Schedule 10.

8. An annual fees of Rs 3.47 crores for FY 22-23 has been received in March 2022 from Deutsche bank as a custodian is considered as "Income Received in Advance" and accordingly not considered as income for FY 21-22.

9. The Board of PFRDA in its 88th meeting approved the purchase of own premises for PFRDA from NBCC (India) Ltd in its upcoming project at World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi with the budgeted amount of Rs 200-250 crores. Accordingly, PFRDA has made pro-rata payment of Rs 48.02 cr to NBCC during 2021-22 towards the purchase of said premises and a total of Rs 96.04 crores upto 31st March 2022, which is still under construction. The same has been shown as 'Capital Work-in-Progress' in Schedule-8.

Place: New Delhi
Date:17/06/2022

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Manoj Anand	**Pankaj Sharma**	**S. Bandyopadhyay**
Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016